रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266578
CG-DL-E-01102025-266578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2025/आश्विन 5, 1947
No. 271] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2025/ASVINA 5, 1947

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
## (वाणिज्य विभाग)

## व्यापार उपचार महानिदेशालय

## अंतिम जांच परिणाम

## अधिसूचना

## मामला सं. एडी(ओआई) - 36/2024

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

**विषय: वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।**

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

**फा. संख्या 6/38/2024-डीजीटीआर**.- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. कम्पाउंड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे आगे "सीएमएमएआई" कहा गया है) और मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे "एमएमए" कहा गया है) (जिसे आगे सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" कहा गया है) ने भारत में घरेलू उत्पादकों की ओर से, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, वियतनाम (जिसे आगे "संबद्ध देश " कहा भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "पीयूसी " भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी " भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग विखंडित है और इसमें पूरे भारत में स्थित बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक शामिल हैं, इसलिए दो एसोसिएशनों, सीएमएमएआई और एमएमए द्वारा अपनी सदस्य कंपनियों की ओर से पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन दायर किया गया था। 29 जुलाई 2021 के व्यापार नोटिस संख्या 09/2021, जैसा कि 18 नवंबर 2021 के व्यापार नोटिस संख्या 11/2021 द्वारा संशोधित किया गया है (सामूहिक रूप से, "व्यापार नोटिस 9/2021") के तहत यथा-अपेक्षित निर्धारित प्रारूप में सभी संगत जानकारी प्रदान की गई थी।

3. संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित बारह (12) आवेदक घरेलू उत्पादकों (जिसे आगे "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने विखंडित उद्योगों के लिए व्यापार नोटिस 9/2021 के अनुबंध-I मे आवश्यक जानकारी दायर की:

i. कंदुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
ii. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
iii. ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. बजाज मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड
v. बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड
vi. बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
vii. बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
viii. सिद्ध केमिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
ix. श्री अंबिका पॉलीफिल
x. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
xi. आलोक इंडस्ट्रीज
xii. आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड

4. इसके अलावा, निम्नलिखित इक्कीस (21) घरेलू उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया और निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक आंकड़े प्रदान किए:

i. सोनाली पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. श्री मणिराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. एस.पी. पॉलिमर
v. 365 प्लास्टियम प्राइवेट लिमिटेड
vi. एन.पी. एग्रो (इंडिया) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
vii. सत्या पॉलीअलॉयज एलएलपी

viii. एडेक्स पॉलीब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड

ix. रामा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड

x. भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड

xi. स्वास्तिक प्लास्टोअलॉयज

xii. मनन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

xiii. आदित्य पॉलीस्पिन प्राइवेट लिमिटेड

xiv. जे के पारस पॉलीकोट्स लिमिटेड

xv. स्पेशियलिटी मास्टरबैचेस एलएलपी

xvi. सचदेवा पॉलीकलर प्राइवेट लिमिटेड

xvii. एवरप्लस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

xviii. मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

xix. डॉल्फिन पॉलीफिल

xx. जे जे प्लास्टलॉय

xxi. प्रभु पॉलीकलर

5. याचिकाकर्ता द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फा. संख्या 6/38/2024-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार शुरू की गई, ताकि संबद्ध वस्तुओं के किसी भी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो अगर लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

**ख. <u>प्रक्रिया</u>**

6. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच प्रारंभ की गई।

iii. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश की सरकारों को, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहाँ भी अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराई गई थी।

v. भारत स्थित संबंधित देश के दूतावास को निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर अनुरोध करने की सलाह देने का सुझाव दिया गया था। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते सहित, उन्हें भी भेजी गई।

vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

| **क्र. सं.** | उत्पादक/निर्यातक |
|---|---|
| 1. | पीएमजे संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 2. | सीपीआई वियतनाम प्लास्टिक लिमिटेड |
| 3. | यूबी मास्टरबैच संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 4. | मेगा प्लास्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 5. | एडीसी प्लास्टिक जेएससी |
| 6. | एचपी केमिकल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 7. | पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 8. | फु लाम ट्रेड कंपनी लिमिटेड |
| 9. | यूरोपीय प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 10. | सन प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड |
| 11. | हूऊ एनजीएचआई प्लास्टिक कंपाउंड्सजेएससी |
| 12. | थान शुआन स्टोन मिनरल्स जेएससी |
| 13. | फाइव कॉन्टिनेंट्स प्लास्टिक्स जेएससी |
| 14. | वीएसवी ग्रुप कॉर्पोरेशन |
| 15. | विनारेस वियतनाम संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 16. | फिलप्लास कंपनी लिमिटेड |
| 17. | बाओ लाई मार्बल वन मर्मर कंपनी लिमिटेड |
| 18. | प्लास्टेक्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 19. | मास्का ग्लोबल कंपनी लिमिटेड |
| 20. | वीना प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड |
| 21. | सनशाइन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| 22. | कैपोट वियतनाम कंपनी लिमिटेड |
| 23. | फा ले प्लास्टिक विनिर्माण और प्रौद्योगिकी |
| 24. | वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 25. | प्लास्टिक हा नोई ट्रेडिंग संयुक्त स्टॉक |
| 26. | फ़िल्टर मास्टर बैच संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 27. | बीनप्लास्ट कंपनी लिमिटेड |
| 28. | वियतनाम कलर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बीन ए एंड टी कंपनी लिमिटेड |
| 29. | ग्लोबल मिनरल्स जेएससी |
| 30. | एएनबीआईओ संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 31. | टीएलडी वियतनाम संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 32. | एन थान बिक्सोल संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 33. | मिन्ह खांग केमिकल ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 34. | यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 35. | होआंग जिया मिनरल ग्रुप जेएससी |
| 36. | दाई ए उद्योग संयुक्त स्टॉक कंपनी है |
| 37. | वियतनाम हनोटेक संयुक्त स्टॉक सी |
| 38. | एन टीएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 39. | विटाप्लस संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 40. | रेनफॉरेस्ट एक्सपोर्ट गुड्स होलसेलर्स एल एल सी |
| 41. | एशिया प्लास्टिक उद्योग संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 42. | वियतनाम औद्योगिक खनिज अंतर्राष्ट्रीय |
| 43. | यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी-हंग येन यूएस मास्टरबैच जेएससी |
| 44. | कूंग टीवाई टीएनएचएच मिन्ह हिएन एलएस डेप्लास्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 45. | जीसीसी मिनरल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 46. | नो एमएमए प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड |
| 47. | ड्यूक फोंग मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड |
| 48. | फिलर मास्टरबैच संयुक्त स्टॉक कंपनी |
| 49. | पॉली प्लॉय जेएससी सोंग मिन्ह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी |

vii. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने आप को जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया:

| **क्र. सं.** | **उत्पादक/निर्यातक** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. | नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी |
| 2. | येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 3. | यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 4. | पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 5. | एन टीएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 6. | ए डोंग प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 7. | विटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 8. | वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 9. | जीसीसी मिनरल्स जेएससी |
| 10. | वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी |
| 11. | यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |
| 12. | यूएस एमबी जेएससी हंग येन ब्रांच |
| 13. | फिलर मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी |

viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों को आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजकर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगी।

| S. No. | Name of Importer |
|---|---|
| 1 | एशियन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | डीवीएम प्रोटेक |
| 3 | पारिख पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | प्रीमियर पॉलिमर्स |
| 5 | स्पिनपैक इंडस्ट्रीज कंपनी |
| 6 | नीलमगम गणपति राम |
| 7 | पद्मा पॉलिमर्स |
| 8 | यूफोरिया पैकेजिंग एलएलपी |
| 9 | रॉप्लास्ट इम्पेक्स |
| 10 | जंबो बैग लिमिटेड |
| 11 | जीएसवी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | डॉलर सेंस |
| 13 | सदर्न बायो-टेक पॉली इंडस्ट्री |
| 14 | मिथिला प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | इंडो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | पारसनाथ पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| 17 | प्रगति पॉलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | निर्मल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज |
| 19 | गोठी इम्पेक्स |
| 20 | प्राइम एजेंसियां |
| 21 | विर्गो पॉलिमर्स लिमिटेड |
| 22 | ए एम ट्रेडर्स |
| 23 | अतुल्य फैब्रिक्स एलएलपी |
| 24 | पूजा सेल्स |
| 25 | टॉपसैक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 26 | राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड |
| 27 | विश्वा पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | श्री लकोशा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड |
| 29 | आरजीके पॉलीकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 30 | श्री आदित्य पॉलिमर्स |
| 31 | शिव इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 32 | एयरो प्लास्ट लिमिटेड |
| 33 | जे वसंत एक्सपोर्ट्स |
| 34 | सर्वो पैकेजिंग लिमिटेड |
| 35 | गगन पॉलिमर्स |
| 36 | टेक्सबॉन्ड नॉनवॉवन्स |
| 37 | पीयूष पॉलीटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 38 | डेल्टा इरिगेशन इंडिया एलएलपी |
| 39 | बल्क लिक्विड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 40 | निर्मल फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | तिरुमलाई एजेंसी |
| 42 | ऑलविन पाइप्स |
| 43 | ब्रोकेड इंडिया पॉलीटेक्स लिमिटेड |
| 44 | एच एंड एच पॉलिमर्स |
| 45 | आर्च नॉनवोवन |
| 46 | गिरिवर्या नॉन वोवन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 47 | विराट इम्पेक्स |
| 48 | साईं कंदन एजेंसी |
| 49 | प्रताप सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 50 | कृष्णा लैमिकोट प्राइवेट लिमिटेड |
| 51 | अल्ट्रा नॉनवोवन |
| 52 | ए-वन टेक्स टेक प्राइवेट लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| 53 | राजश्री फैब्रिक्स |
| 54 | मैट्रिक्स इम्पेक्स |
| 55 | प्राइमो इंडस्ट्रीज |
| 56 | श्री माँ पॉलीफैब्स लिमिटेड |
| 57 | प्राकृत इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 58 | बिग बैग्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 59 | पीके एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड |
| 60 | प्रोटॉन पॉलिमर |
| 61 | ए पी पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 62 | सिग्रोड इंडिया लिमिटेड |
| 63 | अग्रवाल टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 64 | नाद नॉनवोवन प्राइवेट लिमिटेड |
| 65 | भूमि प्लास्टिक |
| 66 | इलेक्ट्रो पॉलीकेम लिमिटेड |
| 67 | मिली एक्सपोर्ट्स |
| 68 | सूर्य लक्ष्मी इंडस्ट्रीज |
| 69 | वर्ना बैग्स |
| 70 | कैपस्टोन पॉलीवीव प्राइवेट लिमिटेड |
| 71 | जेमिनी इम्पेक्स सॉल्यूशंस |
| 72 | सुवर्णा एक्सपोर्टर्स |
| 73 | हरिओम पॉलीपैक्स लिमिटेड |
| 74 | डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड |
| 75 | लिंगम पॉलिमर्स |
| 76 | गिरधर रोल रैप प्राइवेट लिमिटेड |
| 77 | राजगुरु इंडस्ट्रीज |
| 78 | एसकेपी एंटरप्राइजेज |
| 79 | कोवई पॉलिमर ट्रेडर्स |
| 80 | प्रीत फ्लेक्स |
| 81 | एमको एंटरप्राइजेज |
| 82 | ब्लो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 83 | एवी एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 84 | डीबी पॉलिमर्स |
| 85 | पोलस्टार |
| 86 | स्किल डाई केम प्राइवेट लिमिटेड |
| 87 | विदवार कंपनी |
| 88 | मानसरोवर एग्रो सैक्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| 89 | वर्धमान पॉलीपैक्स |
| 90 | समृद्धि इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 91 | सुनील फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 92 | आरएल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड |
| 93 | फ्लेक्सिबल बैग्स |
| 94 | टोटल पैकेजिंग सर्विसेज़ |
| 95 | मैरिस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 96 | सर्वो प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 97 | मित्तल टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड |
| 98 | नेक्सा कंपाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 99 | बिल्डमेट फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 100 | पॉलीवेक्स ओवरसीज |
| 101 | साई सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 102 | भागीरथी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 103 | सीमंधर इम्पेक्स |
| 104 | रचना पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 105 | बल्कपैक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड |
| 106 | ड्यूरा प्लास्टसॉल्यूशंस एलएलपी |
| 107 | फाइन टेक इंडस्ट्रीज |
| 108 | सिंथेटिक पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 109 | कलरप्लास पॉलीएडिटिव्स एलएलपी |
| 110 | गौतम सिंघल |
| 111 | प्लास्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 112 | एमडीपी ट्रेडिंग |
| 113 | हुगली एक्सट्रूज़न्स लिमिटेड |
| 114 | दीप केम इंडस्ट्रीज |
| 115 | पेकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड |
| 116 | गिरिराज पॉलीपैक |
| 117 | सराफ फिनकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
| 118 | केटी पायरोकेम |
| 119 | आरडीबी रसायन्स लिमिटेड |
| 120 | ध्वनि पॉलीप्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 121 | मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 122 | चंद्रा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड |
| 123 | सावित्रीदेवी पॉलीफैब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 124 | पॉलीजेन ट्रेडिंग कंपनी |

| | |
|---|---|
| 125 | एनएस फैब्रिक्स |
| 126 | कुलोदय प्लास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 127 | पर्ल पॉलीफिल्म मैन्युफैक्चरर्स |
| 128 | परिवर्तन मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 129 | अमोरा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 130 | पैराडाइज एंटरप्राइजेज |
| 131 | बड़ौदा रैपिड्स |
| 132 | श्री अंगिरा एंटरप्राइजेज |
| 133 | पायनियर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 134 | विवा पेट्रोकेमिकल एलएलपी |
| 135 | राजेंद्र केमिकल्स |
| 136 | श्री दक्षिणेश्वरी माँ पॉलीफैब्स लिमिटेड |
| 137 | श्रीजा पॉलिमर्स |
| 138 | एमवीएस एक्मेई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 139 | एसडीआर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 140 | राठी एंटरप्राइजेज |
| 141 | शिवम एग्री पाइप्स |
| 142 | बीना प्लास्टिक्स |
| 143 | बोहरा सेल्स सर्विसेज लिमिटेड |
| 144 | सुपर पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 145 | जुपैक्स वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड |
| 146 | रुचक केमिकल्स |
| 147 | मेगाप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 148 | श्री श्याम एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 149 | मोहन कुमार अग्रवाल |
| 150 | पॉलीस्पिन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड |
| 151 | गोविंद अग्रवाल एचयूएफ |
| 152 | रुषभ प्लास्टिक |
| 153 | नेशनल प्लास्टो कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 154 | राजेश कलर कंपनी |
| 155 | भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 156 | सन एंटरप्राइज |
| 157 | ओरेकल पॉलीप्लास्ट |
| 158 | कावेरी ग्लोबल |
| 159 | एन के आयात |
| 160 | पार्क शेल्ड्रेक |

| | |
|---|---|
| 161 | प्यारे लाल फोम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 162 | श्रीवारी उद्योग |
| 163 | इंडऑटो फ़िल्टर |
| 164 | अजय लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 165 | कावेरी इम्पेक्स |
| 166 | नगीनदास हीरालाल भयाणी |
| 167 | जखोटिया पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड |
| 168 | वीजीआर फूडटेक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड |
| 169 | मारुति एंटरप्राइज़ |
| 170 | एवरेस्ट पॉलीफ़िलर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 171 | अल्पाइन एफआईबीसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 172 | वैभव मिनरल्स केमिकल्स |
| 173 | महाशक्ति पॉलीकोट |
| 174 | श्री कृष्णा सेल्स एजेंसी |
| 175 | नव-डिवीजन इंडस्ट्रीज |
| 176 | प्लास्टीन इंडिया लिमिटेड |
| 177 | रानसरिया पॉली पैक प्राइवेट लिमिटेड |
| 178 | कोंकण स्पेशलिटी पॉलीप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 179 | थानिगाई इंटरनेशनल |
| 180 | आल्प्स पॉलीटेक्स |
| 181 | सिंगला प्लास्टिक उद्योग |
| 182 | ज़ील पैकेजिंग |
| 183 | ओम्या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 184 | प्रगति पेपर एंटरप्राइजेज |
| 185 | श्रीजी पॉलीमिक्स इंडस्ट्रीज |
| 186 | विबग्योर पॉलीएडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 187 | केआईके प्लास्टिक प्राइवेट |
| 188 | ओरियाना ग्लोबल ट्रेड एलएलपी |
| 189 | नियोटेक्स पॉलिमर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 190 | के के पॉलीकलर एशिया लिमिटेड |
| 191 | मधु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 192 | बालाजी पॉली उद्योग |
| 193 | क्रिसेंट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 194 | सराफ फैबट्रेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 195 | फॉर्मोसा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 196 | बैंगलोर पॉलीकॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| 197 | मेहुल कलर्स मास्टरबैचेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 198 | कश्यप यूनिटेक्स कॉर्पोरेशन |
| 199 | सूरज लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 200 | सूरज जायसवाल |
| 201 | एच जे इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 202 | के सी संस |
| 203 | मास्टर एक्सट्रूज़न्स |
| 204 | पिनेकल पॉलिमर |
| 205 | झुनसंस केमिकल्स |
| 206 | सेय्यों हाई-टेक पॉली फैब्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 207 | एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 208 | साईं इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 209 | आयुष्मान मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 210 | त्रिमूर्ति पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड |
| 211 | आदिशा मोल्ड्स |
| 212 | ओसवाल इंडस्ट्रीज |
| 213 | सिडविन फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड |
| 214 | दर्शन प्लास्टिक |
| 215 | ग्लोबकेम इम्पोर्ट्स |
| 216 | सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी |
| 217 | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| 218 | एस्क्वायर मल्टीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 219 | भीम पॉलीफैब इंडस्ट्रीज |
| 220 | भुयान एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 221 | अंजनी इंटरवीव |
| 222 | फास्ट्रैक्स पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 223 | श्याम केमिकल एंड मिनरल्स |
| 224 | मेरिट पॉलिमर्स |
| 225 | इशोम पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 226 | मनिका मोल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 227 | चूड़ीवाल टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड |
| 228 | सुप्रभा प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 229 | केएनके ओवरसीज |
| 230 | पॉलीस्क्वेयर एलएलपी |
| 231 | माइक्रो प्लास्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 232 | विजय पॉलिमर्स |

| | |
|---|---|
| 233 | तिरुपति हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड |
| 234 | मल्लिनाथ टेक्सटाइल मिल्स |
| 235 | दमन पॉलीफैब्स |
| 236 | टिबरीवाल प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 237 | बड़ौदा पैकेजिंग |
| 238 | प्रियदर्शिनी पॉलीसैक्स लिमिटेड |
| 239 | विशाल सिंथेटिक्स |
| 240 | पैटको पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड |
| 241 | ऋषि एफआईबीसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 242 | माइक्रो पॉली पैक |
| 243 | सन मास्टरबैच प्राइवेट लिमिटेड |
| 244 | भवानी प्लास्टिक्स |
| 245 | केबी उद्योग |
| 246 | सन टेक्स मिल्स |
| 247 | आस्था प्लास्टिकॉन |
| 248 | अनन्या इम्पेक्स |
| 249 | अल-सा एड एंटरप्राइजेज |
| 250 | विजयनेहा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 251 | नवकार पैकेजिंग |
| 252 | कंडोई फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 253 | शंकर पैकेजिंग्स लिमिटेड |
| 254 | एसएनजी माइक्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 255 | श्री सालासर ट्रेडिंग कंपनी |
| 256 | वाइब्रेंट पॉलिमर्स एलएलपी |
| 257 | सीलियन वर्ल्ड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 258 | श्री राम पॉलिमर्स |
| 259 | अमित ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 260 | एस जी पॉलिमर्स |
| 261 | वी एम पॉलीटेक्स लिमिटेड |
| 262 | कंसोलिडेटेड शिपिंग लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 263 | क्रिएटिव पॉली पैक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 264 | वेन पैक |
| 265 | वीआर एफआईबीसी जंबो बैग इंडस्ट्रीज |
| 266 | शक्ति पॉली केम |
| 267 | डीप पॉलिमर्स लिमिटेड |
| 268 | मेहरासंस कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| 269 | लिंकन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 270 | बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 271 | पद्मजा पॉली पैक्स प्राइवेट लिमिटेड |

ix. अधिसूचना के आरंभ होने के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने अपने आप को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया:

| **क्र. सं.** | **उत्पादक/निर्यातक** |
|---|---|
| 1. | ऋषभ कलर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | ब्लेज़ डेकोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | आरजीके पॉलीकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 4. | ए वन ट्रेडिंग कंपनी |
| 5. | ऋषभ प्लास्टिक |
| 6. | फाइन टेक इंडस्ट्रीज |
| 7. | कोंकण स्पेशलिटी पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 8. | एशियन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड |

x. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति और आवेदन का एक अगोपनीय रूपांतर ज्ञात एसोसिएशनों को भेजा गया।

xi. अधिसूचना के आरंभ होने के प्रत्युत्तर में, किसी भी ज्ञात एसोसिएशन ने अपने आप को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं कराया है।

xii. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस जाँच का उत्तर नहीं दिया है या संगत जानकारी प्रदान नहीं की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।

xiii. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदक को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया।

xiv. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि ("जाँच की अवधि" या "पीओआई") 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) है। क्षति की अवधि में जाँच की अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 शामिल हैं।

xv. प्राधिकरण ने विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी इच्छुक पक्षों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपनी प्रस्तुतियों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

xvi. प्रणाली महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से क्षति जाँच की अवधि और जाँच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को यह प्राप्त हुआ और

संबद्ध जाँच के लिए इस पर विचार किया गया। वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात आँकड़ों पर भरोसा किया है।

xvii. प्राधिकारी ने 21 नवंबर 2024 को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति पर चर्चा करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ एक बैठक की। सभी हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने 4 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को स्पष्ट किया और पीसीएन को भी अधिसूचित किया।

xviii. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई और साथ ही सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

xix. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के पैराग्राफ 7 के अनुसार, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए आवेदक घरेलू उत्पादकों की विस्तृत जाँच को सीमित कर दिया है। सांख्यिकीय रूप से मान्य तकनीकों का उपयोग करते हुए, प्राधिकारी ने नमूने के भाग के रूप में निम्नलिखित कंपनियों का चयन किया:

1. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
2. आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड
3. आलोक इंडस्ट्रीज
4. कंदुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

xx. इस जाँच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए गए अनुरोधों पर, जहाँ तक साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जाँच के लिए संगत माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में उचित रूप से विचार किया गया है।

xxi. प्राधिकारी ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी मांगी है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का स्थल सत्यापन वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xxii. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी मांगी है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।

xxiii. क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध वास्तविक आंकड़ों/सूचना के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण एवं बिक्री की लागत के आधार पर एनआईपी निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा।

xxiv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 6 मई 2025 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण 14 जुलाई 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। जिन पक्षकारों ने दोनों मौखिक सुनवाई में अपने विचार अनुरोध किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित अनुरोधों के रूप में अनुरोध करने और उसके बाद, यदि कोई हो, तो प्रत्युत्तर अनुरोध करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे अपने द्वारा अनुरोध लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।

xxv. प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण 15 सितंबर 2025 को सभी इच्छुक पक्षों को परिचालित किया। पक्षों से अनुरोध किया गया कि वे प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, 22 सितंबर 2025 तक प्रस्तुत करें।

xxvi. प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की, जहाँ तक प्रासंगिक समझा गया, जाँच की है। कोई भी प्रस्तुतिकरण, जो केवल पिछली प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन मात्र था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जाँच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

xxvii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसे प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर अनुरोध की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

xxviii. जहाँ भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या अन्यथा प्रदान नहीं की है, या जाँच में बहुत अधिक हद तक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/टिप्पणियाँ दर्ज की हैं।

xxix. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर, इस सीमा तक विचार किया है कि वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जाँच के लिए संगत मानी जाती हैं।

xxx. इस प्रकटन विवरण में "***" एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

xxxi. संबद्ध जाच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.69 रुपए है।

## ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

7. जांच के आरंभ के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

*3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टर बैच" है, जिसे "फिलर मास्टरबैच" या "कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक" के रूप में भी जाना जाता है।*

*4. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच, कैल्शियम कार्बोनेट (एक खनिज), पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीइथाइलीन जैसी आधार प्लास्टिक मात्रा और अन्य योजकों का मिश्रण है। इस मिश्रण को एक निश्चित तापमान पर निक्षालित करके यौगिक कणों के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच प्राप्त किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, शेष प्लास्टिक और अन्य योजक होते हैं।*

*5. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच एक विशेष पदार्थ है जिसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में प्लास्टिक वस्तुओं के गुणों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य एक लागत प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल फिलर बनना है जो विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण प्रदान करता है।*

*6. कई उद्योग, जैसे पैकेजिंग, निर्माण, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता वस्तुओं, कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक में मिलाने पर, कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच उन्हें अधिक मजबूत, टूटने की कम संभावना, अपने आकार को बेहतर बनाए रखने में सक्षम, और सिकुड़ने की कम संभावना।*

*7. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच यह भी बदल सकता है कि प्लास्टिक सतह पर कैसा महसूस होता है, यह गर्मी को कैसे संभालता है, और इसके साथ काम करना कितना आसान है। इसका उपयोग अक्सर प्लास्टिक की फिल्में, शीट, पाइप, आकार की वस्तुएं और अन्य प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए किया जाता है।*

*8. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के प्रशुल्क मद 3824 99 00 के तहत वर्गीकृत है। प्रमुख आयातों को प्रशुल्क मद 3824 99 00 के तहत मंजूरी दी जाती है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

*9. आवेदकों ने वर्तमान जांच में उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालाँकि, हितबद्ध पक्षकार इस जांच के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पर अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव इस जांच के आरंभ होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।*

## ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण तीन विभिन्न कच्चे मालों का उपयोग करके किया जा सकता है:

क. कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3)

ख. कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) के साथ मिश्रित कैल्शियम ऑक्साइड (सीएओ)

ग. बेरियम सल्फेट (बीएएसओ4) के साथ मिश्रित कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3)।

ii. इन तीन आधार सामग्रियों से उत्पादित फिलर मास्टरबैच की विशेषताएँ, उत्पादन लागत और कीमत अलग-अलग होती हैं। पक्षकारों ने स्पष्टीकरण माँगा कि कैल्शियम ऑक्साइड (सीएओ) और कैल्शियम कार्बोनेट + बेरियम सल्फेट (बीएएसओ4) से उत्पादित फिलर मास्टरबैच वर्तमान जाँच के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने आगे अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद की प्रारंभिक परिभाषा अकार्बनिक कैल्शियम कार्बोनेट, पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीइथाइलीन से बने मास्टरबैच, पॉलीमर बेस और एडिटिव्स तक सीमित थी, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 70-85% तक सीमित थी। इन पक्षकारों ने कहा कि प्रारंभिक आवेदन में विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में सीएओ (कैल्शियम ऑक्साइड) और बीएएसओ$_4$ (बेरियम सल्फेट) का उल्लेख नहीं किया गया था।

iv. इन पक्षकारों ने कहा कि, आरंभिक आवेदन के बाद और बाद की अधिसूचनाओं के माध्यम से, प्राधिकारी द्वारा 50% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट युक्त मास्टरबैच को शामिल करने के लिए कार्य-क्षेत्र को स्पष्ट और विस्तारित किया गया था और फॉर्मूलेशन में कैल्शियम ऑक्साइड या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति को अनुमति दी गई थी।

v. विचाराधीन उत्पाद के कथित विस्तारित कार्य-क्षेत्र पर यह तर्क देते हुए आपत्ति उठाई गई थी कि केवल मूल रूप से परिभाषित कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित मास्टरबैच, अर्थात 70-85% सीएसीओ3 और कोई सीएओ या बीएएसओ$_4$ नहीं, को शामिल किया जाना चाहिए। पक्षकारों ने अनुरोध किया कि कम सीएसीओ$_3$ मात्रा (51% से 69% के बीच) या महत्वपूर्ण सीएओ या बीएएसओ$_4$ वाले उत्पादों को शामिल करना जाँच के कार्य-क्षेत्र का अनुचित विस्तार है।

vi. कुछ हितबद्ध पक्षकार, जो विचाराधीन उत्पाद के आयातक/प्रयोक्ता हैं, ने विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ग्रेडों को यह आरोप लगाते हुए बाहर करने की माँग की है कि घरेलू उद्योग भारत में इसका उत्पादन नहीं करता है:

क. एचडीपीई पॉलिमर का उपयोग करके उत्पादित ग्रेड

ख. 55-65% कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा वाला विशेष एलएलडीपीई कंपाउंड फिलर (ग्रेड एसआरबी फॉर्मूला 1)

ग. ग्रेड पीई 1009, पीई-बीबीओ2, सुपरमैक्स।

vii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि ग्रेड एसआरबी फॉर्मूला 1 का उपयोग उच्च-प्रदर्शन वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें उच्च तन्य शक्ति, प्रभाव प्रतिरोध और स्थायित्व की आवश्यकता होती है, जिन्हें घरेलू ग्रेडों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

viii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन पद्धति के लिए प्राथमिक मापदंड के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा के अनुपात का उपयोग करने का प्रस्ताव किया। यह अनुरोध किया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट फिलर

मास्टरबैच में कैल्शियम कार्बोनेट प्राथमिक मात्रा है, जो संरचना के लगभग 60-90% तक भिन्न हो सकती है। यह अनुरोध अनुरोध किया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा और कीमत के बीच एक स्पष्ट व्युत्क्रम संबंध है - कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा जितनी अधिक होगी, उत्पाद की कीमत उतनी ही कम होगी।

ix. हितबद्ध पक्षकारों ने शुरू में चार श्रेणियों के आधार पर 10% की पीसीएन संरचना का प्रस्ताव किया:

| **कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा (%) (सीएसीओ3)** | 70% से कम |
|---|---|
| | 70% से अधिक और 80% तक |
| | 80% से अधिक और 90% तक |
| | 90% से अधिक |

x. जबकि अन्य उत्पादक निर्यातकों और आयातक/प्रयोक्ताओं ने कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर पीसीएन के लिए 3% की सीमा अपनाने का प्रस्ताव दिया है, जो इस प्रकार है –

| **कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा (%)(सीएसीओ3)** | 75% तक |
|---|---|
| | 75-78% |
| | 79-82% |
| | 83-86% |
| | 87% और उससे अधिक |

xi. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विचाराधीन उत्पाद में अंतर्निहित विशेषताएँ हैं जो उचित तुलना के लिए पीसीएन को आवश्यक बनाती हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तीन मापदंडों की पहचान की:

क. आधार प्लास्टिक मात्रा

ख. कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) पाउडर की मात्रा

ग. अनुप्रयोग में अंतर।

xii. यह अनुरोध किया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का उत्पादन थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर जैसे पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) या पॉलीइथिलीन (पीई) का उपयोग करके किया जाता है, और इन दोनों आधारों की लागत और कीमत में काफी अंतर होता है।

xiii. यह भी अनुरोध किया गया कि विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अलग-अलग आधार मात्रा और सीएसीओ3 की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के पाँच प्रमुख अनुप्रयोगों के आधार पर पीसीएन का निर्माण किया जाना चाहिए।

क. ब्लोइंग फिल्म

ख. पीपी फाइबर/पीपी यार्न/पीपी वोवन बैग

ग. नॉन-वोवन

घ. इंजेक्शन

ङ. तिरपाल

xiv. हितबद्ध पक्षकारों ने वियतनामी और भारतीय निर्माताओं के बीच उत्पादन तकनीक में अंतर पर प्रकाश डाला। वियतनामी उत्पादक भारतीय निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिंगल/ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की तुलना में अधिक उत्पादकता वाले ट्रिपल स्क्रू एक्सट्रूडर सहित अधिक उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि बुनियादी अंतरों के कारण घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की तुलना वियतनाम से आयातित विचाराधीन उत्पाद से नहीं की जा सकती। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि तकनीकी अंतर दोनों श्रेणियों के उत्पादों को गुणवत्ता और प्रदर्शन के मामले में अतुलनीय बनाते हैं।

xv. हितबद्ध पक्षकारों ने एक तुलना अनुरोध की जिससे पता चला कि ट्रिपल/डबल स्क्रू एक्सट्रूज़न तकनीक से कैल्शियम कार्बोनेट कणों का वितरण एकसमान, यांत्रिक गुणधर्म एकसमान, कणों का आकार 8-10 माइक्रोन जितना कम होता है, और कम पॉलीमर अनुपात की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सिंगल-स्क्रू एक्सक्लूज़न तकनीक से कणों का वितरण असंगत, यांत्रिक गुणधर्म कमज़ोर, कणों का आकार 15 माइक्रोन से अधिक होता है, और उच्च पॉलीमर अनुपात की आवश्यकता होती है।

xvi. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद, वियतनामी विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशेषताओं के कारण, गैर-बुने हुए वस्त्रों, कृषि फिल्मों और औद्योगिक पैकेजिंग जैसे उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों में वियतनामी विचाराधीन उत्पाद का स्थान नहीं ले सकता है।

xvii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि वियतनाम के विचाराधीन उत्पाद में 90-100% सफेदी होती है, जो घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद में नहीं होती। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं को वियतनाम के विचाराधीन उत्पाद के बराबर सफेदी प्राप्त करने के लिए लगभग 150-225 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाला अतिरिक्त सफेद फिलर मास्टरबैच का उपयोग करना अपेक्षित है।

xviii. पक्षकारों ने अनुरोध किया कि सीएसीओ3 की मात्रा और उत्पत्ति दोनों ही मायने रखते हैं, क्योंकि भारतीय, वियतनामी और मलेशियाई सीएसीओ3 की कीमत क्रमशः 6-9 रु. प्रति किग्रा, 9-15 रु. प्रति किग्रा और 11-18 रु. प्रति किग्रा है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में 3-4 रु. प्रति किग्रा तक का अंतर होता है, जो अंतिम उत्पाद मूल्य के 5% से अधिक हो सकता है।

xix. यह भी अनुरोध किया गया कि घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद गुणवत्ता अक्सर असंगत होती है, जैसा कि उत्पादन के दौरान बार-बार अस्वीकृति या प्रतिस्थापन की आवश्यकता की कई रिपोर्टों से स्पष्ट होता है। इन पक्षकारों ने अनुरोध किया कि गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण विनिर्माण प्रक्रिया में व्यवधान, देरी और अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होती है।

xx. सुनवाई के बाद अनुरोध किए गए अनुरोधों में, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने जाँच के दौरान प्राप्त बाजार और लागत संबंधी अतिरिक्त जानकारी के आधार पर अपने पीसीएन प्रस्ताव को संशोधित किया। इन हितबद्ध पक्षकारों ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सीएसीओ3 प्राथमिक पिलर है, पॉलिमर और योज्य घटक लागत संरचना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, जो सीएसीओ3 की तुलना में काफी अधिक महंगे हैं। इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि 75% सीएसीओ3 और 25% पॉलिमर/योज्य वाले विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत 85% सीएसीओ3 और केवल 15% अन्य इनपुट वाले विचाराधीन उत्पाद की तुलना में काफी अधिक होगी।

xxi. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि पॉलीप्रोपाइलीन, एलएलडीपीई और एचडीपीई की लागत संरचनाएँ अलग-अलग हैं जो उत्पादन लागत को सीधे प्रभावित करती हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के इस दावे का भी खंडन किया कि पॉलिमर के चयन से लागत में केवल 3-5% का अंतर होता है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पॉलिमर के भारतीय आपूर्तिकर्ताओं में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बाजार आँकड़े उपलब्ध कराए, जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन और रेखीय कम घनत्व पॉलीएथिलीन के बीच कीमत अंतर, एलएलडीपीई ग्रेड के भीतर अतिरिक्त भिन्नताओं के साथ, दर्शाया गया है। इसलिए, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने बेस पॉलिमर के प्रकार के आधार पर एक व्यापक पीसीएन संरचना का प्रस्ताव किया।

xxii. इन पक्षकारों ने अनुरोध किया कि विनिर्माण में प्रयुक्त विभिन्न बेस पॉलिमर, पाटन मार्जिन, क्षति गणनाओं और कीमत कटौती को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं क्योंकि पॉलिमर इनपुट की कीमतें मासिक रूप से बदलती रहती हैं। चूँकि पॉलिमर कुल उत्पादन लागत का 60-85% दर्शाते हैं, इसलिए कीमतों में ये उतार-चढ़ाव समग्र उत्पाद लागत में 6-14% का बदलाव पैदा करते हैं। इन पक्षकारों ने अनुरोध किया कि पीसीएन को बेस पॉलिमर के प्रकार के आधार पर परिभाषित किया जाए और प्राधिकारी वार्षिक औसतों का उपयोग करने के बजाय माह-दर-माह कीमत विश्लेषण करे।

xxiii. यह भी अनुरोध किया गया था कि प्रयुक्त मूल मात्रा के आधार पर उत्पादों के पहचान योग्य और विशिष्ट अनुप्रयोग होते हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि लागत और कीमत निर्धारित करने में सीएसीओ3 पाउडर की मात्रा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सीएसीओ3 की उच्चतर मात्रा रेज़िन और एडिटिव्स की आवश्यकता को कम कर देती है, जो सीएसीओ3 पाउडर की तुलना में बहुत अधिक महंगे होते हैं।

xxiv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि विभिन्न ग्रेडों के बीच 35-45% तक का कीमत अंतर है, जिसमें 85% सीएसीओ3 युक्त विचाराधीन उत्पाद की तुलना में 75% सीएसीओ3 युक्त विचाराधीन उत्पाद है।

xxv. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने स्थापित कार्य-पद्धति का हवाला दिया कि जब उत्पादों के बीच लागत और/या कीमत का अंतर 5% की सीमा से अधिक हो जाता है, तो एक नया पीसीएन आवश्यक हो जाता है। विभिन्न सांद्रताओं वाले फिलर मास्टरबैच के बीच लागत अंतर का दावा करते हुए अनुरोध किए गए थे, जिसमें 80% सीएसीओ3 शेयर उत्पादों की तुलना में 8% लागत अंतर वाले 84% सीएसीओ3 शेयर उत्पाद हैं। 8% का अंतर, स्थापित 5% सीमा से अधिक होने के कारण, पीसीएन पद्धति की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

xxvi. यह अनुरोध किया गया था कि 10% की व्यापक पीसीएन सीमा इन महत्वपूर्ण लागत और मूल्य अंतरों को प्रतिबिंबित करने में विफल रहती है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने सीएसीओ3 मात्रा पर आधारित एक संशोधित छह-स्तरीय पीसीएन संरचना अनुरोध की:

क. 70% से कम

ख. 70% से ऊपर और 75% तक

ग. 75% से ऊपर और 80% तक

घ. 80% से ऊपर और 85% तक

ड. 85% से ऊपर और 90% तक

च. 90% से ऊपर

xxvii. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से सटीक कीमत तुलना, पाटन मार्जिन गणना और क्षति आकलन के लिए इस परिष्कृत संरचना को अपनाने का अनुरोध किया।

**ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और आयातित विचाराधीन उत्पाद पाटरोधी करार के अनुच्छेद 2.6 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के तात्पर्य से समान वस्तुएँ हैं। इन उत्पादों की भौतिक विशेषताएँ, अंतिम उपयोग अनुप्रयोग समान हैं और उपभोक्ता एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं, जिससे वे वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थानापन्न योग्य बन जाते हैं।

ii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि सिंगल स्क्रू और डबल स्क्रू एक्सट्रूज़न के बीच उत्पादन मशीनरी में कोई भी कथित अंतर अंतिम उत्पाद की विशेषताओं या वाणिज्यिक प्रतिस्थानापन्नीयता को प्रभावित नहीं करता है। डबल स्क्रू एक्सट्रूज़न तकनीक में एक बैरल के भीतर घूमते हुए दो इंटरमेशिंग स्क्रू शामिल होते हैं, जबकि सिंगल स्क्रू तकनीक कैल्शियम कार्बोनेट और पॉलिमर मैट्रिक्स के एक सजातीय मिश्रण का उत्पादन करके समान अंतिम परिणाम प्राप्त करती है।

iii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि केवल सिंगल स्क्रू एक्सट्रूज़न तकनीक के उपयोग के संबंध में दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। अधिकांश घरेलू उद्योग इकाइयाँ विनिर्माण प्रक्रियाओं में डबल स्क्रू एक्सट्रूज़न तकनीक का उपयोग करती हैं। कई घरेलू उत्पादक फैरेल कंटीन्यूअस मिक्सर तकनीक का उपयोग करते हैं, जो निर्यातकों द्वारा उपयोग की जाने वाली डबल स्क्रू तकनीक से तकनीकी रूप से बेहतर है। फैरेल कंटीन्यूअस मिक्सर मशीनों और डबल स्क्रू एक्सट्रूज़न मशीनों के क्रय बीजक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए थे।

iv. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि मशीनों या विनिर्माण प्रक्रिया में कोई भी मामूली अंतर समान-वस्तु निर्धारित करने के लिए महत्वहीन है। विनिर्माण प्रक्रियाओं में अंतर उत्पादों को समान-वस्तु माने जाने से नहीं रोकता है यदि वे वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थानापन्न योग्य हैं। घरेलू उद्योग के उत्पाद कार्यात्मक रूप से

समतुल्य हैं और आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ व्यावसायिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य हैं।

v. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि गुणवत्ता अंतर संबंधी दावों का साक्ष्य समर्थन नहीं है। आयातकों ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को प्रमाणित करने के लिए तकनीकी दस्तावेज, परीक्षण प्रमाणपत्र या प्रयोगशाला रिपोर्ट के बिना केवल दावे किए। जब उत्पाद बाजार में कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थानापन्न योग्य और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य हैं, तो गुणवत्ता अंतर उत्पाद को बाहर रखने के लिए वैध आधार नहीं बनते हैं।

vi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वह उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला का निर्माण और आपूर्ति करता है जिसमें उन ग्रेडों को पूरी तरह से शामिल किया गया है जिनके लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपवर्जन की मांग की गई है। कुछ ग्रेडों के उत्पादन में असमर्थता संबंधी दावे निराधार हैं और दस्तावेज़ी साक्ष्यों से भी विरोधाभासी हैं।

vii. एचडीपीई-आधारित ग्रेडों के संबंध में, घरेलू उद्योग नियमित रूप से आधार पोलिमर के रूप में एचडीपीई का उपयोग करते हुए विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति करता है। विश्लेषण प्रमाणपत्र और उत्पाद आंकड़ा शीट सहित वाणिज्यिक बीजक, एचडीपीई सहित विभिन्न आधार पोलिमर का उपयोग करते हुए विभिन्न ग्राहकों को निरंतर आपूर्ति दर्शाते हुए उपलब्ध कराए गए थे।

viii. स्पेशिलिटी एलएलडीपीई कंपाउंड फिलर (ग्रेड एसआरबी फॉर्मूला 1) के लिए, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि 55-65% के बीच कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा वाले ग्रेडों का उत्पादन करने में असमर्थता के संबंध में दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। घरेलू उद्योग ग्राहकों द्वारा यथा-अपेक्षित अलग-अलग कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा वाले विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करता है। वाणिज्यिक बीजकों ने कैल्शियम कार्बोनेट और पोलिमर मात्रा की कई रचनाओं वाले विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री को दर्शाया।

ix. तिरपाल-अंतिम उपयोग ग्रेडों के संबंध में, घरेलू उद्योग विशेष रूप से तिरपाल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और वाणिज्यिक आपूर्ति करता है। वाणिज्यिक बीजकों में तिरपाल के अंतिम उपयोग अनुप्रयोग ग्राहकों को निरंतर आपूर्ति दर्शाई गई। घरेलू उद्योग के उत्पाद तिरपाल अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक आकार और शक्ति मापदंडों, मौसम प्रतिरोधी गुणों और प्रसंस्करण विशेषताओं सहित सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

x. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएओ आधारित मास्टरबैच, जिन्हें वाणिज्यिक रूप से डिसीकेंट मास्टरबैच या डिसीकेंट एडिटिव के रूप में जाना जाता है, रासायनिक संरचना और अंतिम उपयोग में कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच से भिन्न हैं। सीएओ मास्टरबैच में प्राथमिक सक्रिय घटक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जबकि विचाराधीन उत्पाद में प्राथमिक घटक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) होता है।

xi. इनके कार्यात्मक गुण और अनुप्रयोग अलग-अलग हैं। सीएओ मास्टरबैच अवशोषक या नमी हटाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच प्लास्टिक निर्माण की लागत को कम करने के लिए निष्क्रिय फिलर मात्रा के रूप में कार्य करता है। सीएओ मास्टरबैच, निर्माण प्रक्रिया के दौरान पुनः प्राप्त पॉलिमर और हाइग्रोस्कोपिक पॉलिमर से नमी हटाकर पॉलिमर प्रसंस्करण उद्योग में विशिष्ट अनुप्रयोगों में काम आता है।

xii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसने विभिन्न अनुप्रयोगों और रासायनिक संरचना के कारण सीएओ आधारित मास्टरबैच को विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं माना है। हालाँकि, निर्यातकों ने सीएओ और सीसीओ3 के मिश्रण वाले फिलर मास्टरबैच को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखने का अनुरोध किया। घरेलू उद्योग समझता है कि वियतनाम से भारत में ऐसे फिलर मास्टरबैच का कोई आयात नहीं होता है।

xiii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि इस तरह के अपवर्जन करने के अनुरोध का एकमात्र उद्देश्य सीएसीओ3 फिलर मास्टरबैच पर एक बार लगाए गए शुल्कों से बचना प्रतीत होता है। निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद में सीएओ की थोड़ी मात्रा मिलाने से, जबकि यह दावा किया जाता है कि उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर है, शुल्कों से बचने का पर्याप्त जोखिम है। ऐसा अपवर्जन आवेदन के उद्देश्य को विफल कर देगा क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए बंदरगाहों पर सीएओ और सीएसीओ3 की मात्रा का सत्यापन करना कठिन है।

xiv. घरेलू उद्योग ने अनपुरोध किया कि बीएएसओ4 आधारित मास्टरबैच उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वे सफेद मास्टरबैच के सस्ते रूपांतर के रूप में काम करते हैं। इन्हें बीएएसओ4 या एनए2एसओ4 से निर्मित पारदर्शी फिलर मास्टरबैच कहा जाता है। ये उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की तुलना में विभिन्न बाजार खंडों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हैं।

xv. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया कि जांच की अवधि के दौरान, वियतनाम से बहुत अधिक कीमत पर बेरियम सल्फेट मास्टरबैच के केवल कुछ ही आयात लेनदेन दर्ज किए गए, जो दर्शाता है कि प्रमुख घटक बेरियम सल्फेट था।

xvi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यदि कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच में बीएएसओ4 मिलाया जाए तो यह श्वेतीकरण एजेंट के रूप में काम कर सकता है, न कि प्राथमिक कार्यात्मक घटक के रूप में। तकनीकी संरचना विश्लेषण से पता चलेगा कि बीएएसओ4 की मात्रा मुख्य घटक, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, की तुलना में बहुत कम है। कमतर मात्रा में बीएएसओ4 मिलाने से विचाराधीन उत्पाद की आवश्यक विशेषताओं, भौतिक गुणों या अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

xvii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि बीएएसओ4 के साथ विचाराधीन उत्पाद के मिश्रण को बाहर करने के निर्यातकों के अनुरोध का उद्देश्य, कमतर मात्रा में बीएएसओ4 मिलाने के माध्यम से शुल्कों से बचकर, जबकि मुख्य घटक सीएसीओ3 बना रहता है, इस आवेदन को विफल करना है।

xviii. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उत्पाद की लागत और कीमत निर्धारण को प्रभावित करती है। पीसीएन कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा श्रेणियों पर आधारित होने चाहिए:

छ. 75% से कम सीएसीओ3

ज. 75-85% सीएसीओ3

झ. 85% से अधिक सीएसीओ3

xix. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि 75% से कम सीएसीओ3 को कवर करने वाली पहली श्रेणी में उच्चतर पोलिमर मात्रा वाले उत्पाद शामिल हैं जिनका उपयोग आमतौर पर मांग वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। 75-85% सीएसीओ3 की दूसरी श्रेणी में बाजार में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मानक ग्रेड शामिल हैं, जो संतुलित गुण और लागत प्रदान करते हैं, और सबसे बड़े बाजार खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। 85% से अधिक सीएसीओ3 की तीसरी श्रेणी में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए निम्न पॉलिमर ग्रेड शामिल हैं।

xx. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उत्पादन में प्रयुक्त बेस पॉलिमर के प्रकार के लिए अलग से पीसीएन वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। बाजार के आँकड़े दर्शाते हैं कि बेस पॉलिमर के प्रकार में भिन्नता के परिणामस्वरूप लागत में 3-5% का न्यूनतम अंतर होता है, जैसा कि वियतनाम के उत्पादकों के अनुरोधों से पुष्टि होती है। कीमत संचलन विश्लेषण अंतिम उत्पाद कीमत निर्धारण पर बेस पॉलिमर चयन के नगण्य प्रभाव की पुष्टि करता है।

xxi. बेस पोलिमर के प्रकार के आधार पर पीसीएन का निर्माण, न्यूनतम लागत प्रभाव को देखते हुए, कीमत तुलना में सार्थक उद्देश्य की पूर्ति किए बिना, अनावश्यक रूप से जाँच को जटिल बना देगा। विभिन्न आधार पोलिमरों के बीच लागत अंतर बहुत कम है, और विभिन्न पोलिमरों का कीमत संचलन प्रयुक्त के कीमत निर्धारण में नगण्य भिन्नता दर्शाते हैं।

xxii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों के आधार पर पीसीएन का निर्माण अनुचित है क्योंकि यह लागत और कीमत निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है। मास्टरबैच की समान संरचना का उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। उत्पाद विशेषताएँ और लागतें अंतिम अनुप्रयोग के बावजूद स्थिर रहती हैं। कार्यान्वयन चुनौतियों में अनुप्रयोग के आधार पर आयात आंकड़ों को अलग करने की असंभवता और रिपोर्टिंग में गलत घोषणा का जोखिम शामिल है क्योंकि अनुप्रयोगों का उल्लेख बीजक या दस्तावेजों में नहीं किया गया है।

xxiii. घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद पर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए इस अनुरोध पर कि आयातित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में इसमें सफेदी का अभाव है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद की सफेदी मुख्य रूप से इसके उत्पादन में प्रयुक्त सीएसीओ3 मात्रा से प्राप्त होती है। सफेदी एक स्वतंत्र या अतिरिक्त इनपुट नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद में शामिल सीएसीओ3 की गुणवत्ता और ग्रेड का प्रत्यक्ष कार्य है। घरेलू उद्योग वियतनाम, मलेशिया और मिस्र स्थित निर्माताओं सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से सीएसीओ3 खरीदता है। ये स्रोत उच्च-श्रेणी के सीएसीओ3 उत्पाद प्रदान करते हैं जिनकी सफेदी 97% से अधिक होने का दावा किया जाता है, जो विदेशी उत्पादकों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है या उससे भी बेहतर है।

xxiv. आयातकों के इस दावे पर कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत लागत को प्रभावित करता है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यद्यपि कैल्शियम कार्बोनेट वियतनाम, मलेशिया, मिस्र और भारत सहित विभिन्न देशों से प्राप्त किया जाता है, स्रोत के कारण लागत में अंतर अंतिम उत्पाद की भौतिक या कार्यात्मक विशेषताओं को नहीं बदलता है। प्राथमिक निर्धारक उत्पाद में सीएसीओ3 का प्रतिशत ही रहता है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी कानून या मिसाल का हवाला नहीं दिया है जहाँ विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की उत्पत्ति के आधार पर पीसीएन का निर्माण किया गया हो।

xxv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पर सुनवाई के बाद विलम्बित अनुरोधों पर विचार नहीं करना चाहिए। जांच शुरू होने की तारीख से लगभग 9.5 महीने बीत चुके हैं, जो पाटनरोधी जांच पूरी करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के तहत अनुमत कुल समय का लगभग 80% है।

xxvi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसने प्राधिकारी द्वारा पिछले अनुरोधों में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और दावों को प्रमाणित किया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने अनुरोधों के समर्थन में सकारात्मक साक्ष्यों के साथ प्रमाणित दावे नहीं किए हैं। विचाराधीन उत्पाद को अंतिम रूप देने और प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल करने के बाद, इस स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसके लिए निर्धारित समय सीमा होती है।

xxvii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) आधारित फिलर मास्टरबैच है जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक उद्योग में प्लास्टिक निर्माण की लागत कम करने और उत्पादों को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। दोनों विशेषताएँ कैल्शियम कार्बोनेट (आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 50% से अधिक) की प्रमुख उपस्थिति से उत्पन्न होती हैं, जो लागत को कम करती है और उत्पाद को पर्यावरण के अनुकूल बनाती है।

xxviii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि बेस पॉलीमर सामग्रियों पर आधारित पीसीएन निर्माण के लिए उत्पादक/निर्यातक के अनुरोध में अंतर्निहित विरोधाभास और त्रुटिपूर्ण गणनाएँ हैं। पहले अनुरोधों में, उत्पादकों/निर्यातकों ने कहा था कि विभिन्न बेस पॉलीमर के कारण लागत में अंतर केवल 3-5% है। हालाँकि, अब वे संशोधित स्थिति के लिए सहायक साक्ष्य अनुरोध किए बिना दावा करते हैं कि यह अंतर 3-10% के बीच है।

xxix. रिकॉर्ड पर पॉलीमर कीमतों के वास्तविक आँकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न पॉलीमर के बीच कीमत अंतर लगभग केवल 2% है। यह देखते हुए कि मानक कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच में 80% सीएसीओ3 और केवल 20% पॉलीमर मात्रा होती है, बेस पॉलीमर में कोई भी परिवर्तन पॉलीमर मात्रा के प्रतिशत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की कुल लागत को केवल 1-2% तक प्रभावित करेगा। ये न्यूनतम लागत भिन्नताएँ अलग पीसीएन के निर्माण को उचित नहीं ठहरा सकती हैं।

xxx. कुछ उत्पादकों/निर्यातकों के उन अनुरोधों को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले सीएसीओ3 के लिए 5% अंतराल का सुझाव दिया था, जिसे अब संशोधित कर 3% कर दिया गया है। वे लागत अंतर का प्रमाण देने में विफल रहे हैं।

xxxi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा 3% सीमा के साथ सीएसीओ3 मात्रा के लिए प्रस्तावित सूक्ष्म पीसीएन संरचना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है और प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक है। उनके अनुरोधों में उत्पादन के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा में ±2% की सहनशीलता सीमा को स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है कि 78% सामग्री मात्रा वाले उत्पाद में संभावित रूप से 76-80% सामग्री हो सकता है।

xxxii. प्रस्तावित 3% पीसीएन सीमा श्रेणियों के बीच ओवरलैप पैदा करेगी, जिससे उत्पाद वर्गीकरण असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए, 78% की वास्तविक सीएसीओ3 मात्रा वाले उत्पाद ±2% सहनशीलता के कारण कई पीसीएन श्रेणियों में आ सकते हैं, जिन्हें संभावित रूप से "75-78%" और "79-82%" दोनों कार्य-क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा रहा है। सहने की सीमाओं के भीतर यह अतिव्यापन प्रस्तावित पीसीएन संरचना को तकनीकी और प्रशासनिक, दोनों दृष्टिकोणों से कार्य न करने योग्य बनाता है।

xxxiii. पीसीएन श्रेणियों को संकीर्ण 3% बैंड में विभाजित करने का प्रयास बिना किसी तकनीकी या वाणिज्यिक औचित्य के जाँच को अनावश्यक रूप से जटिल बना देगा। इस तरह का सूक्ष्म विभेदन पाटनरोधी जाँच में कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं करता, जहाँ उद्देश्य सार्थक उत्पाद श्रेणियाँ बनाना है जो महत्वपूर्ण लागत और कीतर अंतरों को दर्शाती हैं।

xxxiv. वियतनाम से जाँच में भाग लेने वाले प्रमुख उत्पादकों/निर्यातकों ने सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा में 10% रेंज वाले पीसीएन के निर्माण का समर्थन किया। 10% रेंज पर यह व्यापक उद्योग सहमति उत्पाद वर्गीकरण में बाजार की वास्तविकताओं और व्यावहारिक विचारों को दर्शाती है।

xxxv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी द्वारा 75% से कम, 75-85% और 85% से अधिक सीएसीओ3 पर आधारित पीसीएन की अपनाई गई कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से अलग-अलग उत्पाद प्रकारों को उचित रूप से दर्शाती है और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए अनुरोयाों का मूल्यांकन करने के बाद बनाया गया है।

## ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

10. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच की गई है:

11. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के कार्य क्षेत्र पर अपने अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जाँच शुरू होने के 30 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन पर टिप्पणियाँ

प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन के कार्य-क्षेत्र पर टिप्पणियाँ अनुरोध करने की समय-सीमा 8 नवंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

12. इसके बाद, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन के कार्य-क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए 21 नवंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की। बैठक के बाद, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन के कार्य-क्षेत्र पर अपनी अतिरिक्त टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, 23 नवंबर 2024 तक और प्रत्युत्तर अनुरोध 25 नवंबर 2024 तक उपलब्ध कराएं।

13. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी टिप्पणियों की जाँच की और 04 दिसंबर 2024 को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के कार्य-क्षेत्र को अधिसूचित किया।

14. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच की है। वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि फिलर मास्टरबैच का निर्माण तीन अलग-अलग मुख्य कच्चे मालों का उपयोग करके किया जा सकता है: (क) कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) (ख) कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) के साथ मिश्रित कैल्शियम ऑक्साइड (सीएओ) (ग) बेरियम सल्फेट (बीएएसओ4) के साथ मिश्रित कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) के साथ बेरियम सल्फेट (बीएएसओ$_4$)। इन पक्षकारों ने स्पष्टीकरण माँगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट + कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करके उत्पादित फिलर मास्टरबैच विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकों/निर्यातकों ने कहा कि इन तीन आधार सामग्रियों से उत्पादित फिलर मास्टरबैच की विशेषताएँ, उत्पादन लागत और कीमत अलग-अलग हैं। यह अनुरोध किया गया था का सीएओ आधार वाला फिलर मास्टरबैच हाइग्रोस्कोपिक होता है, अर्थात इसमें पर्यावरण से नमी को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जबकि बीएएसओ4 आधार वाला फिलर मास्टरबैच एक पारदर्शी फिलर होता है।

16. घरेलू उद्योग ने अपवर्तन के अनुरोध पर आपत्ति जताई और अनुरोध किया कि सीएओ-आधारित मास्टरबैच (वाणिज्यिक रूप से डेसीकेंट मास्टरबैच के रूप में जाना जाता है) और बीएएसओ4 आधारित मास्टरबैच (पारदर्शी फिलर मास्टरबैच के रूप में जाना जाता है) अलग-अलग उत्पाद हैं जिनकी रासायनिक संरचना, कार्यात्मक गुण और अंतिम उपयोग अनुप्रयोग विचाराधीन उत्पाद से भिन्न हैं, और जब ये घटक बहुसंख्यक मात्रा (आयतन द्वारा 50% से अधिक) बनाते हैं तो ये विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में नहीं आते हैं।

17. घरेलू उद्योग ने आगे कहा कि अधिकांश सीएसीओ3 मात्रा और अल्प सीएओ/बीएएसओ$_4$ योगज वाला उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में आता है। ऐसे मिश्रण की रासायनिक संरचना और कार्यक्षमता मूल रूप से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के समान ही रहेगी जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्लास्टिक मात्रा की लागत में कमी लाना है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि ऐसे मिश्रण के किसी अपवर्जन की अनुमति देने से इन घटकों को मामूली रूप से मिलाकर पाटनरोधी शुल्क से बचने के अवसर पैदा होंगे जबकि सीएसीओ3 प्राथमिक घटक के रूप में बना रहेगा।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों द्वारा जांच अवधि के दौरान ऐसे मिश्रित उत्पादों के वास्तविक आयात के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयात आँकड़े संबंधित देश से सीएओ आधारित फिलर मास्टरबैच के ऐसे किसी आयात को नहीं दर्शाते हैं। बीएएसओ4 आधारित मास्टरबैच के संबंध में, वियतनाम से कुछ आयात प्रविष्टियाँ हैं, तथापि, ऐसे आयातों के विवरण से पता चलता है कि ये सीएसीओ3 आधारित फिलर मास्टरबैच से भिन्न उत्पाद हैं।

19. प्राधिकारी ने कुछ घरेलू भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ मास्टरबैच के वियतनामी उत्पादकों/निर्यातकों की वेबसाइटों पर उपलब्ध उत्पाद ब्रोशरों की जाँच की है। यह स्पष्ट है कि सीएओ आधारित फिलर मास्टरबैच एक अवशोषक मास्टरबैच है जिसका उपयोग पर्यावरण से नमी अवशोषित करने की अपनी क्षमता के लिए किया जाता है। दूसरी ओर, बीएएसओ4 आधारित फिलर मास्टरबैच एक पारदर्शी फिलर मास्टरबैच है।

20. प्राधिकारी पाते है कि दोनों उत्पाद अर्थात् सीएओ आधारित फिलर मास्टरबैच और "बीएएसओ4 आधारित फिलर मास्टरबैच" में कैल्शियम कार्बोनेट आधारित फिलर मास्टरबैच की तुलना में भिन्न विशेषताएं और अंतिम उपयोग अनुप्रयोग हैं। प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि सीएओ या बीएएसओ₄ आधारित फिलर मास्टरबैच, जिसमें सीएओ या बीएएसओ4 की मात्रा अधिक अनुपात में है अर्थात (आयतन से 50% से अधिक मात्रा) वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इसी तरह, सीएसीओ3 आधारित फिलर मास्टरबैच, जिसमें प्रमुख घटक सीएसीओ3 है, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में आते हैं।

21. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों यह आरोप लगाते हुए विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट ग्रेडों के अपवर्जन की मांग करते हुए अनुरोधों की जांच की है कि घरेलू उद्योग भारत में इनका उत्पादन नहीं करता है:

क. एचडीपीई पॉलिमर का उपयोग करके उत्पादित ग्रेड,
ख. 55-65% कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा वाला विशेष एलएलडीपीई कम्पाउंड फिलर (ग्रेड एसआरबी फॉर्मूला 1)
ग. औद्योगिक तिरपाल के लिए प्रयुक्त ग्रेड पीई 1009, पीई-बीबी02, सुपरमैक्स।

22. घरेलू उद्योग ने इन अपवर्तन अनुरोधों का विरोध किया और दस्तावेजी साक्ष्य अनुरोध किए जो दर्शाते हैं कि वे एचडीपीई को आधार पॉलिमर रेज़िन के रूप में उपयोग करके विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति करते हैं, और विभिन्न कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा वाले फिलर मास्टरबैच, जिनमें विशेष एलएलडीपीई ग्रेड (55-65%) के लिए दावा की गई सीमा से मेल खाने वाली संरचनाएँ शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी साक्ष्य प्रस्तुत किया कि वह विशेष रूप से तिरपाल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और वाणिज्यिक आपूर्ति करता है, जो आकार, शक्ति मापदंडों, मौसम प्रतिरोधी गुणों और आवश्यक प्रसंस्करण विशेषताओं सहित सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपने दावे का समर्थन किया है जिसमें मेसर्स मेकर्स एंड आईक्यू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने उल्लेख किया है कि वे पिछले एक वर्ष से एशियन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच पीई 1009 खरीद रहे हैं, क्योंकि अधिकांश स्थानीय निर्माताओं के पास यह उपलब्ध नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ने बीजक की प्रति और विश्लेषण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो यह दर्शाता है कि वह एचडीपीई के रूप में बेस पॉलीमर युक्त विचाराधीन उत्पाद,

विभिन्न कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा युक्त विचाराधीन उत्पाद, जिसमें स्पेशिलिटी एलएलडीपीई ग्रेड के लिए दावा की गई श्रेणी से मेल खाने वाली संरचनाएँ और तिरपाल अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए विचाराधीन उत्पाद शामिल हैं, का उत्पादन और बिक्री करता है।

24. प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से ऐसे किसी भी अपवर्तन की अनुमति नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने इन ग्रेडों के निर्माण के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन तकनीक में अंतर के कारण घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के बारे में मुद्दे उठाए हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद में सफेदी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध तर्कों पर भी ध्यान देते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मलेशिया, मिस्र आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से कच्चे माल की खरीद दर्शाते हुए बीजक प्रस्तुत किए हैं, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद में सफेदी के संबंध में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

26. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पाटनरोधी जाँच में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए गुणवत्ता कोई मानदंड नहीं है। व्यापार उपचार जाँच में विनिर्माण प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं है क्योंकि एक ही वस्तु का उत्पादन विभिन्न उत्पादन और प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं से किया जा सकता है।

27. पूर्वोक्त के मद्देनजर, विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार निर्धारित करने का प्रस्ताव है:

> *"वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" है, जिसे "फिलर मास्टरबैच" या "कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक" के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट (*सीएसीओ3*) प्रमुख घटक है, अर्थात, आयतन के हिसाब से 50% से अधिक है।"*

28. इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, प्रकार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। इसी के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माने जाने का प्रस्ताव है।

29. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति के संबंध में अनुरोधों की जाँच की है। वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि पीसीएन का निर्माण विचाराधीन उत्पाद में निहित कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत में आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा ऐसे ही तर्क दिए गए थे।

30. पीसीएन बनाने के लिए सीएसीओ3 की मात्रा की सीमा के संबंध में अलग-अलग तर्क दिए गए। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने चार श्रेणियों के साथ 10% की सीमा का प्रस्ताव रखा: 70% से कम, 70% से अधिक और 80% तक,

80% से अधिक और 90% तक, और 90% से अधिक। इसके विपरीत, कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के लिए 3% की सीमा का प्रस्ताव रखा।

31. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उत्पाद की लागत और कीमत निर्धारण को प्रभावित करती है और अनुरोध किया कि पीसीएन तीन श्रेणियों पर आधारित हो सकते हैं:

क. 75% सीएसीओ3 से कम
ख. 75-85% सीएसीओ3
ग. 85% सीएसीओ3 से अधिक

32. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्रस्तावित 3% अंतराल पीसीएन संरचना तकनीकी रूप से अव्यवहारिक और प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा की उत्पादन सहनशीलता सीमा ±2% है। यह सहनशीलता सीमा अतिव्यापी श्रेणियाँ बनाएगी, जिससे उत्पाद वर्गीकरण अस्पष्ट हो जाएगा और संभावित रूप से एक विशेष कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा वाले उत्पादों को कई पीसीएन श्रेणियों में रखा जाएगा।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा में ±2% की सहनशीलता सीमा है, जिसे उत्पादक/निर्यातकों ने अपने अनुरोधों में भी स्वीकार भी किया है। इसका अर्थ है कि 78% सीएसीओ3 मात्रा वाले उत्पाद में संभावित रूप से 76-80% सीएसीओ3 हो सकता है। इसलिए, 3% सीएसीओ3 मात्रा की सीमा श्रेणियों के बीच अति-व्यापन पैदा करेगी, जिससे तकनीकी और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोणों से उत्पाद वर्गीकरण अव्यवहारिक हो जाएगा।

34. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वियतनाम से जाँच में भाग लेने वाले प्रमुख उत्पादकों/निर्यातकों ने शुरू में कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा में 10% रेंज वाले पीसीएन के निर्माण का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त, वियतनामी उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध कैटलॉग और बीजक के आधार पर, प्राधिकारी की यह टिप्पणी है कि आमतौर पर सीएसीओ3 की मानक सीमा 78% से 82% (±2%) है। एक निर्यातक ने यह भी अनुरोध किया है कि वह आम तौर पर 75-88% सीएसीओ3 मात्रा वाले विचाराधीन उत्पाद का व्यापार करता है।

35. वियतनाम के एक उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया कि पीसीएन का निर्माण उपयोग किए जाने वाले बेस पॉलिमर के प्रकार के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत को प्रभावित करता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी यही सुझाव दिए गए।

36. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समर्थन साक्ष्य के बिना लागत अंतर के असंगत दावे (3-5% से 3-10% तक भिन्न) हैं। रिकॉर्ड में पॉलिमर की कीमतों के वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न पॉलिमर के बीच कीमत अंतर लगभग केवल 2% है।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण स्रोतों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध जांच किए गए अनुसार जांच की अवधि के दौरान विभिन्न पॉलिमर की औसत कीमत, पॉलिमर की कीमतों की वैश्विक गति के अनुरूप बढ़ रही है, जिसमें अधिकतम कीमत अंतर लगभग 2% है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत

रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉलिमर की कीमत सूची उच्च श्रेणी के पॉलिमर से संबंधित है, जिनका उपयोग आवश्यक रूप से विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में नहीं किया जा सकता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक उत्पादों में कम लागत वाले पिलर के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कीमत सूची भारत में एक उत्पादक की है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।

38. इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के केवल तीन प्रमुख घटक हैं, सीएसीओ3, पॉलिमर और योजक। सीएसीओ3 की मात्रा पर आधारित पीसीएन का निर्माण, विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन लागत में पॉलिमर की लागत को उचित रूप से शामिल करेगा। इसलिए, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि वर्तमान जाँच में पॉलिमर के प्रकार या मात्रा पर आधारित पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।

39. कुछ हितधारक पक्षकारों ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद के अंतिम उपयोग के आधार पर पीसीएन का निर्माण किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया गया था कि सीएसीओ3 पाउडर की मात्रा और उपयोग की जाने वाली आधार प्लास्टिक मात्रा के प्रकार का निर्णय अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। इसके अलावा, विभिन्न सीएसीओ3 पाउडर की मात्रा वाले पीपी और पीई मार्ग पर आधारित विचाराधीन उत्पाद के पहचान योग्य और विशिष्ट अनुप्रयोग हैं।

40. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अंतिम उपयोग के आधार पर पीसीएन का निर्माण अनुचित है क्योंकि यह:

क. लागत और की निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है;

ख. समान मास्टरबैच रचनाओं को कई अनुप्रयोगों में उपयोग करने की अनुमति देता है;

ग. अंतिम अनुप्रयोग की परवाह किए बिना उत्पाद की विशेषताओं और लागतों को एक समान बनाए रखता है;

घ. अनुप्रयोग के आधार पर आयात आंकड़ों को अलग करने की असंभवता के कारण कार्यान्वयन चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है; और

ड.. रिपोर्टिंग में गलत घोषणा का जोखिम होता है क्योंकि अनुप्रयोगों का उल्लेख बीजक/दस्तावेजों में नहीं किया जाता है।

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुप्रयोग के आधार पर पीसीएन के दावे को प्रमाणित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। प्राधिकारी यह समझते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और पॉलिमर की मात्रा अंततः उत्पाद के अनुप्रयोग पर आधारित होगी। चूँकि पीसीएन का निर्माण पहले से ही कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए अनुप्रयोग के आधार पर कोई अतिरिक्त पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

42. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि विभिन्न पॉलिमर आधार या अनुप्रयोग के आधार पर पीसीएन निर्माण उचित नहीं है, क्योंकि इनके कारण होने वाले लागत अंतर को सीएसीओ3 की मात्रा के आधार पर पीसीएन बनाकर अच्छी तरह से समायोजित किया जा सकता है।

43. इस दावे के संबंध में कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत लागत को प्रभावित करता है, स्रोत के कारण लागत में अंतर अंतिम उत्पाद की भौतिक या कार्यात्मक विशेषताओं को नहीं बदलता है। प्राथमिक निर्धारक उत्पाद में सीएसीओ3 का प्रतिशत ही रहता है।

44. प्राधिकारी ने नोट किया है कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उत्पाद की लागत और कीमत निर्धारण को प्रभावित करती है। इसलिए, सीएसीओ3 की मात्रा के आधार पर पीसीएन का निर्माण करना आवश्यक है। प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि वर्तमान जाँच में उन्हीं पीसीएन को बनाए रखना उचित है, जैसा कि 04 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा तय किया गया था, जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों के साथ थी:

| मानदंड | पीसीएन |
|---|---|
| 75% सीएसीओ3 से कम | क |
| 75-85% सीएसीओ3 | ख |
| 85% सीएसीओ3 से अधिक | ग |

**घ. <u>घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र और स्थिति</u>**

**घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:</u>**

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 के अंतर्गत स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

ii. विगत जाँचों में प्राधिकारी की यह निरंतर कार्य-पद्धति रही है कि वह गैर-भागीदार घरेलू उत्पादकों और संबंधित मंत्रालयों से सूचना प्राप्त करके स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन करते हैं। यह प्रक्रिया स्थिति के संबंध में सही जानकारी सुनिश्चित करती है और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का उचित मूल्यांकन करने में सहायता करती है।

iii. वर्तमान जाँच में ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिससे प्राधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से विकृत आँकड़ों पर विचार किए जाने का वास्तविक जोखिम उत्पन्न होता है।

iv. ईसी-फास्टनर्स (चीन) मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने यह माना कि प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि जिस तरह से वह घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है, उससे आर्थिक आंकड़ों में हेराफेरी और परिणामस्वरूप उद्योग की स्थिति के विश्लेषण को विकृत करने का कोई वास्तविक जोखिम उत्पन्न न हो।

v. प्रमुख अनुपात परीक्षण विशुद्ध रूप से गणितीय नहीं है, जिसके अनुसार 50% से अधिक उत्पादन अपने आप ही कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात बन जाएगा। अपीलीय निकाय ने इस बात पर बल दिया कि प्रमुख अनुपात को अपेक्षाकृत उच्च अनुपात के रूप में समझा जाना चाहिए जो कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से दर्शाता है और जिसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अर्थ होते हैं। एक परीक्षण जो विशुद्ध रूप से मात्रात्मक होगा, आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि उस आधार पर परिभाषित घरेलू उद्योग कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।

vi. आवेदन प्रमुख अनुपात परीक्षण के गुणात्मक पहलू को पूरा करने में विफल रहता है क्योंकि घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय आवेदक द्वारा बाजार में मौजूदा स्थापित कंपनियों को जानबूझकर बाहर रखा गया है।

vii. प्राधिकारी को अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन के स्वतंत्र मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, आवेदक की पात्रता का उचित मूल्यांकन करना आवश्यक है।

viii. स्थिति स्थापित करने का भार आवेदक पर है। यूएस-हॉट-रोल्ड स्टील मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने कहा कि प्राधिकारी समग्र रूप से उद्योग की जाँच के आधार पर निर्धारण करने के लिए बाध्य हैं। जहाँ जाँच अधिकारी घरेलू उद्योग के एक भाग की जाँच करते हैं, उन्हें उसी प्रकार उद्योग को बनाने वाले अन्य सभी भागों की भी जाँच करनी चाहिए, साथ ही पूरे उद्योग की भी जाँच करनी चाहिए। उद्योग के विभिन्न भाग किसी भी निश्चित अवधि के दौरान भिन्न-भिन्न आर्थिक प्रदर्शन प्रदर्शित कर सकते हैं।

ix. चीन-अमेरिका से ब्रॉयलर उत्पादों पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ पैनल ने नोट किया कि जाँच प्राधिकारी को क्षति निर्धारण में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति की अनदेखी करने की अनुमति नहीं है। जाँच प्राधिकारी इस बात का मूल्यांकन करने में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति का आकलन करेगा कि क्या संबद्ध आयातों के प्रभाव का विभिन्न आर्थिक कारकों में परिवर्तनों के लिए व्याख्यात्मक बल है।

x. प्रतिवादियों ने अनुरोध किया कि जाँच शुरू करने से पहले 50% परीक्षण सिद्ध करना आवश्यक है क्योंकि स्थिति निर्धारण-पूर्व है। नियम 5(3) में स्पष्ट रूप से प्राधिकारी से यह निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है कि क्या आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक कुल भारतीय उत्पादन का कम से कम 25% हिस्सा हैं। स्थिति के संबंध में प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो सकते। प्राधिकारी को सकारात्मक और निर्णायक रूप से यह निर्धारित करना होगा कि आवेदक स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

xi. स्थिति, पूर्व-आरंभिक निर्धारण है और संगत जानकारी के अभाव में प्राधिकारी द्वारा स्थिति को पर्याप्त रूप से सिद्ध करने में असमर्थता एक असाध्य दोष है। आवेदन प्रपत्र में आवेदक को उत्पादकों की स्थिति समर्थक, विरोधी या तटस्थ के रूप में बतानी होगी। हालाँकि, आवेदक ने प्रश्न के उत्तर में पूरी जानकारी प्रदान नहीं करने का विकल्प चुना है।

xii. आवेदकों ने भारत में उत्पादन को बहुत कम दर्शाया है। आवेदकों ने दावा किया कि बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ इक्कीस स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाली कंपनियाँ भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 55% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। हालाँकि, बारह आवेदक और इक्कीस समर्थक समग्र घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों ने पहले बाजार आसूचना और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर 202 उत्पादकों की पहचान की। इसके बाद हितबद्ध पक्षकारों ने 472 उत्पादकों की एक सूची प्रस्तुत की, जिन पर भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक होने का आरोप लगाया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने संयंत्रों के विवरण सहित 244 घरेलू उत्पादकों और 233 अतिरिक्त उत्पादकों की सूची प्रस्तुत की, जिनके बारे में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

xiv. इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि यदि प्रत्येक उत्पादक समर्थकों के समान औसत उत्पादन करता है, तो कुल उत्पादन काफी अधिक होगा। यहां तक कि रूढ़िवादी आधार पर भी यह मानते हुए कि गैर-भाग लेने वाले उत्पादक लगभग 10,000 एमटी उत्पादन करते हैं, कुल भारतीय उत्पादन आवेदकों के अनुमान से काफी अधिक होगा। कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा एकल अंक में होगा, जो स्पष्ट रूप से स्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। हितबद्ध पक्षकारों ने 2021-22 के प्लास्ट इंडिया पर भरोसा जताया, जिसने 2021-22 में 7% की वृद्धि के साथ फिलर मास्टरबैच के बाजार को 1023 केटी के रूप में निर्धारित किया। इसके बाद हितबद्ध पक्षकारों ने प्लास्ट इंडिया द्वारा किए गए अनुमानों को निर्धारित किया और नीचे दी गई सारणी के अनुसार आंकड़ों का अनुमान लगाया कि भारत में उत्पादन 1000 केटी से अधिक होना चाहिए, जबकि आवेदकों ने केवल 716 केटी का उत्पादन निर्धारित किया:

| वर्ष | यूओएम | प्लास्ट इंडिया के अनुसार मांग | आवेदक के अनुसार आयात | भारत में फिलर मास्टरबैच का उत्पादन |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | केटी | 1,023 | 63 | 960 |
| 2022-23 | केटी | 1,095 | 100 | 995 |
| 2023-24 | केटी | 1,171 | 163 | 1,008 |

xv. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि आवेदन में विभिन्न उत्पादन सीमाओं पर विचार किया गया है। आवेदन में दावा किया गया है कि एसोसिएशन की प्रतिनिधित्व क्षमता का दावा करते समय, सदस्य कुल भारतीय उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। हालाँकि, यह निर्धारित करते समय कि आवेदक कंपनियाँ प्रमुख हिस्सा हैं या नहीं, घरेलू उत्पादन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस भेद का आधार अस्पष्ट है, जिससे आवेदन और जांच की शुरुआत की प्रक्रिया में ही विरोधाभास उत्पन्न होता है।

xvi. नियमावली के तहत आवश्यकता भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन की है। इसलिए, आवेदक की स्थिति का निर्धारण भारतीय उत्पादन के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है, न कि घरेलू बाजार के लिए उत्पादन के आधार पर। एसोसिएशन को उत्पादकों की पूरी सूची और उनके द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की पूरी

सूची प्रदान करना आवश्यक था, चाहे वे उत्पाद का निर्यात करते हों या नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रूप में योग्य हों।

xvii. प्रतिवादियों ने अनुरोध किया कि आवेदकों ने भारत में उत्पादकों की पूरी सूची प्रदान नहीं की है। एसोसिएशन यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें भारत में उत्पादकों की कुल संख्या की जानकारी नहीं है। जब एसोसिएशनों के पास भारत के सभी उत्पादकों की सूची नहीं है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि यह कथन कैसे दिया जा सकता है कि कुल भारतीय उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा बनाने वाले घरेलू उत्पादक एसोसिएशन का हिस्सा हैं।

xviii. एसोसिएशन द्वारा आवेदन केवल कुछ चुनिंदा उत्पादकों के आधार पर दायर किया गया है, जबकि घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अन्य उत्पादकों द्वारा किया जाता है, जिनका न तो आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है और न ही क्षति विश्लेषण में उनका हिसाब लगाया गया है। आवेदकों ने भारत में उत्पादकों की पूरी सूची भी उपलब्ध नहीं कराई है।

xix. भारत में उत्पाद के 400 से अधिक उत्पादक हैं। आवेदकों की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, 90% उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य हैं, इसलिए लगभग 10% उत्पादक सदस्य नहीं हैं। आवेदक द्वारा यह मान लिया गया है कि अन्य घरेलू उत्पादक जाँच का विरोध नहीं करते हैं।

xx. जाँच शुरू होने के बाद अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा कोई आपत्ति न होने का अर्थ यह नहीं है कि नियम 5(3) के तहत जाँच की शुरुआत के पूर्व निर्धारण आवश्यकताएँ पूरी की गई थीं। न तो आवेदन और न ही जाँच की शुरुआत की अधिसूचना अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति से संबंधित है।

xxi. ईसी-फास्टनर्स (चीन) मामले में डब्ल्यूटीओ एबी के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जहाँ अपीलीय निकाय ने कहा कि अनुच्छेद 4.1 के तहत प्रमुख अनुपात शब्द की उचित व्याख्या के लिए यह आवश्यक है कि इस आधार पर परिभाषित घरेलू उद्योग में ऐसे उत्पादक शामिल हों जिनका सामूहिक उत्पादन अपेक्षाकृत उच्च अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है जो कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। कई उत्पादकों वाले खंडित उद्योग के विशेष मामले में, प्राधिकारी की सूचना प्राप्त करने की व्यावहारिक बाधाओं का अर्थ यह हो सकता है कि प्रमुख अनुपात का गठन कम खंडित उद्योग में सामान्य रूप से स्वीकार्य से कमतर हो सकता है।

xxii. हालाँकि, ऐसे मामलों में भी, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए समान दायित्व रखता है कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करने की प्रक्रिया विकृति के वास्तविक जोखिम को जन्म न दे। कम अनुपात के आधार पर परिभाषित या कुछ घरेलू उत्पादकों के सक्रिय अपवर्जन वाली प्रक्रिया के माध्यम से परिभाषित घरेलू उद्योग, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 के तहत असंगतता पाए जाने के प्रति अधिक संवेदनशील होने की संभावना है।

xxiii. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके 86 सदस्य, जिनमें 12 आवेदक घरेलू उत्पादक और 21 सहायक कंपनियाँ शामिल हैं, कुल घरेलू उत्पादन का 90% प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, केवल 12 सदस्यों ने ही जाँच में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यदि सूचीबद्ध 86 सदस्य वास्तव में भारत में समान उत्पाद के लगभग

सभी विश्वसनीय और सक्रिय निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह चिंताजनक है कि केवल एक छोटे से अंश ने ही आवेदन दायर करने के लिए आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।

xxiv. शेष सदस्यों की भागीदारी का अभाव आवेदन के वास्तविक समर्थन पर प्रश्न उठाता है। इस प्रकार की भागीदारी की कमी यह दर्शाती है कि केवल सदस्यों की सूची बनाना ही अनिवार्य रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए सक्रिय या सार्थक समर्थन के स्तर को नहीं दर्शाता है।

xxv. यह रेखांकित किया गया कि खंडित उद्योग में घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता के संबंध में विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय की टिप्पणियों में कहा गया है कि कई उत्पादकों वाले खंडित उद्योग के विशेष मामले में, प्राधिकारी की सूचना प्राप्त करने की क्षमता पर व्यावहारिक बाधाओं का अर्थ यह हो सकता है कि जो प्रमुख अनुपात बनता है वह कम खंडित उद्योग में सामान्य रूप से स्वीकार्य से कम हो सकता है। हालाँकि, जाँच प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी कि चयनित घरेलू उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xxvi. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 4.1 यह आवश्यकता लागू करता है कि घरेलू उद्योग मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधि होना चाहिए। इसके अलावा, खंडित उद्योग के मामले में, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले घरेलू उत्पादक न केवल गणितीय रूप से घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, बल्कि ऐसे उत्पादक समग्र रूप से खंडित उद्योग की स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

xxvii. आयातकों ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए प्रत्येक आवेदक कंपनी की पात्रता का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवेदक और समर्थक कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक वाणिज्यिक उत्पादक हैं। बाजार आसूचना से पता चलता है कि कई आवेदक कंपनियां और समर्थक कंपनियां मुख्य रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में संलग्न नहीं हैं, बल्कि मुख्य रूप से अन्य उत्पादों, जैसे रंगीन मास्टरबैच, के उत्पादन में संलग्न हैं, जिनकी लाभप्रदता अपेक्षाकृत अधिक होती है।

xxviii. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापारिक और गैर-विचाराधीन उत्पाद उत्पादन से प्राप्त उत्पादन मात्रा को बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रत्येक आवेदक कंपनी के लिए विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन मात्रा का सत्यापन करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापारिक या गैर-विचाराधीन उत्पाद उत्पादन से प्राप्त मात्रा को बाहर रखा गया है।

**घ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

46. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. दो एसोसिएशनों, सीएमएमएआई और एमएमए द्वारा, अपने सदस्यों की ओर से, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक हैं, पाटनरोधी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया था।

ii. सीएमएमएआई और एमएमए के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, उनकी सदस्य कंपनियाँ/संस्थाएँ भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा बनाती हैं।

सीएमएमएआई और एमएमए भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल दो एसोसिएशन हैं। देश में विचाराधीन उत्पाद के कुछ अन्य अज्ञात लघु और सूक्ष्म उत्पादक भी हो सकते हैं, जिनका विवरण सीएमएमएआई और एमएमए के पास उपलब्ध नहीं है।

iii. याचिकाकर्ता ने सीएमएमएआई और एमएमए के सदस्यों की सूची, जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के उनके उत्पादन की मात्रा सहित, प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रत्येक ऐसे उत्पादक की स्थिति (अर्थात, समर्थक, विरोधी या तटस्थ) भी दी गई है। देश में सीएमएमएआई और एमएमए की अज्ञात गैर-सदस्य कंपनियों/संस्थाओं के अनुमानित उत्पादन सहित भारतीय उत्पादन विवरण का समेकित विवरण याचिका के साथ प्रदान किया गया था।

iv. निम्नलिखित बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना 9/2021 के अनुबंध-I में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की, जो जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 35% से अधिक है।

| क्रम संख्या | विवरण | कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सा |
|---|---|---|
| 1. | सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड | ***% |
| 2. | आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 3. | कंदुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 4. | सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 5. | बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 6. | बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 7. | आलोक इंडस्ट्रीज | ***% |
| 8. | बजाज मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 9. | सिद्ध केमिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 10. | बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड | ***% |
| 11. | ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 12. | श्री अंबिका पॉलीफिल | ***% |

v. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित इक्कीस कंपनियों ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया।

| क्रम संख्या | विवरण | कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सा |
|---|---|---|
| 1. | सोनाली पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 2. | मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 3. | श्री मणिराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 4. | एस.पी. पॉलिमर | ***% |
| 5. | 365 प्लास्टियम प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 6. | एन.पी. एग्रो (इंडिया) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 7. | सत्य पॉलीअलॉयज एलएलपी | ***% |
| 8. | एडेक्स पॉलीब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 9. | रामा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 10. | भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 11. | स्वास्तिक प्लास्टोअलॉयज | ***% |
| 12. | मनन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 13. | आदित्य पॉलीस्पिन प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 14. | जे के पारस पॉलीकोट्स लिमिटेड | ***% |
| 15. | स्पेशलिटी मास्टरबैचेस एलएलपी | ***% |
| 16. | सचदेवा पॉलीकलर प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 17. | एवरप्लस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 18. | मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड | ***% |
| 19. | डॉल्फिन पॉलीफिल | ***% |
| 20. | जे जे प्लास्टलॉय | ***% |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | प्रभु पॉलीकलर | ***% |

vi. बारह आवेदक घरेलू उत्पादक, इक्कीस स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाली कंपनियों के साथ, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 55% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।

vii. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के तहत जांच की शुरुआत के लिए आरंभिक परीक्षण के लिए आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है।

viii. यदि कोई विरोध करने वाले घरेलू उत्पादक हैं, तो ऐसे विरोधियों का अनुपात उन उत्पादकों के 50% से कम होना चाहिए जिन्होंने आवेदन के प्रति अपना समर्थन या विरोध व्यक्त किया है।

ix. ये दोनों परीक्षण पूरे कर लिए जाते हैं क्योंकि आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा 25% परीक्षण को पूरा करता है और सीएमएमएआई और एमएमए की किसी भी सदस्य कंपनी/संस्था या विचाराधीन उत्पाद के किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने याचिका का विरोध नहीं किया है।

x. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा के अनुसार, समान वस्तु के सभी घरेलू उत्पादकों, या कम से कम उन उत्पादकों पर विचार किया जाना आवश्यक है जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ इक्कीस स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाली कंपनियाँ भारत में कुल घरेलू उत्पादन के 55% से अधिक का उत्पादन करती हैं, जो दर्शाता है कि नियम 2(ख) के अंतर्गत प्रमुख अनुपात मानदंड पूरा होता है।

xi. कोंकण स्पेशियलिटी पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एशियन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा अनुरोध अतिरिक्त उत्पादकों की सूची के संबंध में, घरेलू उद्योग ने इस सूची की जाँच की और इसमें कई कमियाँ पाईं। इस सूची में वे कंपनियां शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद के आयातक या व्यापारी हैं, वे कंपनियां जो पहले से ही सीएमएमएआई या एमएमए की सदस्य हैं, विभिन्न नामों से सूचीबद्ध समान व्यापारिक कंपनियों के साथ दोहराई गई प्रविष्टियाँ, विदेशी निर्यातकों सहित अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिक्री या व्हाइट-लेबलिंग में लगी कंपनियां, और इंडियामार्ट तथा जस्टडायल जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भरता जो उत्पादन का विश्वसनीय स्रोत या सत्यापन योग्य साक्ष्य नहीं हैं।

xii. दोहराए गए नामों को हटाने, पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार सूची में आयातकों के रूप में दिखाई देने वाले नामों को हटाने, सीएमएमएआई और एमएमए की सदस्य सूची में दिखाई देने वाले नामों को हटाने और द्वितीयक स्रोत आयात आंकड़ों में आयातकों के रूप में दिखाई देने वाले नामों को हटाने से संबंधित विस्तृत जाँच के

बाद, केवल कुछ ही संस्थाएँ विचाराधीन उत्पाद के संभावित घरेलू उत्पादकों के रूप में बची थीं, जिनकी पहचान याचिकाकर्ताओं ने नहीं की थी।

xiii. सीएमएमएआई ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के रूप में उनकी वास्तविक स्थिति और पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में उनकी स्थिति जानने के लिए ईमेल के माध्यम से इन कंपनियों से संपर्क किया। केवल एक कंपनी ने ही उत्तर दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि उसके पास जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए ***एमटी की कुल स्थापित क्षमता थी, उसने जांच की अवधि के दौरान ***एमटी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया और ***एमटी विचाराधीन उत्पाद का आयात किया, जिससे यह कंपनी घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य हो गई।

xiv. अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों के अस्तित्व और वास्तविक उत्पादन गतिविधियों के संबंध में ठोस साक्ष्य प्रदान करने का दायित्व उस पक्षकार का है जिसने आरोप लगाया है। विनिर्माण कार्यों, क्षमताओं, उत्पादन मात्राओं या बाजार गतिविधियों के विश्वसनीय प्रमाण के बिना केवल नामों की सूची प्रदान करना घरेलू उद्योग की स्थिति को चुनौती देने के लिए अपर्याप्त है। आयातकों द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है, उनमें कई वास्तविक कमियाँ हैं जिनमें दोहराए गए नाम, आयातकों और व्यापारियों को शामिल करना और अनुपयुक्त स्रोतों पर निर्भरता शामिल है।

xv. विरोधी पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क केवल आरोप और अनुमान हैं जिनका सकारात्मक साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 6.6 और पाटनरोधी नियमावली के संगत नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारियों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन के न्यायशास्त्र का सुझाव है कि सकारात्मक साक्ष्य सकारात्मक, वस्तुनिष्ठ, सत्यापन योग्य और विश्वसनीय होने चाहिएं। अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों में कोई भी सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

xvi. यह सिद्धांत कि आरोप लगाने वाले पक्षकार पर सबूत का भार होता है, सिविल कानून के सिद्धांतों के अनुसार कानून में सुस्थापित है। किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और अपने बयानों के लिए सबूत का भार घरेलू उद्योग पर डालने का प्रयास किया है।

xvii. घरेलू उद्योग ने उद्योग एसोसिएशनों की सदस्यता सहित दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित सत्यापित उत्पादन आँकड़े प्रदान किए हैं। याचिकाकर्ता ने सीएमएमएआई और एमएमए के 86 सदस्यों की एक विस्तृत सूची दी है। इनमें से किसी भी सदस्य ने संबंधित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया है। ये एसोसिएशन भारत में समान उत्पाद के लगभग सभी विश्वसनीय और सक्रिय निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xviii. प्लास्ट इंडिया की 2021-22 की रिपोर्ट का संदर्भ बाजार अनुमान प्रदान करता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फिलर मास्टरबैच शामिल हैं, न कि विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद, अर्थात, वर्तमान जाँच में यथा-

परिभाषित कैल्शियम कार्बोनेट आधारित फिलर मास्टरबैच। रिपोर्ट में कुल फिलर मास्टरबैच बाज़ार का अनुमान 1023 किलोटन लगाया गया है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित और गैर-कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित दोनों प्रकार के फिलर मास्टरबैच शामिल हैं, जैसे टैल्क-आधारित, सोडियम सल्फेट-आधारित और बेरियम सल्फेट-आधारित फिलर मास्टरबैच। सीएमएमएआई और एमएमए तथा उसके सदस्यों के पास उपलब्ध बाज़ार संबंधी जानकारी और सूचनाओं के आधार पर, लगभग 25-30% फिलर मास्टरबैच गैर-कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित हैं, जो विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में नहीं आते।

xix. जब गैर-कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित फिलर मास्टरबैच को 1023 किलोटन के कुल बाज़ार अनुमान से बाहर रखा जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित फिलर मास्टरबैच का शेष बाज़ार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के साथ यथोचित रूप से मेल खाता है। विरोधी अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन स्तर का परिकलित अनुमान घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए स्तर के लगभग समान है। नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई गणना को दर्शाती है:

| वर्ष | यूओएम | प्लास्ट इंडिया के अनुसार मांग | आवेदक के अनुसार आयात | भारत में फिलर मास्टरबैच का उत्पादन | अन्य फिलर मास्टरबैच (एनपीयूसी) का उत्पादन स्तर (कुल उत्पादन का 25%) | सीएसीओ3 आधारित मास्टरबैच (विचाराधीन उत्पाद ) का उत्पादन स्तर (कुल उत्पादन का 75%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | केटी | 1,023 | 63 | 960 | 240 | 720 |
| 2022-23 | केटी | 1,095 | 100 | 995 | 249 | 746 |
| 2023-24 | केटी | 1,171 | 163 | 1,008 | 252 | **756** |
| याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया विचाराधीन उत्पाद का कुल भारतीय उत्पादन (केटी) | | | | | | **716** |

xx. पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 5.2(i) में यह अनिवार्य किया गया है कि आवेदनों में "समान उत्पाद के सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों की सूची" के माध्यम से घरेलू उद्योग की पहचान की जाएगी। "ज्ञात" शब्द का प्रयोग आंकड़े आवश्यकता के कार्य-क्षेत्र पर एक स्पष्ट सीमाएँ बनाता है। घरेलू उद्योग को बाज़ार में मौजूद हर संभावित उत्पादक का पता लगाने के लिए व्यापक जाँच करने की आवश्यकता नहीं है।

xxi. पाटनरोधी नियमावली अथवा पाटनरोधी करार के तहत, विशेष रूप से खंडित उद्योग में, सभी अज्ञात उत्पादकों की पहचान करना या उनसे समर्थन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि चाइना-ऑटोज़ निर्णय में कहा गया है, आवेदक को केवल सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर अपने पास उपलब्ध जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। जो प्रासंगिक है वह यह है कि क्या समर्थन व्यक्त करने वाले उत्पादक कुल उत्पादन का आवश्यक अनुपात बनाते हैं।

xxii. यह दावा कि कुछ आवेदक उत्पादक रंगीन मास्टरबैच भी बनाते हैं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के तहत स्थायी विश्लेषण के लिए संगत नहीं है। आवेदकों द्वारा प्रदान किया गया उत्पादन और क्षति डेटा विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है और किसी अन्य उत्पाद से संबंधित डेटा से अलग है। प्राधिकारी केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सत्यापित डेटा के आधार पर क्षति और कारण विश्लेषण कर रहे हैं।

xxiii. मांग के अनुमान के संबंध में, घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुपालन में अपने स्वयं के उत्पादन, ज्ञात उत्पादकों के उत्पादन और अज्ञात उत्पादकों के अनुमानित उत्पादन के विवरण सहित आवश्यक अनुबंध अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। यह दावा कि वास्तविक मांग 8,54,318 एमटी से कहीं अधिक है, सत्यापन योग्य आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं है। पाटनरोधी नियमावली मांग अनुमान के लिए कठोर या संपूर्ण कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं करते हैं और प्राधिकारी को उचित, वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य अनुमानों पर भरोसा करने का अधिकार है।

xxiv. पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी के लिए संबंधित मंत्रालयों से आंकड़े प्राप्त करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार प्राधिकारी को आवेदकों और ज्ञात उत्पादकों सहित रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारण करना आवश्यक है। प्राधिकारी से बाहरी स्रोतों से आंकड़े प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जब तक कि प्रस्तुत की गई जानकारी अपर्याप्त या अविश्वसनीय न पाई जाए।

xxv. यह दर्शाने के लिए उद्धृत उदाहरण कि प्राधिकारी ने पहले सरकारी निकायों से आंकड़े मांगे हैं, मामला-विशिष्ट हैं। प्राधिकारी के पास मामला-दर-मामला आधार पर यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि संबंधित मंत्रालयों से अतिरिक्त आंकड़े आवश्यक हैं या नहीं। वर्तमान मामले में, आवेदक ने सभी ज्ञात उत्पादकों की पहचान की है, सहायक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और खंडित उद्योगों के लिए व्यापार नोटिस 09/2021 के तहत यथा-अनुमत अज्ञात उत्पादन के लिए अनुमान प्रदान किए हैं।

**घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

47. यह आवेदन भारत में घरेलू उत्पादकों की ओर से कम्पाउंड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे आगे "सीएमएमएआई" कहा जाएगा) और मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे "एमएमए" कहा जाएगा) द्वारा दायर किया गया था।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में पीयूसी उद्योग बंटा हुआ है और इसमें भारत भर में स्थित घरेलू उत्पादकों की संख्या अत्यधिक रुप से बडी है, इसलिए दो संघों, सीएमएमएआई और एमएमए, ने अपनी सदस्य संस्थाओं की ओर से पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन दायर किया था। ट्रेड नोटिस संख्या 09/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021, यथा संशोधित ट्रेड नोटिस संख्या 11/2021 दिनांक 18 नवंबर 2021 के तहत निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी निम्नलिखित बारह (12) आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर की गई थी:

i. कंडुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ii. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

iii. ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. बजाज मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड

v. बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड

vi. बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

vii. बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

viii. सिद्ध केमिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

ix. श्री अंबिका पॉलीफिल

x. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड

xi. आलोक इंडस्ट्रीज

xii. आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड

49. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित इक्कीस (21) घरेलू उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया और निर्धारित प्रारूप में आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए:

i. सोनाली पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

iii. श्री मणिराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. एस.पी. पॉलिमर

v. 365 प्लास्टियम प्राइवेट लिमिटेड

vi. एन.पी. एग्रो (इंडिया) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

vii. सत्या पॉलीअलॉयज एलएलपी

viii. एडेक्स पॉलीब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड

ix. रामा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड

x. भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड

xi. स्वास्तिक प्लास्टोअलॉयज

xii. मनन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

xiii. आदित्य पॉलीस्पिन प्राइवेट लिमिटेड

xiv. जे के पारस पॉलीकोट्स लिमिटेड

xv. स्पेशियलिटी मास्टरबैचेस एलएलपी

xvi. सचदेवा पॉलीकलर प्राइवेट लिमिटेड

xvii. एवरप्लस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

xviii. मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

xix. डॉल्फिन पॉलीफिल

xx. जेजे प्लास्टलॉय

xxi. प्रभु पॉलीकलर

50. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:

51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थायी आवश्यकताओं के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गए दावों की जाँच की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) और नियम 5 के अंतर्गत स्थायी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) के अनुसार, यह आवश्यक है कि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का योगदान घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, जहाँ घरेलू उत्पादक, आवेदन का स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं, वहाँ ऐसे विरोध का योगदान उन घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए जिन्होंने आवेदन का समर्थन या विरोध व्यक्त किया है। संबंधित उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत है:

*"... (3) निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत किए गए आवेदन के अनुसरण में तब तक जांच शुरू नहीं करेंगे जब तक कि - वह समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त आवेदन के समर्थन या विरोध की मात्रा की जांच के आधार पर यह निर्धारित नहीं करते हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है: बशर्ते कि कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का योगदान घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से कम है, और... स्पष्टीकरण। - इस नियम के प्रयोजन के लिए आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना जाएगा, यदि इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाता है जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक है, जो आवेदन के लिए समर्थन या विरोध, जैसा भी मामला हो, व्यक्त कर रहा है..."*

53. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को समान वस्तु के समग्र घरेलू उत्पादक या ऐसे घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। प्राधिकारी का मानना है कि स्थिति के निर्धारण में घरेलू उद्योग का मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का मूल्यांकन शामिल है। संबंधित उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत है:

*"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग'पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है..."*

54. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जांच अवधि (पीओआई) के दौरान भारत में कुल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) उत्पादन का 35% से अधिक हिस्सा निर्मित किया। इसके अतिरिक्त, इक्कीस संस्थाओं ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया। बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों और इक्कीस स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाली कंपनियों का भारत में कुल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) उत्पादन का 55% से अधिक हिस्सा है।

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे को यह कहते हुए चुनौती दी कि भारत में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के 250-500 उत्पादक हैं और आवेदकों ने भारत में उत्पादन को बहुत कम दर्शाया है। इन पक्षों ने 202 से लेकर 477 संस्थाओं तक के कथित घरेलू उत्पादकों के नामों वाली कई सूचियाँ प्रस्तुत कीं।

56. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की सावधानीपूर्वक जाँच की है। यह नोट किया गया है कि हालांकि हितबद्ध पक्षकारों ने कथित घरेलू उत्पादकों की सूची प्रदान की है, फिर भी किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उत्पादक(कों) के उनके विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन और ऐसे कथित उत्पादकों द्वारा कुल भारतीय उत्पादन का कोई सत्यापन योग्य डेटा प्रदान नहीं किया है। साथ ही, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह विवरण भी प्रदान नहीं किया गया है कि क्या वे कथित उत्पादक नियम 2(ख) (अर्थात, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के आयातक नहीं हैं या पाटित वस्तु के विदेशी निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं) के अंतर्गत कुल घरेलू उत्पादन में शामिल किए जाने के पात्र हैं। यह एक सुस्थापित और सांविधिक नियम है कि प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के विषय में स्वयं संतुष्ट होना होगा, जिस पर वे अपने जांच परिणाम आधारित करें। घरेलू उद्योग ने अपनी सभी सदस्य कंपनियों की सूची उनके उत्पादन के साथ दी है और इसकी कसौटी घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर आधारित है।

57. प्राधिकारी ने स्थिति स्थापित करने के लिए प्रमाण के दायित्व से संबंधित दावों की भी जाँच की है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया कि स्थिति स्थापित करने का दायित्व आवेदक पर है और प्राधिकारी को गैर-भागीदार घरेलू उत्पादकों और संबंधित मंत्रालयों से सूचना प्राप्त करके स्वतंत्र रूप से स्थिति का आकलन करना आवश्यक है।

58. घरेलू उद्योग ने कहा कि दोनों संघों की सदस्य कंपनियों के विवरण सहित सभी ज्ञात उत्पादकों का विवरण प्रदान करने के बाद, कथित अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों के अस्तित्व और वास्तविक उत्पादन गतिविधियों के संबंध में स्थायी साक्ष्य प्रदान करने का दायित्व उस पक्ष का है जिसने आरोप लगाया था। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि विनिर्माण कार्यों, क्षमताओं, उत्पादन मात्रा या संचालन की प्रकृति के विश्वसनीय प्रमाण के बिना केवल नामों की सूची प्रदान करना घरेलू उद्योग की स्थिति को चुनौती देने के लिए सटीक नहीं है।

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.6 और पाटनरोधी नियमों के संगत नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारियों को हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना आवश्यक है। यह सिद्धांत कि सकारात्मक साक्ष्य, सकारात्मक, वस्तुनिष्ठ, सत्यापन योग्य और विश्वसनीय होने चाहिए, विश्व व्यापार संगठन के न्यायशास्त्र में सुस्थापित है।

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई कथित घरेलू उत्पादकों की सूची इंडिया मार्ट जैसे सामान्य वेब सर्च से ली गई है, जिसमें ऐसी कंपनियाँ शामिल हो सकती हैं जो केवल आयात के बाद विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) बेच रही हैं या केवल वितरक हैं। यह भी सिद्ध नहीं है कि क्या वे कंपनियाँ पीयूसी का घरेलू स्तर पर निर्माण कर रही हैं या अपने नाम से विदेशी स्रोतों से बनवा रही (व्हाइट लेबलिंग) हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ये कंपनियाँ घरेलू विनिर्माण के अलावा पाटित स्रोतों से पर्याप्त आयात के कारण पात्र हैं। वास्तव में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रदान की गई सूची में जाँच में भाग लेने वाले आयातक/उपयोगकर्ता का नाम शामिल है।

61. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई सूची में स्पष्ट कमियों के बावजूद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सूची से निम्नलिखित की पहचान करने के प्रयास किए हैं: ऐसी संस्थाएं जो विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की आयातक या व्यापारी हैं, ऐसी संस्थाएं जो पहले से ही सीएमएमएआई या एमएमए की सदस्य हैं, विभिन्न नामों के तहत सूचीबद्ध समान व्यावसायिक संस्थाओं के साथ दोहराई गई प्रविष्टियां और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की पुनर्विक्रय या व्हाइट-लेबलिंग में लगी संस्थाएं।

62. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने भारत के आधिकारिक राजपत्र में जाँच प्रारंभ करने की सूचना प्रकाशित की थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षों जिसमें पीयूसी का कोई भी घरेलू उत्पादक शामिल है, को जाँच से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसी भी कथित घरेलू उत्पादक ने आगे आकर जाँच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को प्रासंगिक आँकड़े नहीं दिए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने कथित उत्पादकों को भेजे गए ईमेल के प्रमाण भी उपलब्ध कराए और दावा किया कि केवल एक कंपनी ने ही मेल का उत्तर देते हुए कुल क्षमता ***मीट्रिक टन वार्षिक घोषित की, जिसमें *** मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन और *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात शामिल था। इसलिए, प्राधिकारी स्थायी परीक्षण के लिए घरेलू उद्योग की सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने का प्रस्ताव करता है।

63. अन्य हितबद्ध पक्षों ने प्लास्ट इंडिया की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें 2021-22 में फिलर मास्टरबैच का बाज़ार 1,023 किलोटन आंका गया था। इन पक्षों ने तर्क दिया कि भारत में उत्पादन 1,000 किलोटन से अधिक होना चाहिए, जबकि आवेदकों ने 716 किलोटन उत्पादन आंका था।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्लास्ट इंडिया की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 के लिए कुल फिलर मास्टरबैच बाजार का अनुमान 1,023 किलोटन लगाया गया है, जिसमें भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रकार के फिलर मास्टरबैच शामिल हैं, अर्थात इसमें कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित और गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित फिलर मास्टरबैच जैसे टैल्क आधारित, सोडियम सल्फेट आधारित और बेरियम सल्फेट आधारित फिलर मास्टरबैच शामिल हैं।

65. घरेलू उद्योग ने आगे बताया कि लगभग 20-25% फिलर मास्टरबैच गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित हैं, जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में शामिल नहीं हैं।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब प्लास्ट इंडिया रिपोर्ट में दिए गए 1,023 किलोटन के कुल बाजार अनुमान से गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित फिलर मास्टरबैच के अनुमानों को हटा दिया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित फिलर मास्टरबैच का शेष बाजार, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ उपयुक्त रूप से मेल खाता है। इसलिए, प्लास्ट इंडिया रिपोर्ट वास्तव में घरेलू उद्योग के दावों का समर्थन करती है।

67. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता सीएमएमएआई और एमएमए भारत में केवल दो ऐसे संगठन हैं जिनके सदस्य इस विचाराधीन उत्पादन (पीयूसी) का उत्पादन करते हैं। याचिकाकर्ता ने भारत में विचाराधीन उत्पादन (पीयूसी) के सभी ज्ञात उत्पादकों का विवरण, साथ ही दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित सत्यापित उत्पादन आँकड़े उपलब्ध कराए हैं। इनमें से किसी भी उत्पादक ने संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया है। ये संगठन भारत में समान उत्पाद के सक्रिय निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

68. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी कि प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदक कंपनी की घरेलू उद्योग के रूप में मान्यता की पात्रता का सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवेदक और समर्थक कंपनियाँ विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की वास्तविक वाणिज्यिक उत्पादक हैं। इन पक्षों ने तर्क दिया कि कई आवेदक कंपनियाँ मुख्य रूप से कलर मास्टरबैच जैसे अन्य उत्पादों के उत्पादन में लगी हुई हैं।

69. घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया कि कलर मास्टरबैच के निर्माण से संबंधित दावा, पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थायी विश्लेषण के लिए प्रासंगिक नहीं है। आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादन और क्षति संबंधी आंकड़े विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) से संबंधित हैं और किसी अन्य उत्पाद से संबंधित आंकड़ों से अलग हैं।

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि कुछ उत्पादक विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के साथ-साथ अन्य उत्पादों का भी विनिर्माण कर सकते हैं, उन्हें स्थायी निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक के रूप में विचार किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराता है।

71. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि स्थिति एक पूर्व-आरंभिक निर्धारण है और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा आरंभिक निर्धारण के बाद कोई आपत्ति न होने का अर्थ यह नहीं है कि पूर्व-आरंभिक निर्धारण अपेक्षाएं पूरी हो गई थीं।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 5(3) के अनुसार, आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का कुल उत्पादन में 25% से कम हिस्सा है अथवा नहीं, इस विषय में जांच शुरू होने के चरण में ही निर्धारण करना आवश्यक है। प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा 25% की शर्त पूरी की गई है और सीएमएमएआई और एमएमए की किसी भी सदस्य कंपनी या विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने याचिका का विरोध नहीं किया है।

73. प्राधिकारी का मानना है कि हालांकि उनके पास बाहरी स्रोतों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का विवेकाधिकार है, फिर भी यह प्रयोग मामला-विशिष्ट है और इस पर निर्भर करता है कि प्रस्तुत जानकारी अपर्याप्त या अविश्वसनीय पाई जाती है या नहीं। वर्तमान मामले में, आवेदक ने सभी ज्ञात उत्पादकों की पहचान की है और विखंडित उद्योगों के लिए ट्रेड नोटिस 09/2021 के तहत अनुमत सहायक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

74. प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग ने नियम 5(3) के अंतर्गत 25% परीक्षण और पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अंतर्गत प्रमुख अनुपात परीक्षण, दोनों को पूरा कर लिया है। बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ इक्कीस स्पष्ट रूप से सहायक कंपनियाँ भारत में कुल घरेलू विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) उत्पादन का 55% से अधिक हिस्सा बनाती हैं, जो स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

## ङ. गोपनीयता

### ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा अनुरोध

75. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. हितबद्ध पक्षों ने कहा है कि आवेदक ट्रेड नोटिस 10/2018 के तहत गोपनीयता आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे हैं। ये आवश्यकताएँ न केवल आवेदन दाखिल करते समय, बल्कि जाँच के दौरान किए गए बाद के किसी भी प्रस्तुतीकरण पर भी लागू होती हैं।

ii. ट्रेड नोटिस 10/2018 के अनुसार, जहाँ आवेदकों में दो से अधिक कंपनियाँ शामिल हैं, उन्हें उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग प्रतिशत, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, कर्मचारियों की संख्या, प्रतिदिन उत्पादकता, मालसूची, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पीबीआईटी, ब्याज/वित्त लागत, मूल्यह्रास और एनआईपी (+/- 10% की सीमा में) से संबंधित वास्तविक जानकारी अवश्य प्रदान करनी होगी। इनके अलावा केवल अन्य जानकारी ही अनुक्रमित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। आवेदकों ने आवेदन में अनिवार्य जानकारी को अवैध रूप से गोपनीय रखा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सैंपल डेटा भी ट्रेड नोटिस 10/2018 के समरूपी उल्लंघनों से ग्रस्त है। आवेदकों ने यह जानकारी रुझान प्रारूप में प्रदान की है, जो ट्रेड नोटिस में निर्धारित सूचना प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।

iii. प्रतिवादियों ने फ़ोरेच मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ट्रेड नोटिस की आवश्यकताएँ अलंघनीय हैं और उनका कड़ाई से पालन किया

जाना चाहिए। किसी भी सहानुभूतिपूर्ण, समायोजक अथवा उदार दृष्टिकोण से अराजकता फैलेगी और समय-सीमा का पालन करने की आवश्यकता का उपहास होगा, जो कि पाटनरोधी शुल्क व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है।

iv. इसके अलावा, ट्रेड नोटिस 2/2000, पाटनरोधी जाँचों में गोपनीयता का दावा करने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया प्रदान करता है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त औचित्य के साथ गोपनीय मानी जाने वाली जानकारी का विवरण देना होगा और साथ ही एक अगोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना होगा जो पर्याप्त रूप से स्पष्ट और विस्तृत हो। इन आवश्यकताओं में गोपनीय जानकारी का विवरण, औचित्य के साथ गोपनीयता के लिए लिखित अनुरोध, एक अगोपनीय संस्करण, और यदि अगोपनीय जानकारी का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो सारांश प्रस्तुत न किए जाने के कारणों का विवरण शामिल है।

v. आवेदकों ने इन सभी आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है। तीसरे पक्षों द्वारा जारी बाज़ार रिपोर्ट जैसी जानकारी को बिना किसी औचित्य के गोपनीय रखा गया है। सैंपल डेटा के संपूर्ण अनुलग्नक को बिना किसी सार्थक सारांश के गोपनीय रखा गया है।

vi. चयनित कंपनियाँ ट्रेड नोटिस 9/2021 के अंतर्गत न्यूनतम प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहीं। चयनित घरेलू उद्योग के रूप में चयनित होने के बाद, अनुच्छेद 8(ख) ट्रेड नोटिस 5/2021 के अनुसार प्रारूप VI-1 से VI-5 में पूरी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है। चयनित याचिकाकर्ताओं ने केवल सीमित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिनमें प्रोफार्मा IV-क और एक पृष्ठ का पीसीएन-वार गैर-हानिकारक मूल्य विवरण शामिल है, जो अपर्याप्त है और अनिवार्य प्रारूपों के अनुरूप नहीं है।

vii. कच्चे माल की खपत, उत्पादन लागत, परीक्षण शेष, पीसीएन-वार व्यय, कार्यशील पूंजी, अथवा संयंत्र-स्तरीय क्षमता उपयोग का कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। 5 अलग-अलग कंपनियों के लिए दायर प्रोफार्मा IV-क को गोपनीय बताया गया है और सभी जानकारी तारांकित है, जिससे यह जानकारी सार्थक समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है।

**ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

76. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को सूचना की प्रकृति सहित विभिन्न कारकों के आधार पर गोपनीयता का आकलन करना चाहिए तथा यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसी सूचना को कानून, प्रथा, प्रयोग या व्यवहार द्वारा संबंधित क्षेत्र में गोपनीय माना जाता है।

ii. यदि प्रकटीकरण को उस क्षेत्र में गोपनीय नहीं माना जाता जिससे सूचना संबंधित है, तो गोपनीयता का दावा निराधार है। हालाँकि, जहाँ गोपनीयता कानून, प्रथा, उपयोग या व्यवहार द्वारा स्वीकार की जाती है, वहाँ प्राधिकारी गोपनीयता के विषय में संतुष्ट होंगे।

iii. घरेलू उद्योग ने ट्रेड नोटिस 09/2021 का पालन करने में विफलता से इनकार किया है, जो विखंडित उद्योगों के सभी उत्पादकों से पूरी जानकारी एकत्र करने में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है और प्रारंभिक दाखिलों के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएँ प्रदान करता है। याचिकाकर्ताओं ने बारह आवेदक

उत्पादकों के लिए अनुबंध-I के अंतर्गत सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की, जिसके समर्थन में क्षति अवधि के दौरान अपेक्षित उत्पादन और क्षति के आँकड़े भी शामिल थे।

iv. घरेलू उद्योग ने इस बात से इनकार किया कि केवल प्रोफार्मा IV-क और एकल-पृष्ठ एनआईपी विवरण ही उपलब्ध कराया गया था, और कहा कि पीसीएन-वार लागत और मूल्य आँकड़े तथा लागत पत्रक सहित संपूर्ण गोपनीय आँकड़े प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए थे। जहाँ तक संभव हो, बिना ऐसी जानकारी का खुलासा किए जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कार्यरत नमूना उत्पादकों के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुँचा सकती थी, अगोपनीय संस्करण प्रस्तुत किए गए।

v. घरेलू उद्योग ने ट्रेड नोटिस 10/2018 का पालन न करने से इनकार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, उत्पादकों को जहाँ सारांश संभव न हो, वहाँ उचित अगोपनीय सारांश या स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है। उन सभी मामलों में जहाँ डेटा को गोपनीय चिह्नित किया गया था, या तो अनुक्रमित रूप में सारांश प्रस्तुत किया गया या यह स्पष्टीकरण दिया गया कि प्रकटीकरण से कंपनियों को गंभीर नुकसान क्यों होगा।

vi. ट्रेड नोटिस 10/2018 के अनुसार, उचित गोपनीयता संकेतकों के साथ चिह्नित आंकड़ों के साथ गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत किए गए। घरेलू बिक्री, लाभ मार्जिन, ब्याज लागत और मूल्यह्रास के संक्षिप्त रुझान अनुक्रमित रूप में प्रदान किए गए, जो गोपनीयता संबंधी आवश्यकताओं का पूर्णतः पालन करते हैं।

vii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अत्यधिक गोपनीयता के आरोप निराधार हैं क्योंकि प्राधिकारी ने लगातार गोपनीय जानकारी स्वीकार की है जहाँ कंपनियाँ महत्वपूर्ण व्यावसायिक नुकसान का जोखिम दर्शा सकती हैं। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का बाजार प्रतिस्पर्धी है और लागत और मूल्य निर्धारण का खुलासा नमूना उत्पादकों को वास्तविक रूप से नुकसान पहुँचाएगा। गोपनीयता के दावे ट्रेड नोटिस 10/2018 और पाटनरोधी नियमों के नियम 7 के अनुसार किए जाते हैं।

viii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि वास्तविक आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रकटीकरण वाणिज्यिक नुकसान का कारण बन सकता है। प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में किसी भी कमी का उल्लेख नहीं किया है और कोई प्रक्रियागत उल्लंघन नहीं हुआ है।

ix. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकरण पूर्णता, गोपनीयता और प्रक्रियात्मक अनुपालन का आकलन करने के लिए सक्षम निकाय है। सभी अनिवार्य जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है और प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड में मौजूद सभी आंकड़ों का सत्यापन और मूल्यांकन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर आगे की जानकारी का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण करने का विवेकाधिकार है।

x. घरेलू उद्योग ने यह भी नोट किया कि ट्रेड नोटिस 2/2000 को ट्रेड नोटिस 1/2013 दिनांक 09.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे पुराने ट्रेड नोटिस 2/2000 का कोई भी संदर्भ लागू नहीं होता। घरेलू उद्योग ने ट्रेड नोटिस 10/2018 का अनुपालन किया और जहाँ व्यावसायिक नुकसान या स्वामित्व संबंधी चिंताओं के कारण आँकड़ों का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सका, वहाँ कारण बताए गए।

xi. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि हितबद्ध पक्षों ने पाटनरोधी नियमों और ट्रेड नोटिस 10/2018 के नियम 7 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक

गोपनीयता के दावों के साथ प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता पर प्रस्तुत टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

xii. घरेलू उद्योग ने उन विशिष्ट पक्षों की पहचान की है जिन्होंने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिनमें ब्लेज़ डेकोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, आरजीके पॉलीकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोंकण स्पेशियलिटी पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ए वन ट्रेडिंग कंपनी, वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, न्घे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शामिल हैं।

xiii. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.5 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि जो जानकारी स्वभावतः गोपनीय होती है, उसे उचित कारण दर्शाने पर प्राधिकारी गोपनीय ही मानेंगे। ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।

xiv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में कहा गया है कि प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। यदि सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो पक्षकार कारण बता सकते हैं कि सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है। यदि गोपनीयता आवश्यक नहीं है या आपूर्तिकर्ता सूचना प्रदान करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी सूचना को अस्वीकार कर सकता है।

xv. ट्रेड नोटिस 10/2018 को इस बात को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि हितबद्ध पक्षों द्वारा आवेदनों और प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के अगोपनीय संस्करण दाखिल करते समय किस प्रकार जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।

**ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

77. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है:

78. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय संस्करण सभी हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराया है। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

*(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) (2) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है। (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं*

*करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।*

79. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के दावों की गहन जाँच की है। समीक्षा के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि ये दावे, सामान्यतः, उचित रूप से प्रमाणित थे और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप थे। तदनुसार, संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रस्तुत करें।

**च. विविध मामले**

**च.1. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध**

80. अन्य हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

i. यह आवेदन दो संघों द्वारा कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप उचित प्राधिकरण और प्रमाणन के बिना दायर किया गया है। नियम 5(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी तब तक जाँच शुरू नहीं करेंगे जब तक कि पूर्व-शर्तें पूरी न हो जाएँ। चूँकि जाँच शुरू करने की अधिसूचना उचित प्राधिकारी सुनिश्चित किए बिना जारी की गई थी, इसलिए कार्यवाही कानूनन अमान्य हो जाती है। यह कोई हानिरहित त्रुटि नहीं, बल्कि एक घातक त्रुटि है जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाती है।

ii. कम्पाउंड्स एंडमास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 23.13 के अनुसार, वकीलों की नियुक्ति के लिए कंपनी की मुहर के तहत प्रमाणन आवश्यक है। यह प्रमाणन बिना मुहर के है और इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती, इसलिए इसे प्रमाणनरहित माना जाएगा। कानूनी प्रतिनिधियों को केवल अनुरोध प्राप्त करने और अनुरोध करने, आवेदकों की ओर से उपस्थित होने और चर्चा करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें कार्यवाही शुरू करने या आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

iii. प्राधिकारी का नमूनाकृत घरेलू उद्योग पर निर्भर रहने का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। नमूनाकरण के संबंध में, मैनुअल के अनुच्छेद 8.8.4 में प्रावधान है कि यदि उत्तरों की संख्या बहुत अधिक हो, तो प्रत्येक उत्तर का अलग-अलग सत्यापन और जाँच करना अव्यावहारिक है, इसलिए अधिक सटीक सत्यापन के लिए वर्णित पद्धति के अनुसार नमूनाकरण का सहारा लेना उचित है। मैनुअल में विशेष रूप से कहा गया है कि जाँच शुरू होने की तिथि से 80 दिनों के भीतर सभी हितधारकों को सूचित किया जाना चाहिए कि प्राधिकरण नमूनाकरण का सहारा ले रहा है तथा इसमें नमूनाकरण पद्धति निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

iv. नमूनाकरण करने के प्राधिकारी के निर्णय का खुलासा जाँच के किसी भी चरण में हितबद्ध पक्षों को नहीं किया गया। जाँच शुरू करने संबंधी सूचना में घरेलू उद्योग के संबंध में नमूनाकरण के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं था, न ही प्राधिकारी ने ऐसे नमूनाकरण के लिए प्रस्तावित आधार या कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु कोई सूचना जारी की। आयातकों को नमूनाकरण के बारे में केवल घरेलू उद्योग द्वारा किए गए पत्रव्यवहार के माध्यम से ही पता चला। यह एक गंभीर प्रक्रियात्मक चूक है

क्योंकि हितबद्ध पक्षों को पाटनरोधी नियमों के नियम 17 के अंतर्गत किसी भी नमूनाकरण को अपनाने से पहले सूचित किए जाने और प्रतिनिधित्व और चयन मानदंडों पर टिप्पणी करने का अधिकार है।

v. बिना पूर्व प्रकटीकरण अथवा परामर्श के आवेदक उत्पादकों के बीच नमूनाकरण प्रक्रिया अपनाने का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सुनवाई के अधिकार से समझौता किया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षों को न तो नमूनाकरण प्रक्रिया के इरादे के बारे में सूचित किया गया और न ही नमूनाकरण पद्धति पर सुझाव देने का अवसर दिया गया। पिछली जाँचों में, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों से नमूनाकरण पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। ऐसे अवसर का अभाव वर्तमान जाँच में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने की हितबद्ध पक्षों की क्षमता पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

vi. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी की ओर से कोई औपचारिक अधिसूचना, सार्वजनिक अभिलेख या लिखित पत्रव्यवहार जारी नहीं किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि विस्तृत जाँच के लिए नमूने के भाग के रूप में पाँच कंपनियों का चयन कब और कैसे किया गया। नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों के चयन की प्रक्रिया ट्रेड नोटिस 9/2021 के पैरा 7 द्वारा शासित होती है, जिसमें प्रावधान है कि प्राधिकारी सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनाकरण तकनीकों के आधार पर उत्पादकों के नमूना समूह का चयन करेगा। पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के हित में, प्राधिकारी को नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों के चयन के आधार और प्रक्रिया को दर्शाते हुए औपचारिक अधिसूचना या सूचना जारी करनी चाहिए।

vii. प्राधिकारी द्वारा नमूना घरेलू उत्पादकों के चयन के मानदंड या औचित्य के संबंध में कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं की गई है। न ही प्रारंभिक अधिसूचना और न ही किसी सार्वजनिक अनुरोध में पाँच नमूना उत्पादकों को अंतिम रूप देने के लिए प्रयुक्त कार्यप्रणाली का संकेत दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चयन सांख्यिकीय रूप से मान्य या विषयपरक कार्यप्रणाली के स्थान पर याचिकाकर्ताओं के अपने विवेक से किया गया है। किसी स्पष्टीकरण या प्रलेखित औचित्य के अभाव में, ऐसा प्रतीत होता है कि नमूना कंपनियों का चयन सांख्यिकीय रूप से मान्य या विषयपरक कार्यप्रणाली के स्थान पर याचिकाकर्ताओं के अपने विवेक से किया गया है।

viii. उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा करने पर, यह स्पष्ट है कि अंततः चयनित पाँच कंपनियों ने जाँच अवधि के दौरान प्रदर्शन में गिरावट का रुझान दिखाया है। मूल याचिका बारह घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर की गई थी, जिनमें अंततः चयनित पाँच कंपनियों के अलावा, ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बजाज मास्टरबैचेज़ प्राइवेट लिमिटेड, बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड, बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, सिद्ध केमिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और श्री अंबिका पॉलीफिल जैसी कंपनियाँ शामिल थीं।

ix. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, बाहर की गई कई कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक या स्थिर वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन प्रदर्शित किया है। इसमें बेहतर बिक्री प्राप्ति, उत्पादन लागत में कमी, स्थिर क्षमता उपयोग, या बढ़ी हुई घरेलू बिक्री मात्रा जैसे संकेतक शामिल हैं। नमूने से ऐसी कंपनियों को चुनिंदा रूप से बाहर करने से घरेलू उद्योग की असंतुलित और विकृत तस्वीर सामने आती है।

x. प्रतिकूल प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को चुनिंदा रूप से चुनना और तटस्थ या सकारात्मक रुझान वाली कंपनियों को नज़रअंदाज़ करना, जाँच की निष्पक्षता से समझौता करता है और इसके परिणामस्वरूप क्षति की मौजूदगी और सीमा के विषय में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। प्राधिकारी को पाँच नमूना कंपनियों के चयन के लिए अपनाए गए आधार और प्रक्रिया की आलोचनात्मक जाँच करनी चाहिए और

स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नमूनाकरण पद्धति, सांख्यिकीय रूप से मान्य और निष्पक्ष तकनीकों को अपनाने के नियमों के तहत आवश्यकता का अनुपालन करती है।

xi. पारदर्शिता के हित में, अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति, लागू किए गए मानदंड, तथा मूल आवेदक समूह का हिस्सा रहे अन्य उत्पादकों को बाहर करने के कारणों को रेखांकित करते हुए औपचारिक आदेश या सार्वजनिक सूचना जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

xii. डीजीटीआर सामान्यतः सकल अचल संपत्तियों पर 22% प्रतिफल की अनुमति देता है, जो अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और कानून के अनुरूप नहीं है। डीजीटीआर कम शुल्क नियम अपनाता है और उत्पादन लागत के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करता है। निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है। नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना गलत है क्योंकि नियोजित पूंजी के ऋण भाग पर लगभग 10-12% ब्याज दर लगती है और इसके परिणामस्वरूप नियोजित पूंजी के निवल मूल्य भाग पर 22% से अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है।

xiii. वर्ष 1979 में, जब ब्याज दर और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे सभी मानदंड अलग-अलग थे, 22% आरओसीई का आधार 45 वर्ष बाद वर्ष 2025 में उचित नहीं कहा जा सकता। वर्ष 1979 में ब्याज दर लगभग 18% थी और कॉर्पोरेट टैक्स 50%-60% था। कॉर्पोरेट टैक्स और ब्याज दर की वर्तमान दरों को वास्तविक आधार पर लागू करने पर, विभिन्न ऋण इक्विटी अनुपातों के लिए आरओसीई निम्न प्रकार होगा। ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग मामले में सीईएसटीएटी ने माना कि नियोजित पूंजी पर 22% आय अपनाने से क्षति निर्धारण प्रभावित हुआ है और कम कीमत पर बिक्री की तस्वीर उभर कर सामने आई है।

xiv. उचित आय के निर्धारण के लिए यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा यह है कि लक्ष्य मूल्य की गणना करते समय उपयोग किया जाने वाला लाभ मार्जिन उस लाभ मार्जिन तक सीमित होना चाहिए जिस पर सामुदायिक उद्योग पाटित किए गए आयातों की अनुपस्थिति में प्रतिस्पर्धा की सामान्य परिस्थितियों में यथोचित रूप से भरोसा कर सके। काल्पनिक विचारों के आधार पर 22% लाभ मार्जिन अपनाना अतार्किक है और इसे उचित नहीं कहा जा सकता।

**च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

81. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों, वचनबद्धताओं या प्राधिकरणों में कथित कमियों के विषय में दावे गलत हैं और उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जाँच अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन की विधिवत पुष्टि के बाद शुरू की गई है। जाँच शुरू करने के लिए आवेदन के साथ कानून के तहत आवश्यक सभी आवश्यक प्रमाणपत्र और प्राधिकरण उचित रूप से प्रस्तुत किए गए थे।

ii. यह आरोप कि प्राधिकरणों में कथित अपर्याप्तताएँ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की सटीकता पर संदेह पैदा करती हैं, गलत और निराधार है। पाटनरोधी जाँच में उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की सटीकता का प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाता है। प्रत्येक आवेदक घरेलू उत्पादक ने उत्पादन, बिक्री, क्षमता, उपयोग, लाभप्रदता और अन्य प्रासंगिक क्षति मापदंडों के संबंध में विधिवत प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की है।

iii. वर्तमान जांच में नमूना घरेलू उत्पादकों का चयन ट्रेड नोटिस 09/2021 के अनुच्छेद 7 के अनुसार किया गया है, जो प्राधिकारी को क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए आवेदक घरेलू उत्पादकों की विस्तृत जांच को सीमित संख्या में घरेलू उत्पादकों तक सीमित करने की अनुमति देता है।

iv. ट्रेड नोटिस में घरेलू उत्पादकों के नमूने के लिए अलग से सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का प्रावधान नहीं है, बल्कि केवल यह अपेक्षा की गई है कि चयन सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनाकरण विधियों पर आधारित हो।

v. विस्तृत परीक्षण के लिए चुने गए पाँच उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं, जिससे वे लागत निर्धारण और बिक्री सत्यापन के लिए प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये कंपनियाँ मिलकर कुल घरेलू आवेदकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विस्तृत परीक्षण के लिए चुने गए पाँच उत्पादक भौगोलिक और परिचालनात्मक रूप से विविध हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नमूना, व्यापक घरेलू उद्योग को प्रतिबिंबित करता है।

vi. ट्रेड नोटिस 09/2021 विखंडित उद्योगों में याचिकाएँ दायर करने पर लागू है और इसे प्रारंभिक चरण में स्थिति प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए जारी किया गया था। अनुच्छेद 7 में क्षति निर्धारण के लिए विस्तृत जाँच को सीमित करने की संभावना का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 7(ग) में स्पष्ट किया गया है कि जाँच को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

vii. पाँच घरेलू उत्पादकों का चयन प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सांख्यिकीय नमूनाकरण तकनीकों के आधार पर किया गया था। पाटनरोधी नियमों या पाटनरोधी समझौते के तहत नमूना घरेलू उद्योग के चयन हेतु अलग से अधिसूचना जारी करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। पारदर्शिता के लिए, घरेलू उद्योग ने निर्धारित प्रारूप में अपनी अद्यतन जानकारी प्रदान करते हुए 21 अप्रैल 2025 को अनुरोध किए हैं।

viii. नमूना उत्पादकों का चयन प्राधिकारी द्वारा पूर्व में की गई जाँचों में स्थापित प्रथाओं के अनुरूप किया गया है। प्राधिकारी ने अनेक मामलों में अलग से नमूनाकरण अधिसूचना जारी किए बिना घरेलू उत्पादकों के प्रतिनिधि समूह का चयन किया है। घोषणा के स्वरूप के बजाय, आंकड़ों की पूर्णता, सत्यापनीयता और प्रतिनिधित्वशीलता पर हमेशा ज़ोर दिया गया है।

ix. यह आरोप कि नमूना कंपनियों का चयन प्रतिकूल प्रदर्शन प्रवृत्तियों या याचिकाकर्ताओं के विवेकाधीन चयन पर आधारित था, तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से असमर्थनीय है। लागत और कीमतों के विस्तृत सत्यापन के लिए घरेलू उत्पादकों के प्रतिनिधि नमूने का चयन करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राधिकारी के पास है। वर्तमान जाँच में नमूना लिए गए पाँच उत्पादकों के चयन में घरेलू उद्योग की कोई भूमिका नहीं रही है।

x. नमूनाकृत कंपनियों का चयन प्राधिकारी द्वारा सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से किया गया था। घरेलू उद्योग को चयनित कंपनियों के बारे में सूचित किया गया था और उनसे ट्रेड नोटिस 09/2021 के तहत निर्धारित प्रारूपों के अनुसार इन कंपनियों के लिए अपेक्षित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। आवेदकों द्वारा चयनात्मक चूक का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि नमूनाकरण प्रक्रिया प्राधिकारी द्वारा की गई थी, न कि आवेदकों द्वारा।

xi. आयातकों ने मैनुअल के पैराग्राफ 8.8.4 पर भरोसा किया है, जो पाटनरोधी नियमों के नियम 17 के अंतर्गत संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के नमूने लेने से संबंधित है। यह प्रावधान वर्तमान जाँच के संदर्भ में लागू नहीं है जहाँ नमूनाकरण विखंडित उद्योग में घरेलू उत्पादकों से संबंधित है। जब प्राधिकारी

अपने विस्तृत विश्लेषण को विखंडित उद्योग में चयनित घरेलू उत्पादकों तक सीमित रखते हैं, तो लागू प्रावधान ट्रेड नोटिस 09/2021 के अंतर्गत आते हैं।

xii. यह दावा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया, अपनाई गई प्रक्रिया द्वारा समर्थित नहीं है। प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में आवेदक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है और विस्तृत परीक्षण को प्रतिनिधि नमूने तक सीमित रखने के लिए ट्रेड नोटिस के अंतर्गत अनुमत अपने विवेक का प्रयोग किया है। कानून, नमूनाकरण के लिए विखंडित उद्योगों में घरेलू उत्पादकों का चयन करने से पहले हितबद्ध पक्षों से परामर्श करने के लिए प्राधिकारी पर कोई अपेक्षा नहीं प्रतिरोपित नहीं करता है।

xiii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिलाभ का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III द्वारा शासित होता है जो ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए नियोजित औसत पूंजी पर उचित प्रतिलाभ (कर-पूर्व) प्रदान करता है।

xiv. प्राधिकारी ने पिछली कई जाँचों में विस्तृत जाँच और प्रासंगिक आर्थिक कारकों पर विचार करने के बाद लगातार 22% कर-पूर्व आरओसीई को अपनाया है। यह प्रथा भारत में सुस्थापित, पारदर्शी और मान्यता प्राप्त है।

xv. हितबद्ध पक्षों का यह तर्क कि ऋण और इक्विटी दोनों सहित संपूर्ण नियोजित पूंजी पर 22% आरओसीई लागू करने से लाभ मार्जिन बढ़ जाता है, काल्पनिक गणनाओं पर आधारित है जो घरेलू उद्योग की वास्तविक आर्थिक स्थितियों और वित्तीय संरचनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। प्राधिकारी ने ऐतिहासिक रूप से पाटनरोधी ढांचे में स्थिरता, निष्पक्षता और पूर्वानुमानशीलता बनाए रखने के लिए एक समान प्रतिलाभ दर को अपनाया है।

xvi. ब्रिजस्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग और ह्योसंग कॉर्पोरेशन मामलों में सीईएसटीएटी के फैसलों पर हितबद्ध पक्षों की निर्भरता, अनुचित है। प्राधिकारी द्वारा 22% आरओसीई अपनाने का निर्णय कई अन्य मामलों में न्यायिक जाँच में खरा उतरा है। सीईएसटीएटी ने निर्णायक रूप से यह निर्धारित या आदेशित नहीं किया है कि कम आरओसीई सभी उद्योगों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, बल्कि यह संकेत दिया है कि उचित आय का निर्धारण मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए। ब्रिजस्टोन मामले में, सीईएसटीएटी के अवलोकन, टायर उद्योग से संबंधित विशिष्ट तथ्यों और बाज़ार स्थितियों पर आधारित थे और सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होते हैं।

xvii. यह सुझाव कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा उस अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक लाभप्रदता को, जब कोई पाटन नहीं था, उचित प्रतिफल के मानदंड के रूप में अपनाना चाहिए, समस्याग्रस्त है। किसी भी निश्चित अवधि में उद्योग द्वारा अर्जित लाभ मार्जिन बाजार प्रतिस्पर्धा, समष्टि आर्थिक स्थितियों और तकनीकी कारकों सहित कई कारकों से प्रभावित होते हैं। किसी विशेष पिछली अवधि में प्राप्त लाभ आवश्यक रूप से उचित व्यापारिक परिस्थितियों में उचित रूप से प्राप्त लाभप्रदता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।

xviii. उचित आय निर्धारित करने में यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई पद्धति के संदर्भ में हितबद्ध पक्षों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों, कानूनी मानकों और औद्योगिक प्रथाओं पर गहन विचार किए बिना, भारतीय विनियामक ढाँचे में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यूरोपीय संघ और भारत के बीच आर्थिक संदर्भ, विनियामक ढाँचे और प्रक्रियात्मक मानक काफी भिन्न हैं। प्राधिकारी द्वारा 22% की दर लागू

करना विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि घरेलू उद्योग को न तो अनुचित रूप से नुकसान हो और न ही अत्यधिक संरक्षण प्राप्त हो।

xix. वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने भारत को अपने निर्यात लेनदेन में एक व्यापारी की मौजूदगी का खुलासा करते हुए कहा है कि यह तीसरा पक्ष सौंपे गए निर्यात के लिए सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का पालन करता है और वीएमआई की ओर से भुगतान प्राप्त करता है। वीएमआई के इस दावे के बावजूद कि स्वामित्व उनके पास ही रहेगा, ये तीसरे पक्ष निर्यात चैनल और मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग हैं।

xx. पाटनरोधी जाँच में, निर्यात मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने वाली सभी संस्थाओं को भाग लेना होगा और पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसमें निर्माता/उत्पादक और निर्यात लेनदेन में शामिल कोई भी एजेंट, व्यापारी या मध्यस्थ शामिल हैं। मैनुअल के पैरा 12.18 का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया है कि यदि उत्पादक निर्यातक अपने असंबंधित मध्यस्थों के माध्यम से निर्यात कर रहा है, तो भी इन मध्यस्थों में से प्रत्येक के लिए जाँच के दौरान सहयोग करना और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माँगी गई जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

xxi. जब निर्यात, सौंपे जाने की व्यवस्था के तहत किया जाता है, जिसमें मध्यस्थ माल की भौतिक आवाजाही या वित्तीय लेनदेन/दस्तावेजों में शामिल होता है, तो डंपिंग मार्जिन गणना के लिए पूर्ण निर्यात मूल्य का निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है जब श्रृंखला में सभी संस्थाओं द्वारा सूचना प्रदान की जाती है।

xxii. वर्तमान जाँच में पंजीकृत हितधारक सूची में से, वीएमआई द्वारा उल्लिखित निर्यात में शामिल तृतीय पक्ष ने जाँच में भाग नहीं लिया है। जाँच में उक्त पक्ष की अनुपस्थिति भारत में असंबंधित ग्राहक के लिए निर्यात मूल्य के उचित निर्धारण हेतु आवश्यक जानकारी में अंतराल पैदा करती है। ऐसी इकाई की भागीदारी के बिना, प्राधिकारी मध्यस्थ द्वारा वहन किए गए कमीशन, सेवा शुल्क या किसी अन्य व्यय और ऐसी इकाई की लाभप्रदता का विवरण ज्ञात करने की स्थिति में नहीं होगा, जो अंततः निर्यात मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर सकता है।

**च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

82. प्राधिकारी ने आवेदन दायर करने के लिए प्राधिकरण और प्रमाणन आवश्यकताओं के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच की है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया कि आवेदन दो संघों द्वारा कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप उचित प्राधिकरण और प्रमाणन के बिना दाखिल किया गया है, जिससे यह कार्यवाही कानून की दृष्टि से अनुचित है।

83. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विशेष रूप से तर्क दिया कि सी.एम.एम.ए.आई. के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 23.13 के अनुसार वकीलों की नियुक्ति के लिए कंपनी की मुहर के तहत प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, तथा प्रदान किया गया प्रमाणीकरण बिना मुहर के था तथा इसमें कोई कानूनी पवित्रता नहीं है।

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर लिया है और पाया है कि यह पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से प्रासंगिक जानकारी माँगी है। आवेदन की पूर्णता और अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही जाँच आरंभ अधिसूचना जारी की गई।

85. अन्य हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया कि प्राधिकरणों में कथित अपर्याप्तता घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की सटीकता पर संदेह पैदा करती है।

86. प्राधिकारी ने पाया है कि पाटनरोधी जाँच में उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की सटीकता का प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया गया है। प्रत्येक आवेदक घरेलू उत्पादक ने उत्पादन, बिक्री, क्षमता, उपयोग, लाभप्रदता और अन्य प्रासंगिक क्षति मापदंडों के संबंध में विधिवत प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की है। सत्यापन प्रक्रिया क्षति और कारण विश्लेषण के लिए उपयोग किए गए आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

87. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति के संबंध में किए गए अनुरोधों की जाँच की है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया कि नमूनाकृत घरेलू उद्योग पर निर्भर रहने का प्राधिकारी का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और नमूनाकरण करने के निर्णय का खुलासा जाँच के किसी भी चरण में हितबद्ध पक्षों को नहीं किया गया है।

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मैनुअल के पैराग्राफ 8.8.4 पर भरोसा किया है, जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के नमूने लेने से संबंधित है। यह प्रावधान वर्तमान जाँच के संदर्भ में लागू नहीं है जहाँ नमूनाकरण विखंडित उद्योग में घरेलू उत्पादकों से संबंधित है। जब प्राधिकारी अपने विस्तृत विश्लेषण को विखंडित उद्योग में चयनित घरेलू उत्पादकों तक सीमित रखते हैं, तो लागू प्रावधान ट्रेड नोटिस 09/2021 के अंतर्गत लागू होते हैं।

89. प्राधिकारी का मानना है कि व्यापार सूचना 09/2021, जांच शुरू होने के चरण में स्थिति प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए जारी की गई थी और यह प्राधिकारी को क्षति निर्धारण हेतु विस्तृत जांच को सीमित करने की अनुमति देती है। व्यापार सूचना 09/2021 का पैराग्राफ 7 विशेष रूप से अलग अधिसूचना की आवश्यकता के बिना ऐसे नमूने लेने की अनुमति देता है। प्राधिकारी ने व्यापार सूचनाओं के तहत अनुमत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विस्तृत जांच को प्रतिनिधि नमूने तक सीमित रखा है।

90. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी नियमों या पाटनरोधी समझौते के तहत घरेलू उद्योग के नमूने के चयन हेतु अलग से अधिसूचना जारी करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने पिछली जांचों में स्थापित प्रथाओं का पालन किया है, जहां अलग से नमूना अधिसूचना जारी किए बिना घरेलू उत्पादकों के प्रतिनिधि समूहों का चयन किया गया है।

91. प्राधिकारी का मानना है कि अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है। प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में आवेदक उत्पादकों द्वारा अनुरोध सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया है और व्यापार सूचनाओं के तहत अनुमत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विस्तृत जांच को प्रतिनिधि नमूने तक सीमित रखा है। कानून, नमूनाकरण के लिए खंडित उद्योगों में घरेलू उत्पादकों का चयन करने से पहले प्राधिकारी पर हितबद्ध पक्षकारों से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं लगाता है।

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को जाँच प्रक्रिया के दौरान अपने विचार और अनुरोध अनुरोध करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं।

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे अनुरोध किया कि अंततः चयनित पाँच कंपनियाँ जाँच अवधि के दौरान प्रदर्शन में गिरावट की प्रवृति प्रदर्शित करती हैं, जबकि कई बहिष्कृत कंपनियाँ सकारात्मक या स्थिर वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन प्रदर्शित करती हैं। इन पक्षकारों ने तर्क दिया कि यह प्रतिकूल प्रदर्शन प्रदर्शित करने वाली कंपनियों को चुनिंदा रूप से चुनना है, जबकि तटस्थ या सकारात्मक रुझान वाली कंपनियों को अनदेखा करना है।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नमूनाकृत कंपनियों का चयन सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से किया गया था। विस्तृत जाँच के लिए चयनित पाँच उत्पादक भारत में पीयूसी के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं, जिससे वे लागत निर्धारण और बिक्री सत्यापन के लिए प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये कंपनियाँ कुल घरेलू आवेदकों का

एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और भौगोलिक और परिचालन रूप से विविध हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नमूना व्यापक घरेलू उद्योग को प्रतिबिंबित करता है।

95. प्राधिकारी का मानना है कि आवेदकों द्वारा चयनात्मक चूक का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि नमूनाकरण प्रक्रिया प्राधिकारी द्वारा की गई थी, न कि आवेदकों द्वारा। घरेलू उद्योग को चयनित कंपनियों के बारे में सूचित किया गया था और उनसे व्यापार सूचना 09/2021 के तहत निर्धारित प्रारूपों के अनुसार इन कंपनियों के लिए अपेक्षित विस्तृत जानकारी अनुरोध करने की अपेक्षा की गई थी।

96. प्राधिकारी ने नियोजित पूंजी पर उचित आय (आरओसीई) के संबंध में अनुरोध अनुरोधों की जाँच की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि डीजीटीआर सामान्यतः सकल अचल संपत्तियों पर 22% आय की अनुमति देता है जो अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और कानून के अनुरूप नहीं है। इन पक्षकारों ने अनुरोध किया कि वर्ष 1979 में निर्धारित 22% आरओसीई के आधार को 45 वर्ष बाद वर्ष 2025 में उचित नहीं कहा जा सकता।

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे तर्क दिया कि नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना गलत है क्योंकि नियोजित पूंजी के ऋण भाग पर लगभग 10-12% ब्याज दर लगती है और इसके परिणामस्वरूप नियोजित पूंजी के निवल मूल्य भाग पर 22% से अधिक आय प्रदान होता है। इन पक्षकारों ने अपने तर्कों के समर्थन में सीईएसटीएटी के निर्णयों और यूरोपीय संघ की प्रथाओं का हवाला दिया।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उचित आय का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III द्वारा शासित होता है। प्राधिकारी ने अनेक जाँचों में लगातार 22% कर-पूर्व आरओसीई लागू किया है क्योंकि यह प्रथा सुस्थापित, पारदर्शी और मान्यता प्राप्त है। आय की एकसमान दर, पाटनरोधी ढाँचे में स्थिरता, निष्पक्षता और पूर्वानुमेयता बनाए रखती है।

99. प्राधिकारी का मानना है कि सेस्टेट के निर्णयों पर हितबद्ध पक्षकारों का भरोसा अनुचित है क्योंकि सेस्टेट ने निर्णायक रूप से यह निर्धारित या अधिदेशित नहीं किया है कि कम आरओसीई को सभी उद्योगों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, बल्कि यह संकेत दिया है कि उचित आय का निर्धारण मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए।

100. प्राधिकारी का मानना है कि यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई प्रथा के संदर्भ को स्थानीय परिस्थितियों, कानूनी मानकों और औद्योगिक प्रथाओं पर गहन विचार किए बिना भारतीय नियामक ढाँचे में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यूरोपीय संघ और भारत के बीच आर्थिक संदर्भ, नियामक ढाँचे और प्रक्रियात्मक मानक काफी भिन्न हैं।

101. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने भारत को अपने निर्यात लेनदेन में एक व्यापारी के अस्तित्व का खुलासा किया है और ये तृतीय पक्ष निर्यात चैनल और मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि निर्यात मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने वाली सभी संस्थाओं को इसमें भाग लेना चाहिए और पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

102. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया कि पंजीकृत हितधारक सूची में से, वीएमआई द्वारा उल्लिखित निर्यात में शामिल तृतीय पक्ष ने जाँच में भाग नहीं लिया है, जिससे भारत में असंबंधित ग्राहक के लिए निर्यात कीमत के उचित निर्धारण हेतु आवश्यक जानकारी में कमी आई है।

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जाँचों में, सटीक पाटन मार्जिन गणना के लिए निर्यात कीमत में वृद्धि के संबंध में पूरी जानकारी आवश्यक है। जब निर्यात सौंपे गए समझौतों के तहत किए जाते हैं, जिसमें मध्यस्थ वस्तुओं की भौतिक आवाजाही या वित्तीय लेनदेन में शामिल होता है, तो निर्यात मूल्य वृद्धि का पूरा निर्धारण तभी किया जा सकता है जब श्रृंखला में सभी संस्थाओं द्वारा जानकारी प्रदान की जाए।

104. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन की गणना में इस मुद्दे की जाँच की है।

## छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

### छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध:

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया प्रतीत होता है और निर्यात बाजारों में वास्तविक प्रचलित वाणिज्यिक वास्तविकताओं या लेन-देन मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

ii. उत्पादकों/निर्यातकों ने दावा किया कि उन्होंने प्राधिकारी को विस्तृत और सत्यापित आँकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें प्रश्नावली के उत्तर, डेस्क सत्यापन आँकड़े और अनुवर्ती स्पष्टीकरण शामिल हैं। प्रदान किए गए आँकड़ों में बिक्री लेनदेन, लागत तत्व, मूल्य संरचना और बाजार व्यवहार की जानकारी शामिल है।

iii. उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा अनुरोध सत्यापित और वास्तविक आँकड़ों के आधार पर सख्ती से किया जाना चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित सामान्य मूल्यों या काल्पनिक मान्यताओं पर निर्भरता, विशेष रूप से जहाँ निर्यातकों ने सहयोग किया है और ठोस आँकड़े अनुरोध किए हैं, के परिणामस्वरूप पाटन का गलत और बढ़ा-चढ़ाकर आकलन होगा। उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी से पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) और नियम 10 के अंतर्गत अपेक्षित निष्पक्ष तुलना के सिद्धांतों को लागू करने का आग्रह किया।

### छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

106. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को वियतनामी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संबंधित पक्षकारों को की गई सभी घरेलू बिक्री का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ऐसे लेनदेन व्यापार के सामान्य क्रम में और बिना किसी पूर्वधारणा के किए गए थे।

ii. यदि कीमतें बिना किसी पूर्वधारणा के नहीं पाई जाती हैं, तो कानूनी प्रावधानों और पूर्व उदाहरणों के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी बिक्री को नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि निर्यात कीमत, व्यापार के सामान्य क्रम में, निर्यातक देश में उपभोग के लिए समान उत्पाद के लिए तुलनीय मूल्य से कम है, तो उत्पाद को पाटित किया हुआ माना जाता है।

iii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यूरोप्लास्ट समूह की संस्थाओं द्वारा दायर प्रश्नावली के अगोपनीय उत्तर में, वितरण चैनल अनुभाग के अंतर्गत यह कहा गया है कि घरेलू बाजार में संबंधित संस्थाओं को पीयूसी बेचा गया था। हालाँकि, संबंधित पक्षकारों को घरेलू बिक्री के संबंध में सहायक दस्तावेजों के लिए पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, दिया किया गया उत्तर यह था कि ऐसी कोई घरेलू बिक्री नहीं हुई थी। यह आंतरिक असंगति इंगित करती है कि घरेलू बिक्री की प्रकृति के बारे में अस्पष्टता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि जहाँ वितरण चैनल संबंधित पक्ष के लेन-देन की पुष्टि करता है, लेकिन सहायक दस्तावेजों से इनकार किया जाता है, इससे यह संभावना उत्पन्न होती है कि निर्यातक ने प्राधिकारी को पूरी जानकारी प्रदान नहीं की है। ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी को संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी घरेलू बिक्री लेनदेन का सत्यापन करना चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वह निर्यातक देश के घरेलू बाजार में यूरोप्लास्ट समूह के साथ-साथ अन्य उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री की जाँच और सत्यापन करे। यदि संबंधित पक्ष लेनदेन मौजूद हैं, तो उनकी आर्म्स लेंथ प्रकृति की जाँच की जानी चाहिए। सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल व्यापार के सामान्य क्रम में किए गए लेनदेन पर आधारित होना चाहिए, और सभी गैर-आर्म्स लेंथ लेनदेन को बाहर रखा जाना चाहिए।

v. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वीएमआई) ने भारत को अपने निर्यात लेनदेन में एक व्यापारी के अस्तित्व का खुलासा किया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वीएमआई निर्यात लेनदेन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से काम करती है। यह तीसरा पक्ष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का पालन करता है और वीएमआई की ओर से भुगतान प्राप्त करता है। वीएमआई के इस दावे के बावजूद कि स्वामित्व उनके पास ही रहता है, ये तीसरे पक्ष निर्यात चैनल और मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं।

vi. पाटनरोधी जाँच में, निर्यात मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने वाली सभी संस्थाओं को भाग लेना चाहिए और पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। घरेलू उद्योग का कहना है कि इन मध्यस्थों में से प्रत्येक के लिए जाँच के दौरान सहयोग करना और प्राधिकारी द्वारा माँगी गई जानकारी अनुरोध करना आवश्यक होगा। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वर्तमान जाँच में पंजीकृत हितधारक सूची से ऐसा प्रतीत होता है कि वीएमआई द्वारा उल्लिखित निर्यात में शामिल तृतीय पक्ष ने जाँच में भाग नहीं लिया है। जाँच से उक्त पक्ष की अनुपस्थिति भारत में असंबंधित ग्राहकों के लिए निर्यात मूल्य के उचित निर्धारण हेतु आवश्यक जानकारी में अंतराल पैदा करती है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि तृतीय पक्ष निर्यातकों सहित निर्यात श्रृंखला में सभी संस्थाओं से पूर्ण जानकारी के अभाव में, वीएमआई के उत्तर को व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारण के उद्देश्य से अपूर्ण और अपूर्ण माना जाना चाहिए।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

107. धारा के अधीन (ग)(1) क 9, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा* (ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण*

*ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा*: (*क*) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो*; *अथवा* (*ख*) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत*: *परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

108. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध अनुरोधों की जाँच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, सामान्य मूल्य से तात्पर्य व्यापार के सामान्य क्रम में, समान वस्तु के लिए, जब वह निर्यातक देश में उपभोग के लिए हो, नियमों के अनुसार निर्धारित तुलनीय मूल्य से है।

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर अनुरोध किए हैं:

i) यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी

ii) पॉलीफ़िल संयुक्त स्टॉक कंपनी

iii) नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी

iv) येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी

v) ए डोंग प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी

vi) विटाप्लास संयुक्त स्टॉक कंपनी

vii) वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल संयुक्त स्टॉक कंपनी

viii) एन तिएन इंडस्ट्रीज संयुक्त स्टॉक कंपनी

ix) जीसीसी मिनरल्स जेएससी

x) वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी

xi) फिलर मास्टरबैच संयुक्त स्टॉक कंपनी

xii) यूएस मास्टरबैच संयुक्त स्टॉक कंपनी

xiii) यूएस एमबी जेएससी हंग येन ब्रांच

110. उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि सहयोगी विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा अनुरोध सत्यापित और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ही पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाना चाहिए। इन पक्षकारों ने तर्क दिया कि निर्मित सामान्य मूल्यों या काल्पनिक मान्यताओं पर निर्भरता के परिणामस्वरूप पाटन का गलत और बढ़ा-चढ़ाकर आकलन किया जाएगा।

111. प्राधिकारी यह पाते हैं कि जहाँ भी वियतनामी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सहयोग का स्तर संतोषजनक रहा है, वहाँ प्राधिकारी ने व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है।

112. इस तर्क के संबंध में कि सामान्य मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित नहीं होना चाहिए क्योंकि वह बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनके स्वयं के उत्तरों पर आधारित है। असहयोगी उत्पादकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है। इस संबंध में, पाटनरोधी समझौते में स्पष्ट है कि "यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार प्राधिकारियों से प्रासंगिक जानकारी छिपाई जा रही है, तो यह स्थिति उस पक्ष के लिए कम अनुकूल परिणाम उत्पन्न कर सकती है, बजाय इसके कि यदि पक्ष सहयोग करता"। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करना उचित है।

**छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**

**वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य**

**यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट"), येन बाई, यूरोपीय प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई"), नघे, एक यूरोपीय प्लास्टिक एक सदस्य सीमित देयता कंपनी ("नघे") और पॉलीफ़िल संयुक्त स्टॉक कंपनी ("पॉलीफ़िल") (सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट समूह" कहा जाता है) के लिए सामान्य मूल्य**

**सामान्य मूल्य का निर्धारण - यूरोपप्लास्ट समूह**

113. यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट"), येन बाई, यूरोपीय प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई"), नघे, एक यूरोपीय प्लास्टिक एक सदस्य सीमित देयता कंपनी ("नघे") और पॉलीफ़िल संयुक्त स्टॉक कंपनी ("पॉलीफ़िल"), यूरोपप्लास्ट समूह के अंतर्गत वियतनाम में पीयूसी के संबंधित उत्पादक हैं। यूरोपप्लास्ट, येनबाई, नघे और पॉलीफ़िल ने पीयूसी के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। सभी संस्थाओं ने वियतनाम के घरेलू बाजार में भी पीयूसी की बिक्री की है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की उनकी घरेलू बिक्री के आधार पर प्रत्येक इकाई के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू की है।

**यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")**

114. यूरोप्लास्ट ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं, जबकि इसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

115. यह देखा गया है कि घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की कुल बिक्री में से, यूरोप्लास्ट ने घरेलू बाजार में असंबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन और संबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है। संबंधित पक्ष को की गई बिक्री में से, यूरोप्लास्ट ने [***] मीट्रिक टन पीयूसी अपने एक संबंधित पक्ष, नघे को बेचा है,

जिसने इसे घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को पुनर्विक्रय किया है। यूरोप्लास्ट ने घरेलू बाजार में संबंधित उपयोगकर्ता, एब्बे वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("एब्बे") को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है।

116. तदनुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को यूरोप्लास्ट के बिक्री कीमत और स्वतंत्र ग्राहक को यूरोप्लास्ट के संबंधित पक्षकारों के पुनर्विक्रय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। एबे को की गई बिक्री के लिए, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या बिक्री आर्म्स लेंथ आधार पर थी। चूँकि ऐसी बिक्री की कीमत असंबद्ध ग्राहकों को की गई कीमतों से कम है, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं माना है।

117. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जहाँ पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभदायक बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पीसीएन के लिए, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उस पीसीएन की सभी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

118. सभी घरेलू बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध करा दी गई है। यूरोप्लास्ट ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और अन्य खर्चों के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। अन्य खर्चों को छोड़कर दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। यूरोप्लास्ट के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**<u>येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("येन बाई")</u>**

119. येन बाई ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

120. यह देखा गया है कि घरेलू बाजार में कुल पीयूसी बिक्री में से, येन बाई ने घरेलू बाजार में असंबंधित पक्षकारों को सीधे [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है। इसके अतिरिक्त, येन बाई ने घरेलू बाजार में संबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है। संबंधित पार्टी को की गई उपरोक्त घरेलू बिक्री में से, [***] एमटी पीयूसी घरेलू बाजार में संबंधित उपयोगकर्ता अर्थात् एबी वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("एबी") को बेची गई।

121. तदनुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को येनबाई के बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। एबे को विक्रय के लिए, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या विक्रय आर्म्स लेंथ आधार पर किया गया था। चूँकि ऐसी विक्रय की कीमतें असंबद्ध ग्राहकों को की गई कीमतों से कम हैं, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी विक्रय को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं माना है।

122. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू विक्रय लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जहाँ पीसीएन के लिए 80% से कम विक्रय लाभ पर किए गए थे, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभदायक

विक्रय के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पीसीएन के लिए, जहाँ 80% से अधिक विक्रय लाभ पर किए गए थे, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उस पीसीएन की सभी विक्रय के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। लाभ पर बिक्री की नगण्य मात्रा वाले पीसीएन के लिए, सामान्य मूल्य उत्पादन लागत, साथ ही विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए उचित योग के आधार पर निर्धारित किया गया है।

123. सभी घरेलू बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में अनुरोध की गई है।

124. येनबाई ने ऋण लागत और अन्य व्ययों के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। अन्य व्ययों को छोड़कर दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। येनबाई के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**<u>नघे एक यूरोपीय प्लास्टिक वन सदस्य सीमित देयता कंपनी ("नघे")</u>**

125. नघे ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं, जबकि इसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

126. यह देखा गया है कि घरेलू बाजार में पीयूसी की कुल बिक्री में से, नघे ने घरेलू बाजार में सीधे असंबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है। इसके अलावा, नघे ने घरेलू बाजार में अपने संबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है। घरेलू बाजार में संबंधित पक्ष को की गई घरेलू बिक्री में से, नघे ने [***] मीट्रिक टन पीयूसी अपने एक संबंधित पक्ष, अर्थात् यूरोप्लास्ट को बेचा है, जिसने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को इसे फिर से बेचा है। इसके अलावा, नघे ने घरेलू बाजार में संबंधित उपयोगकर्ता, अर्थात् एबी वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("एबी") को [***] मीट्रिक टन पीयूसी और लॉन्ग एन यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("लॉन्ग एन") को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है।

127. तदनुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को नघे के बिक्री कीमत और स्वतंत्र ग्राहक को नघे के संबंधित पक्षकारों के पुनर्विक्रय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। एबे और लॉन्ग एन को की गई बिक्री के लिए, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या बिक्री आर्म्स लेंथ आधार पर की गई थी। चूँकि ऐसी बिक्री की कीमत असंबद्ध ग्राहकों को की गई कीमतों से कम है, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं माना है।

128. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जहाँ पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभदायक बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जिन पीसीएन में 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उस पीसीएन की सभी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जिन पीसीएन की बिक्री लाभ पर नगण्य है, उनके लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत, साथ ही विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए एक उचित जोड़ के आधार पर किया गया है।

129. सभी घरेलू बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में अनुरोध कर दी गई है।

130. नघे ने समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई, ऋण लागत और अन्य खर्चों के लिए मूल्य समायोजन का दावा किया है। अन्य खर्चों को छोड़कर, दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति

दे दी गई है। नघे के लिए कारखाना-पूर्व स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**पॉलीफ़िल संयुक्त स्टॉक कंपनी ("पॉलीफ़िल")**

131. पॉलीफ़िल ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाज़ार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं, जबकि उसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

132. यह देखा गया है कि घरेलू बाज़ार में पीयूसी की कुल बिक्री में से, पॉलीफ़िल ने [***] मीट्रिक टन पीयूसी सीधे घरेलू बाज़ार में असंबंधित पक्षकारों को बेचा है। इसके अलावा, पॉलीफ़िल ने घरेलू बाज़ार में अपने संबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है। घरेलू बाज़ार में संबंधित पक्ष को की गई घरेलू बिक्री में से, पॉलीफ़िल ने [***] मीट्रिक टन पीयूसी अपने दो संबंधित पक्षकारों, अर्थात् यूरोप्लास्ट और नघे को बेचा है, जिन्होंने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाज़ार में असंबंधित ग्राहकों को इसे पुनः बेचा है। पॉलीफ़िल ने घरेलू बाज़ार में संबंधित उपयोगकर्ता, अर्थात् एब्बे को [***] मीट्रिक टन पीयूसी और लॉन्ग एन को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है।

133. तदनुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को पॉलीफ़िल के बिक्री कीमत और स्वतंत्र ग्राहकों को पॉलीफ़िल के संबंधित पक्षकारों के पुनर्विक्रय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। एबे और लॉन्ग एन को की गई बिक्री के लिए, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या बिक्री आर्म्स लेंथ आधार पर थी। चूँकि ऐसी बिक्री की कीमत असंबद्ध ग्राहकों को की गई कीमतों से कम है, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं माना है।

134. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जहाँ पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभदायक बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पीसीएन के लिए, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उस पीसीएन की सभी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

135. सभी घरेलू बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में अनुरोध की गई है।

136. पॉलीफ़िल ने समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और अन्य कटौतियों के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। अन्य कटौतियों को छोड़कर दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दे दी गई है। पॉलीफ़िल के लिए कारखाना-पूर्व स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

137. उपरोक्त के अनुसार, यूरोपप्लास्ट समूह, जिसमें यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट"), येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("येन बाई"), नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("नघे") और पॉलीफ़िल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफ़िल") शामिल हैं, के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**सामान्य मूल्य का निर्धारण - ए डोंग प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी**

138. ए डोंग प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("एडीसी प्लास्टिक") ने जांच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। एडीसी प्लास्टिक ने वियतनाम के घरेलू बाजार में भी पीयूसी की बिक्री की है। इसलिए,

प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की घरेलू बिक्री के आधार पर एडीसी प्लास्टिक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू की है।

139. एडीसी प्लास्टिक ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

140. यह देखा गया है कि एडीसी प्लास्टिक ने घरेलू बाजार में असंबंधित पक्षकारों को पीयूसी की कुल बिक्री की है। तदनुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को एडीसी प्लास्टिक के बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

141. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जहाँ पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभदायक बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पीसीएन के लिए, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उस पीसीएन की सभी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

142. सभी घरेलू बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में अनुरोध की गई है।

143. एडीसी प्लास्टिक ने अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन, क्रेडिट लागत और अन्य कटौतियों के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। एडीसी प्लास्टिक के लिए कारखाना-पूर्व स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण - एन टीएन इंडस्ट्रीज संयुक्त स्टॉक कंपनी</u>**

144. एन टीएन इंडस्ट्रीज संयुक्त स्टॉक कंपनी ("एन टीएन") ने जांच अवधि के दौरान असंबंधित भारतीय ग्राहकों को पीयूसी का निर्यात किया है। एन टीएन ने वियतनाम के घरेलू बाजार में संबंधित और असंबंधित ग्राहकों को भी पीयूसी की बिक्री की है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान पीयूसी की घरेलू बिक्री के आधार पर एन टीएन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू की है।

145. एन टीएन ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

146. यह देखा गया है कि घरेलू बाजार में पीयूसी की कुल बिक्री में से, एन टीएन ने घरेलू बाजार में असंबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है। एन टीएन ने घरेलू बाजार में संबंधित पक्षकारों को [***] मीट्रिक टन पीयूसी बेचा है।

147. संबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या बिक्री आर्म्स लेंथ आधार पर की गई थी। चूँकि ऐसी बिक्री और असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री की कीमतें समान श्रेणी में हैं, इसलिए प्राधिकारी ने व्यापार परीक्षण के सामान्य क्रम के लिए ऐसी बिक्री पर विचार किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सभी ग्राहकों को एन टीएन के बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

148. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने हेतु व्यापार परीक्षण के सामान्य क्रम का

संचालन किया है। यह देखा गया है कि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य सभी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

149. सभी घरेलू बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में अनुरोध की गई है।

150. एन टीएन ने अंतर्देशीय माल ढुलाई, कमीशन और क्रेडिट लागत के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। एन टीएन के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण - विटाप्लास संयुक्त स्टॉक कंपनी</u>**

151. विटाप्लास संयुक्त स्टॉक कंपनी ("विटाप्लास") ने जांच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। विटाप्लास ने वियतनाम के घरेलू बाजार में भी पीयूसी की बिक्री की है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान पीयूसी की घरेलू बिक्री के आधार पर विटाप्लास के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू की है।

152. विटाप्लास ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

153. यह देखा गया है कि विटाप्लास ने घरेलू बाजार में पीयूसी की कुल बिक्री असंबंधित पक्षकारों को की है। तदनुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को विटाप्लास के बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

154. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जहाँ पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभदायक बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पीसीएन के लिए, जहाँ भी घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं हुई है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के साथ-साथ विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभों में उचित वृद्धि के आधार पर किया गया है।

155. सभी घरेलू बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में अनुरोध की गई है।

156. विटाप्लास ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और पैकिंग लागत के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। विटाप्लास के लिए कारखाना-पूर्व स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**सामान्य मूल्य का निर्धारण - वियतनाम औद्योगिक खनिज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त स्टॉक कंपनी**

157. वियतनाम औद्योगिक खनिज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त स्टॉक कंपनी ("वीआईएम") ने जाँच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। वीआईएम ने वियतनाम के घरेलू बाजार में भी पीयूसी की बिक्री की है।

158. वीआईएम ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं, जबकि इसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं। भारत को किए गए कुल निर्यात में से, वीआईएम ने [***] मीट्रिक

टन सीधे भारत को बेची हैं और [***] मीट्रिक टन असंबंधित व्यापारी/सौंपे गए निर्यातक के माध्यम से भारत को बेची हैं।

159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन लागत (सीओपी) के निर्धारण हेतु आँकड़े/सूचनाएँ कई मामलों में अपूर्ण पाई गईं, यहाँ तक कि उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी, जैसे कि परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 के आँकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, और संलग्न अधिकांश परिशिष्टों और सत्यापन दस्तावेजों का अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

160. इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी संस्करण में भी इसका समर्थन नहीं किया गया था, दावे में दिए गए आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए परिशिष्ट-1 के सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-8 और परिशिष्ट-9 की उत्पादन और बिक्री मात्रा एक-दूसरे से मेल नहीं खा रही है। तदनुसार, उक्त निर्यातक उत्पादक का सीओपी का दावा अस्वीकार कर दिया गया है।

161. यह देखा गया है कि वीआईएम प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहा है। इसलिए, वीआईएम को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

**<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण - जीसीसी मिनरल्स जेएससी और वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी</u>**

162. जीसीसी मिनरल्स जेएससी ("जीसीसी") वियतनाम में पीयूसी का उत्पादक/निर्यातक है। जीसीसी ने जांच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। जीसीसी ने वियतनाम के घरेलू बाजार में भी पीयूसी की बिक्री की है। वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी ("वियत ट्रुंग") जीसीसी की सहायक कंपनी है और जांच अवधि के दौरान जीसीसी द्वारा उत्पादित पीयूसी का भारत को निर्यात करती है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान पीयूसी की घरेलू बिक्री के आधार पर जीसीसी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही की है।

163. जीसीसी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

164. तथापि, कंपनियों द्वारा अनुरोध आँकड़े/सूचनाएँ उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी कई मामलों में अपूर्ण पाई गईं, जैसे कि जाँच अवधि के लिए परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 के आँकड़े रिक्त हैं, सत्यापन के लिए अनुरोध आँकड़े एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं और छिद्रित आँकड़े हैं, परिशिष्ट-6 के आँकड़े स्क्रीनशॉट के साथ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और परिशिष्ट-6 के सभी आँकड़े छिद्रित हैं, कुछ परिशिष्टों और उत्पादकों के सत्यापन दस्तावेज़ों में अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

165. यह देखा गया है कि जीसीसी और वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहे हैं। इसलिए, व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

**<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण - फिलर मास्टरबैच संयुक्त स्टॉक कंपनी</u>**

166. फिलर मास्टरबैच संयुक्त स्टॉक कंपनी ("एफएमजेएससी") ने जाँच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। एफएमजेएससी ने वियतनाम के घरेलू बाजार में भी पीयूसी की बिक्री की है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री के आधार पर एफएमजेएससी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू की है।

167. एफएमजेएससी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं, जबकि इसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

168. तथापि, कंपनियों द्वारा अनुरोध आंकड़े/सूचना उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी कई मामलों में अपूर्ण पाए गए, जैसे कि जांच अवधि के लिए परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 के आंकड़े रिक्त हैं, सत्यापन के लिए अनुरोध आंकड़े एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं और छिद्रित आंकड़े हैं, परिशिष्ट-6 के आंकड़े स्क्रीनशॉट के साथ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और परिशिष्ट-6 के सभी आंकड़े छिद्रित हैं, कुछ परिशिष्टों और उत्पादकों के सत्यापन दस्तावेजों में अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

169. यह देखा गया है कि एफएमजेएससी अपनी पूरी क्षमता से प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रही है। इसलिए, एफएमजेएससी को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

**<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण - यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - हंग येन शाखा</u>**

170. यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूएसएमबी") ने जांच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। यूएसएमबी ने वियतनाम के घरेलू बाजार में भी पीयूसी की बिक्री की है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान पीयूसी की घरेलू बिक्री के आधार पर यूएसएमबी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू की है।

171. यूएसएमबी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

172. यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - हंग येन शाखा ("यूएसएचवाईबी"), जो यूएसएमबी का एक संबंधित उत्पादक/निर्यातक है, ने जांच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। USHYB ने वियतनाम के घरेलू बाजार में पीयूसी की कोई बिक्री नहीं की।

173. यूएसएचवाईबी ने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं। यूएसएचवाईबी की घरेलू बिक्री न होने के कारण, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्यवाही की, साथ ही बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ में उचित वृद्धि भी की।

174. तथापि, कंपनियों द्वारा अनुरोध आँकड़े/सूचनाएँ कई मामलों में अपूर्ण पाई गईं, यहाँ तक कि उन्हें अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी, जैसे कि पीओआई के लिए परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 के आँकड़े रिक्त हैं, सत्यापन के लिए अनुरोध आँकड़े एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं और छिद्रित आँकड़े हैं, परिशिष्ट-6 के आँकड़े स्क्रीनशॉट के साथ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और परिशिष्ट-6 के सभी आँकड़े छिद्रित हैं, कुछ परिशिष्टों और उत्पादकों के सत्यापन दस्तावेजों में, अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्यातक उत्पादक यूएसएचवाईबी के मामले में, आँकड़े/सूचना/सत्यापन दस्तावेज बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं कराए गए। तदनुसार, उक्त निर्यातक उत्पादकों के सीओपी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है।

175. यह देखा गया है कि यूएसएमबी और यूएसएचवाईबी प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहे हैं। इसलिए, यूएसएमबी और यूएसएचवाईबी को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

**कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक**

176. अन्य सभी निर्यातकों और असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य आधार निर्धारित किया गया है।

**वियतनाम के लिए निर्यात कीमत**

**यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट"), येन बाई, यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("येन बाई"), न्धे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("न्धे") और पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल") (सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट ग्रुप" कहा गया है) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**

**यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (यूरोप्लास्ट)**

177. यूरोप्लास्ट ने निम्नलिखित चैनलों से भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
यूरोप्लास्ट→भारत में असंबंधित उपभोक्ता
यूरोप्लास्ट →पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

178. प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की जाँच की और नोट किया कि भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की गई सभी मात्रा के लिए उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात ब्यौरे पर अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन प्रदान करने हेतु कारखानाद्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु विचार किया गया है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और अन्य कटौतियों (बैंक प्रभार) के लिए समायोजन किए गए हैं। यूरोप्लास्ट के निर्यात कीमत की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

**येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (येनबाई)**

179. येनबाई ने निम्नलिखित चैनलों से भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
येनबाई→पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी→ भारत में असंबंधित उपभोक्ता
येनबाई→यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी,→ भारत में असंबंधित उपभोक्ता

180. प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की जाँच की और नोट किया कि भारत को निर्यात की गई सभी मात्रा के लिए उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात विवरण को अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन प्रदान करने हेतु कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखा गया है। डेस्क सत्यापन के बाद ऋण लागत और अन्य कटौतियों के लिए समायोजन किए गए हैं। येनबाई के निर्यात कीमत की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख के अनुसार की गई है।

**एनजीएचई एक यूरोपीय प्लास्टिक एक सदस्यीय सीमित देयता कंपनी (एनजीएचई)**

181. एनजीएचई ने निम्नलिखित चैनलों से भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु निर्यात की है।
एनजीएचई→पॉलीफ़िल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, →भारत में असंबंधित उपभोक्ता
एनजीएचई→यूरोपीय प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी,→भारत में असंबंधित उपभोक्ता

182. प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की जाँच की और नोट किया कि भारत को निर्यात की गई सभी मात्रा के लिए उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात विवरण को अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन प्रदान करने हेतु कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखा गया है। डेस्क सत्यापन के बाद ऋण लागत और अन्य कटौतियों के लिए समायोजन किए गए हैं। एनजीएचई के निर्यात कीमत की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख के अनुसार की गई है।

**<u>पॉलीफ़िल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (पॉलीफ़िल)</u>**

183. पॉलीफ़िल ने निम्नलिखित चैनलों के जरिए भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु निर्यात की है।

पॉलीफ़िल →भारत में असंबंधित उपभोक्ता

पॉलीफ़िल→यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी,भारत में →असंबंधित उपभोक्ता

184. प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की जाँच की और नोट किया कि भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की गई सभी मात्रा के लिए उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात ब्यौरे पर अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन प्रदान करने हेतु कारखानाद्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु विचार किया गया है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और संबंधित व्यय, ऋण लागत और अन्य कटौतियों के लिए समायोजन किए गए हैं। पॉलीफिल के निर्यात कीमत की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख के अनुसार की गई है।

185. उपरोक्त के अनुसार, यूरोपाप्लास्ट समूह, जिसमें यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट"), येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("येन बाई"), न्घे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("न्घे") और पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल") शामिल हैं, के लिए भारित औसत निर्यात कीमत की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख के अनुसार की गई है।

**<u>एन डोंग प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (एडीसी प्लास्टिक) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>**

186. एडीसी प्लास्टिक ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

187. निर्यात कीमत का निर्धारण एडीसी प्लास्टिक द्वारा भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं से ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य प्रभारों के लिए समायोजन किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

**<u>एन टीएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (एन टीएन) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>**

188. एन टीएन ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे [***] संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

189. निर्यात कीमत का निर्धारण एन टीएन द्वारा भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं से ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं।

दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

**<u>विटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (विटाप्लास) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>**

190. विटाप्लास ने निम्नलिखित चैनलों के जरिए भारत में संबद्ध वस्तु का [***] मीट्रिक टन निर्यात किया है।
विटाप्लास → भारत में का असंबंधित उपभोक्ता

191. उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात विवरण को अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन प्रदान करने हेतु कारखानाद्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु विचार किया गया है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और संबंधित व्यय तथा पैकिंग लागत के लिए समायोजन किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

**<u>वियतनाम औद्योगिक खनिज अंतर्राष्ट्रीय ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (वीआईएम) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>**

192. वीआईएम ने निम्नलिखित चैनलों के जरिएसॉ (भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
वीआईएम →भारत में असंबंधित उपभोक्ता
वीआईएम →में असंबंधित निर्यातक/ सौंपी गई निर्यात कंपनी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

193. सौंपे गए निर्यातक को बिक्री के मामले में, सौंपे गए निर्यातक ने जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही ईक्यूआर प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे सौंपी गई निर्यातक के माध्यम से किया गया निर्यात, वीआईएम द्वारा भारत को किए गए कुल निर्यात का 30 प्रतिशत से अधिक है। प्राधिकारी यह जाँच और पुष्टि नहीं कर सके कि ऐसे निर्यातक ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात लाभ पर किया है या हानि पर। यह देखा गया है कि वीआईएम, प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रही है। अत:, वीआईएम को अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

**जीसीसी मिनरल जेएससी (जीसीसी) और वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**

194. जीसीसी ने निम्नलिखित चैनलों के जरिए भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु निर्यात की हैं:
जीसीसी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता
जीसीसी निर्यातक→ भारत में असंबंधित उपभोक्ता

195. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़े/सूचनाएं उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी कई मामलों में अपूर्ण पाई गई थीं। संबंधित निर्यातक को बिक्री के मामले में, प्राधिकारी यह जाँच और पुष्टि नहीं कर सकें कि क्या संबंधित निर्यातकों ने संबद्ध वस्तु लाभ/हानि पर पुन: बिक्री की है या नहीं, क्योंकि परिशिष्ट 5 अपूर्ण था। यह देखा गया है कि जीसीसी और वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इसलिए, जीसीसी और वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जेएससी को अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

**<u>फिलर मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (एफएमजेएससी) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>**

196. एफएमजेएससी ने निम्नलिखित चैनलों के जरिए भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

एफएमजेएससी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

197. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़े/सूचना कई मामलों में अपूर्ण पाई गई है, जिनमें रिक्त/अधूरे प्रारूप प्रस्तुत करना, अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी पीसीएन की सूचना न देना शामिल है। एफएमजेएससी प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रही है। अत:, एफएमजेएससी को अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

**<u>यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (यूएसएमबी) और यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - हंग येन ब्रांच (यूएसएचवाईबी) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>**

198. यूएसएमबी ने निम्नलिखित चैनलों के जरिए भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
यूएसएमबी→ भारत में असंबंधित उपभोक्ता

199. यूएसएमबी ने निम्नलिखित चैनलों के जरिए भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
यूएसएमबी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

200. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े/सूचना कई मामलों में अपूर्ण पाई गई है, जिनमें उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी रिक्त/अधूरे प्रारूप प्रस्तुत करना शामिल है। यह देखा गया है कि यूएसएमबी और यूएसएचवाईबी प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहे हैं। इसलिए, यूएसएमबी और यूएसएचवाईबी को अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान नहीं करने का प्रस्ताव है।

**<u>कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक</u>**

201. अन्य सभी निर्यातकों और असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

**<u>संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन</u>**

202. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जाँच में अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई मानना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन निर्धारित करना प्राधिकारी की एक सतत प्रथा रही है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग पाटन मार्जिन की गणना करने से पाटनरोधी उपायों की अवहेलना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को न्यूनतम व्यक्तिगत पाटन मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात भेजने के द्वारा सक्षम बनाकर, उन्हें निष्प्रभावी किया जा सकता है।

203. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक ही इकाई माना गया और उन्हें एक ही पाटन मार्जिन दिया गया था, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी। क्षति मार्जिन का निर्धारण भी इसी प्रकार किया गया है।

**पाटन मार्जिन तालिका**

| क्र.सं. | उत्पादक | सामान्य मूल्य | निर्यात कीमत | पाटन मार्जिन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूएसडी/एमटी | यूएसडी/एमटी | यूएसडी/एमटी | प्रतिशत | रेंज |
| 1 | यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट"), | *** | *** | *** | *** | 10-20 प्रतिशत |
| 2 | येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("येनबाई") | *** | *** | *** | *** | 10-20 प्रतिशत |
| 3 | न्घे एक यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("न्घे") | *** | *** | *** | *** | 10-20 प्रतिशत |
| 4 | पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल") (सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट ग्रुप" कहा जाता है) | *** | *** | *** | *** | 10-20 प्रतिशत |
| 5 | एडीसी प्लास्टिक, जेएससी | *** | *** | *** | *** | 10-20 प्रतिशत |
| 6 | एन टिएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 7 | विटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (विटाप्लास) | *** | *** | *** | *** | 10-20 प्रतिशत |
| 8 | अन्य | *** | *** | *** | *** | 30-40 प्रतिशत |

204. वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

**ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच**

**ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

205. क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आधार वर्ष और जाँच अवधि के बीच पीयूसी की घरेलू माँग 6,30,693 मीट्रिक टन से 35 प्रतिशत बढ़कर 8,54,318 मीट्रिक टन हो गई। याचिकाकर्ताओं और अन्य भारतीय उत्पादकों ने अपनी घरेलू बिक्री में क्रमशः 16 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वृद्धि की, जो दर्शाता है कि आयात मुख्य रूप से घरेलू उत्पादकों को विस्थापित करने के बजाय बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए बढ़ा था।

ii. मात्रात्मक प्रभाव के नहीं होने के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। आयात में वृद्धि माँग में वर्ष दर वर्ष स्वस्थ वृद्धि और उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं का परिणाम है।

iii. वियतनाम से आयात मात्रा आधार वर्ष में 48,155 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 1,63,377 मीट्रिक टन हो गई, जबकि कुल घरेलू मांग/खपत 6,30,693 मीट्रिक टन से बढ़कर 8,54,318 मीट्रिक टन हो गई।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा कुल उत्पादन 2,15,181 मीट्रिक टन से बढ़कर 2,50,685 मीट्रिक टन हो गया और घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री 1,90,683 मीट्रिक टन से बढ़कर 2,21,794 मीट्रिक टन हो गई। घरेलू मांग में वृद्धि की दर घरेलू उत्पादकों द्वारा बिक्री में वृद्धि की दर से काफी अधिक रही थी।

v. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की बिक्री लागत के आधार पर संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत एक साथ वृद्धि हुई। 2021-22 में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की बिक्री लागत में 22 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई और तदनुसार, संबद्ध आयात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई। 2021-22 और 2022-23 के बीच बिक्री लागत में वृद्धि हुई और संबद्ध आयात की कीमतों और घरेलू बिक्री कीमतों दोनों में वृद्धि हुई, जिसमें संबद्ध आयात की कीमतों में घरेलू बिक्री कीमतों की तुलना में अधिक दर से वृद्धि हुई।

vi. पीयूसी की वैश्विक कीमतें भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं, घरेलू उद्योग के निर्यात कीमत वैश्विक कीमतों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होने के कारण संबद्ध आयात की कीमतों के अनुरूप चलते हैं। घरेलू उद्योग आधार वर्ष में भी लाभहीन था, जब संबद्ध आयात का बाजार में केवल 7.6 प्रतिशत हिस्सा था, जो दर्शाता है कि क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं हुई है। संबद्ध आयात की मात्रा में उतार-चढ़ाव के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घाटा बना रहा था।

vii. संबद्ध आयात की पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की कीमतें समानांतर रूप से बढ़ीं, घरेलू उद्योग की कीमतें आधार वर्ष के 100 अंक से जाँच अवधि में 108 अंक हो गईं, जबकि पहुँच कीमत इसी अवधि में 100 से 107 अंक हो गया। तथापि, लागत में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और लाभ में कथित गिरावट को आयात के बजाय लागत में वृद्धि से जोड़ा जाना चाहिए।

viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में सकारात्मक रुझान दर्शाते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए।

क. स्थापित क्षमता 4,15,302 मीट्रिक टन से बढ़कर 4,82,020 मीट्रिक टन हो गई (+16.08 प्रतिशत वृद्धि)।

ख. क्षमता उपयोग 61 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया (+4.92 प्रतिशत वृद्धि)।

ग. उत्पादन मात्रा 2,15,181 मीट्रिक टन से बढ़कर 2,50,685 मीट्रिक टन हो गई (+16.49 प्रतिशत वृद्धि)।

घ. घरेलू बिक्री 1,90,683 मीट्रिक टन से बढ़कर 2,21,794 मीट्रिक टन हो गई (+16.30 प्रतिशत वृद्धि)।

ङ. कर्मचारियों की संख्या 1,001 से बढ़कर 1,224 हो गई (+22.23 प्रतिशत वृद्धि)।

च. वेतन और मजदूरी में +38.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

छ. प्रति दिन उत्पादकता में +16.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ix. क्षमता में वृद्धि के बावजूद, उत्पादक क्षमता उपयोग में सुधार करने में सक्षम रहे। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू बिक्री की मात्रा में 16.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में निर्यात बिक्री की मात्रा में 1.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पादन, मजदूरी, कर्मचारियों की संख्या, प्रतिदिन उत्पादकता, नियोजित पूंजी सहित सभी आर्थिक मापदंडों ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सकारात्मक रुझान दर्शाया।

x. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि 2020-21 और जांच की अवधि के बीच प्रति इकाई बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में क्रमशः 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को हुए नुकसान, निवल

बिक्री प्राप्ति की तुलना में बिक्री लागत में वृद्धि के अंतर के कारण असमान रूप से बढ़े। लाभप्रदता में इस भारी गिरावट को संबद्ध आयातों द्वारा कम बाजार पहुंच या मूल्य निर्धारण दबाव से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

क. पीबीटी (कर-पूर्व लाभ) -100 से घटकर -265 (-165.00 प्रतिशत) रह गया।

ख. ब्याज लागत 100 से बढ़कर 154 (+54.00 प्रतिशत) हो गई।

ग. पीबीआईटी (ब्याज और कर-पूर्व लाभ) -100 से घटकर -421 (-321.00प्रतिशत) रह गया।

घ. पीबीडीआईटी (मूल्यह्रास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ) 100 से घटकर -431 (-531.00प्रतिशत) रह गया।

ङ. नकद लाभ -100 से घटकर -576 (-476.00प्रतिशत) रह गया।

xi. सकल बिक्री मूल्य और प्रति इकाई औसत बिक्री मूल्य दोनों में वृद्धि के संदर्भ में घरेलू उद्योग के घाटे में भारी वृद्धि विशेष रूप से संदिग्ध है। बिक्री लागत में इसी प्रकार की कोई भारी वृद्धि न होने के कारण घरेलू उद्योग के घाटे में यह वृद्धि घरेलू उद्योग के संचालन में आंतरिक अक्षमताओं की उपस्थिति को दर्शाती है।

xii. हितबद्ध पक्षकारों ने बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य आवेदकों के बीच निष्पादन में उल्लेखनीय असमानता को भी उजागर किया। जहाँ समग्र घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता मानकों में गिरावट दिखाई, वहीं बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने असाधारण निष्पादन किया:

क. पीबीटी में -100 से बढ़कर 762 की वृद्धि हुई।

ख. पीबीआईटी -100 से बढ़कर 68210 वृद्धि हुई।

ग. नकद लाभ -100 से बढ़कर 762 वृद्धि हुई।

घ. आरओआई -100 से बढ़कर 657101 वृद्धि हुई।

xiii. बजाज प्लास्ट और अन्य आवेदकों के बीच निष्पादन में यह भारी अंतर दर्शाता है कि बजाज प्लास्ट के निष्पादन के विवरण में जाने से अन्य उत्पादकों के घाटे के कारणों का पता चलेगा। ऐसी जाँच संगत है क्योंकि घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि में घाटे का दावा किया था, किंतु बजाज प्लास्ट ने उसी अवधि में लाभ कमाया। अनेक उत्पादक विरासत संबंधी मुद्दों और अक्षमताओं के कारण नुकसान उठा रहे हैं।

xiv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि आयात की मात्रा और कीमत तथा घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच विपरीत संबंध है। जब वियतनाम से आयात कीमत आधार वर्ष में 24,315 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 26,114 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई, तो आवेदकों को होने वाले घाटे में वृद्धि हुई।

xv. जब आयात आधार वर्ष में 48,155 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 100,122 मीट्रिक टन हो गया, तो पीबीआईटी के संदर्भ में लाभ -100 से घटकर -410 अंक रह गया। तथापि, जब आयात 2022-23 में 100,122 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 163,377 मीट्रिक टन हो गया, तो पीबीआईटी केवल -410 से घटकर -421 रह गया, जो आयात में वृद्धि की उच्च दर होने पर लाभ में कम गिरावट दर्शाता है।

xvi. पीबीआईटी में सर्वाधिक गिरावट (239प्रतिशत) आधार वर्ष और 2021-22 के बीच हुई, जिसके दौरान संबद्ध आयात में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगले वर्ष, घरेलू उद्योग के घाटे में कमी आई, यद्यपि 2021-22 से 2022-23 तक आयात में वास्तविक वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिक थी। जब आयात में सर्वाधिक वृद्धि जाँच अवधि से पहले हुई, तो घरेलू उद्योग के घाटे पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। घरेलू उद्योग के घाटे और संबद्ध आयातों के बीच अनुरूपता का अभाव है।

xvii. आयातकों ने संबद्ध आयातों के अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले अनेक कारकों की पहचान की है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष में भी लाभहीन था, जब संबद्ध आयातों का बाजार में केवल 7.6 प्रतिशत हिस्सा था।

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मुख्य रूप से क्षमता विस्तार के कारण बढ़ते मूल्यह्रास और ब्याज व्यय के कारण घटी है। घरेलू उद्योग ने मूल्यह्रास, ब्याज लागत, बिक्री लागत और शुद्ध अचल संपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है।

xviii. घरेलू उद्योग और वियतनाम के उत्पादकों के बीच प्रौद्योगिकी में काफी अंतर है। घरेलू उद्योग एकल स्क्रू एक्सट्रूज़न प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, जबकि संबद्ध निर्यातक उन्नत ट्विन/ट्रिपल स्क्रू एक्सट्रूज़न का उपयोग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उच्च बहुलक सामग्री, अधिक बिजली और स्नेहन और मलेशियाई सीएसीओ$_3$ जैसी महंगी कच्ची सामग्री का उपयोग हुआ। घरेलू उत्पादक सस्ते वियतनाम के सीएसीओ$_3$ की कठोरता के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते।

xix. घरेलू उत्पादकों और अंतिम प्रयोक्ताओं के बीच दीर्घकालिक ऋण आधारित आपूर्ति संबंधों के कारण, संबद्ध आयातकों को बाजार में प्रवेश करने में संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं को बदलने के लिए व्यावसायिक हतोत्साहन होता है। घरेलू उत्पादकों को आयातित सीएसीओ$_3$ को अपने उत्पादन स्थलों, विशेष रूप से पत्तनों से दूर स्थित स्थलों तक पहुँचाने के लिए काफी अंतर्देशीय भाड़ा लागत वहन करनी पड़ती है, जिससे घरेलू उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है।

xx. कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने आपत्ति जताई है कि वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित दावे विलंबित हैं क्योंकि ऐसी कोई चर्चा याचिका का हिस्सा नहीं थी और वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच करने के बारे में जाँच शुरू करने का कोई विशिष्ट तरीका नहीं है। याचिका में वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में केवल दावा है, लेकिन संगत मापदंडों पर आधारित कोई जानकारी नहीं है।

xxi. जाँच की शुरूआत के समय, प्राधिकारी के पास वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच को उचित ठहराने के लिए कोई जानकारी नहीं थी। घरेलू उद्योग को कथित रूप से हुई वास्तविक क्षति की जाँच के लिए जाँच शुरू करने के बाद, आवेदकों को अपना लक्ष्य वास्तविक क्षति के खतरे में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

xxii. एक भागीदार उत्पादक ने दावा किया कि उसने क्षति अवधि में अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई और कंपनी वियतनाम तथा अन्य देशों में मज़बूत बाज़ार का लाभ उठा रही है। भारत में माँग की तुलना में कंपनी के पास उपलब्ध क्षमता महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे पक्षकार से निर्यात भारतीय घरेलू उद्योग के लिए कोई ख़तरा नहीं है।

xxiii. कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि वर्तमान जाँच आवेदक उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का विश्लेषण करने के लिए शुरू की गई है न कि वास्तविक क्षति के खतरे के लिए। इसलिए प्राधिकारी को अपनी जाँच केवल वास्तविक क्षति तक ही सीमित रखनी चाहिए, न कि वास्तविक क्षति के खतरे तक। जाँच शुरूआत अधिसूचना में खतरे के मापदंडों की जाँच शामिल नहीं है, जबकि अन्य हाल की जाँचों में प्राधिकारी खतरे के मापदंडों को दर्ज करते हैं और उनकी जाँच शुरूआत अधिसूचना में करते हैं।

**ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

206. क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वियतनाम से आयात 2020-21 में 48,155 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 163,377 मीट्रिक टन हो गया, जो 239 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारतीय मांग में संबद्ध देश के आयातों का हिस्सा 2020-21 में 8 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 19 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में भारतीय उत्पादन के संबंध में इन आयातों का हिस्सा 8 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। जबकि घरेलू मांग 2020-21 में 630,693 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 854,318 मीट्रिक टन हो गई, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में वृद्धि मांग में वृद्धि से कम रही, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ था और आयातों द्वारा उसका स्थान ले लिया गया।

ii. घरेलू उद्योग ने प्रदर्शित किया कि आयात में वृद्धि समग्र रूप से और बाजार में पैठ के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कुल मांग में आयात के बढ़ते हिस्से से पता चलता है कि ये आयात भारतीय बाजार के बढ़ते हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग की भारतीय उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने की क्षमता सीमित हो रही है। बाजार की मांग में वृद्धि काफी हद तक आयातों द्वारा नियंत्रित हुई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही मात्रात्मक क्षति को दर्शाता है।

iii. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती को दर्शाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए। 2020-21 में निवल बिक्री कीमत *** अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन थी, जो जांच अवधि में घटकर *** अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन हो गई, जबकि पहुंच कीमत *** अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से घटकर *** अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन हो गयी। इस अवधि के दौरान कीमत कटौती 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच रही। वियतनाम से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत में लगातार कटौती की थी।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसे घरेलू बाजार में पीयूसी को बिक्री लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे उसे सभी वर्षों में घाटा हुआ है। 2020-21 में बिक्री लागत *** रुपये/मीट्रिक टन थी जो जांच की अवधि में बढ़कर *** रुपये/मीट्रिक टन हो गई, जबकि बिक्री कीमत 2020-21 में *** रुपये/मीट्रिक टन और जांच की अवधि में *** रुपये/मीट्रिक टन थी।

v. पहुँच कीमत लगातार घरेलू बिक्री कीमत से कम रही, जिससे कीमतों में भारी गिरावट और मंदी का संकेत मिलता है। कम कीमत वाले आयातों के दबाव के कारण बढ़ती लागत के बावजूद घरेलू उद्योग कीमतें बढ़ाने में असमर्थ रहा।

vi. बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग ने उत्पादन क्षमता 2020-21 में 415,302 मीट्रिक टन से बढ़ाकर जांच की अवधि में 482,020 मीट्रिक टन कर दी। तथापि, कम कीमत वाले पाटित आयातों में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई। उत्पादन 2021-22 में 259,084 मीट्रिक टन से घटकर जांच की अवधि में 250,685 मीट्रिक टन हो गया। बढ़ती माँग के बावजूद, क्षमता उपयोग 2021-22 और 2022-23 में 66 प्रतिशत से घटकर जाँच अवधि में 64 प्रतिशत रह गई।

vii. आवेदक घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 30 प्रतिशत से घटकर जाँच अवधि के दौरान 26 प्रतिशत हो गई। अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी भी इसी अवधि में 8 प्रतिशत कम हुई। संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 8 प्रतिशत से बढ़कर जाँच अवधि में 19 प्रतिशत हो गई। अन्य देशों से आयात कुल आयात का मात्र 1 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि मुख्य रूप से अकेले संबद्ध देश से हुई है।

viii. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता में भारी गिरावट प्रदर्शित की।

क. लाभ/हानि 2020-21 में *** लाख रुपये से घटकर जाँच अवधि में *** लाख रुपये रह गई।

ख. नकद लाभ *** लाख रुपये से घटकर *** लाख रुपये रह गया।

ग. नियोजित पूंजी पर आय पूरे समय नकारात्मक रही, जो *** प्रतिशत से घटकर *** प्रतिशत रह गयी।

घ. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष 2020-21 से घाटा हुआ और आक्रामक पाटन के कारण क्षति अवधि में घाटा बढ़ता गया।

ix. औसत मालसूची 2020-21 में 5,008 मीट्रिक टन से लगातार बढ़कर जांच अवधि में 7,502 मीट्रिक टन हो गई, जो आधार वर्ष से 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। आरंभिक मालसूची 5,064 मीट्रिक टन से बढ़कर 6,340 मीट्रिक टन और अंतिम मालसूची 4,953 मीट्रिक टन से बढ़कर 8,664 मीट्रिक टन हो गई। बिना बिके स्टॉक के संचय से वित्तीय तनाव और क्षमता उपयोग में कमी आई।

x. घरेलू उद्योग के सभी मात्रा मानदंड जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। सभी कीमत मानदंड क्षति अवधि और जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। बाजार हिस्सेदारी नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है जबकि औसत मालसूची बढ़ी है, जो पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है।

xi. यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का विस्तार तो किया है, किंतु वह वर्तमान क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ है और बढ़ती पाटन के कारण घाटा उठा रहा है। घरेलू उद्योग तब तक नया निवेश करने से अनिच्छुक है जब तक कि मौजूदा क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो जाता।

xii. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.7 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (vii) का उल्लेख किया, जिसमें प्रावधान है कि वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा, न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना के आधार पर।

xiii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पाटित आयात वित्त वर्ष 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 131 सूचकांक अंक हो गया, फिर वित्त वर्ष 2022-23 में 208 सूचकांक अंक तक बढ़कर अंततः जांच अवधि में 339 सूचकांक अंक हो गया। संबद्ध आयात आधार वर्ष से जांच अवधि तक पर्याप्त वृद्धि दर्शाते हैं। वृद्धि की इतनी महत्वपूर्ण दर भविष्य में आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को इंगित करती है।

xiv. घरेलू उद्योग ने वियतनाम के प्रमुख उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं के आँकड़े उपलब्ध कराए। वियतनाम की घरेलू माँग उत्पादन स्तर से कम है, जिससे अधिशेष उत्पादन हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्यात बाज़ारों के लिए है। इन अतिरिक्त क्षमताओं के कारण इस बात की प्रबल संभावना है कि वियतनाम के उत्पादक भारत को पर्याप्त मात्रा में निर्यात करेंगे।

xv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसे लागत से कम पर बिक्री के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे उसे सभी वर्षों में घाटा उठाना पड़ा है। पहुँची हुई कीमतें पीयूसी के लिए भारतीय कीमतों को काफी कम कर देती हैं। कम कीमतों पर आयात के कारण जाँच अवधि में भारतीय घरेलू कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गईं।

xvi. घरेलू उद्योग की मालसूची 2020-21 में 5,008 मीट्रिक टन से बढ़कर जाँच अवधि में 7,502 मीट्रिक टन हो गयी, जो 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बिना बिके स्टॉक के इस संचय से वित्तीय तनाव, क्षमता उपयोग में कमी और घरेलू उद्योग के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ।

xvii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वास्तविक क्षति के साथ-साथ वास्तविक क्षति का खतरा भी मौजूद है और यह पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को दर्शाता है। कीमत कटौती और कीमत ह्रास की जाँच से घरेलू बाजार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का स्पष्ट रूप से पता चलता है। पाटित आयातों के कारण उत्पन्न कीमत निर्धारण दबाव ने सामान्य बाजार प्रतिस्पर्धा के प्रभावों से आगे लाभप्रदता और वित्तीय प्रदर्शन को काफी हद तक प्रभावित किया।

xviii. संबद्ध देश से आयात भारत में कुल आयात का 99 प्रतिशत है, जबकि अन्य देशों से आयात कुल आयात का मात्र 1 प्रतिशत है। अतः, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकता।

xix. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग 630,693 मीट्रिक टन से बढ़कर 854,318 मीट्रिक टन हो गई। इसलिए, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं है।

xx. उपभोक्ता आयातित उत्पाद की कीमत के आधार पर घरेलू उद्योग के साथ बातचीत करते हैं। घरेलू उद्योग पाटित आयातों के साथ कीमत के बराबर कीमत रखने को बाध्य है। यदि उपभोक्ता को निर्यातकों द्वारा दी जाने वाली बेहतर कीमत मिलती है, तो वे उस स्रोत से खरीदारी करते हैं। घरेलू उद्योग ने बारह आवेदक उत्पादकों के प्रदर्शन को दर्शाते हुए समेकित आंकड़े प्रस्तुत किए, जो घरेलू बाजार के भीतर सामान्य प्रतिस्पर्धी क्रियाओं को दर्शाते हैं।

xxi. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। पाटित आयातों में वृद्धि से पहले घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी लगातार बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रही है।

xxii. घरेलू बिक्री की तुलना में किए गए निर्यात नगण्य हैं। पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति की सीमा का निर्धारण करते समय निर्यात निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। अत:, क्षति को निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

xxiii. दावा की गई क्षति केवल पीयूसी से संबंधित है और इसमें किसी अन्य उत्पाद की लाभप्रदता शामिल नहीं है। प्रदान किए गए वित्तीय आंकड़े पीयूसी के अलावा अन्य उत्पादों से संबंधित आंकड़ों को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं और उन्हें बाहर रखते हैं। अत:, क्षति के लिए अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

xxiv. मांग में वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देश से आयात का हिस्सा निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा घट गया जबकि संबद्ध आयातों का हिस्सा बढ़ गया। आयातकों द्वारा आरोपित गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी अंतर की पुष्टि नहीं हुई है और यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि वे बाजार विभाजन उत्पन्न करते हैं।

xxv. यद्यपि सूचीबद्ध रुझान दिशा में समान प्रतीत हो सकते हैं, वे परिमाण में भिन्न हैं। वियतनाम से आयात कीमतों में जांच की अवधि में अधिक तेजी से गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कीमतों में कटौती हुई है। जबकि घरेलू बिक्री कीमत लागत वृद्धि की वूसली करने में असमर्थ रही, आयात कीमत लगातार कम बनी रही, जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास और कटौती हुई।

xxvi. घरेलू उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा किसी भी बाजार का सामान्य पहलू है। इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ऐसी प्रतिस्पर्धा अनुचित है या सामान्य स्थिति से बाहर है। भारतीय बाजार की खंडित प्रकृति ऐतिहासिक रूप से मौजूद रही है और इससे पहले जांच अवधि के दौरान इतनी बड़ी वित्तीय हानि नहीं हुई है। पाटित कीमतों पर आयात में पर्याप्त वृद्धि वित्तीय निष्पादन में गंभीर गिरावट के साथ-साथ हुई है।

xxvii. पाटित आयातों में वृद्धि से पहले घरेलू उद्योग की तकनीक बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रही है। घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम बाजार द्वारा आवश्यक गुणवत्ता मानकों के आधार पर मिस्र, वियतनाम और भारत सहित कई स्रोतों से सीएसीओ$_3$ की खरीद करता है। कच्ची सामग्री के चयन के कारण कोई भी कीमत हानि मामूली है और क्षति अवधि में देखी गई अत्यधिक हानि को स्पष्ट नहीं कर सकती है।

**ज.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>**

207. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति को दर्शा सकते हैं:-

*"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए..."।*

208. इसके अलावा, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम करना या कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफ बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

209. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

210. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों और आंकड़ों के आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।

**ज3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**

**क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन**

211. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। भारत में उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने आवेदकों की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों और संबद्ध देशों से आयात तथा अन्य देशों से आयात के योग पर विचार किया है। इस प्रकार परिकलित की गई मांग/स्पष्ट खपत निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | विवरण | यूनिट | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वियतनाम से आयात | एमटी | 48,182 | 62,228 | 94,458 | 1,66,547 |
| 2 | *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 129 | 196 | 346 |
| 3 | अन्य देशों से आयात | एमटी | 207 | 27 | 969 | 5251 |
| 4 | *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 13 | 468 | 2537 |
| 5 | घरेलू बिक्रियां (आवेदक) | एमटी | 1,90,683 | 2,40,084 | 2,32,183 | 2,21,794 |
| 6 | *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 126 | 122 | 116 |
| 7 | घरेलू बिक्रियां (समर्थकों सहित अन्य उत्पादक) | एमटी | 3,91,758 | 4,19,307 | 4,37,761 | 4,64,831 |
| 8 | *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 107 | 112 | 119 |
| 9 | भारतीय मांग | एमटी | 6,30,830 | 7,21,645 | 7,65,372 | 8,58,423 |
| 10 | *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 114 | 121 | 136 |

212. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

**ख) भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात की मात्रा**

213. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, भारी वृद्धि हुई है। क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और संबद्ध आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | विवरण | यूनिट | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वियतनाम से आयात | एमटी | 48,182 | 62,228 | 94,458 | 1,66,547 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | अन्य देशों से आयात | एमटी | 207 | 27 | 969 | 5251 |
| 3 | भारतीय मांग | एमटी | 6,30,830 | 7,21,645 | 7,65,372 | 8,58,423 |
| 4 | भारतीय उत्पादन | एमटी | 6,06,939 | 6,78,391 | 6,96,823 | 7,15,516 |
| 5 | निम्न के संबंध में संबद्ध देशों से आयात - | | | | | |
| A | भारतीय मांग | प्रतिशत | 8प्रतिशत | 9प्रतिशत | 12प्रतिशत | 19प्रतिशत |
| B | भारतीय उत्पादन | प्रतिशत | 8प्रतिशत | 9प्रतिशत | 14प्रतिशत | 23प्रतिशत |

214. यह देखा गया है कि वियतनाम से संबद्ध वस्तु के आयात में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों से आयात नगण्य है। भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन के संदर्भ में वियतनाम से आयात में भी क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है।

**ज.3.2. <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>**

215. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती ।

**क) कीमत कटौती**

216. कीमत कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना जांच अवधि के लिए आयातों की पहुँच मूल्य के साथ करके की गई है। नीचे दी गई तालिका इसे दर्शाती है:-

| **विवरण** | **यूओएम** | **पीओआई** |
|---|---|---|
| निवल बिक्री प्राप्ति | यूएसडी/एमटी | *** |
| पहुंच कीमत | यूएसडी/एमटी | *** |
| कीमत कटौती | यूएसडी/एमटी | *** |
| कीमत कटौती | प्रतिशत | 15-25प्रतिशत |

217. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती न केवल सकारात्मक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

**ख) <u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>**

218. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध वस्तु के पहुंच कीमत के साथ की है।

219. नीचे दी गई तालिका में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के आयातों की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत दर्शायी गयी है।

| विवरण | यूनिट | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्रियों की लागत | रू/एमटी | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 117 | 119 | 112 |
| निवल बिक्री प्राप्ति | रू/एमटी | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 115 | 115 | 108 |
| पहुंच कीमत | रू/एमटी | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 125 | 125 | 111 |

220. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में पीयूसी को अपनी बिक्री लागत से कम पर बेच रहा है, जिससे उसे घाटा हो रहा है। पहुँच कीमत घरेलू बिक्री कीमत से कम रही है और बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास/न्यूनीकरण झेलना पड़ा है।

**ज.3.3 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>**

221. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे यह भी प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोज़गार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव की जांच शामिल होगी। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

**क) <u>उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा</u>**

222. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे:

| विवरण | यूनिट | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | एमटी | 4,15,302 | 4,54,638 | 4,64,538 | 4,82,020 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 109 | 112 | 116 |
| उत्पादन पीयूसी | एमटी | 2,15,181 | 2,59,084 | 2,59,062 | 2,50,685 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 120 | 120 | 116 |
| क्षमता उपयोग | प्रतिशत | 61प्रतिशत | 66प्रतिशत | 66प्रतिशत | 64प्रतिशत |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 108 | 108 | 105 |
| घरेलू बिक्रियां | प्रतिशत | 1,90,683 | 2,40,084 | 2,32,183 | 2,21,794 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 126 | 122 | 116 |

223. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अपनी क्षमता उपयोग में मामूली वृद्धि की है। तथापि, जांच अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग जांच अवधि में 64 प्रतिशत पर प्रचालन कर रहा है।

224. इसके अलावा, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और उत्पादन स्तर में 2021-22 और 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में गिरावट दर्शाई गई है।

**ख) <u>बाजार हिस्सा</u>**

225. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

| **विवरण** | **यूनिट** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|
| आवेदक घरेलू उद्योग का हिस्सा | प्रतिशत | 30 | 33 | 30 | 26 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 110 | 100 | 87 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा | प्रतिशत | 62 | 58 | 57 | 54 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 92 | 87 |
| संबद्ध देश का हिस्सा | प्रतिशत | 8 | 9 | 12 | 19 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 113 | 150 | 238 |
| अन्य देशों का हिस्सा | प्रतिशत | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | - | - | - | 100 |

226. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से 2020-21 से लगातार घट रहे हैं। घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी आधार वर्ष में पहले से ही कम 30 प्रतिशत से घटकर जांच अवधि में 26 प्रतिशत रह गई है, जबकि उसके पास भारतीय मांग में कहीं अधिक हिस्सेदारी को पूरा करने की क्षमता है। इसके अलावा, समर्थक उत्पादकों सहित अन्य भारतीय उत्पादकों की हिस्सेदारी भी पूरी क्षति अवधि के दौरान घटी है।

227. इसके विपरीत, संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी नगण्य है।

**ग) <u>मालसूची</u>**

228. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

| **विवरण** | **यूनिट** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|
| औसत | एमटी | 5,008 | 5,523 | 6,222 | 7,502 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 110 | 124 | 150 |

229. यह देखा जा सकता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में लगातार वृद्धि हुई है।

**घ) <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय</u>**

230. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:

| **विवरण** | **यूनिट** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|
| लाभ/ (हानि) | रू लाख | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | -100 | -260 | -319 | -308 |
| नकद लाभ | रू लाख | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | -100 | -557 | -718 | -670 |
| नियोजित पूंजी पर आय | प्रतिशत | *** | *** | *** | *** |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | -100 | -367 | -433 | -433 |

231. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय (आरओआई) लगातार घट रहा है और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है।

**ड.) <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>**

232. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

| **विवरण** | **यूनिट** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी | संख्या | 1,001 | 1,058 | 1,283 | 1,224 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 128 | 122 |
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता | एमटी | 215 | 245 | 202 | 205 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 114 | 94 | 95 |
| वेतन और मजदूरी | रू लाख | 2,500 | 3,024 | 3,343 | 3,450 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 121 | 134 | 138 |
| मजदूरी/कर्मचारी | रू/संख्या | 2,49,831 | 2,85,865 | 2,60,547 | 2,81,792 |
| *प्रवृत्ति* | सूचीबद्ध | 100 | 114 | 104 | 113 |

233. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों की बढ़ती मात्रा के कारण कम उत्पादन के कारण जांच अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है।

**च) वृद्धि**

234. घरेलू उद्योग के सभी मात्रात्मक मानदंड जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के सभी कीमत मानदंड क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। क्षति अवधि के दौरान औसत मालसूची में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। घरेलू उद्योग घाटे में है।

**छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव**

235. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने भारत में पीयूसी की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नए निवेश किए हैं, फिर भी घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और पाटित आयातों के कारण घाटे का सामना कर रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी कम हो गई है।

**ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

236. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा काफी अधिक थी और ऐसे आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम कीमतों पर हुए थे। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति संबद्ध आयातों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुँच मूल्य घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है।

**झ) पाटन की मात्रा**

237. जाँच से पता चला है कि जाँच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है।

**ज.3.4 वास्तविक क्षति का खतरा**

238. प्राधिकारी ने वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित जाँच के दायरे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की जाँच की है। कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने आपत्ति जताई कि वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित दावे विलंब से किए गए हैं क्योंकि ऐसी कोई चर्चा याचिका का हिस्सा नहीं थी और जांच शुरूआत अधिसूचना वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच करने के बारे में विशिष्ट नहीं है।

239. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में भी इसी प्रकार प्रावधान है कि प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है या होने का खतरा है।

240. प्राधिकारी का मानना है कि जाँच शुरूआत अधिसूचना में कहा गया है कि जाँच में इस बात की जाँच की जाएगी कि क्या पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है या होने का खतरा है। जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथापरिभाषित जाँच के दायरे में वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति का खतरा दोनों शामिल हैं और प्राधिकारी को जाँच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर दोनों पहलुओं की जाँच करने का अधिकार है।

241. प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच, जांच शुरूआत के अनुसार जाँच के दायरे में है और लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं करती है। पाटनरोधी करार और नियमावली के अंतर्गत क्षति के

निर्धारण में जाँच के दौरान निर्धारित तथ्यों के आधार पर वर्तमान क्षति और भविष्य में क्षति के खतरे, दोनों का आकलन शामिल है।

242. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (vii) में अपेक्षित है कि वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए और परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें पाटन से क्षति हो, का स्पष्ट पूर्वानुमान होना चाहिए और यह आसन्न होना चाहिए।

243. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध आयात आंकड़ों की जांच की है और यह नोट किया है कि क्षति अवधि के दौरान वियतनाम से संबद्ध वस्तु के आयात में लगातार और काफी वृद्धि हुई है। आयात की मात्रा आधार वर्ष से जांच अवधि तक तीन गुना से अधिक हो गई है, जो पर्याप्त वृद्धि दर को दर्शाता है।

244. एक भागीदार उत्पादक ने दावा किया कि उसने क्षति अवधि में अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की है और कंपनी वियतनाम तथा अन्य देशों में मजबूत बाजार का लाभ उठा रही है। इस उत्पादक ने अनुरोध किया कि भारत में मांग की तुलना में कंपनी के पास उपलब्ध क्षमता महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे पक्षकार से निर्यात भारतीय घरेलू उद्योग के लिए कोई खतरा नहीं है।

245. प्राधिकारी नोट करते हैं कि खतरे के आकलन के लिए संबद्ध देश में उत्पादकों की समग्र क्षमता स्थिति की जांच आवश्यक है न कि व्यक्तिगत उत्पादकों के दावों की। रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि वियतनाम के उत्पादकों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है जो वियतनाम में घरेलू मांग से कहीं अधिक है।

246. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम में अधिशेष उत्पादन क्षमता की मौजूदगी और वियतनाम के उत्पादकों का निर्यातोन्मुख होना, जैसा कि भारत को बढ़ते निर्यात से प्रमाणित होता है, भारतीय बाजार में निर्यात में और अधिक पर्याप्त वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है।

247. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध कीमत विश्लेषण की भी जांच की है और नोट किया है कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू कीमतों से कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कीमत ह्रास हो रहा है।

248. प्राधिकारी का मानना है कि आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, वियतनाम में अधिशेष उत्पादन क्षमता, कीमत कटौती और ह्रास तथा घरेलू उद्योग के खराब होते निष्पादन सहित अनेक कारकों के संयोजन से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ वास्तविक क्षति का खतरा स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न है।

**झ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>**

249. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति, नियमावली के अंतर्गत यथा सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है।

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**

250. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से आयात लगभग नगण्य हैं। अत:, यह क्षति तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं हुई है।

**ख. मांग में संकुचन**

251. विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि दर्शाई गई है। इसलिए, माँग में गिरावट क्षति का कारण नहीं हो सकती। इस प्रकार, मांग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

**ग. उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन**

252. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

**घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ**

253. संबद्ध वस्तु की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और प्राधिकारी के ध्यान में कोई प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ नहीं लाई गई हैं।

**ङ. प्रौद्योगिकी में विकास**

254. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

**च. निर्यात निष्पादन**

255. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के क्षति आंकड़ों पर विचार किया है। अत:, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

**छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन**

256. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अत:, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा**

257. नियमावली के अनुबंध III के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत की तुलना, जाँच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देश से निर्यात के पहुँच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार ज्ञात किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

**क्षति मार्जिन तालिका**

| क्र.सं. | उत्पादक | एनआईपी | पहुंच कीमत | क्षति मार्जिन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूएसडी/एमटी | यूएसडी/एमटी | यूएसडी/एमटी | प्रतिशत | रेंज |
| 1. | यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट") | *** | *** | *** | *** | 35-45 प्रतिशत |
| 2. | येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("येनबाई") | *** | *** | *** | *** | 35-45 प्रतिशत |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | न्घे एक यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("न्घे") | *** | *** | *** | *** | 35-45 प्रतिशत |
| 4. | पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल") (सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट ग्रुप" कहा गया है) | *** | *** | *** | *** | 35-45 प्रतिशत |
| 5. | एडीसी प्लास्टिक, जेएससी | *** | *** | *** | *** | 30-40 प्रतिशत |
| 6. | एन टिएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी | *** | *** | *** | *** | 20-30 प्रतिशत |
| 7. | विटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (विटाप्लास) | *** | *** | *** | *** | 35-45 प्रतिशत |
| 8. | अन्य | *** | *** | *** | *** | 50-60 प्रतिशत |

**ट. <u>प्रयोक्ता प्रभाव विश्लेषण (भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे)</u>**

**ट.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

258. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद की कम खपत दर्शा कर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि 1 किलोग्राम के एचडीपीई बुने हुए बोरे में 5 प्रतिशत राख की मात्रा और 75-85 प्रतिशत कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद का 0.0625 किलोग्राम (0.06 प्रतिशत) होता है। हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि यह गणना गलत है और वास्तविक हिस्सा 6 प्रतिशत (5 प्रतिशत/80 प्रतिशत = 6 प्रतिशत) होना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि आवेदकों ने दावा किया है कि 5 प्रतिशत राख की मात्रा का मानक सामान्य रूप से लागू होता है, किंतु यह केवल चुनिंदा उत्पादों पर लागू होता है, जबकि अन्य उत्पादों जैसे कचरा बैग, कैरी बैग और पॉलीप्रोपाइलीन पैकिंग शीट में फिलर मास्टर बैच की मात्रा अधिक होती है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक 70 प्रतिशत मात्रा स्तर वाले उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, जिसका तात्पर्य 50 प्रतिशत राख की मात्रा वाले उत्पादों से है। यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा डाउनस्ट्रीम उत्पादों में 60 प्रतिशत तक उच्च हो सकता है। विभिन्न अनुप्रयोगों में इतने उच्च उपयोग स्तर को देखते हुए डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए 25 प्रतिशत शुल्क भी विनाशकारी होगा।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध होगा क्योंकि आयातित उत्पादों और घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी के बीच प्रतिस्थापनीयता का अभाव है। वियतनाम के पीयूसी में 90-100 प्रतिशत सफेदी होती है जो घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी में नहीं होती। घरेलू स्तर पर

उत्पादित पीयूसी के उपभोक्ताओं को वियतनाम के पीयूसी के समान सफेदी प्राप्त करने के लिए लगभग 150-225 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले अतिरिक्त सफेद फिलर मास्टर बैच का उपयोग करना पड़ता है।

iv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी की गुणवत्ता प्राय: असंगत होती है, जिसका प्रमाण उत्पादन के दौरान बार-बार अस्वीकृति या प्रतिस्थापन की आवश्यकता की अनेक रिपोर्टों से मिलता है। इससे विनिर्माण प्रक्रिया में व्यवधान, देरी और अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होती है। वियतनाम के पीयूसी की तकनीकी विशेषताओं के कारण, घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी, गैर-बुने हुए वस्त्रों, कृषि फिल्मों और औद्योगिक पैकेजिंग जैसे उच्च निष्पादन अनुप्रयोगों में वियतनाम के पीयूसी का स्थान नहीं ले सकता।

v. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी के उपयोग से डाउनस्ट्रीम उद्योगों को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है, जो संबंधित आयातों के उपयोग पर लागू नहीं होती। पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए संबंधित आयातों की लागत बढ़ जाएगी, जिन्हें घरेलू स्तर पर उत्पादित विकल्पों के अभाव में ऐसी लागत वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाना डाउनस्ट्रीम उद्योग के हित में नहीं होगा।

vi. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तु का उपभोग करने वाले डाउनस्ट्रीम उद्योग में मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं। ये उद्यम सीमित मार्जिन पर काम करते हैं और उनकी कीमत निर्धारण क्षमता सीमित होती है। पाटनरोधी शुल्क के कारण इनपुट लागत में वृद्धि से पहले से ही कम लाभ मार्जिन और भी कम हो जाएगा और अनेक एमएसएमई अलाभकारी हो जाएँगे। इससे विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण औद्योगिक समूहों में नौकरियों का नुकसान होगा और संभावित रूप से व्यवसाय बंद हो जाएँगे और क्षेत्रीय विनिर्माण एवं रोज़गार सृजन में बाधा आएगी।

vii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उपभोक्ता वस्तु और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की पैकेजिंग जैसी अनिवार्य मदों के निर्माण में पीयूसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पीयूसी की लागत में वृद्धि का अंतिम उत्पादों की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसका अंततः उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से कीमत संवेदनशील क्षेत्रों में। कोई भी उपाय जो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है या जीवनयापन की लागत बढ़ाता है, उसका व्यापक सामाजिक हितों के संदर्भ में गंभीरता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

viii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने आपूर्ति में कोई संरचनात्मक कमी या क्षमता संबंधी बाधाएँ प्रदर्शित नहीं की हैं जो संरक्षण शुल्कों को उचित ठहराती हों। अनेक घरेलू उत्पादक बहु लाइन सुविधाएँ प्रचालित करते हैं और रंगीन मास्टर बैच का विनिर्माण करते हैं, जिससे उच्च मार्जिन प्राप्त होती है। क्षमता उपयोग अभी भी उप-ईष्टतम बना हुआ है। वियतनाम से आयात ने बाजार की कमियों को पूरा किया है और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पीयूसी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की है। इन आयातों को कम करने से कृत्रिम आपूर्ति की कमी उत्पन्न होने और कुछ स्थानीय उत्पादकों पर बाजार की निर्भरता बढ़ने का जोखिम होगा।

ix. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत की डाउनस्ट्रीम विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर हो जाएगी। तैयार प्लास्टिक उत्पाद उत्पादकों, जिनमें से अनेक एमएसएमई निर्यातक हैं, को विदेशी बाज़ारों में उच्च इनपुट लागत और कम कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इससे निर्यात बाज़ारों में भारत की हिस्सेदारी कम होने और प्लास्टिक प्रसंस्करण क्षेत्र की वैश्विक स्थिति कमज़ोर होने का ख़तरा है।

x. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि ऐसे उपाय भारत सरकार के नीतिगत उद्देश्यों, जिनमें "मेक इन इंडिया", "आत्मनिर्भर भारत" और एमएसएमई सहायता योजनाएँ शामिल हैं, के विपरीत है। डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं के लिए इनपुट लागत बढ़ाना और मुट्ठी भर अपस्ट्रीम उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना, व्यापक औद्योगिक

पारिस्थितिकी तंत्र को विकृत कर सकता है और उन संबद्ध क्षेत्रों में विकास को पटरी से उतार सकता है जो अधिक रोज़गार प्रधान और मूल्य सृजनकारी हैं।

xi. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वियतनाम अनुचित कीमत निर्धारण के बजाय कुशल उत्पादन प्रणालियों, निरंतर गुणवत्ता और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण पीयूसी के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। स्पष्ट क्षति साक्ष्य के अभाव में ऐसे स्रोत विकल्पों को दंडित करना भारत की व्यापार उपचार व्यवस्था की विश्वसनीयता को कम करता है और औद्योगिक स्थिरता के लिए अनिवार्य दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को हतोत्साहित करता है।

xii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अर्थव्यवस्था के उस व्यापक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसके संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। डाउनस्ट्रीम उद्योग, एमएसएमई क्षेत्र, उपभोक्ता कीमतों और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग को होने वाले लाभों से कहीं अधिक हैं। इसलिए, ऐसे शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों ने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के किसी भी प्रयोक्ता ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे यह पता चलता हो कि जाँच प्रक्रिया में प्रयोक्ता की सहभागिता कम है।

### ट.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

259. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन की प्रथा से कोई अनुचित लाभ न हो, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगे और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता पर लगाए गए प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना होगा। यह निर्धारण वर्तमान जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में संगत साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके प्रश्नावली के उत्तरों में प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करते हैं। प्रभाव निर्धारित करने के लिए यह दृष्टिकोण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। यूरोपीय संघ में भी, संघ हित परीक्षण का आकलन करते समय प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तरों के रूप में प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर विचार किया जाता है। भारत में, प्राधिकारी सूचना एकत्र करने के लिए प्रयोक्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली जारी करते हैं। प्राधिकारी आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी करते हैं। प्राधिकारी प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जाँच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान करने हेतु प्रश्नावली निर्धारित करते हैं, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के कोई भी संभावित प्रभाव शामिल होता है।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता नहीं है जिसने प्रयोक्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया हो। किसी भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। घरेलू उद्योग यह समझता है कि पीयूसी के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) का हिस्सा हैं। तथापि, प्रयोक्ता ऐसोसिएशन ने अपने सदस्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। भारत में प्रयोक्ताओं की ओर से सहयोग का स्तर कम है और यह भारत में प्रयोक्ता उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

v. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे जाँच के दौरान विलम्बित चरण में पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर दें। डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की ओर से समय पर अनुरोधों का न होना चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में अनुरोध नहीं किया है।

vi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी सभी हितधारकों को यह दर्शाने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली जारी करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उनके प्रचालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पीयूसी का कोई भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता ऐसा नहीं है जिसने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर देने या यह दर्शाने के लिए कोई संगत जानकारी प्रदान करने का कष्ट उठाया हो कि पाटनरोधी शुल्क उन पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। इससे पता चलता है कि शुल्क लगाने से प्रयोक्ता प्रभावित नहीं होंगे।

vii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई मात्रात्मक जानकारी प्रदान नहीं की गई है जो यह सिद्ध करती हो कि प्रस्तावित शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की उत्पादन लागत में इतनी वृद्धि होगी कि वह ऐसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को अप्रभावी और अकुशल बना देगा। रिकॉर्ड में एकमात्र विश्वसनीय और सत्यापन योग्य मात्रात्मक जानकारी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई है। घरेलू उद्योग ने प्रभाव की मात्रा बताई है। किसी भी पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने से उत्पाद के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

viii. पाटनरोधी शुल्कों के कारण इनपुट लागत में किसी भी संभावित वृद्धि का एमएसएमई सहित डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर नगण्य वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने न्यूनतम प्रभाव दर्शाते हुए सटीक परिमाणीकरण प्रस्तुत किया है, जबकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार सत्यापन योग्य आंकड़ों के माध्यम से अपने दावों को पुष्ट करने में विफल रहे हैं।

ix. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ता कीमतें बढ़ सकती हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, पीयूसी उपभोक्ता वस्तु और पैकेजिंग सामग्री की कुल लागत का न्यूनतम हिस्सा बनता है। अंतिम लागत संरचना में उत्पाद का छोटा हिस्सा होने के कारण उपभोक्ता कीमत निर्धारण पर परिणामी प्रभाव नगण्य होगा।

x. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संभावित आपूर्ति बाधाओं और घरेलू उत्पादकों द्वारा बाजार एकाधिकार के संबंध में अनुरोध निराधार है। घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त स्थापित क्षमता है और वह मौजूदा और अनुमानित घरेलू मांग को पूरा कर सकता है। शुल्क लगाने से आयात समाप्त नहीं होंगे, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि आयात उचित और अपाटित कीमतों पर बाज़ार में प्रवेश करें, जिससे बाज़ार में गड़बड़ी को रोका जा सके।

xi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह दावा कि पाटनरोधी शुल्क "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे नीतिगत उद्देश्यों के विपरीत होंगे, निराधार है। ये पहल घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने और अनुचित कीमत वाले आयातों पर निर्भरता कम करने की समर्थन करती है। पाटनरोधी उपाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके घरेलू व्यवसायों का संरक्षण करके और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि को बढ़ावा देकर इन उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

xii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि निर्यातकों का यह दावा कि भारतीय उत्पादक पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च लागत और अक्षमताएँ होती हैं, पाटन से होने वाली क्षति के निर्धारण के लिए असंगत

है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा या तकनीकी चुनौतियों से बचाना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित कीमत निर्धारण प्रथाओं से होने वाली क्षति को कम करना है।

xiii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह तर्क दिया गया कि वियतनाम पाटन के कारण नहीं, बल्कि दक्षता और विश्वसनीयता के कारण आपूर्ति के स्रोत के रूप में उभरा है। तथापि, चल रही जाँच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या वियतनाम से आयात पाटित कीमतों पर हो रहा है जिससे क्षति हो रही है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वियतनाम से आयात उचित कीमत पर हो रहा है, तो किसी भी पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा नहीं की जाएगी। चल रही जाँच इन पहलुओं की जाँच सुनिश्चित करती है और पाटनरोधी उपायों की अनुशंसा केवल तभी की जाएगी जब तथ्यात्मक साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हों।

## ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

260. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि यदि जनहित में हो तो पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। प्राधिकारी को जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्यों के आधार पर यह विचार करना आवश्यक है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

261. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबंधित देश से आयात को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की विशेषता अक्षुण्ण बनी रहेगी। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों का लागू होना पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित करने से निवारण का कार्य करता है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तु के विस्तृत चयन तक पहुँच को सुरक्षित करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं में बाधा नहीं बल्कि सहायक हैं।

262. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जाँच से संबंधित संगत जानकारी प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी विहित की गई थी, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं।

263. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया। यह निर्धारण वर्तमान जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्धता में कमी आने का कोई कारण नहीं है।

264. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण आयात में संभावित कमी के संबंध में कतिपय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई आशंकाओं की सावधानीपूर्वक जाँच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे शुल्क, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निरंतर आयात को नहीं रोकते हैं। आयात जारी रह सकते हैं, बशर्ते कि वे उचित, गैर-पाटित कीमतों पर किए जाएँ।

265. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की उपलब्धता शुल्क लगाए जाने से अप्रभावित रहेगी। इस उपाय की उपचारात्मक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि आयात, जब क्षतिरहित परिस्थितियों में किए जाते हैं, तो निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि इस हस्तक्षेप से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। बल्कि, शुल्क लगाने से पाटित आयातों के कारण व्याप्त बाजार विकृति में सुधार होता है, जिससे समतामूलक प्रतिस्पर्धी स्थितियाँ बहाल होती हैं। घरेलू और आयातित, दोनों प्रकार की वस्तु एक साथ मौजूद रहेंगी, जिससे उपभोक्ता विकल्प सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ बाजार गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

266. प्राधिकारी ने डाउनस्ट्रीम उत्पादों में पीयूसी की खपत की गणना के संबंध में प्रस्तुत अनुरोधों की जाँच की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदकों ने कम खपत दिखाकर प्रभाव को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और वास्तविक हिस्सा आवेदकों द्वारा दावा किए गए 0.06 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत होना चाहिए।

267. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे अनुरोध किया है कि आवेदक 70 प्रतिशत मात्रा स्तर वाले उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, जिसका तात्पर्य 50 प्रतिशत राख सामग्री वाले उत्पादों से है, जो दर्शाता है कि डाउनस्ट्रीम उत्पादों में पीयूसी का हिस्सा 60 प्रतिशत तक हो सकता है।

268. घरेलू उद्योग ने प्रभाव का परिमाणीकरण प्रस्तुत किया है, जिससे पता चला कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पाद के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

i. एचडीपीई बुनी हुई बोरी एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पीयूसी का उपयोग किया जाता है।
ii. आईएस मानक 11652:2017 के अनुसार, एचडीपीई बुनी हुई बोरी (डाउनस्ट्रीम उत्पाद) में राख की मात्रा 5 प्रतिशत है, जिसका अर्थ यह भी है कि तैयार उत्पाद में 5 प्रतिशत कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
iii. पीयूसी में लगभग 75-85 प्रतिशत कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
iv. इसलिए, 1 किलोग्राम एचडीपीई बुनी हुई बोरी में 0.0625 किलोग्राम (0.06 प्रतिशत) पीयूसी होगा।
v. किसी भी पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने से उत्पाद के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

269. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य मात्रा का विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उच्च उपभोग स्तर या डाउनस्ट्रीम उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव के संबंध में अपने दावों के समर्थन में पुष्ट गणना या सत्यापन योग्य आंकड़ा प्रदान नहीं किया है।

270. प्राधिकारी ने घरेलू और आयातित पीयूसी के बीच गुणवत्ता अंतर और प्रतिस्थापनीयता से संबंधित अनुरोधों की जाँच की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि वियतनाम के पीयूसी में 90-100 प्रतिशत सफेदी होती है जो घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी में नहीं होती है और उपभोक्ताओं को समान सफेदी स्तर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सफेद फिलर मास्टर बैच की आवश्यकता होती है।

271. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता अंतर से संबंधित मुद्दों की जाँच समान वस्तु निर्धारण संबंधी खंड में की गई है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित और आयातित पीयूसी समान वस्तु है और वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जब उत्पाद कार्यात्मक रूप से समतुल्य और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होते हैं, तो गुणवत्ता संबंधी विचार पाटनरोधी शुल्क लगाने से नहीं रोकते हैं।

272. प्राधिकारी ने जाँच में डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की भागीदारी के स्तर की जाँच की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसी प्रश्नावली जारी करने के बावजूद, किसी भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता ने प्रयोक्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

273. घरेलू उद्योग ने आगे बताया कि पीयूसी के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) का हिस्सा हैं, लेकिन प्रयोक्ता एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया है।

274. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच में अपनाई गई प्रक्रिया ने प्रयोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को भाग लेने और पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए एक जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की और प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए संगत जानकारी प्रदान करने हेतु प्रश्नावली निर्धारित की।

275. प्राधिकारी ने पाया है कि पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी का अभाव यह दर्शाता है कि प्रयोक्ता शुल्कों के प्रभाव को जाँच प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं।

276. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु का उपभोग करने वाले डाउनस्ट्रीम उद्योग में मुख्यतः एमएसएमई शामिल हैं जो सीमित मार्जिन पर काम कर रहे हैं और पाटनरोधी शुल्कों के कारण इनपुट लागत में वृद्धि से लाभ मार्जिन कम हो जाएगा और अनेक एमएसएमई अलाभकारी हो जाएँगे, जिससे नौकरियाँ कम हो जाएंगी और व्यवसाय बंद हो जाएँगे।

277. प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग ने सत्यापन योग्य आँकड़े और गणनाएँ प्रदान की हैं जो डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभाव दर्शाती हैं, जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने एमएसएमई पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव के दावों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य या परिमाणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किए बिना सामान्य दावे किए हैं।

278. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार की सेवा के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्रदर्शित की है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात अपाटित कीमतों पर किया जाए, जिससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

279. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उपभोक्ता वस्तु और अनिवार्य मदों के निर्माण में पीयूसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और लागत में वृद्धि का अंतिम उत्पादों की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा।

280. प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए परिमाणीकरण के आधार पर अंतिम उपभोक्ता उत्पादों में पीयूसी की हिस्सेदारी न्यूनतम है और इसलिए पाटनरोधी शुल्कों के कारण कीमतों में किसी भी वृद्धि का उपभोक्ता कीमतों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान नहीं होगा।

281. प्राधिकारी का मानना है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप है। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाली क्षति को समाप्त करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करना है, जो घरेलू विनिर्माण क्षमताओं की सहायक होती है।

282. प्राधिकारी का मानना है कि जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित तर्कों का समर्थन विश्वसनीय साक्ष्य और परिमाणात्मक विश्लेषण द्वारा किया जाना चाहिए। बिना समर्थन आँकड़ों के सामान्य दावे जनहित के निर्धारण का आधार नहीं बन सकते हैं।

283. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अर्थव्यवस्था के उस व्यापक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसका संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है और डाउनस्ट्रीम उद्योग, एमएसएमई क्षेत्र, उपभोक्ता कीमतों और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग को होने वाले लाभों से कहीं अधिक हैं।

284. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जनहित के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के हितों में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। प्राधिकारी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, वस्तु की उपलब्धता और समग्र आर्थिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हैं।

285. प्राधिकारी ने जनहित से संबंधित सभी अनुरोधों पर विचार किया है और नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का मूल उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा स्थापित हो सके।

**ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ**

**ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

286. प्रकटन के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जाँच के दायरे पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि वाणिज्यिक व्यवहार में कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच को लगभग 70% से अधिक सीएसीओ3 सामग्री वाले उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि 50% से अधिक किंतु 70% से कम सीएसीओ3 सामग्री वाले उत्पादों को कैल्शियम कार्बोनेट मास्टरबैच यौगिक कहा जाता है और उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। पीयूसी के दायरे को कम से कम 70% सीएसीओ3 सामग्री वाले कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच तक सीमित करने का अनुरोध किया गया था।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने उनके इस दावे की जाँच नहीं की कि उत्पाद का दायरा बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि मूल दायरे में दो अपेक्षाएँ थीं: उत्पादों में 70-80% कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, और उनमें कैल्शियम ऑक्साइड या बेरियम सल्फेट नहीं हो सकता है नए दायरे में इसे बदलकर 50-69% कैल्शियम कार्बोनेट वाले उत्पादों को अनुमति दी गई और 19% तक कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट की अनुमति दी गई।

iii. पक्षकारों ने तर्क दिया कि बीएएसओ4 का उपयोग करके बनाया गया कोई भी फिलर मास्टरबैच फिलर मास्टरबैच की श्रेणी में नहीं आता है और इसे पारदर्शी फिलर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि सीएओ का उपयोग करने वाले उत्पाद फिलर मास्टरबैच की परिभाषा में नहीं आते हैं और उन्हें डिसेकेंट मास्टरबैच कहा जाता है। यह अनुरोध किया गया कि चूंकि ये उत्पाद फिलर मास्टरबैच नहीं हैं, इसलिए वे पीयूसी के दायरे में नहीं आते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि 55-65% कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री वाले स्पेशलिटी एलएलडीपीई कंपाउंड फिलर (ग्रेड एसआरबी फॉर्मूला 1) को मूल जॉच के दायरे में शामिल नहीं किया गया था, किंतु अब इसे शामिल कर लिया गया है।

iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ग्रेड एसआरबी फॉर्मूला 1, पीई 1009, पीई-बीबी02 और सुपरमैक्स सहित विशिष्ट ग्रेडों के लिए अपवर्जन को अस्वीकार करने के प्राधिकारी के प्रस्ताव पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इन ग्रेडों के उत्पादन का समर्थन करने वाले बीजकों की अगोपनीय प्रतियों के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, जिससे उन्हें तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता पर पर्याप्त रूप से टिप्पणी करने से रोका गया।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संशोधित पीसीएन संरचना पर विचार करने के अपने अनुरोध को दोहराया है। यह तर्क दिया गया कि प्राधिकारी ने उनके संशोधित पीसीएन प्रस्ताव को लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तर अनुरोधों में अनुरोध किए जाने के बावजूद स्वीकार नहीं किया।

vi. पक्षकारों ने अनुरोध किया कि पीसीएन वर्गीकरण के लिए 10% सीमा का उनका प्रारंभिक प्रस्ताव जांच के प्रारंभिक चरणों में उपलब्ध सीमित आंकड़ों पर आधारित था और आगे के विश्लेषण पर, उन्होंने सीएसीओ3 सामग्री के परिष्कृत 5% अंतराल के आधार पर एक अधिक सटीक पीसीएन संरचना का प्रस्ताव रखा।

vii. पक्षकारों ने अनुरोध किया कि पीयूसी तीन प्रमुख कच्ची सामग्रियों से बना है: सीएसीओ3, बहुलक और योजक। यह तर्क दिया गया कि तथापि सीएसीओ3 मात्रा के हिसाब से बहुमत बनाता है, यह बहुलक और योजक हैं जो उत्पादन की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

viii. उन्होंने अनुरोध किया कि सीएसीओ3 सामग्री में परिवर्तन के कारण पॉलिमर और योजकों के अनुपात में मामूली बदलाव से भी, फॉर्मूलेशन के आधार पर, 10% से 15% के बीच लागत में अंतर हो सकता है, जिसका कीमत तुलना पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

ix. पक्षकारों ने अपनी संशोधित पीसीएन संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित की है:

| उत्पाद | सीएसीओ3 मात्रा (%) | पीसीएन कोड |
|---|---|---|
| कैल्शियम कार्बोनेट मात्रा (%) (सीएसीओ3) | 70% से कम | 1 |
| | 70% से अधिक और 75% तक | 2 |
| | 75% से अधिक और 80% तक | 3 |
| | 80% से अधिक और 85% तक | 4 |
| | 85% से अधिक और 90% तक | 5 |
| | 90% से अधिक | 6 |

x. पक्षकारों ने अपने प्रस्तावित पीसीएन ढांचे के आधार पर पुन: परिकलित पाटन मार्जिन प्रदान किए, और दावा किया कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई व्यापक पीसीएन श्रेणियों के उपयोग से पाटन मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

xi. पीसीएन पद्धति के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि केवल सीएसीओ3 सामग्री पर निर्मित पीसीएन समग्र बहुलक अनुपात के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, किंतु विभिन्न बहुलक प्रकारों के बीच कीमत अंतर पर विचार नहीं करते हैं।

xii. हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन के लिए सहिष्णुता सीमा के संबंध में प्राधिकारी के विश्लेषण पर विवाद किया, और तर्क दिया कि पीयूसी में आमतौर पर सीएसीओ3 सामग्री में ±2% के बजाय ±1% की सहिष्णुता होती है।

xiii. यह भी तर्क दिया गया कि 3% सीएसीओ3 सामग्री सीमा की अव्यवहार्यता 10% सीमा को उचित नहीं ठहराती है, और तर्क दिया कि 5% सीएसीओ3 सामग्री सीमा को अपनाकर अतिव्यापन से बचा जा सकता है।

xiv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि 75% सीएसीओ3 सामग्री वाले उत्पाद 85% सीएसीओ3 सामग्री वाले उत्पादों से काफी भिन्न होते हैं, और बाजार कीमत 40% तक भिन्न होती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कम-सीएसीओ3 उत्पादों में आवश्यक उच्च बहुलक और योजक सामग्री से उच्च लागत के कारण, 75% और 85% सीएसीओ3 उत्पाद विभिन्न कार्यों और अंतिम उपयोगों के लिए हैं। 5% सीएसीओ3 रेंज को अपनाने के लिए पीसीएन में संशोधन का अनुरोध किया गया था।

xv. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी उत्पादन लागतों पर इसके प्रभाव के कारण वाणिज्यिक प्रतिस्थापन पर सीएसीओ3 स्रोत के प्रभाव के संबंध में उनके अनुरोधों पर विचार करने में विफल रहे हैं। उन्होंने भारतीय स्रोत सीएसीओ3 बनाम मलेशियाई स्रोत सीएसीओ3 का उपयोग करके बनाए गए उत्पादों के बीच 28% लागत अंतर दर्शाते हुए नमूना गणना प्रदान की। पक्षकारों ने इसके दायरे में सीएसीओ3 स्रोत को शामिल करने के लिए पीसीएन पद्धति में संशोधन का अनुरोध किया।

xvi. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी द्वारा पीसीएन पद्धति की जांच अनुचित है पक्षकारों ने अनुरोध किया कि पीसीएन पद्धति लागत और कीमत में अंतर वाले ग्रेडों के बीच उचित तुलना की अनुमति देने के लिए

डिज़ाइन की गई है, जिससे पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की समान रूप से तुलना संभव हो सके।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों ने कैल्शियम कार्बोनेट स्रोत के आधार पर कीमत अंतर दर्शाते हुए लागत विश्लेषण प्रदान किया। उन्होंने अनुरोध किया कि भारतीय मूल के सीएसीओ3 की कीमत 5-7 रुपये प्रति किलोग्राम, वियतनामी मूल की 10-12 रुपये प्रति किलोग्राम और मलेशियाई मूल की 14-16 रुपये प्रति किलोग्राम है।

xix. उन्होंने पॉलिमर प्रकारों के बीच कीमत अंतर की कमी के संबंध में प्राधिकारी के निष्कर्ष पर विवाद किया और अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने आयातकों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक कीमत सूचियों पर याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों को प्राथमिकता दी है। हितबद्ध पक्षकारों ने कई घरेलू पॉलिमर उत्पादकों की कीमत सूचियाँ प्रदान कीं, जो दर्शाती हैं कि विभिन्न घरेलू उत्पादकों के बीच पॉलिमर की कीमतें काफी हद तक समान रहती हैं और लगातार प्रवृत्तियों का पालन करती हैं।

xx. यह अनुरोध किया गया कि प्राधिकारी एक वर्ष के दौरान व्यक्तिगत पॉलिमर कीमतों में अस्थिरता को समायोजित करने के लिए पॉलिमर कीमतों के माहवार कीमत विश्लेषण के संबंध में उनके तर्क पर विचार करने में विफल रहा। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण नहीं बताए हैं।

xxi. उन्होंने अनुरोध किया कि जांच की अवधि के दौरान पॉलिमर की कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव आया, जिसके परिणामस्वरूप खरीद के समय के आधार पर लागत में कम से कम 4 रुपये प्रति किलोग्राम का अंतर आया। हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम निष्कर्षों में पाटन और क्षति मार्जिन की मासिक तुलना पर विचार न करने के कारणों का प्रकटन करने का अनुरोध किया।

xxii. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कीमतों को अस्वीकार करने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी की जांच अपर्याप्त है क्योंकि घरेलू उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण जानकारी लिखित अनुरोधों का हिस्सा नहीं है, प्रकटन विवरण में अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, और यह स्थापित नहीं किया गया था कि कैसे रिलायंस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रदर्शित नहीं करती हैं या कैसे उच्च श्रेणी के पॉलिमर का उपयोग विनिर्माण में नहीं किया जाता है।

xxiii. पक्षकारों ने एलएलडीपीई के लिए एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कीमतें दर्शाते हुए अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान किए, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि तीनों कंपनियों के लिए कीमत रुझान समान रहे। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि इससे यह सिद्ध होता है कि लिखित अनुरोधों में बताई गई कीमतें बाजार कीमतों को प्रदर्शित करती थीं।

xxiv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्रयुक्त पॉलिमर उत्पाद की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन और रैखिक निम्न-घनत्व पॉलीएथिलीन के बीच कीमत अंतर महत्वपूर्ण है।

xxv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि पॉलिमर और कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से अलग-अलग लागत कारक हैं और प्रश्न किया कि सीएसीओ3 सामग्री के आधार पर पीसीएन तैयार करने से पॉलिमर विविधताओं के कारण लागत अंतर कैसे दूर होता है।

xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि संबद्ध देश में बड़े पैमाने पर फिलर मास्टरबैच निर्माता हैं, विशेष रूप से यूरोपियन प्लास्टिक्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो [***] से [***] टन के बीच अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ कार्य करती है। यह तर्क दिया गया कि यूरोपियन प्लास्टिक्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फिलर मास्टरबैच उत्पादन में विशेषज्ञता वाले दुनिया के सबसे बड़े समूहों में से एक का हिस्सा है।

xxvii. यह अनुरोध किया गया कि अपने संचालन के पैमाने के कारण, यूरोपियन प्लास्टिक्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ होता है, जिसमें उच्च-मात्रा अनुबंधों के माध्यम से वरीयता प्राप्त कच्ची सामग्री की कीमत, सुव्यवस्थित परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों के माध्यम से अनुकूलित संभार-तंत्र, और लागत आवंटन दक्षता शामिल है, जहां कीमतह्रास और अन्य निश्चित लागतें बड़ी उत्पादन मात्रा में फैली हुई हैं।

xxviii. उन्होंने अनुरोध किया कि परिणामस्वरूप, यूरोपीय प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी की इकाई उत्पादन लागत भारत में छोटे और मध्यम आकार के विनिर्माताओं की तुलना में कम है, जिनकी क्षमता आम तौर पर वार्षिक रूप से दसियों हज़ार टन होती है।

xxix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वियतनाम और भारत के उत्पादकों के बीच विनिर्माण प्रौद्योगिकी की तुलना प्रदान की। उन्होंने अनुरोध किया कि पीयूसी का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर को वाहक बहुलक में फैलाने की प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें चार प्रमुख चरण शामिल हैं: मिश्रण, पिघलाना, बाहर निकालना और दानेदार बनाना।

xxx. पक्षकारों ने तर्क दिया कि वियतनामी फिलर मास्टरबैच उत्पादकों को बेहतर कच्चे माल नियंत्रण, उन्नत उत्पादन तकनीक, बड़े पैमाने पर संचालन और गुणवत्ता और लागत नियंत्रण के लिए ईआरपी-प्रबंधित प्रणालियों से लाभ होता है, जिससे वियतनाम कृत्रिम कीमत निर्धारण के बजाय आर्थिक दक्षता के आधार पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता के उत्पादों को बेचता है।

xxxi. हितबद्ध पक्षकारों में से एक, विटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने प्राधिकारी की इस टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया कि पीसीएन के लिए, जहाँ घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं होती है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ में उचित वृद्धि के आधार पर किया गया है। उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(ग)(ii)(क) का संदर्भ दिया, जिसमें यह प्रावधान है कि जब घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है या जब ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, तो सामान्य मूल्य निर्यातक देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि कीमत होगा।

xxxii. उन्होंने अनुरोध किया कि कंपनी द्वारा तीसरे देशों को विशेष रूप से पीसीएन बी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए पर्याप्त निर्यात किया जाता है। कंपनी ने कहा कि तीसरे देश के निर्यात आंकड़ों पर उचित विचार और उसके अनुप्रयोग से यह पुष्टि होगी कि किसी भी प्रकार का पाटन नहीं हुआ है और पाटन मार्जिन ऋणात्मक होगा।

xxxiii. कंपनी ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत लागतों और प्रकटन के लिए प्राधिकारी द्वारा विचारित लागतों के बीच अंतर के लिए विस्तृत तर्क का भी अनुरोध किया।

xxxiv. हितबद्ध पक्षकारों में से एक, एडीसी प्लास्टिक जेएससी ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना करते समय [वीएनडी *** प्रति मीट्रिक टन] की क्रेडिट लागत को अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने तर्क दिया कि इस क्रेडिट लागत समायोजन को घटाने के बाद सामान्य मूल्य को [यूएसडी ***] से घटाकर [यूएसडी *** प्रति मीट्रिक टन] कर दिया जाना चाहिए। कंपनी ने सामान्य मूल्य गणना के लिए पैकिंग लागत समायोजन की अस्वीकृति का भी विरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि घरेलू बाजार में बिक्री और भारत में बिक्री के बीच पैकिंग लागत में अंतर को सामान्य मूल्य गणना में समायोजित नहीं किया गया था। उन्होंने पीसीएन-बी की घरेलू बिक्री के लिए [वीएनडी *** प्रति मीट्रिक टन] और भारत को निर्यात के लिए [वीएनडी *** प्रति मीट्रिक टन] पर पैकिंग लागत दर्शाते हुए आकड़े प्रस्तुत किए, जिसके लिए सामान्य मूल्य में [यूएसडी *** प्रति मीट्रिक टन] का समायोजन आवश्यक था।

xxxv. एडीसी प्लास्टिक जेएससी ने उल्लेख किया कि अन्य सहयोगी निर्यातक विटाप्लास जेएससी के लिए पैकिंग लागत समायोजन की अनुमति दी गई थी, और एडीसी प्लास्टिक के लिए भी यही व्यवहार करने का अनुरोध किया। कंपनी ने संशोधित पाटन मार्जिन गणना प्रस्तुत की, जिसमें दर्शाया गया कि क्रेडिट लागत और पैकिंग लागत समायोजन के बाद, सामान्य मूल्य [अम.डा. *** प्रति मीट्रिक टन] होगा, शुद्ध निर्यात कीमत [अम.डा. *** प्रति मीट्रिक टन] होगा, जिसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन [अम.डा. *** प्रति मीट्रिक टन] होगा।

xxxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी के इस निष्कर्ष पर विवाद किया कि अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों के संबंध में केवल नामों की अप्रमाणित सूचियाँ प्रदान की गई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदन में शामिल नहीं किए गए कई ज्ञात घरेलू उत्पादकों के संबंध में विस्तृत और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें विशिष्ट उत्पादकों के नाम, कंपनी की वेबसाइटों के संदर्भ, उत्पाद कैटलॉग, व्यापार निर्देशिकाओं में सूचीकरण और उद्योग एसोसिएशनों के संदर्भ शामिल हैं।

xxxvii. पक्षकारों ने तर्क दिया कि यह साक्ष्य दर्शाता है कि ये संस्थाएँ भारतीय बाजार में स्पष्ट उपस्थिति के साथ समान वस्तु की सक्रिय निर्माता हैं, जो केवल नामों की सूचियों से आगे बढ़कर घरेलू उद्योग के स्थायी दावे की पूर्णता पर प्रश्नचिह्न लगाने का उचित आधार प्रदान करती हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि यह सत्यापित करने का दायित्व घरेलू उद्योग और प्राधिकारी पर आ जाता है कि क्या ये उत्पादक संगत घरेलू उत्पादन आधार का हिस्सा हैं।

xxxviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने सीएमएमएआई और एमएमए की 86 सदस्यीय कंपनियों के कथित समर्थन के संबंध में उनके तर्क पर विचार नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग 86 सदस्यों द्वारा आवेदन के समर्थन का दावा करता है, जबकि केवल 12 सदस्यों ने ही जाँच में सक्रिय रूप से भाग लिया और संगत उत्पादन आँकड़े उपलब्ध कराए।

xxxix. पक्षकारों ने तर्क दिया कि दावा किए गए समर्थन और वास्तविक भागीदारी के बीच यह विसंगति आवेदन के लिए वास्तविक और सार्थक समर्थन की सीमा के बारे में संदेह उत्पन्न करती है। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि 86 सदस्य भारत में अधिकांश विश्वसनीय निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 70 से अधिक सदस्यों द्वारा भागीदारी का अभाव आवेदन के लिए वास्तविक समर्थन के अभाव का संभावित संकेतक माना जाना चाहिए।

xl. पक्षकारों ने तर्क दिया कि संगत आकड़े या समर्थन की पुष्टि के बिना केवल कंपनी के नाम शामिल करने से पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) या पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, और तर्क दिया कि सक्रिय समर्थन का आकलन वास्तविक आकड़े को प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि दावा की गई संबद्धताओं के आधार पर।

xli. पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में प्राधिकारी के निष्कर्ष को भी चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि स्थिति स्थापित करने का भार आवेदकों पर है और इसे प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, न कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा। पक्षकारों ने तर्क दिया कि कुल घरेलू उत्पादन के संदर्भ के बिना स्थिति के संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

xlii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए उत्पादन आकड़े की कमी के संबंध में प्राधिकारी के वक्तव्य इस बात की स्वीकृति देते हैं कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक चरण में कुल घरेलू उत्पादन की पहचान नहीं की थी।

xliii. उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी नियामक मंजूरी, जीएसटी पंजीकरण, लेखापरीक्षित वित्तीय और अन्य नियामक फाइलिंग सहित उपयुक्त स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके कुल घरेलू उत्पादन निर्धारित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

xliv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि संगत सूचना के अभाव में प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से स्थिति सिद्ध करने में असमर्थता एक असाध्य दोष है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदन प्रपत्र में आवेदक को उत्पादकों की स्थिति समर्थक, विरोधी या तटस्थ के रूप में दर्शानी होती है, किंतु उत्पादकों की सूची हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताई गई है।

xlv. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि आवेदकों ने भारतीय उत्पादन में 90% हिस्सेदारी का दावा किया है, किंतु शेष 10% उत्पादकों के नाम और विवरण उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे प्राधिकारी उन्हें सूचना भेजने में असमर्थ है।

xlvi. हितबद्ध पक्षकारों ने गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित उत्पादों के उत्पादन पर विचार के आधार को चुनौती दी। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि 20-25% फिलर मास्टरबैच गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित हैं और उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे बिना आधार के आवेदकों के मात्र वक्तव्यों पर भरोसा न करें।

xlvii. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उत्पादकों के नमूने लेने के लिए व्यापार सूचना 09/2021 पर प्राधिकारी की निर्भरता को भी यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि इसका दायरा जाँच शुरूआत के चरण तक सीमित है और एक बार जांच शुरू हो जाने के बाद, सभी प्रक्रियाएं पाटनरोधी नियमावली द्वारा शासित होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मैनुअल का पैराग्राफ 8.8.4 घरेलू उत्पादकों पर लागू होता है और प्राधिकारी को जांच शुरू होने के 80 दिनों के भीतर नमूना लेने की पद्धति अधिसूचित करनी चाहिए थी।

xlviii. पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी द्वारा किया गया नमूना पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 के अंतर्गत कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक के अपने आंकड़ों के आधार पर, जांच की अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन 715,516 मीट्रिक टन था, जबकि पांच नमूना उत्पादकों का हिस्सा केवल 164,551 मीट्रिक टन (23%) है, जो 25% की वैधानिक सीमा से कम है। उन्होंने तर्क दिया कि बाजार आसूचना कुल भारतीय उत्पादन के 1.24 मिलियन एमटी के आस-पास है, जो नमूने वाले उत्पादकों को हिस्सा लगभग 13 प्रतिशत बना देता है।

xlix. पक्षकारों ने तर्क दिया कि कई नमूना कंपनियाँ जांच के दायरे से बाहर, अलग-अलग कीमत निर्धारण और लाभ गतिशीलता के साथ, पीयूसी और कलर मास्टरबैच जैसे अन्य उत्पादों का निर्माण करती हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या लागत और क्षति के आंकड़े केवल पीयूसी से संबंधित हैं।

l. पक्षकारों ने प्राधिकारी से भारत में पीयूसी के कुल उत्पादन का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने, सीएमएमएआई और एमएमए से संबद्ध सभी ज्ञात उत्पादकों सहित सभी ज्ञात उत्पादकों की वास्तविक समर्थन/विरोध स्थिति का आकलन करने, लागत और क्षति के आंकड़ों का उत्पाद-विशिष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने और आवेदक कंपनियों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया।

li. पक्षकारों ने नमूना उत्पादकों की प्रतिनिधित्व क्षमता पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान पीयूसी का आयात किया, जबकि किसी अन्य आवेदक कंपनी ने इस अवधि के दौरान आयात नहीं किया। उन्होंने एक आयातक उत्पादक से लागत और बिक्री के आंकड़ों की प्रतिनिधित्व क्षमता पर सवाल उठाया।

lii. हितबद्ध पक्षकारों ने आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्रीज के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला, यह तर्क देते हुए कि उनके मुख्यालय और कारखाने के पते समान हैं, जो दर्शाता है कि वे एक ही कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पांच उत्पादकों के नमूने में एक ही समूह से दो उत्पादकों को शामिल करने से विविधता कम हो जाती है और यह परिचालनात्मक रूप से विविध नमूना प्राप्त करने के उद्देश्यों के साथ असंगत है।

liii. पक्षकारों ने विश्लेषण अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को संबद्ध आयातों से कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू मांग वृद्धि ने घरेलू बिक्री और आयात दोनों को समायोजित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि घरेलू मांग में वृद्धि की दर घरेलू उत्पादकों द्वारा बिक्री में वृद्धि की दर से अधिक थी।

liv. पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उत्पादकों ने क्षति अवधि के दौरान अपने उत्पादन का लगभग 95% घरेलू बाजार में बेचना जारी रखा, जो दर्शाता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उत्पादकों की पीयूसी बेचने की क्षमता को प्रभावित नहीं किया है।

lv. कीमत प्रभावों के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि संबद्ध आयातों का बाजार में केवल 19% हिस्सा है और उनमें घरेलू कीमतों में ह्रास या उसका न्यूनीकरण करने की क्षमता नहीं है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए जो दर्शाते हैं कि घरेलू कीमतें वैश्विक कीमतों के अनुरूप चलती हैं।

lvi. हितबद्ध पक्षकारों ने याचिकाकर्ताओं के आर्थिक निष्पादन के संबंध में विभिन्न निष्कर्षों पर विवाद किया। उन्होंने तर्क दिया कि स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में याचिकाकर्ताओं की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में गिरावट को आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि जांच अवधि असामान्य निष्पादन का वर्ष था।

lvii. हितबद्ध पक्षकारों ने आगे तर्क दिया कि कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन के बीच तुलना से पता चलता है कि आवेदक द्वारा दावा की गई क्षति का कारण संबद्ध देश से आयात नहीं, बल्कि आवेदक की उच्च लागत है। उन्होंने अनुरोध किया कि संबद्ध देशों से कीमत में कटौती केवल 15% से 25% है, जो दर्शाता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमत से केवल 15% से 25% कम कीमत पर हुआ। तथापि, सभी सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन 35% से 45% तक है, जो आवेदक की उच्च लागत और क्षतिरहित कीमत को दर्शाता है।

lviii. यह अनुरोध किया गया कि तुलनीय कीमत पर आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होनी चाहिए थी। घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की चर्चा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि आवेदक की लागत अधिक है, और ऐसी उच्च लागत के कारण होने वाली कोई भी क्षति पाटनरोधी शुल्क लगाने का आधार नहीं बन सकती है।

lix. हितबद्ध पक्षकारों ने गैर-आरोपण कारकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिन पर प्राधिकारी कथित रूप से विचार करने में विफल रहे, जिनमें आधार वर्ष में याचिकाकर्ताओं का लाभहीन होना, जब संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा केवल 7.6% था, बढ़ती क्षति के चार वर्षों के बाद प्राधिकारी के पास विलंबित पहुँच, क्षमता विस्तार से बढ़ते कीमतह्रास और ब्याज व्यय के कारण लाभप्रदता में गिरावट, घरेलू और वियतनाम के उत्पादकों के बीच प्रौद्योगिकी अंतर, बाजार में संबद्ध आयातों के लिए संरचनात्मक बाधाएँ, और घरेलू उत्पादकों के लिए संभार-तंत्र लागतें शामिल हैं।

lx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा एक समान 22% नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) को लागू करने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि केवल व्यवहार में एकरूपता उस पद्धति के निरंतर उपयोग को उचित नहीं ठहरा सकती जो अब प्रचलित आर्थिक स्थितियों को प्रदर्शित नहीं करती है।

lxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि चल रही पाटनरोधी जाँच के समानांतर, प्राधिकारी ने उसी उत्पाद और मूल देश के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जाँच शुरू की है। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों कार्यवाहियों में शामिल समान संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश को देखते हुए, प्राधिकारी को दोनों जाँचों की समय-सीमा और निष्कर्षों को संरेखित करने पर विचार करना चाहिए।

lxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि संबद्ध देश से पीयूसी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह उत्पाद प्लास्टिक प्रसंस्करणकर्ताओं, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है, जो कम मार्जिन पर कार्य करते हैं और जिनके पास कीमत निर्धारण करने की क्षमता नहीं है।

lxiii. पक्षकारों ने तर्क दिया कि शुल्कों के कारण कीमतों में किसी भी वृद्धि से इनपुट लागत बढ़ेगी, व्यावसायिक व्यवहार्यता को खतरा होगा और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान होगा। उन्होंने तर्क दिया कि उत्पाद का उपयोग खाद्य और कृषि पैकेजिंग जैसी आवश्यक वस्तुओं में किया जाता है, और उच्च लागत का उपभोक्ता कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

lxiv. पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग ने सुरक्षा की आवश्यकता वाली आपूर्ति बाधाओं या क्षमता की कमी नहीं दर्शाई है, यह तर्क देते हुए कि यह क्षेत्र बिखरा हुआ है और कीमत निर्धारण दबाव मुख्य रूप से आंतरिक प्रतिस्पर्धा और अक्षमताओं के कारण हैं, न कि पाटन के कारण। उन्होंने तर्क दिया कि शुल्क विशेष रूप से एमएसएमई के लिए, भारत की विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करेंगे और "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी राष्ट्रीय नीतियों के विपरीत होंगे।

lxv. पक्षकारों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने वियतनाम के और घरेलू उत्पादों के बीच गुणवत्ता अंतर, जिसमें सफेदी का स्तर, एकरूपता के मुद्दे और विशिष्ट अनुप्रयोगों में गैर-प्रतिस्थापनीयता शामिल है, के बारे में उनके अनुरोधों दर्ज किए, किंतु अपने विश्लेषण में इन अनुरोधों पर विचार नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी का विश्लेषण वियतनामी उत्पादों की तुलना में घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों के उपयोग की स्वाभाविक रूप से उच्च लागत पर विचार किए बिना, केवल पाटनरोधी शुल्कों के लागत प्रभाव पर केंद्रित था।

lxvi. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते हुए कि आवेदकों ने गणना में त्रुटियाँ की हैं, तर्क दिया कि पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर प्राधिकारी की जांच पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, ।

lxvii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि 5% ऐश सामग्री मानक केवल चुनिंदा उत्पादों पर लागू होता है जबकि अन्य उत्पादों जैसे कचरा बैग, कैरी बैग और पॉलीप्रोपाइलीन पैकिंग शीट में फिलर मास्टरबैच की उच्च मात्रा होती है।

lxviii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क जनहित में नहीं होगा। आवेदक ने प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की है और संबंधित वस्तुओं पर शुल्क का पहले से ही कमजोरियों का सामना कर रहे प्रयोक्ता उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यह अनुरोध किया गया कि

जनहित के पहलू की तथ्यों के आधार पर जाँच की जाए और आवेदक के जनहित के स्वार्थी दावों को अस्वीकार किया जाए।

lxix. भारत में संबद्ध वस्तुओं के संबंध में माँग और आपूर्ति में अंतर है और पाटनरोधी शुल्क प्रयोक्ताओं के लिए हानिकारक होगा। प्रयोक्ता मात्रात्मक और गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर हैं और ऐसे उत्पाद पर शुल्क देश के उचित हित में नहीं हो सकता।

lxx. हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता पर प्राधिकारी की जाँच का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक बिक्री कीमत, प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति, प्रति इकाई पीबीआईटी, ब्याज और कर से पूर्व कुल लाभ, ब्याज और वित्तीय लागत, तथा कीमतह्रास और परिशोधन व्यय के प्रकटन के लिए व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे। उन्होंने उचित प्रकटन का अनुरोध किया कि प्राधिकारी प्रवृत्ति प्रारूप में उपरोक्त जानकारी के प्रकटन को स्वीकार करे और यह कि वह व्यापार सूचना आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।

lxxi. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के भाग के रूप में अपने प्रश्नावली उत्तर के कुछ अंश प्रस्तुत किए, जिन्हें पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

**ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

287. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अंतिम जॉच परिणाम में प्रकटन विवरण से विशिष्ट प्रस्तावों की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

ii. घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन तालिका में एन टीएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन के प्राधिकारी के प्रस्ताव के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं थीं।

iii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने संबंधित ग्राहकों की सटीक प्रकृति का प्रकटन नहीं किया है, जिनको की गई बिक्री को व्यापार के सामान्य क्रम में माना गया था, चाहे वे पीयूसी के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता हों या व्यापारी। उन्होंने प्राधिकारी से संबंधित ग्राहक की भूमिका की पहचान करने और उसका प्रकटन करने और यह जाँच करने का अनुरोध किया कि क्या बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त है।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि ऐसे मामलों में जहाँ बिक्री संबंधित व्यापारियों को की जाती है जो पीयूसी को स्वतंत्र ग्राहकों को पुन: बिक्री करते हैं, ऐसी बिक्री को स्वचालित रूप से आर्म्स लेंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि यदि संबंधित ग्राहक व्यापारी हैं, तो प्राधिकारी को पहले स्वतंत्र ग्राहकों को पुन: बिक्री कीमत की जाँच करनी चाहिए, और जब तक ऐसे पुन: बिक्री के आँकड़े रिकॉर्ड में नहीं रखे जाते, संबंधित व्यापारियों को की गई बिक्री को सामान्य मूल्य के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

v. उन्होंने अनुरोध किया कि आपूर्ति और वितरण श्रृंखला का हिस्सा बनने वाली सभी संस्थाओं, जिनके आँकड़े सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए संगत हैं, को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में जाँच में भाग लेना चाहिए।

vi. उन्होंने आगे अनुरोध किया कि यदि संबंधित ग्राहक पीयूसी के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता हैं, तो प्राधिकारी को इस तथ्य का प्रकटन करना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या ऐसी बिक्री असंबंधित स्वतंत्र ग्राहकों को की गई बिक्री के साथ तुलनीय है।

vii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि केवल कीमत में समानता यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संबंधित पक्षकारों को की गई बिक्री एक दूसरे से अलग है। उन्होंने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या बिक्री के नियम और शर्तें, जैसे व्यापार का स्तर, ऋण शर्तें और वितरण व्यय, असंबंधित प्रयोक्ता ग्राहकों को की गई बिक्री के साथ तुलनीय हैं, और क्या विदेशी उत्पादक ने यह प्रमाणित करने के लिए कोई स्थानांतरण कीमत निर्धारण रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी है कि प्रभारित कीमतें एक दूसरे से अलग हैं।

viii. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वह एन टीएन द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी संबंधित-पक्ष सौदों का गहन सत्यापन करें। उन्होंने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को अंतिम जाँच परिणाम में एन टीएन के लिए पाटन मार्जिन की पुनः जाँच करनी चाहिए, जिसमें उनके अनुरोध शामिल हों।

## ठ.3 <u>प्राधिकारी की जाँच</u>

288. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध अधिकांशतः दोहराव वाली प्रकृति के थे और उन्हें पहले ही जाँच परिणाम में संगत स्थान पर संबोधित किया जा चुका है। प्राधिकारी ने नीचे उन संगत अनुरोधों की जाँच की है, जिनके बारे में दावा किया गया था कि उन्होंने उनका समाधान नहीं किया है।

289. पीयूसी के दायरे के संबंध में, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी अनुरोधों पर विचार करने के बाद उत्पाद के दायरे की विस्तृत जाँच प्रदान की। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी का प्रस्ताव कि पीयूसी एक फिलर मास्टरबैच है जिसमें सीएसीओ3 प्रमुख घटक अर्थात 50% से अधिक, के रूप में है, सभी साक्ष्यों और तर्कों की गहन जाँच के बाद किया गया था।

290. इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन विवरण जारी करने के बाद नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि 50% से अधिक किंतु 70% से कम सीएसीओ3 सामग्री वाले उत्पाद सीएसीओ3 मास्टरबैच यौगिक हैं। ये नए तथ्य निराधार हैं।

291. हितबद्ध पक्षकारों का वर्तमान तर्क बिना कोई नया साक्ष्य या कानूनी आधार प्रस्तुत किए जो पुनर्विचार का कारण बने, मूलतः इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का प्रयास करते है। प्रकटन विवरण में उत्पाद के दायरे और अपवर्जनों का समुचित रूप से उल्लेख किया गया है।

292. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि प्राधिकारी ने दायरा विस्तार के बारे में उनके दावे की जाँच नहीं की, निराधार है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में इस अनुरोध को समुचित रूप से दर्ज किया है।

293. उपरोक्त तर्क कि पीयूसी का दायरा बढ़ाकर 50-69% कैल्शियम कार्बोनेट के साथ-साथ 19% कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट वाले उत्पादों को शामिल किया गया है, गलत है। जैसा कि प्रकटन विवरण में स्पष्ट किया गया है, प्राधिकारी ने माना कि सीएओ या बीएएसओ4 आधारित फिलर मास्टरबैच, जिनमें सीएओ या बीएएसओ 4 की मात्रा प्रमुख अनुपात में (आयतन के अनुसार 50% से अधिक) है, पीयूसी नहीं हैं, जबकि सीएसीओ3 आधारित फिलर मास्टरबैच, जिनमें प्रमुख घटक सीएसीओ3 है, उत्पाद के दायरे में आते हैं।

294. 55-65% कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री वाले स्पेशियलिटी एलएलडीपीई कम्पाउंड फिलर (ग्रेड एसआरबी फॉर्मूला 1) के विशिष्ट उत्पाद अपवर्जन अनुरोध पर ध्यान दिया गया, जिसकी प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में जांच की।

295. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की जांच की है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग के बीजक की अगोपनीय प्रतियां उपलब्ध कराने के उनके अनुरोध को समझने में विफल रहे हैं। बीजक की अगोपनीय प्रतियों के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दस्तावेजों में ग्राहक का नाम, कीमत आदि जैसी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी शामिल है, जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत उचित रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया था। वास्तव में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बीजक और दस्तावेजों को भी ऐसी जानकारी की व्यावसायिक संवेदनशीलता को देखते हुए गोपनीय होने का दावा करने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी की जांच सभी पक्षकारों के सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित थी।

296. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की जांच की है कि प्राधिकारी लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तर अनुरोधों में प्रस्तुत करने के बावजूद उनके संशोधित पीसीएन प्रस्ताव को स्वीकार करने में विफल रहे हैं। यह तर्क प्रकटन विवरण में विधिवत रुप से दर्ज किया गया था।

297. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी का निर्धारण वियतनाम के प्रमुख उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित था, जिन्होंने शुरू में 10% रेंज का समर्थन किया था, और कैटलॉग/बीजक साक्ष्य 75% से 85% सीएसीओ3 सामग्री की मानक रेंज दर्शाते थे। यह उद्योग परिपाटी प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई व्यापक पीसीएन रेंज का समर्थन करती है। इसके अलावा, पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर विधिवत रुप से बैठक आयोजित करने और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी द्वारा 10% पीसीएन रेंज को अंतिम रूप दिया गया था।

298. प्राधिकारी ने नोट किया कि कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री में ±2% की सहनशीलता रेंज है, जिसे उत्पादक/निर्यातकों ने अपने अनुरोधों में स्वीकार किया है। कुछ आयातकों ने ±2% सहनशीलता रेंज के संबंध में यह तर्क देते हुए प्राधिकारी के विश्लेषण पर विवाद किया है कि पीयूसी में सामान्यतः ±2% के बजाय ±1% सहनशीलता होती है प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की जानकारी का सत्यापन किया है और पाया है कि सहनशीलता सीमा सामान्यतः ±2% की रेंज में है।

299. प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि सीएसीओ3 सामग्री की एक संकीर्ण सीमा अतिव्यापी श्रेणियों का निर्माण करेगी, जिससे उत्पाद वर्गीकरण तकनीकी और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोणों से अव्यवहारिक हो जाएगा। इसलिए, प्राधिकारी सीएसीओ3 सामग्री के 3-5% अंतराल के अनुरोध को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं होगा और प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक होगा।

300. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पॉलिमर प्रकारों से संबंधित अनुरोधों की जांच की और निर्धारित किया कि सीएसीओ3 सामग्री पर आधारित पीसीएन का निर्माण पीयूसी के उत्पादन की कुल लागत में पॉलिमर की लागत को उचित रूप से शामिल करेगा।

301. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा की गई जांच में यह तर्क दिया गया था कि केवल सीएसीओ3 सामग्री पर आधारित पीसीएन पॉलिमर प्रकारों के बीच कीमत अंतर पर विचार नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि वास्तविक आकड़े पॉलिमर के बीच न्यूनतम कीमत अंतर दर्शाते हैं, और पॉलिमर प्रकार के आधार पर पीसीएन निर्माण उचित नहीं है।

302. पॉलिमर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को स्वीकार करने के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय को प्रकटन विवरण में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, पॉलिमर के कई भारतीय उत्पादकों के अन्य हितधारक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य, जो किसी विशेष ग्रेड के लिए सुसंगत रुझान दर्शाते हैं, प्राधिकारी द्वारा पहचाने गए उस मूलभूत मुद्दे का समाधान नहीं करते हैं, कि विभिन्न पॉलिमर कीमतों में कीमत भिन्नता विभिन्न पीसीएन बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर प्रस्तुत अनुरोधों में, अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण स्रोतों के आधार पर जांच की अवधि के दौरान विभिन्न पॉलिमर की औसत कीमतों पर प्राधिकारी की निर्भरता, जिसमें लगभग 2% का अधिकतम अंतर दर्शाई देता है, निर्धारण के लिए अधिक उपयुक्त आधार बनी हुई है।

303. इस अनुरोध पर विचार किया गया कि जांच की अवधि के दौरान पॉलिमर की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया, जिसके परिणामस्वरूप खरीद के समय के आधार पर लागत में कम से कम 4 रुपये प्रति किलोग्राम का अंतर आया, और मासिक निर्धारण के अनुरोध पर विचार किया गया। तथापि, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री, अर्थात् पॉलिमर और सीएसीओ3, की कीमत में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव की अनुपस्थिति को देखते हुए, इस विशेष मामले में मासिक तुलना आवश्यक नहीं है।

304. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रस्तावित पीसीएन ढांचे के आधार पर पुन: परिकलित पाटन मार्जिन प्रदान किए, और दावा किया कि उनके ढांचे के अंतर्गत मार्जिन [***]% से [***]% तक है, जबकि प्राधिकारी के ढांचे के अंतर्गत मार्जिन [***]% है। ये गणनाएँ इस आधार पर की गई हैं कि उनकी पीसीएन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, जिसे प्राधिकारी ने ऊपर दर्ज कारणों से अव्यवहारिक माना है। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीसीएन अनुरोधों के समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। पाटनरोधी जाँच समयबद्ध है और डीजीटीआर ने संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को विशिष्ट समय-सीमाएँ दी हैं। प्राधिकारी इस विलंबित चरण में ऐसे दावों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

305. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी उत्पादन लागत प्रभावों के कारण वाणिज्यिक प्रतिस्थापन पर सीएसीओ3 स्रोत के प्रभाव से संबंधित अनुरोधों पर विचार करने में विफल रहे हैं। इस तर्क को प्रकटन विवरण में विशेष रूप से संबोधित किया गया था, जहाँ प्राधिकारी ने निर्धारित किया था कि स्रोत के कारण लागत में अंतर अंतिम उत्पाद की भौतिक या कार्यात्मक विशेषताओं को नहीं बदलता है। प्राथमिक निर्धारक उत्पाद में सीएसीओ3 का प्रतिशत ही रहता है।

306. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लागत विश्लेषण में भारतीय मूल, वियतनामी मूल और मलेशियाई मूल के सीएसीओ3 की कीमतें दर्शाई गई हैं। यद्यपि यह व्यावसायिक रूप से संगत हो सकता है, भारत में घरेलू विनिर्माता भी तीनों मूलों के सीएसीओ3 की खरीद करते हैं।

307. प्राधिकारी ने वियतनाम और भारत के बीच विनिर्माण प्रौद्योगिकी के अंतरों के संबंध में विस्तृत अनुरोधों की जाँच की है। जैसा कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में निर्धारित किया है, गुणवत्ता पाटनरोधी जाँच में उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने का मानदंड नहीं है, और निर्माण की प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं है क्योंकि एक ही वस्तु का उत्पादन विभिन्न उत्पादन और प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने ऐसे बीजक प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में निर्माताओं द्वारा वियतनामी निर्माताओं द्वारा उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी के समान ही प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

308. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए तीसरे देश के निर्यात के संबंध में विटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी द्वारा अनुरोधों की जाँच की है। कंपनी ने तर्क दिया कि पीसीएन बी उत्पादों के लिए तीसरे देश को पर्याप्त निर्यात किया गया था और उचित विचार करना नकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाएगा।

309. यह नोट किया गया है कि प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में उत्पादक/निर्यातक द्वारा सौदा-वार तृतीय देश निर्यात प्रदान नहीं किए गए थे। तदनुसार, जहाँ पीसीएन की घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत तथा विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और लाभों में उचित योग के आधार पर किया गया था।

310. विटाप्लास संयुक्त स्टॉक कंपनी का यह तर्क कि प्राधिकारी के लागत विभाग द्वारा साझा किए गए लागत के आंकड़े उनके द्वारा अनुरोध किए गए आंकड़ों से अधिक हैं, इस पर विचार करते हुए यह माना जाता है कि विटाप्लास के लिए लागत का निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए विस्तृत और सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रश्नावली के उत्तर, डेस्क सत्यापन आंकड़े और अनुवर्ती स्पष्टीकरण शामिल हैं।

311. इसके अतिरिक्त, एडीसी प्लास्टिक के लिए समायोजनों के संबंध में प्राधिकारी के व्यवहार को प्रकटन विवरण में दर्ज किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन, क्रेडिट लागत और अन्य कटौतियों के लिए दावा किए गए समायोजन डेस्क सत्यापन के बाद अनुमत किए गए थे। यदि विशिष्ट समायोजनों को अस्वीकृत किया गया था, तो यह सहायक दस्तावेज़ों की पर्याप्तता के संबंध में सत्यापन निष्कर्षों पर आधारित था।

312. विटाप्लास जेएससी के लिए अनुमत पैकिंग लागत समायोजनों का एडीसी प्लास्टिक द्वारा उल्लेख, स्वचालित रूप से एडीसी प्लास्टिक को समान व्यवहार का हकदार नहीं बनाता है। प्रत्येक निर्यातक के समायोजनों का मूल्यांकन उनके विशिष्ट अनुरोधों और सहायक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।

313. एन टीएन के लिए प्राधिकारी के निर्धारण को प्रकटन विवरण में दर्ज किया गया है। जैसा कि प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या संबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री आर्म्स लेंथ आधार पर थी और पाया कि ऐसी बिक्री और असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री की कीमतें समान श्रेणी में थीं, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार के सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के लिए ऐसी बिक्री पर विचार किया गया।

314. संबंधित पक्ष सौदों की अधिक विस्तृत जाँच के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट किया गया है। तथापि, प्राधिकारी का निर्धारण कीमत तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित था, जो संबंधित पक्ष सौदों की निष्पक्ष प्रकृति का परीक्षण करने की एक स्थापित विधि है।

315. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी की इस जाँच पर आपत्ति जताई कि अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों के संबंध में नामों की अप्रमाणित सूचियाँ प्रदान की गई थीं। जैसा कि प्रकटन विवरण में दर्ज है, प्राधिकारी ने नोट किया कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के कथित घरेलू उत्पादकों की सूचियाँ सामान्य वेब खोजों से आई हैं, जिनमें केवल आयात के बाद पीयूसी बेचने वाली कंपनियाँ या केवल वितरक शामिल हो सकते हैं। यह भी सिद्ध नहीं है कि क्या वे कंपनियाँ पीयूसी का घरेलू स्तर पर निर्माण कर रही हैं या अपने नाम से विदेशी स्रोतों से बनवा रही हैं (व्हाइट लेबलिंग)। वास्तव में, प्राधिकारी ने नोट किया कि हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रदान की गई सूची में जाँच में भाग लेने वाले आयातक/प्रयोक्ता का नाम शामिल है। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी की जाँच से यह तथ्य सामने आया है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को संगत आँकड़े प्रदान करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में सार्वजनिक सूचना देने के बावजूद कोई भी कथित घरेलू उत्पादक आगे नहीं आया।

316. 86 सदस्यों के दावा किए गए समर्थन और केवल 12 सदस्यों की वास्तविक भागीदारी के बीच विसंगति के तर्क को प्राधिकारी द्वारा दो-एसोसिएशन संरचना की जांच के माध्यम से संबोधित किया गया था। जैसा कि प्रकटन विवरण में दर्ज है, सीएमएमएआई और एमएमए भारत में केवल दो एसोसिएशन हैं जिनके सदस्य पीयूसी का उत्पादन करते हैं, और उनके किसी भी सदस्य ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया।

317. प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है कि नमूनाकरण के लिए व्यापार सूचना संख्या 09/2021 पर निर्भरता गलत है और प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित है। जैसा कि प्रकटन विवरण में दर्ज है, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि मैनुअल का पैराग्राफ 8.8.4 नियम 17 के अंतर्गत संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के नमूनाकरण से संबंधित है, जो वहां लागू नहीं होता है जहां नमूनाकरण बिखरे हुए उद्योग में घरेलू उत्पादकों से संबंधित है।

318. हितबद्ध पक्षकारों की यह गणना कि पांच नमूना उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में केवल 23% हिस्सा है, कानूनी ढांचे को गलत ढंग से समझती है। जैसा कि प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है, सीएमएमएआई और एमएमए तथा इसके सदस्य, जिनमें 12 आवेदक उत्पादक और 21 सहायक उत्पादक शामिल हैं, 25% की कसौटी पर खरे उतरते हैं और सीएमएमएआई और एमएमए की किसी भी सदस्य कंपनी या पीयूसी के किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने याचिका का विरोध नहीं किया है।

319. व्यापार सूचना 09/2021 के अंतर्गत नमूनाकरण एक अलग उद्देश्य पूरा करता है जो क्षतिरहित कीमत के निर्धारण तक सीमित है।

320. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार आसूचना के संबंध में कुल उत्पादन 1.24 मिलियन मीट्रिक टन होने का सुझाव देने वाले तर्क में प्रमाण का अभाव है।

321. हितबद्ध पक्षकारों ने नमूना उत्पादकों के प्रतिनिधित्व और नमूना विविधता पर सवाल उठाया है। प्राधिकारी की नमूनाकरण पद्धति को प्रकटन विवरण में समझाया गया था, जिसमें कहा गया था कि एनआईपी निर्धारण के लिए चुने गए पांच उत्पादक कुल घरेलू आवेदकों के महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और भौगोलिक और प्रचालनात्मक रूप से विविध हैं।

322. सोनाली पॉलीप्लास्ट के आयातों के संबंध में, किसी घरेलू उत्पादक द्वारा कुछ अल्प आयातों का अस्तित्व उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने से अयोग्य नहीं ठहराता, बशर्ते कि उसकी प्राथमिक गतिविधि घरेलू उत्पादन हो और वह पाटित आयातों पर पर्याप्त रूप से निर्भर न हो।

323. आलोक मास्टरबैचेज़ और आलोक इंडस्ट्रीज के बीच कॉर्पोरेट संबंध यद्यपि नोट किए गए हैं, तथापि नमूनाकरण पद्धति को अमान्य नहीं करते हैं। एनआईपी निर्धारण के प्रयोजनार्थ नमूनाकरण सांख्यिकीय रूप से मान्य रहता है।

324. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए उत्पादन आंकड़ों की कमी के संबंध में प्राधिकारी के कथन इस बात की स्वीकृति दर्शाते हैं कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक चरण में कुल घरेलू उत्पादन की पहचान नहीं की थी। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी नियामक मंजूरी, जीएसटी पंजीकरण, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य नियामक फाइलिंग के माध्यम से कुल घरेलू उत्पादन निर्धारित करने के कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

325. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी के विस्तृत स्थायी विश्लेषण में इस व्यापक चुनौती का समाधान किया गया। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में उल्लेख किया कि भारत में पीयूसी उद्योग अत्यधिक संख्या में घरेलू उत्पादकों के

कारण विखंडित है, इसलिए उनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो एसोसिएशन द्वारा आवेदन दायर किया गया था।

326. प्राधिकारी का दृष्टिकोण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2(i) के अनुरूप था, जिसके अनुसार आवेदकों को "ज्ञात घरेलू उत्पादकों" की पहचान करना आवश्यक है। "ज्ञात" शब्द का प्रयोग आकड़ों की आवश्यकता के दायरे पर स्पष्ट सीमाएँ बनाता है, और प्राधिकारी को प्रत्येक संभावित उत्पादक का पता लगाने के लिए व्यापक जाँच करने की आवश्यकता नहीं है।

327. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी का यह निर्धारण कि यद्यपि उनके पास बाहरी स्रोतों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का विवेकाधिकार है, किंतु ऐसा प्रयोग मामला-विशिष्ट है और इस पर निर्भर करता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी अपर्याप्त या अविश्वसनीय है या नहीं, प्रक्रियात्मक तर्क को संबोधित करता है। वर्तमान मामले में, आवेदक ने सभी ज्ञात उत्पादकों की पहचान की और बिखरे हुए उद्योगों के लिए व्यापार सूचना 09/2021 के अंतर्गत अनुमत सहायक साक्ष्य प्रस्तुत किए।

328. प्लास्ट इंडिया रिपोर्ट में बताए गए अनुमानित उत्पादन के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने 20-25% फिलर मास्टरबैच को गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित मानने के आधार को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि इस धारणा का कोई आधार नहीं है और उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि बिना आधार के केवल वक्तव्यों पर भरोसा नहीं करें।

329. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार में उपलब्ध गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित मास्टरबैच प्रकारों (टैल्क आधारित, सोडियम सल्फेट आधारित, बेरियम सल्फेट आधारित) की विविधता को देखते हुए यह प्रतिशत उचित प्रतीत होता है, और चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार संरचना के संबंध में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि प्राधिकारी गैर-कैल्शियम कार्बोनेट आधारित फिलर मास्टरबैच के उत्पादन पर विचार नहीं भी करते हैं, तो भी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की मात्रा, फिलर मास्टरबैच के लिए लगभग 1,000 किलोटन के अनुमानित उत्पादन की प्लास्ट इंडिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, 25% के परीक्षण को पूरा करेगी।

330. प्राधिकारी द्वारा आकड़े सत्यापन के दृष्टिकोण में हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का समाधान किया गया कि कई नमूना कंपनियाँ पीयूसी और कलर मास्टरबैच जैसे अन्य उत्पाद, दोनों का विनिर्माण करती हैं। क्षति विश्लेषण के लिए प्रयुक्त आकड़े विशेष रूप से पीयूसी से संबंधित है।

331. यह तर्क कि घरेलू उत्पादकों ने लगभग 95% उत्पादन घरेलू स्तर पर बेचना जारी रखा, कीमत प्रभाव विश्लेषण की उपेक्षा करता है। जैसा कि प्रकटन विवरण में दर्ज है, 15-25% की महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई, और घरेलू उद्योग को बिक्री लागत से कम पर वस्तु बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे पूरी अवधि में उसे घाटा हुआ। यह तथ्य कि घरेलू उत्पादकों ने बिक्री की मात्रा बनाए रखी, उस क्षति को नकारता नहीं है जब आयात दबाव के कारण ये बिक्री घाटे वाली कीमतों पर की गई थी।

332. यह तर्क कि संबंधित आयातों का बाजार में केवल 19% हिस्सा था और कीमतों में ह्रास करने की क्षमता का अभाव था, इस स्थापित आर्थिक सिद्धांत की उपेक्षा करता है कि जब आक्रामक कीमत निर्धारण रणनीतियों की आवश्यकता होती है, तो अल्पांश बाजार हिस्सेदारी भी कीमत निर्धारण को प्रभावित कर सकती है। प्राधिकारी का कीमत ह्रास विश्लेषण स्पष्ट कारण-कार्य संबंध प्रदर्शित करता है।

333. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मूल्य कटौती और क्षति मार्जिन के बीच तुलना से पता चलता है कि क्षति का कारण संबद्ध देश से आयात के बजाय आवेदक की उच्च लागत है, यह नोट किया जाता है कि मूल्य कटौती आयात की पहुंच कीमत और घरेलू बिक्री कीमतों के बीच अंतर को मापती है,

जबकि क्षति मार्जिन पहुंच कीमत और गैर-क्षतिग्रस्त कीमत के बीच अंतर को मापता है, जो क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक संरक्षण के स्तर को दर्शाता है।

334. आधार वर्ष की अलाभप्रदता के बारे में तर्क, जब आयात मात्रा और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ सहसंबंध में क्षति काफी बढ़ जाती तो कारणात्मक संबध को अस्वीकार नहीं करता है। प्राधिकारी के प्रति विलंबित दृष्टिकोण एक प्रक्रियात्मक मामला है जो वास्तविक क्षति निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है। क्षमता विस्तार लागतें पीयूसी की बढ़ती मांग के अनुरूप हैं और इसका निष्पादन में गिरावट के साथ कोई संबंध नहीं है।

335. जैसा कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में निर्धारित किया है, प्रौद्योगिकी में अंतर, क्षति विश्लेषण को प्रभावित करने वाले वास्तविक परिवर्तनों का गठन करने के लिए प्रदर्शित नहीं किया गया है। संरचनात्मक बाधाएं और संभार-तंत्र लागतें सामान्य प्रतिस्पर्धी कारकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो देखी गई विशिष्ट क्षति प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं करती हैं।

336. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अंतर्गत अलग-अलग उत्पादकों के बीच निष्पादन में भिन्नता किसी भी बाज़ार में सामान्य है। प्राधिकारी का क्षति विश्लेषण, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन पर आधारित है। अलग-अलग कंपनियों के निष्पादन में भिन्नताएँ, समग्र उद्योग विश्लेषण को अमान्य नहीं करतीं, विशेष रूप से तब जब उद्योग का अधिकांश भाग क्षति से प्रभावित रहा हो।

337. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा एकसमान 22% आरओसीई लागू करने का विरोध किया। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा की गई जाँच में इस तर्क का व्यापक रूप से समाधान किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि उन्होंने क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित करने के लिए अपनी सुस्थापित पद्धति पर भरोसा किया है और इस सुसंगत पद्धति से विचलन करने वाला कोई भी तथ्य रिकार्ड में नहीं है।

338. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि समान संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश को देखते हुए, प्राधिकारी को समानांतर सीवीडी जाँच की समय-सीमाओं और जॉच परिणाम को संरेखित करने पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक जाँच अपने स्वयं के कानूनी ढाँचे, समय-सीमा और साक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ती है। प्राधिकारी, जहाँ उपयुक्त हो, संबंधित कार्यवाहियों से संगत जॉच परिणाम पर विचार करेंगे, किंतु प्रत्येक जाँच का निर्धारण उसके विशिष्ट कानूनी ढाँचे के आधार पर किया जाना चाहिए।

339. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी के विस्तृत जनहित विश्लेषण में जनहित संबंधी तर्कों को संबोधित किया गया था। प्राधिकारी ने पाया कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद किसी भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किए। यह दर्शाता है कि प्रयोक्ता शुल्क के प्रभाव को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि सक्रिय भागीदारी वैध बनी रहे।

340. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने गुणवत्ता अंतर (श्वेतता स्तर, संगति संबंधी मुद्दे, विशिष्ट अनुप्रयोगों में गैर-प्रतिस्थापनीयता) के संबंध में उनके अनुरोधों को दर्ज किया, किंतु विश्लेषण में इन पर विचार नहीं किया। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी के समान वस्तु निर्धारण में गुणवत्ता अंतर संबंधी तर्कों पर ध्यान दिया गया था। पाटनरोधी जाँच में उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के लिए गुणवत्ता कोई मानदंड नहीं है, और निर्माण प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं है।

341. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि 5% ऐश की मात्रा केवल चुनिंदा उत्पादों पर लागू होती है, जबकि कचरा बैग, कैरी बैग और पॉलीप्रोपाइलीन पैकिंग शीट जैसे उत्पादों में फिलर मास्टरबैच की उच्च मात्रा होती है। विशिष्ट अनुप्रयोगों में उच्च उपयोग स्तर को स्वीकार करते हुए भी, हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा उद्योग-व्यापी मात्रात्मक विश्लेषण प्रदान नहीं किया है जो महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव को प्रदर्शित करता हो जो अनुचित पाटन प्रथाओं का समाधान करने की आवश्यकता को अस्वीकार कर सके।

342. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता शुल्क लगाए जाने से अप्रभावित रहेगी, क्योंकि आयात जारी रह सकते हैं, बशर्ते कि वे उचित, गैर-पाटित कीमतों पर किए जाएं।

343. गोपनीयता संबंधी दावों के बारे में, प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावों की गहन जाँच की और पाया कि वे उचित रूप से प्रमाणित हैं और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हैं। प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि पर्याप्त अगोपनीय जानकारी उपलब्ध हो।

344. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के भाग के रूप में प्रश्नावली के उत्तर के कुछ परिशिष्ट प्रस्तुत करने के संबंध में, प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी जाँच एक समयबद्ध जाँच है और डीजीटीआर ने हितबद्ध पक्षकारों को संगत जानकारी प्रदान करने के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ दी हैं। विश्व व्यापार संगठन का न्यायशास्त्र यह मार्गदर्शन प्रदान करता है कि समय-सीमा के बाद प्रस्तुत उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि ऐसे विलंबित अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

345. प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात सभी अनुरोधों की व्यापक जाँच की है और पाया है कि दिए गए तर्क या तो पहले से विचार किए गए मुद्दों को दोहराते हैं या प्रकटन विवरण में की गई जाँचों में संशोधन का औचित्य सिद्ध करने वाले नए साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे हैं।

346. उत्पाद क्षेत्र निर्धारण, स्थायी विश्लेषण, नमूनाकरण पद्धति, पीसीएन संरचना और गोपनीयता के व्यवहार सहित जाँच के प्रक्रियात्मक पहलू, सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पालन किए गए हैं।

347. पाटन मार्जिन, क्षति विश्लेषण, कारणात्मकता, गैर-आरोपण और जनहित के संबंध में मूल निर्धारण सत्यापित जानकारी और स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर आधारित हैं।

**ड. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>**

348. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि:

i. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच है जिसमें सीएसीओ3 प्रमुख घटक अर्थात मात्रा में 50% से अधिक है।

ii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार, संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुए एक-दूसरे के समान वस्तुएँ हैं।

iii. आवेदक घरेलू उत्पादक अपने समर्थकों सहित 25% परीक्षण और प्रमुख अनुपात परीक्षण को पूरा करते हैं। इस प्रकार, वे घरेलू उद्योग हैं।

iv. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक हैं।

v. पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। क्षति मार्जिन काफी अधिक है।

vi. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

349. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और सिफारिश किए गए उपायों के प्रभाव के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच आरंभ करने और उसका संचालन करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का परिमाण निर्धारित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

350. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी, नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर होगा।

**शुल्क तालिका**

| क्र. सं. | उप शीर्ष या टैरिफ मद* | वस्तुओं का विवरण | उद्गम का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | राशि (डा./एमटी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3824 99 00 | कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई देश | यूरोपीय प्लास्टिक संयुक्त स्टाक कंपनी (यूरोप्लास्ट) | 31.58 |
| 2 | -वही- | -वही- | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई देश | येन बाई यूरोपीय प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी (येनबाई) | 31.58 |
| 3 | -वही- | -वही- | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई देश | नघे एक यूरोपीय प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (नघे) | 31.58 |
| 4 | -वही- | -वही- | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई | पॉलीफ़िल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी | 31.58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | देश | (पालीफिल)<br>(जिसे सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट समूह "कहा जाता है( | |
| 5 | -वही- | -वही- | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई देश | एडीसी प्लास्टिक, जेएससी | 36.13 |
| 6 | -वही- | -वही- | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई देश | एन टिएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी | शून्य |
| 7 | -वही- | -वही- | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई देश | विटाप्लास संयुक्त स्टॉक कंपनी (विटाप्लास) | 39.25 |
| 8 | -वही- | -वही- | वियतनाम | वियतनाम सहित कोई देश | कोई | 75.00 |
| 9 | -वही- | -वही- | वियतनाम से इतर कोई देश | वियतनाम | कोई | 75.00 |

**ग. आगे की प्रक्रिया**

351. इस अंतिम जाँच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(DEPARTMENT OF COMMERCE)**

**(Directorate General of Trade Remedies)**

**NOTIFICATION**

**FINAL FINDINGS**

**Case No. – AD(OI):36/2024**

New Delhi, the 27th September, 2025

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Calcium Carbonate Filler Masterbatch " originating in or exported from Vietnam.**

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

**F. No. 6/38/2024-DGTR.—** Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended

from time to time (hereinafter referred as the "AD Rules");

1. Whereas, the Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as "CMMAI") and Masterbatch Manufacturers Association (hereinafter referred to as "MMA") (hereinafter collectively referred to as the "petitioner" or "applicant") on behalf of the domestic producers in India filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of an antidumping investigation on imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods" or "PUC") originating in or exported from Vietnam (hereinafter also referred to as the "subject country").
2. The domestic industry in the present case is fragmented and consists of large number of domestic producers located across India, hence the application for anti-dumping investigation was filed by two associations CMMAI and MMA on behalf of its members entities. All the relevant information in the prescribed format as required under Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021 as amended vide Trade Notice No. 11/2021 dated 18th November 2021 (collectively, "Trade Notice 9/2021") was provided.
3. The following twelve (12) applicant domestic producers (hereinafter referred to as the "domestic industry") of subject goods filed the required information in Annexure-I to Trade Notice 9/2021 for fragmented industries:
    i. Kandui Industries Private Limited
    ii. Sonali Polyplast Private Limited
    iii. Blend Colors Private Limited
    iv. Bajaj Masterbatches Private Limited
    v. Bajaj Superpack India Limited
    vi. Bajaj Plast Private Limited
    vii. Bajaj Polyblends Private Limited
    viii. Siddh Chemiplast Private Limited
    ix. Shri Ambica Polyfill
    x. Soltex Petro Products Limited
    xi. Alok Industries
    xii. Alok Masterbatches Private Limited
4. Further, the following twenty-one (21) domestic producers supported the application and provided the required data in the prescribed format:
    i. Sonali Polymers Pvt. Ltd.
    ii. Masterplast India Pvt. Ltd.
    iii. Sri Maniram Synthetics Pvt. Ltd.
    iv. S.P. Polymer
    v. 365 Plastium Pvt. Ltd.
    vi. N.P. Agro (India) Industries Pvt. Ltd.
    vii. Satya Polyalloys LLP
    viii. Adex Ployblend Pvt. Ltd.
    ix. Rama Vyapaar Pvt. Ltd.
    x. Bhagyashree Colors Pvt. Ltd.
    xi. Swastik Plastoalloys
    xii. Manan Polymers Pvt. Ltd.
    xiii. Aditya Polyspin Pvt. Ltd.
    xiv. J K Paras Ploycoats Ltd.
    xv. Speciality Masterbatches LLP
    xvi. Sachdeva Polycolor Pvt. Ltd.
    xvii. Everplus Plastics Pvt. Ltd.

xviii. Manhar Polymers Pvt. Ltd.
xix. Dolphin Polyfill
xx. JJ Plastalloy
xxi. Prabhu Polycolor

5. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the petitioner, the Authority issued a public notice vide Notification F. No. 6/38/2024-DGTR, dated 30th September 2024, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from subject country in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

6. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:

i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

ii. The Authority issued a public notice dated 30th September 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject country.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject country, through their Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users as well as other interested parties, as per the addresses made available by the petitioner and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

iv. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through their Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

v. The embassy of the subject country in India was suggested to advise the exporters/producers to submit their responses to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

| S.No. | Producer/Exporter |
|---|---|
| 1. | PMJ JOINT STOCK COMPANY |
| 2. | CPI VIET NAM PLASTIC LIMITED |
| 3. | UB MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY |
| 4. | MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY |
| 5. | ADC PLASTIC JSC |
| 6. | HP CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY |
| 7. | POLYFILL JOINT STOCK COMPANY |
| 8. | PHU LAM TRADE COMPANY LIMITED |
| 9. | EUROPEAN PLASTICS JOINT STOCK COMPANY |
| 10. | SUN PLASTIKS COMPANY LIMITED |
| 11. | HUU NGHI PLASTIC COMPOUNDSJSC |
| 12. | THANH XUAN STONE MINERALS JSC |
| 13. | FIVE CONTINENTS PLASTICS JSC |
| 14. | VSV GROUP CORPORATION |

| | |
|---|---|
| 15. | VINARES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY |
| 16. | FILLPLAS COMPANY LIMITED |
| 17. | BAO LAI MARBLE ONE MERMER CO LTD |
| 18. | PLASTEX JOINT STOCK COMPANY |
| 19. | MASKA GLOBAL COMPANY LIMITED |
| 20. | VINA PLASTIC COMPANY LIMITED |
| 21. | SUNSHINE PLASTIC COMPANY LIMITED |
| 22. | CAPOT VIETNAM COMPANY LIMITED |
| 23. | PHA LE PLASTIC MANUFACTURING AND TECHNOLOGY |
| 24. | VIET TRUNG PLASTIC CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY |
| 25. | PLASTIC HA NOI TRADING JOINT STOCK |
| 26. | FILTER MASTER BATCH JOINT STOCK COMPANY |
| 27. | BEENPLAST COMPANY LIMITED |
| 28. | VIETNAM COLOR TRADING AND MANUFACTURING BEEN A AND T COMPANY LIMITED |
| 29. | GLOBAL MINERALS JSC |
| 30. | ANBIO JOINT STOCK COMPANY |
| 31. | TLD VIETNAM JOINT STOCK COMPANY |
| 32. | AN THANH BICSOL JOINT STOCK COMPANY |
| 33. | MINH KHANG CHEMICAL TRADING JOINT STOCK COMPANY |
| 34. | US MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY |
| 35. | HOANG GIA MINERAL GROUP JSC |
| 36. | DAI A INDUSTRAY JOINT STOCK COMPANY |
| 37. | VIETNAM HANOTECH JOINT STOCK C |
| 38. | AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY |
| 39. | VITAPLUS JOINT STOCK COMPANY |
| 40. | RAINFOREST EXPORT GOODS WHOLESALERS L L C |
| 41. | ASIA PLASTICS INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY |
| 42. | VIETNAM INDUSTRIAL MINERAL INTERNATIONAL |
| 43. | US MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY-HUNG YEN US MASTERBATCH JSC |
| 44. | CONG TY TNHH MINH HIEN LS DAPLAST JOINT STOCK COMPANY |
| 45. | GCC MINERALS JOINT STOCK COMPANY |
| 46. | NO MMA PLASTIC COMPANY LIMITED |
| 47. | DUC PHONG MATERIALS CO LTD |
| 48. | FILLER MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY |
| 49. | POLY PLOY JSC SONG MINH IMPORT EXPORT COMPANY |

vii. In response to the initiation notification, the following producers/exporters from the subject country registered themselves as interested parties in the investigation:

| **S. No.** | **Producer/Exporter** |
|---|---|
| 1. | NGHE AN EUROPEAN PLASTIC ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY |
| 2. | YEN BAI EUROPEAN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY |
| 3. | EUROPEAN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY |
| 4. | POLYFILL JOINT STOCK COMPANY |
| 5. | AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY |
| 6. | A DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY |
| 7. | VITAPLAS JOINT STOCK COMPANY |

| | |
|---|---|
| 8. | VIETNAM INDUSTRIAL MINERALS INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY |
| 9. | GCC MINERALS JSC |
| 10. | VIET TRUNG PLASTIC CHEMICAL JSC |
| 11. | US MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY |
| 12. | US MB JSC HUNG YEN BRANCH |
| 13. | FILLER MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY |

viii. The Authority sent Importer's / User's Questionnaire to the following known importers of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

| **S. No.** | **Name of Importer** |
|---|---|
| 1 | ASIAN TRADELINKS PRIVATE LIMITED |
| 2 | DVM PROTECH |
| 3 | PARIKH PACKAGING PRIVATE LIMITED |
| 4 | PREMIER POLYMERS |
| 5 | SPINPACK INDUSTRIES CO |
| 6 | NEELAMEGAM GANAPATHI RAM |
| 7 | PADMA POLYMERS |
| 8 | EUPHORIA PACKAGING LLP |
| 9 | RAWPLAST IMPEX |
| 10 | JUMBO BAG LIMITED |
| 11 | GSV POLYMERS PVT LTD |
| 12 | DOLLAR SENSE |
| 13 | SOUTHERN BIO-TECH POLY INDUSTRY |
| 14 | MITHILA PLYWOOD PRIVATE LIMITED |
| 15 | INDO CHEMICALS PVT LTD |
| 16 | PARASHNATH POLYPACK PVT LTD |
| 17 | PRAGATI POLYPLAST INDIA PRIVATE LIMITED |
| 18 | NIRMAL PLASTIC INDUSTRIES |
| 19 | GOTHI IMPEX |
| 20 | PRIME AGENCIES |
| 21 | VIRGO POLYMERS I LTD |
| 22 | A M TRADERS |
| 23 | ATULYA FABRICS LLP |
| 24 | PUJA SALES |
| 25 | TOPSACK PACKAGING PRIVATE LIMITED |
| 26 | RAJSHREE POLYPACK LIMITED |
| 27 | VISHWAA PACKWEL PRIVATE LIMITED |
| 28 | SRI LAKOSHA POLYMER PRIVATE LIMITED |
| 29 | RGK POLYCHEM INDIA PRIVATE LIMITED |
| 30 | SHREE ADITYA POLYMERS |
| 31 | SHIV INTERNATIONAL LTD |
| 32 | AERO PLAST LTD |
| 33 | J VASANTH EXPORTS |
| 34 | SERVO PACKAGING LTD |
| 35 | GAGAN POLYMERS |
| 36 | TEXBOND NONWOVENS |
| 37 | PIYUSH POLYTEX INDUSTRIES PVT LTD |

| | |
|---|---|
| 38 | DELTA IRRIGATION INDIA LLP |
| 39 | BULK LIQUID SOLUTIONS PVT LTD |
| 40 | NIRMAL FIBRES PRIVATE LIMITED |
| 41 | TIRUMALAI AGENCY |
| 42 | ALLWIN PIPES |
| 43 | BROCADE INDIA POLYTEX LIMITED |
| 44 | H AND H POLYMERS |
| 45 | AARCH NONWOVEN |
| 46 | GIRIVARYA NON WOVEN FABRICS PVT LTD |
| 47 | VIRAT IMPEX |
| 48 | SAI KANDAN AGENCY |
| 49 | PRATAP SYNTHETICS LIMITED |
| 50 | KRISHNA LAMICOAT PRIVATE LIMITED |
| 51 | ULTRA NONWOVEN |
| 52 | A-ONE TEX TECH PRIVATE LIMITED |
| 53 | RAJSHREE FABRICS |
| 54 | MATRIX IMPEX |
| 55 | PRIMO INDUSTRIES |
| 56 | SHRI MAA POLYFABS LIMITED |
| 57 | PRAKRIT IMPEX PRIVATE LIMITED |
| 58 | BIG BAGS INTERNATIONAL PVT LTD |
| 59 | PEEKAY AGENCIES PVT LTD |
| 60 | PROTON POLYMER |
| 61 | A P POLYPLAST PVT LTD |
| 62 | SIGNODE INDIA LIMITED |
| 63 | AGARWAL TECHNOPLAST PVT LTD |
| 64 | NAAD NONWOVEN PRIVATE LIMITED |
| 65 | BHOOMI PLASTIC |
| 66 | ELECTRO POLYCHEM LIMITED |
| 67 | MILI EXPORTS |
| 68 | SURYA LAXMI INDUSTRIES |
| 69 | VARNA BAGS |
| 70 | CAPSTONE POLYWEAVE PRIVATE LIMITED |
| 71 | JEMINI IMPEX SOLUTIONS |
| 72 | SUVARNA EXPORTERS |
| 73 | HARIOM POLYPACKS LIMITED |
| 74 | DNS POLYFAB PVT LTD |
| 75 | LINGAM POLYMERS |
| 76 | GIRDHAR ROLL WRAP PVT LTD |
| 77 | RAJGURU INDUSTRIES |
| 78 | SKP ENTERPRISES |
| 79 | COVAI POLYMER TRADERS |
| 80 | PREET FLEX |
| 81 | AMCO ENTERPRISES |
| 82 | BLOW PACKAGING I PVT LTD |
| 83 | AVI ADDITIVES PRIVATE LIMITED |
| 84 | D B POLYMERS |

| | |
|---|---|
| 85 | POLSTAR |
| 86 | SKILL DYE CHEM P LTD |
| 87 | VIDVAR COMPANY |
| 88 | MANSAROVAR AGRO SACKS PVT LTD |
| 89 | VARDHAMAN POLYPACKS |
| 90 | SAMRUDDHI INDUSTRIES LTD |
| 91 | SUNIL FIBRES PVT LTD |
| 92 | R L COMMERCIAL PRIVATE LIMETED |
| 93 | FLEXIBLE BAGS |
| 94 | TOTAL PACKAGING SERVICES |
| 95 | MARIS ASSOCIATES PVT LTD |
| 96 | SERVO PLASTICS PVT LTD |
| 97 | MITTAL TECHNOPACK PVT LTD |
| 98 | NEXXA COMPOUNDS PRIVATE LIMITED |
| 99 | BUILDMET FIBRES PRIVATE LIMITED |
| 100 | POLIVEX OVERSEAS |
| 101 | SAI SURFACTANTS PVT LTD |
| 102 | BHAGIRATHI PACKAGING PVT LTD |
| 103 | SIMANDHAR IMPEX |
| 104 | RACHANA POLYMERS PRIVATE LIMITED |
| 105 | BULKPACK EXPORTS LIMITED |
| 106 | DURA PLASTSOLUTIONS LLP |
| 107 | FINE TECH INDUSTRIES |
| 108 | SYNTHETIC PACKERS PVT LTD |
| 109 | COLORPLAS POLYADDITIVES LLP |
| 110 | GAUTAM SINGHAL |
| 111 | PLASMIX PVT LTD |
| 112 | M D P TRADEING |
| 113 | HOOGHLY EXTRUSIONS LIMITED |
| 114 | DEEPEE CHEM INDUSTRIES |
| 115 | PEKON ELECTRONICS LIMITED |
| 116 | GIRIRAJ POLYPACK |
| 117 | SARAF FINCOM PRIVATE LIMITED |
| 118 | KT PYROCHEM |
| 119 | RDB RASAYANS LIMITED |
| 120 | DHWANI POLYPRINTS PVT LTD |
| 121 | MANHAR POLYMERS PRIVATE LIMITED |
| 122 | CHANDRA POLYMER PRIVATE LIMITED |
| 123 | SAVITRIDEVI POLYFABRICS INDIA PVT LTD |
| 124 | POLYZEN TRADING CO |
| 125 | NS FABRICS |
| 126 | KULODAY PLASTOMERS PVT LTD |
| 127 | PEARL POLYFILM MANUFACTURERS |
| 128 | PARIVARTAN MERCANTILES PRIVATE LIMITED |
| 129 | AMORA PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| 130 | PARADISE ENTERPRISES |
| 131 | BARODA RAPIDS |

| | |
|---|---|
| 132 | SHREE ANGIRA ENTERPRISES |
| 133 | PIONEER ENTERPRISES I PVT LTD |
| 134 | VIVA PETROCHEMICAL LLP |
| 135 | RAJENDRA CHEMICALS |
| 136 | SHRI DAKSHINESHWARI MAA POLYFABS LIMITED |
| 137 | SRIJA POLYMERS |
| 138 | MVS ACMEI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 139 | SDR POLYMERS PRIVATE LIMITED |
| 140 | RATHI ENTERPRISES |
| 141 | SHIVAM AGRI PIPES |
| 142 | BINA PLASTICS |
| 143 | BOHRA SALES SERVICES LIMITED |
| 144 | SUPER PACKWELL PRIVATE LIMITED |
| 145 | JUPAX VANIJYA PRIVATE LIMITED |
| 146 | RUCHAK CHEMICALS |
| 147 | MEGAPLAST INDIA PRIVATE LIMITED |
| 148 | SRI SHYAM ADDITIVES PRIVATE LIMITED |
| 149 | MOHAN KUMAR AGARWAL |
| 150 | POLYSPIN EXPORTS LIMITED |
| 151 | GOVIND AGARWAL HUF |
| 152 | RUSHABH PLASTIC |
| 153 | NATIONAL PLASTO CONTAINERS PRIVATE LIMITED |
| 154 | RAJESH COLOUR COMPANY |
| 155 | BHAGYASHREE COLOURS PVT LTD |
| 156 | SUN ENTERPRISE |
| 157 | ORACLE POLYPLAST |
| 158 | KAVERI GLOBAL |
| 159 | N K IMPORTS |
| 160 | PARK SHELDRAKE |
| 161 | PYARE LAL FOAMS PVT LTD |
| 162 | SRIVARI INDUSTRIES |
| 163 | INDAUTO FILTERS |
| 164 | AJAY LOGISTICS PVT LTD |
| 165 | KAVERI IMPEX |
| 166 | NAGINDAS HIRALAL BHAYANI |
| 167 | JAKHOTIA POLYCHEM PVT LTD |
| 168 | VGR FOODTECH AGRO PRIVATE LIMITED |
| 169 | MARUTI ENTERPRISE |
| 170 | EVEREST POLYFILLERS PRIVATE LIMITED |
| 171 | ALPINE FIBC PRIVATE LIMITED |
| 172 | VAIBHAV MINERALS CHEMICALS |
| 173 | MAHASHAKTI POLYCOAT |
| 174 | SHREE KRISHNA SALES AGENCY |
| 175 | NAV - DIV INDUSTRIES |
| 176 | PLASTENE INDIA LIMITED |
| 177 | RANASARIA POLY PACK PVT LTD |
| 178 | KONKAN SPECIALITY POLYPRODUCTS PRIVATE |

| | |
|---|---|
| | LIMITED |
| 179 | THANIGAI INTERNATIONAL |
| 180 | ALPS POLYTEX |
| 181 | SINGLA PLASTIC UDYOG |
| 182 | ZEEL PACKAGING |
| 183 | OMYA INDIA PRIVATE LIMITED |
| 184 | PRAGATI PAPER ENTERPRISES |
| 185 | SHREEJI POLYMIX INDUSTRIES |
| 186 | VIBGYOR POLYADDITIVES PVT LTD |
| 187 | KIK PLASTICS PRIVATE LIMITED |
| 188 | ORIANA GLOBAL TRADE LLP |
| 189 | NEOTEX POLYMER PACKAGING PRIVATE LIMITED |
| 190 | K K POLYCOLOR ASIA LIMITED |
| 191 | MADHU PLASTICS PRIVATE LIMITED |
| 192 | BALAJI POLY UDYOG |
| 193 | CRESCENT ORGANICS PVT LTD |
| 194 | SARAF FABTRADE PRIVATE LIMITED |
| 195 | FORMOSA SYNTHETICS PVT LTD |
| 196 | BANGLORE POLYCOTTERS PRIVATE LIMITED |
| 197 | MEHUL COLOURS MASTERBATCHES PVT LTD |
| 198 | KASHYAP UNITEX CORPORATION |
| 199 | SURAJ LOGISTIX PRIVATE LIMITED |
| 200 | SURAJ JAISWAL |
| 201 | H J INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| 202 | K C SONS |
| 203 | MASTER EXTRUSIONS |
| 204 | PINNACLE POLYMERS |
| 205 | JHUNSONS CHEMICALS |
| 206 | SEYYON HI-TECH POLY FABS PRIVATE LIMITED |
| 207 | ABIS EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 208 | SAI INDUSTRIES PVT LTD |
| 209 | AYUSHMAN MERCHANT PRIVATE LIMITED |
| 210 | TRIMURTI POLYCHEM PRIVATE LIMITED |
| 211 | ADISHA MOULDS |
| 212 | OSWAL INDUSTRIES |
| 213 | SIDWIN FABRIC PRIVATE LIMITED |
| 214 | DARSHAN PLASTIC |
| 215 | GLOBECHEM IMPORTS |
| 216 | SUVJAY INDUSTRIES INDIA LLP |
| 217 | STANDARD PACKAGING |
| 218 | ESQUIRE MULTIPLAST PRIVATE LIMITED |
| 219 | BHIM POLYFAB INDUSTRIES |
| 220 | BHUYAN ASSOCIATES PVT LTD |
| 221 | ANJANI INTERWEAVE |
| 222 | FASTRAX POLYPLAST PRIVATE LIMITED |
| 223 | SHYAM CHEMICAL AND MINERALS |
| 224 | MERIT POLYMERS |

| | |
|---|---|
| 225 | ISHOM PACKAGING PRIVATE LIMITED |
| 226 | MANIKA MOULDS PVT LTD |
| 227 | CHURIWAL TECHNOPACK PVT LTD |
| 228 | SUPRABHA PROTECTIVE PRODUCTS PVT LTD |
| 229 | KNK OVERSEAS |
| 230 | POLYSQUARE LLP |
| 231 | MICO PLAST INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
| 232 | VIJAY POLYMERS |
| 233 | TIRUPATHI HYDROCARBON PRIVATE LIMITED |
| 234 | MALLINATH TEXTILE MILLS |
| 235 | DAMAN POLYFABS |
| 236 | TIBRIWAL PLASTICS PVT LTD |
| 237 | BARODA PACKAGING |
| 238 | PRIYADARSHINI POLYSACKS LTD |
| 239 | VISHAL SYNTHETICS |
| 240 | PATCO POLYPACK PRIVATE LIMITED |
| 241 | RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD |
| 242 | MICO POLY PACK |
| 243 | SUN MASTERBATCH PVT LTD |
| 244 | BHAVANI PLASTICS |
| 245 | K B UDYOG |
| 246 | SUN TEX MILLS |
| 247 | AASTHA PLASTICON |
| 248 | ANANYA IMPEX |
| 249 | AL-SA AD ENTERPRISES |
| 250 | VIJAYNEHA POLYMERS PVT LIMITED |
| 251 | NAVKAR PACKAGING |
| 252 | KANDOI FABRICS PRIVATE LIMITED |
| 253 | SHANKAR PACKAGINGS LIMITED |
| 254 | SNG MICRONS PRIVATE LIMITED |
| 255 | SHREE SALASAR TRADING COMPANY |
| 256 | VIBRANT POLYMERS LLP |
| 257 | SEALION WORLD TRADE PVT LTD |
| 258 | SRI RAM POLYMERS |
| 259 | AMIT OIL PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 260 | S G POLYMERS |
| 261 | V M POLYTEX LIMITED |
| 262 | CONSOLIDATED SHIPPING LINE INDIA PVT LTD |
| 263 | CREATIVE POLY PACKS P LTD |
| 264 | VEN PACK |
| 265 | VR FIBC JAMBO BAG INDUSTRIES |
| 266 | SAKTHI POLY CHEM |
| 267 | DEEP POLYMERS LIMITED |
| 268 | MEHRASONS COATINGS PVT LTD |
| 269 | LINCON POLYMERS PVT LTD |
| 270 | BAJAJ POLYBLENDS PRIVATE LIMITED |
| 271 | PADMAJA POLY PACKS PRIVATE LIMITED |

ix. In response to the initiation of notification, the following importers/users registered themselves as interested parties:

| S. No. | Importer |
|---|---|
| 1. | Rishabh Colours Pvt. Ltd. |
| 2. | Blaze Decorative Pvt. Ltd. |
| 3. | RGK Polychem India Pvt. Ltd |
| 4. | A One Trading Co. |
| 5. | Rushabh Plastic |
| 6. | Fine Tech Industries |
| 7. | Konkan Speciality Poly Products Pvt. Ltd. |
| 8. | Asian Tradelinks Pvt. Ltd. |

x. A copy of the initiation notification and a non-confidential version of the application was sent to the known associations.

xi. In response to the initiation of notification, none of the known associations have registered themselves as interested parties.

xii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to or not supplied relevant information to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.

xiii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the applicant. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry.

xiv. The period of investigation ("period of investigation" or "POI") for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury period covered the period of investigation and the three preceding financial years 2020-21, 2021- 22, 2022-23.

xv. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

xvi. The Directorate General of Systems (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered for the subject investigation. For the purpose of the present final findings, the Authority has relied upon the DG System import data.

xvii. The Authority held a meeting with all the interested parties to discuss the product under consideration and the PCN methodology on 21st November 2024. After receiving input from all the interested parties, the Authority vide notification dated 4th December 2024 clarified the scope of the PUC and also notified PCN.

xviii. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of the interested parties to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

xix. In accordance with Paragraph 7 of the Trade Notice No. 09/2021, the Authority limited the detailed examination of applicant domestic producers for determining injury margin. Using statistically valid techniques, the Authority selected the following entities as part of the sample:

1. Soltex Petro Products Ltd.
2. Alok Masterbatches Pvt. Ltd.
3. Alok Industries
4. Kandui Industries Pvt. Ltd.
5. Sonali Polyplast Private Limited

xx. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.

xxi. The Authority sought further information to the extent deemed necessary. The on-site verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.

xxii. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

xxiii. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the actual data/information furnished by the domestic industry. NIP based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry and in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xxiv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th May 2025. Further, a second oral hearing was held on 14th July 2025 due to change in the Designated Authority. The parties, which presented their views in both the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties

xxv. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 15th September 2025. The parties were requested to file the comments on disclosure statement if any by 22nd September 2025

xxvi. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

xxvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

xxviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xxix. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

xxx. "***" in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = Rs 83.69.

## C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

*"3. The product under consideration in the present investigation is "Calcium Carbonate Filler Master batch" which is also known as "Filler Masterbatch" or "Calcium Carbonate Compound."*

*4. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a mix of calcium carbonate (a mineral), base plastic materials like polypropylene or polyethylene, and other additives. The said mixture is extruded at a*

*certain temperature to produce the Calcium Carbonate Filler Masterbatch in compound granules form. The PUC majorly constitutes calcium carbonate, with the rest being plastics and other additives.*

*5. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a special material used in the plastic industry for enhancement of properties of plastic items. Its main job is to be a cost effective and ecofriendly filler imparting specific physical and chemical properties.*

*6. Many industries use Calcium Carbonate Filler Masterbatch, such as packaging, construction, automotive and consumer goods. When added to plastics, Calcium Carbonate Filler Masterbatch can make them stronger, less likely to break, better at keeping their shape, and less likely to shrink.*

*7. Calcium Carbonate Filler Masterbatch can also change how plastic feels on the surface, how it handles heat, and how easy it is to work with. It is often used to make plastic films, sheets, pipes, shaped items, and other plastic goods.*

*8. The product under consideration is classifiable under tariff item 3824 99 00 of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Major imports are cleared under tariff item 3824 99 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present petition.*

*9. The applicants have not proposed the Product Control Numbers (PCNs) in the present investigation. The interested parties, however, can provide their comments/suggestions on the proposed PUC/PCNs for the purpose of this investigation within 30 days from the date of initiation of this investigation.*

**C.1. <u>Submissions by other interested parties</u>**

8. The other interested parties have made the following submissions with respect to the scope of product under consideration and PCN methodology:

i. The product under consideration can be manufactured using three different raw materials:
   a. Calcium Carbonate (CaCO3)
   b. Calcium Oxide (CaO) mixed with Calcium Carbonate (CaCO3)
   c. Calcium Carbonate (CaCO3) mixed with Barium Sulphate (BaSO4).

ii. Filler Masterbatch produced through these three base materials have different characteristics, cost of production and price. Parties requested clarification that Filler Masterbatch produced with Calcium Oxide (CaO) and Calcium Carbonate + Barium Sulphate (BaSO4) are beyond the scope of present investigation.

iii. The interested parties further submitted that the initial definition of the PUC was limited to masterbatches made from inorganic calcium carbonate, polypropylene or polyethylene as the polymer base, and additives, with a calcium carbonate content restricted to 70–85%. These parties submitted that CaO (calcium oxide) and $BaSO_4$ (barium sulphate) were not mentioned in the initial application as part of the PUC.

iv. These parties stated that, after initiation and through later notifications, the scope was clarified and expanded by the Authority to include masterbatches containing more than 50% calcium carbonate and allowed the presence of calcium oxide or barium sulphate in the formulation.

v. Objection was raised to the alleged expanded scope of the PUC, arguing that only the originally defined calcium carbonate-based masterbatches, i.e., 70-85% $CaCO_3$ and no CaO or $BaSO_4$, should be included. Parties submitted that the inclusion of products with lower $CaCO_3$ content (between 51% and 69%) or with significant CaO or $BaSO_4$ constitutes an inappropriate broadening of the investigation's scope.

vi. Some of the interested parties who are the importers/users of PUC has sought exclusion of the following grades of PUC alleging that the domestic industry does not produce this in India:
   a. Grades produced using HDPE Polymers
   b. Specialty LLDPE Compound Filler (Grade SRB FORMULA 1) with calcium carbonate content of 55-65%
   c. Grade PE 1009, PE-BB02, Supermax.

vii. The interested parties argued that Grade SRB FORMULA 1 is used in high-performance industrial applications requiring high tensile strength, impact resistance, and durability, which cannot be substituted with domestic grades.

viii. Some of the interested parties proposed using the ratio of calcium carbonate content as the primary parameter for PCN methodology. It was submitted that calcium carbonate is the primary material in Calcium Carbonate Filler Masterbatch, which can vary from approximately 60-90% of the composition. It was submitted that there is a clear inverse relationship between calcium carbonate content and price - the higher the calcium carbonate content, the lower the price of the product.

ix. The interested parties initially proposed a PCN structure of 10% range based on four categories:

| **Calcium Carbonate content (%) (CaCO3)** | Below 70% |
|---|---|
| | above 70% and upto 80% |
| | above 80% and upto 90% |
| | over 90% |

x. While another producer exporters and the importer/users have proposed a 3% range to be adopted for the PCN based on calcium carbonate content as below –

| **Calcium Carbonate content (%) (CaCO3)** | Up to 75% |
|---|---|
| | 75-78% |
| | 79-82% |
| | 83-86% |
| | 87% & above |

xi. Interested parties emphasized that the PUC has inherent features which make PCN essential for proper comparisons. Some interested parties identified following three parameters for establishing PCN:

a. base plastic materials
b. Calcium Carbonate (CaCO3) powder content
c. difference in application.

xii. It was submitted that Calcium Carbonate Filler Masterbatch is produced using thermoplastic polymers such as polypropylene (PP) or polyethylene (PE), and these two bases have significantly different cost and price.

xiii. It was also submitted that different applications require different base materials and CaCO3 content. Therefore, PCN should be created on the basis of five major applications of PUC

a. blowing film
b. PP Fiber/PP Yarn/PP Woven bag
c. non-woven
d. injection
e. tarpaulin

xiv. The interested parties highlighted differences in production technology between Vietnamese and Indian manufacturers, with Vietnamese producers using more advanced equipment including triple screw extruders with higher productivity compared to single/twin screw extruders used by Indian manufacturers. It was further argued that domestically produced PUC cannot be compared to PUC imported from Vietnam due to fundamental differences. Therefore, it was contended that technological differences render the two categories of products incomparable in terms of quality and performance.

xv. The interested parties provided a comparison showing that triple/double screw extrusion technology results in uniform calcium carbonate particle distribution, consistent mechanical properties, particle sizes as low as 8-10 microns, and requires low polymer proportion. Further, single-screw exclusion technology results in inconsistent particle distribution, weaker mechanical properties, particle sizes above 15 microns, and requires higher polymer proportion.

xvi. The interested parties contended that domestically produced PUC cannot substitute Vietnamese PUC in high-performance applications, such as non-woven textiles, agriculture films, and industrial packaging, due to Vietnamese PUC's technical characteristics.

xvii. Some of the interested parties submitted that Vietnamese PUC contains 90-100% whiteness, which is absent in domestically produced PUC. Further, consumers of domestically produced PUC are required to use additional white filler masterbatch costing approximately Rs 150-225/kg to reach the same amount of whiteness as Vietnamese PUC.

xviii. Parties submitted that both the amount and origin of $CaCO_3$ matter, since Indian, Vietnamese, and Malaysian $CaCO_3$ are priced at ₹6–9/kg, ₹9–15/kg, and ₹11–18/kg, respectively, resulting in a cost of production difference of up to ₹3–4 per kg, which can be more than 5% of the final product price.

xix. It was further submitted that the quality of domestically produced PUC is often inconsistent, as evidenced by multiple reports of frequent rejections or need for replacements during production. These parties submitted that quality issues lead to manufacturing process disruptions, delays and increased costs for end users.

xx. In the post-hearing submissions, some of the interested parties revised their PCN proposal based on further market and cost-related information obtained during the investigation. These interested parties clarified that while CaCO3 is the primary filler, polymer and additive components account for a significant share of the cost structure, being substantially more expensive than CaCO3. These interested parties claimed that PUC with 75% CaCO3 and 25% polymer/additives will have considerably higher cost of production than the PUC with 85% CaCO3 and only 15% of other inputs.

xxi. The interested parties argued that polypropylene, LLDPE, and HDPE have distinct cost structures that directly impact production cost. The interested parties also disputed the domestic industry's claims that polymer choice results in only 3-5% cost variation. Some of the interested parties provided market data from one of the Indian suppliers of polymers, Reliance Industries Ltd., showing price difference between Polypropylene and Linear low-density polyethylene, with additional variations within LLDPE grades. Therefore, some interested parties proposed a comprehensive PCN structure based on type of base polymer.

xxii. The parties submitted that different base polymers used in manufacturing directly affect dumping margins, injury calculations, and price undercutting because polymer input prices change monthly. Since polymers represent 60-85% of total production costs, these price swings create 6-14% variations in overall product costs. These parties requested that PCN be defined by base polymer type and that the Authority conduct month-by-month price analysis instead of using annual averages.

xxiii. It was also submitted that products have identifiable and distinct applications based on the base material used. The interested parties contended that CaCO3 powder content is important in determining cost and price since higher CaCO3 content reduces the need for resin plus additives content, which are much more expensive than CaCO3 powder.

xxiv. The interested parties submitted that there exists a price difference of up to 35-45% between different grades, with PUC containing 85% CaCO3 compared to PUC with 75% CaCO3 content.

xxv. Some of the interested parties cited the established practice that a new PCN is warranted when cost and/or price difference between products exceeds a threshold of 5%. Submissions were made claiming cost differences between filler masterbatch of various concentrations, with 84% CaCO3 share products having 8% cost difference compared to 80% CaCO3 share products. The 8% difference, being more than the established 5% threshold, demonstrates the inadequacy of the PCN methodology.

xxvi. It was submitted that a broader PCN range of 10% fails to reflect these critical cost and price differences. These interested parties submitted a revised six-tier PCN structure based on CaCO3 content:

a. below 70%
b. above 70% and up to 75%
c. above 75% and up to 80%
d. above 80% and up to 85%
e. above 85% and up to 90%
f. above 90%

xxvii. The interested parties requested the Authority to adopt this refined structure for accurate price comparison, dumping margin calculation, and injury assessment.

**C.2. <u>Submissions made by the domestic industry</u>**

9. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration:

i. The domestic industry submitted that the domestically produced PUC and imported PUC constitute like articles within the meaning of Article 2.6 of the Anti-dumping Agreement and Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules. The products have similar physical characteristics, end-use applications, and consumers use them interchangeably, making them commercially and technically substitutable.

ii. The domestic industry contended that any alleged difference in production machinery between single screw and double screw extrusion does not affect final product characteristics or commercial substitutability. The double screw extrusion technology involves two intermeshing screws rotating within a barrel, while single screw technology achieves the same end result of producing a homogeneous mixture of calcium carbonate and polymer matrix.

iii. The domestic industry submitted that the assertion regarding use of only single screw extrusion technology is factually incorrect. Most domestic industry units utilize double screw extrusion technology in manufacturing processes. Several domestic producers employ Farrel Continuous Mixer technology, which is technologically superior to the double screw technology used by exporters. Purchase invoices of Farrel Continuous Mixer machines and double screw extrusion machines were provided as evidence.

iv. The domestic industry argued that any minor difference in machines or manufacturing process is immaterial for determining like-article. Differences in manufacturing processes do not preclude products from being considered like articles if they are commercially and technically substitutable. The domestic industry's products are functionally equivalent and commercially interchangeable with imported PUC.

v. The domestic industry submitted that claims regarding quality differences lack evidentiary support. Importers made bare assertions without technical documentation, test certificates, or laboratory reports to substantiate quality issues. Quality differences do not constitute valid grounds for product exclusion when products remain functionally substitutable and commercially interchangeable in the market.

vi. The domestic industry submitted that it manufactures and supplies a comprehensive range of products that fully encompasses grades for which exclusion is sought by interested parties. Claims regarding inability to produce certain grades are unfounded and contradicted by documentary evidence.

vii. Regarding HDPE-based grades, the domestic industry regularly manufactures and supplies PUC using HDPE as base polymer. Commercial invoices along with Certificate of Analysis and Product Data Sheets were provided demonstrating consistent supply to various customers using different base polymers including HDPE.

viii. For Specialty LLDPE Compound Filler (Grade SRB Formula 1), the domestic industry submitted that claims regarding inability to produce grades with calcium carbonate content between 55-65% are factually incorrect. The domestic industry produces and sells PUC with varying calcium carbonate content as required by customers. Commercial invoices demonstrated production and sale of PUC with several compositions of calcium carbonate and polymer contents.

ix. Regarding Tarpaulin-end use grades, the domestic industry produces and commercially supplies PUC specifically designed for Tarpaulin applications. Commercial invoices demonstrated consistent supply to Tarpaulin end use application customers. The domestic industry's products meet all technical requirements for Tarpaulin applications including required size and strength parameters, weather resistance properties, and processing characteristics.

x. The domestic industry submitted that CaO based masterbatches, commercially known as Desiccant Masterbatch or Desiccant Additive, differ from Calcium Carbonate Filler Masterbatch in chemical composition and end-use application. CaO masterbatch contains calcium oxide as primary active ingredient, while PUC has Calcium Carbonate (CaCO3) as primary ingredient.

xi. The functional properties and applications are distinct. CaO masterbatch acts as desiccant or moisture-removing agent, whereas Calcium Carbonate Filler Masterbatch functions as inert filler material to reduce cost of plastic making. CaO masterbatch serves specific applications in polymer processing industry by removing moisture from reclaimed polymers and hygroscopic polymers during manufacturing process.

xii. The domestic industry submitted that it has not considered CaO based masterbatches as part of PUC due to different applications and chemical composition. However, exporters requested exclusion of filler masterbatches containing mixture of CaO and CaCO3. The domestic industry understands there are no imports of such filler masterbatches from Vietnam into India.

xiii. The domestic industry argued that the sole intention of requesting such exclusion appears to be circumventing duties once imposed on CaCO3 filler masterbatches. There is substantial risk of circumvention through addition of small quantities of CaO by exporters in PUC while claiming the product is outside PUC scope. Such an exclusion would defeat the purpose of the application as it is difficult for customs authorities to verify CaO and CaCO3 contents at ports.

xiv. The domestic industry submitted that BaSO4 based masterbatches are not part of product scope as they serve as cheaper variant to white masterbatches. They are termed transparent filler masterbatches made from BaSO4 or Na2SO4. These are products catering to different market segments compared to PUC.

xv. The domestic industry noted that during the POI, only few import transactions of barium sulphate masterbatch were recorded from Vietnam at much higher price points indicating that major constituent was barium sulphate.

xvi. The domestic industry submitted that BaSO4 may serve as whitening agent additive if added to calcium carbonate filler masterbatch, not as primary functional component. Technical composition analysis would reveal BaSO4 content is much lower than main constituent which is Calcium Carbonate. Additions of BaSO4 in lower quantum do not alter essential characteristics, physical properties, or end-use applications of PUC.

xvii. The domestic industry argued that exporters' request for exclusion of mixtures of PUC with BaSO4 is intended to defeat the application by circumventing duties through additions of BaSO4 in lower quantum while major constituent remains CaCO3.

xviii. The domestic industry acknowledged that calcium carbonate content influences cost and pricing of the product. PCNs should be based on calcium carbonate content ranges:

a. Less than 75% CaCO3
b. 75-85% CaCO3
c. More than 85% CaCO3.

xix. The domestic industry submitted that the first category covering less than 75% CaCO3 includes products with higher polymer content typically used in demanding applications. The second category of 75-85% CaCO3 encompasses standard grades most commonly used in market, offering balanced properties and cost, representing largest market segment. The third category of more than 85% CaCO3 includes lower polymer grades for specific applications.

xx. The domestic industry submitted that type of base polymer used in production does not warrant separate PCN classification. Market data demonstrates that variations in base polymer type result in minimal cost differences of 3-5%, as corroborated by Vietnamese producers' submissions. Price movement analysis confirms the insignificant impact of base polymer selection on final product pricing.

xxi. Creating PCNs based on type of base polymer would unnecessarily complicate investigation without serving meaningful purpose in price comparison, given minimal cost impact. Cost differential between different base polymers is very minimal, and price movements of different polymers demonstrate negligible variations in pricing of used polymers.

xxii. The domestic industry submitted that creating PCNs based on end-use applications is inappropriate as it does not impact cost and pricing. Identical compositions of masterbatch can be utilized across multiple applications. Product characteristics and costs remain consistent regardless of final application.

Implementation challenges include impossibility of segregating import data by application and risk of misdeclaration in reporting because applications are not mentioned in invoices or documents.

xxiii. On the submission by the other interested party on the domestically produced PUC that it lacks the whiteness compared to the imported PUC, the domestic industry submitted that the whiteness of the PUC is primarily derived from the $CaCO_3$ content used in its production. Whiteness is not an independent or additional input but a direct function of the quality and grade of $CaCO_3$ incorporated into the PUC. The domestic industry procures $CaCO_3$ from a variety of international suppliers, including manufacturers based in Vietnam, Malaysia, and Egypt. These sources offer high-grade $CaCO_3$ products with claimed whiteness exceeding 97%, which meets or exceeds the standards relied upon by foreign producers.

xxiv. On the importers claim that the source of calcium carbonate impacts cost, the domestic industry submitted that while calcium carbonate is sourced from different countries, including Vietnam, Malaysia, Egypt and India, the difference in cost attributable to source does not alter the physical or functional characteristics of the final product. The primary determinant remains the percentage of CaCO3 in the product. Further, the interested parties have not pointed any law or precedent where the PCN was created based on origin of raw material used to manufacture PUC.

xxv. The domestic industry submitted that the Authority should not entertain belated submissions filed after the hearing on PUC/ PCN. Almost 9.5 months have elapsed from initiation date, representing approximately 80% of total time allowed under AD Rules to conclude anti-dumping investigation.

xxvi. The domestic industry submitted that it provided all requisite evidence as directed by the Authority in past submissions and substantiated claims. No interested parties have made substantiated claims backed by positive evidence to support their requests. Any submission on PUC scope at this stage, after finalization of PUC and filing of Questionnaire Response, should not be entertained as anti-dumping investigation is time-bound exercise with set deadlines.

xxvii. The domestic industry submitted that PUC in the present case is Calcium Carbonate (CaCO3) based filler masterbatches primarily used in plastic industry for reducing cost of plastic manufacturing and making products environmentally sustainable. Both features derive from major presence of Calcium Carbonate (typically more than 50% by volume) which drives cost down and makes product environment friendly.

xxviii. The domestic industry submitted that producer/exporter's request for PCN creation based on base polymer materials contains inherent contradictions and flawed calculations. In first submissions, producers/exporters stated cost difference due to different base polymers is only 3-5%. However, they now claim this difference ranges from 3-10% without providing supporting evidence for revised position.

xxix. Actual data of polymer prices on record demonstrates price difference between different polymers is approximately only 2%. Considering that standard calcium carbonate filler masterbatch contains 80% CaCO3 and only 20% polymer content, any change in base polymer would impact total cost of production of PUC by merely 1-2% depending upon percentage of polymer content. These minimal cost variations cannot justify creation of separate PCNs.

xxx. Submissions of certain producer/exporter who earlier suggested 5% interval for CaCO3 which is now revised to 3%, must be rejected outright because they fail to provide evidence of cost differences.

xxxi. The domestic industry submitted that producer/exporter's proposed granular PCN structure for CaCO3 content with 3% ranges is technically not feasible and administratively impractical. Their submissions acknowledge tolerance range of ±2% in calcium carbonate content during production. This means product targeted at 78% CaCO3 content could potentially contain between 76-80% CaCO3.

xxxii. Proposed 3% PCN ranges would create overlap between categories, making product classification impossible. For instance, products with actual CaCO3 content of 78% could fall into multiple PCN categories due to ±2% tolerance range, potentially being classified in both "75-78%" and "79-82%" ranges. This overlap within tolerance ranges makes proposed PCN structure unworkable from both technical and administrative perspectives.

xxxiii. Attempt to hair-split PCN ranges into narrow 3% bands will unnecessarily complicate investigation without any technical or commercial justification. Such granular differentiation serves no practical purpose in anti-dumping investigation where objective is to create meaningful product categories that reflect significant cost and price differences.

xxxiv. Major producers/exporter participating in investigation from Vietnam first supported creation of PCNs with 10% ranges in calcium carbonate content. This broader industry consensus on 10% ranges reflects market realities and practical considerations in product classification.

xxxv. The domestic industry submitted that the adopted methodology of PCNs by the Authority based on less than 75%, 75–85%, and more than 85% $CaCO_3$ appropriately captures commercially and technically distinct product types and has been developed after evaluating the submissions placed on record by all the interested party.

**C.3 Examination by the Authority**

10. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration and PCN methodology have been examined as under:

11. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the product under consideration and PCNs. In the initiation notification, the Authority invited all the interested parties to provide comments on the product under consideration and the proposed PCNs within 30 days of initiation of the present investigation. Upon request of certain interested parties, the Authority decided to extend the timeline to file comments on the scope of the PUC/PCN till 08th November 2024.

12. The Authority subsequently held a meeting on 21st November 2024 to discuss the scope of the product under consideration and the proposed PCNs. Post the meeting, the Authority directed all the interested parties to provide their additional comments, if any, on scope of PUC and proposed PCNs by 23rd November 2024 and rejoinder submissions by 25th November 2024.

13. The Authority examined all the comments made by the domestic industry and the interested parties concerning the scope of the product under consideration and proposal on the PCN in the present investigation and notified the scope of product under consideration scope and PCNs on 04th December 2024.

14. The Authority has examined the submissions made by various interested parties regarding the scope of the PUC. The producers/exporters from Vietnam submitted that Filler Masterbatch can be manufactured using three different main raw materials: (a) Calcium Carbonate ($CaCO_3$), (b) Calcium Oxide (CaO) mixed with Calcium Carbonate ($CaCO_3$), and (c) Calcium Carbonate ($CaCO_3$) mixed with Barium Sulphate ($BaSO_4$). These parties sought clarification that Filler Masterbatch produced using Calcium Oxide and Barium Sulphate + Calcium Carbonate are beyond the scope of PUC.

15. The Authority notes that the producers/exporters stated that Filler Masterbatch produced through these three base materials have different characteristics, cost of production and price. It was submitted that filler masterbatch with a CaO base is hygroscopic, meaning it has the ability to absorb moisture from the environment, while Filler masterbatch with a $BaSO_4$ base is a transparent filler.

16. The domestic industry disputed the request for exclusions and submitted that CaO-based masterbatches (commercially known as Desiccant Masterbatch) and $BaSO_4$-based masterbatches (known as transparent filler masterbatches) are distinct products with different chemical compositions, functional properties, and end-use applications from the PUC, and are not covered under the scope of PUC when these constituents form the majority content (more than 50% by volume).

17. The domestic industry further submitted that a product with majority $CaCO_3$ content and small CaO/$BaSO_4$ addition as additive is covered in PUC scope. The chemical composition and functionality of such a mixture would remain fundamentally that of a calcium carbonate filler masterbatch with a primary purpose of cost reduction in the plastic material. The domestic industry argued that allowing any exclusions of such mixture would create opportunities for circumvention of anti-dumping duties through

minor additions of these constituents while maintaining $CaCO_3$ as the primary component.

18. The Authority notes that no evidence has been provided by the exporters regarding actual imports of such mixture products during the POI. The import data shows no such import of Filler Masterbatch with CaO base from the subject country. With respect to $BaSO_4$ based masterbatch, there are couple of import entries from Vietnam, however, the description of such imports suggests these to be different products than $CaCO_3$ based filler masterbatch.

19. The Authority has examined the product brochures available on the websites of certain domestic Indian producers as well as Vietnamese producer/exporters of masterbatch. It is evident that the CaO based filler masterbatch is a desiccant masterbatch used for its ability to absorb moisture from the environment. On the other hand, $BaSO_4$ based filler masterbatch is a transparent filler masterbatch.

20. The Authority finds that both the products namely CaO based Filler Masterbatch and "BaSO4 based Filler Masterbatch have different characteristics and end use applications as compared to calcium carbonate-based filler masterbatch. The Authority holds that CaO or $BaSO_4$ based filler masterbatches wherein the content of CaO or $BaSO_4$ are in major proportion (more than 50% by volume) are not PUC in the present case. Similarly, $CaCO_3$ based filler masterbatches wherein the major constituent is $CaCO_3$ are covered in the scope of PUC.

21. The Authority has examined the submissions by interested parties seeking exclusion of specific grades of PUC, alleging that the domestic industry does not produce these in India:

a. Grades produced using HDPE Polymers,

b. Specialty LLDPE Compound Filler (Grade SRB FORMULA 1) with calcium carbonate content of 55-65%

c. Grade PE 1009, PE-BB02, Supermax used for industrial tarpaulins.

22. The domestic industry disputed these exclusion requests and submitted documentary evidence demonstrating that they manufacture and supply PUC using HDPE as the base polymer resin, filler masterbatches with varying calcium carbonate content, including compositions matching the range claimed for Specialty LLDPE grade (55-65%). The domestic industry also submitted evidence that it manufactures and commercially supplies PUC specifically designed for Tarpaulin applications, meeting all technical requirements including size, strength parameters, weather resistance properties, and necessary processing characteristics.

23. The Authority notes that the interested parties supported their claim by producing a certificate wherein M/s Makers & IQ Industries Pvt. Ltd. mentions that they are purchasing Calcium Carbonate Filler Masterbatches PE 1009 from Asian Tradelinks Pvt. Ltd for the last one year, as the same is not available with most of the local manufacturers. However, the domestic industry has provided copy of invoices and certificate of analysis to demonstrate that it produces and sells PUC with base polymer as HDPE, PUC with varying calcium carbonate content, including compositions matching the range claimed for Specialty LLDPE grade and PUC specifically designed for Tarpaulin applications.

24. The Authority holds that no such exclusions are allowed from the scope of PUC, as the domestic industry has provided sufficient evidence of manufacturing these grades.

25. The Authority notes that certain interested parties have raised issues regarding various quality issues in PUC supplied by the domestic industry arising out of differences in production technology. The Authority also notes arguments forwarded by the interested parties regarding whiteness in the PUC supplied by the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has submitted invoices showing procurement of raw material from various sources like Malaysia, Egypt, etc. so there should not be any issues with respect to whiteness in the PUC supplied by the domestic industry.

26. Further, the Authority notes that it is a well-settled principle that quality is not a criterion for defining the product scope in an anti-dumping investigation. The process of manufacture is of no consequence in a trade remedy investigation as the same goods may be produced with different production and technology processes.

27. In view of the foregoing, the scope of the product under consideration is determined as follows:

"*The product under consideration in the present investigation is "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" which is also known as "Filler Masterbatch" or "Calcium Carbonate Compound" wherein Calcium Carbonate (CaCO3) is major constituent i.e., more than 50% by volume.*"

28. Further, it is noted that the product produced by the domestic industry is like-article to the goods imported from the subject country. The products produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The imported goods and the goods produced by the domestic industry are used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

29. The Authority has examined the submissions regarding PCN methodology. The producers/exporters from Vietnam submitted that PCN must be created on the basis of calcium carbonate content contained in the PUC. Similar arguments were made by the importers/users in India.

30. Different submissions were made regarding the range of $CaCO_3$ content for creating the PCNs. Some interested parties proposed a 10% range with four categories: below 70%, above 70% and up to 80%, above 80% and up to 90%, and over 90%. On the contrary, some other interested parties proposed a 3% range for calcium carbonate content.

31. The domestic industry acknowledged that calcium carbonate content influences the cost and pricing of the product and submitted that PCNs may be based on three ranges:
    a. Less than 75% $CaCO_3$
    b. 75-85% $CaCO_3$
    c. More than 85% $CaCO_3$.

32. The domestic industry submitted that the proposed 3% interval PCN structure is technically unfeasible and administratively impractical, given the production tolerance range of ±2% in calcium carbonate content. This tolerance range would create overlapping categories, making product classification ambiguous and potentially placing products with a particular calcium carbonate content in multiple PCN categories.

33. The Authority notes that there is a tolerance range of ±2% in calcium carbonate content, which is also acknowledged by the producer/exporters in their own submissions. This means a product targeted at 78% $CaCO_3$ content could potentially contain between 76-80% $CaCO_3$. Therefore, a 3% $CaCO_3$ content range would create overlap between categories, making product classification unworkable from both technical and administrative perspectives.

34. The Authority further notes that the major producers/exporters participating in the investigation from Vietnam had initially supported the creation of PCNs with 10% ranges in calcium carbonate content. Additionally, based on the catalogue and invoices submitted by Vietnamese producers as well as domestic industry, the Authority observes that mostly the standard range of $CaCO_3$ is 78% to 82% (±2%). One of the exporters has also submitted that it generally deals in 75-88% $CaCO_3$ content PUC.

35. One of the producer/exporters from Vietnam submitted that PCNs should be created on the type of base polymer used as it influences the cost of production of PUC. The same suggestions were also made by other interested parties.

36. The domestic industry submitted that there are inconsistent cost difference claims (varying from 3-5% to 3-10%) without supporting evidence by the interested parties. The actual data of polymer prices on record demonstrates that the price difference between different polymers is approximately only 2%.

37. The Authority notes that the average price of different polymers over the POI, as submitted by the domestic industry based on international pricing sources, has been moving in tandem with the global movement of prices of polymers with a maximum difference of price approximately of 2%. The price list of polymers of Reliance Industries submitted by the other interested parties pertain to high grade polymers which may not necessarily be used in manufacturing the PUC which is primarily used as a low-cost filler in plastic products. Additionally, the price list of Reliance Industries is from one producer in India which

may not be reflect the international prices.

38. Further, there are only three major constituents of PUC, $CaCO_3$, polymer and additives. The creation of PCNs on the content of $CaCO_3$ would appropriately factor the cost of polymer in the total cost of production of the PUC. Therefore, the Authority holds that PCNs based on polymer type or content is not warranted in the present investigation.

39. Some of the interested parties submitted that PCNs should be created on the basis of end use application of PUC. It was submitted that the decision on $CaCO_3$ powder content and the type of base plastic material to be used depends on the application. Further, PUC based on PP and PE route with different $CaCO_3$ powder content have identifiable and distinct applications.

40. The domestic industry submitted that the creation of PCNs based on end-use applications is inappropriate as it:

a. does not impact cost and pricing;
b. allows identical masterbatch compositions to be used across multiple applications;
c. maintains consistent product characteristics and costs regardless of final application;
d. presents implementation challenges due to impossibility of segregating import data by application; and
e. carries risk of misdeclaration in reporting since applications are not mentioned in invoices/documents.

41. The Authority notes that there is no evidence placed on record by the interested parties to substantiate the claim for PCN based on application. The Authority understands that the content of calcium carbonate and polymer will eventually be based on the application of the product. Since PCN is already being created based on calcium carbonate content, there is no need to create any additional PCN based on application.

42. The Authority determines that PCN creation based on different polymer base or application is not warranted, as the cost differences owing to these are very well factored by creating PCNs based on the $CaCO_3$ content.

43. With respect to the claim that the source of calcium carbonate impacts cost, difference in cost attributable to source does not alter the physical or functional characteristics of the final product. The primary determinant remains the percentage of CaCO3 in the product.

44. The Authority has noted that calcium carbonate content influences the cost and pricing of the product. Therefore, it is necessary to create PCN based on the content of the $CaCO_3$. Considering the facts presented, the Authority holds that it is appropriate to retain the same PCNs in the present investigation as was decided *vide* Notification dated 04th December 2024 which was on the basis of calcium carbonate content with the following three categories:

| **Criteria** | **PCN** |
|---|---|
| Less than 75% $CaCO_3$ | A |
| 75-85% $CaCO_3$ | B |
| More than 85% $CaCO_3$ | C |

## D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

### D.1 Submissions made by the other interested parties:

45. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The domestic industry does not satisfy the standing requirements under Rule 2(b) and Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

ii. It has been the consistent practice of the Authority in past investigations to independently assess standing by seeking information from non-participating domestic producers and concerned line ministries. This process ensures correct information regarding standing and helps in proper evaluation of injury to the domestic industry.

iii. No such process has been followed in the present investigation, creating material risk of significantly distorted data being considered by the Authority.

iv. The WTO Appellate Body in EC-Fasteners (China) held that the Authority has obligation to ensure that the way it defines domestic industry does not introduce material risk of skewing economic data and consequently distorting analysis of the state of the industry.

v. The major proportion test is not purely mathematical whereby more than 50% would automatically constitute major proportion of total domestic production. The Appellate Body emphasized that major proportion should be understood as relatively high proportion that substantially reflects total domestic production and has both quantitative and qualitative connotations. A test that would be purely quantitative would not necessarily ensure that domestic industry defined on that basis substantially reflects total domestic production.

vi. The application fails to satisfy the qualitative aspect of the major proportion test as existing established players in the market have been deliberately excluded by the applicant while defining domestic industry.

vii. The Authority is required to properly assess eligibility of the applicant, taking into account independent assessment of production by other domestic producers.

viii. The burden of establishing standing lies upon the applicant. The WTO Appellate Body in US-Hot-Rolled Steel stated that the Authority is under obligation to make determination based upon examination of the industry as a whole. Where investigating authorities undertake examination of one part of domestic industry, they should examine in like manner all other parts that make up the industry, as well as examine the industry as a whole. Different parts of industry may exhibit different economic performance during any given period.

ix. The WTO Panel in China-Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from United States noted that investigating Authority is not allowed to ignore situation of other domestic producers in injury determination. An investigating Authority will assess situation of other domestic producers in evaluation of whether impact of subject imports have explanatory force for changes in various economic factors.

x. The respondents submitted that 50% test is required to be established before initiation as standing is pre-initiation determination. Rule 5(3) clearly requires the Authority to determine whether domestic producers expressly supporting the application account for at least 25% of total Indian production. There cannot be prima facie satisfaction of the Authority with regard to standing. The Authority has to affirmatively and definitively determine that applicant satisfies requirements of standing.

xi. Standing is pre-initiation determination and inability of Authority to adequately establish standing owing to absence of relevant information is non-curable defect. The application proforma requires the applicant to identify status of producers as supporter, opposer or neutral. However, the applicant has chosen not to provide complete information in response to the question.

xii. The applicants have grossly understated production in India. The applicants claimed that twelve applicant domestic producers along with twenty-one expressly supporting companies constitute more than 55% of total domestic production of PUC in India. However, twelve applicants and twenty-one supporters are not representative of overall domestic industry.

xiii. The interested parties first identified 202 producers based on market intelligence and publicly available information. The interested parties then submitted a list of 472 producers who were alleged to be domestic producers of the PUC in India. The interested parties additionally submitted a list of 244 domestic producers with plant details and 233 additional producers where specific information related to the entities was unavailable.

xiv. Further, the other interested parties submitted that if each producer produces average production similar to supporters, total production would be significantly higher. Even on conservative basis assuming non-participating producers produce around 10,000 MT, total Indian production would be significantly higher than what applicants estimated. Share of applicant in total Indian production would be in single digit, clearly not satisfying requirement of standing. The interested parties placed reliance on the Plast India of 2021-22 which quantified market of filler masterbatch as 1023 KT in 2021-22 with growth of 7%. The interested parties then quantified estimates made by Plast India and extrapolated figures as tabulated

below to claim that the production in India should be more than 1000 KT, whereas applicants quantified production of only 716 KT:

| Year | UOM | Demand as per Plast India | Imports as per applicant | Production of filler masterbatch in India |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | KT | 1,023 | 63 | 960 |
| 2022-23 | KT | 1,095 | 100 | 995 |
| 2023-24 | KT | 1,171 | 163 | 1,008 |

xv. The interested parties claimed that different production thresholds have been considered in the application. The application claimed that members constitute more than 90% of total Indian production when asserting representativeness of association. However, when determining whether applicant companies constitute major proportion, the term domestic production is used. The basis for this distinction remains unclear, leading to contradictions within application and initiation itself.

xvi. The requirement under rules is total production of like article in India. Therefore, standing of applicant is required to be determined with reference to Indian production and not on basis of production for domestic market. The association was required to provide complete list of producers and their production of PUC irrespective of whether they exported the product or qualify as domestic industry under Rule 2(b).

xvii. The respondents submitted that applicants have not provided complete list of producers in India. The associations cannot take plea that they are unaware of total number of producers in India. When associations do not have list of all producers in India, it is unclear how statement that domestic producers constituting more than 90% of total Indian production are part of association can be made.

xviii. The application has been filed by the association based on only selected few producers while significant portion of domestic production is carried out by other producers which have neither been referred to by applicant nor accounted for in injury analysis. The applicants have not even provided complete list of producers in India.

xix. There are more than 400 producers of product in India. In applicants' own admission, 90% producers are members of association, therefore around 10% producers are not members. It has been presumed by applicant that other domestic producers do not oppose investigation.

xx. No objection by other domestic producers post initiation does not mean pre-initiation determination requirements were met under Rule 5(3). Neither application nor initiation notification deals with status of other domestic producers.

xxi. Reference was made to WTO AB’s decision in EC-Fasteners (China) where Appellate Body observed that proper interpretation of term major proportion under Article 4.1 requires that domestic industry defined on this basis encompass producers whose collective output represents relatively high proportion that substantially reflects total domestic production. In special case of fragmented industry with numerous producers, practical constraints on authority's ability to obtain information may mean what constitutes major proportion may be lower than ordinarily permissible in less fragmented industry.

xxii. However, even in such cases, authority bears same obligation to ensure that process of defining domestic industry does not give rise to material risk of distortion. Domestic industry defined on basis of proportion that is low or defined through process that involves active exclusion of certain domestic producers, is likely to be more susceptible to finding of inconsistency under Article 4.1 of Anti-Dumping Agreement.

xxiii. The petitioners claim that their 86 members, including 12 applicant domestic producers and 21 supporting companies, represent 90% of total domestic production. However, only 12 members have actively participated in investigation. If listed 86 members indeed represent almost all credible and active manufacturers of like product in India, it is concerning that only small fraction have provided data for filing application.

xxiv. The absence of participation from remaining members raises questions about actual support for application. This lack of engagement suggests that mere listing of members does not necessarily reflect level of active or meaningful support for imposition of anti-dumping duties.

xxv. It was highlighted that WTO Appellate Body's observations regarding qualities required by domestic industry in fragmented industry state that in special case of fragmented industry with numerous producers, practical constraints on authority's ability to obtain information may mean what constitutes major proportion may be lower than ordinarily permissible in less fragmented industry. However, investigating authority would need to make greater effort to ensure that selected domestic producers are representative of total domestic production.

xxvi. Article 4.1 of Anti-Dumping Agreement imposes requirement that domestic industry should be representative of domestic producers of PUC both quantitatively and qualitatively. Further, in case of fragmented industry, Authority is obligated to ensure that domestic producers constituting domestic industry do not just mathematically constitute major proportion of domestic production, but that such producers are also representative of state of fragmented industry as whole.

xxvii. The importers submitted that eligibility of each applicant company to constitute domestic industry should be verified by Authority to ensure that all applicant and supporter companies are bona fide commercial producers of PUC. Market intelligence suggests that numerous applicant companies and supporters are primarily not engaged in production of PUC but are primarily engaged in production of other products such as colour masterbatches which have higher profitability.

xxviii. Production quantities from trading as well as non-PUC production should be excluded for the purpose of determining whether petitioners represent domestic industry. Authority is requested to verify production quantity of PUC for each applicant company, ensuring that quantities from trading or non-PUC production are excluded.

**D.2 <u>Submissions made by the domestic industry</u>**

46. The submissions of the petitioner with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

i. The application for initiation of anti-dumping investigation was filed by two associations namely, CMMAI and MMA on behalf of their members who are domestic producers of PUC in India.

ii. Based on the information available with the CMMAI and MMA, their members companies/entities constitute more than 90% of the total Indian production of PUC in India. CMMAI and MMA are only two association representing the domestic producer of PUC in India. There may be certain other unknown small and micro producers of PUC in the country the details of which are not available with the CMMAI and MMA.

iii. The petitioner has provided the list of members of CMMAI and MMA along with their production volumes of the PUC for the injury period including the POI. Additionally, it also provides the status of each such producer (i.e., whether supporter, opposer or neutral). The consolidated details of Statement of Indian Production including the estimated production of unknown non-member companies/entities of CMMAI and MMA in the country was provided with the petition.

iv. Following twelve applicant domestic producers filed the required information in Annexure-I to Trade Notice 9/2021 comprising more than 35% of the total domestic production of PUC in India during the POI.

| S. No. | Particulars | Share in Total Indian Production |
|---|---|---|
| 13. | Soltex Petro Products Ltd. | ***% |
| 14. | Alok Masterbatches Pvt. Ltd. | ***% |
| 15. | Kandui Industries Pvt. Ltd. | ***% |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | Sonali Polyplast Private Limited | ***% |
| 17. | Bajaj Polyblends Pvt. Ltd. | ***% |
| 18. | Bajaj Plast Pvt. Ltd. | ***% |
| 19. | Alok Industries | ***% |
| 20. | Bajaj Masterbatches Private Limited | ***% |
| 21. | Siddh Chemiplast Pvt. Ltd. | ***% |
| 22. | Bajaj Superpack India Ltd. | ***% |
| 23. | Blend Colors Private Limited | ***% |
| 24. | Shri Ambica Polyfill | ***% |

v. Additionally, following twenty-one entities expressly supported the application.

| S. No. | Particulars | Share in Total Indian Production |
|---|---|---|
| 22. | Sonali Polymers Pvt. Ltd. | ***% |
| 23. | Masterplast India Pvt. Ltd. | ***% |
| 24. | Sri Maniram Synthetics Pvt. Ltd. | ***% |
| 25. | S.P. Polymer | ***% |
| 26. | 365 Plastium Pvt. Ltd. | ***% |
| 27. | N.P. Agro (India) Industries Pvt. Ltd. | ***% |
| 28. | Satya Polyalloys LLP | ***% |
| 29. | Adex Ployblend Pvt. Ltd. | ***% |
| 30. | Rama Vyapaar Pvt. Ltd. | ***% |
| 31. | Bhagyashree Colors Pvt. Ltd. | ***% |
| 32. | Swastik Plastoalloys | ***% |
| 33. | Manan Polymers Pvt. Ltd. | ***% |
| 34. | Aditya Polyspin Pvt. Ltd. | ***% |
| 35. | J K Paras Ploycoats Ltd. | ***% |
| 36. | Speciality Masterbatches LLP | ***% |
| 37. | Sachdeva Polycolor Pvt. Ltd. | ***% |
| 38. | Everplus Plastics Pvt. Ltd. | ***% |
| 39. | Manhar Polymers Pvt. Ltd. | ***% |

| | | |
|---|---|---|
| 40. | Dolphin Polyfill | ***% |
| 41. | JJ Plastalloy | ***% |
| 42. | Prabhu Polycolor | ***% |

vi. The twelve applicant domestic producers along with the twenty-one expressly supporting companies constitute more than 55% of the total domestic production of PUC in India.

vii. The threshold test for initiation under Article 5.4 of AD Agreement and Rule 5(3) of AD Rules requires domestic producers expressly supporting the application to represent twenty-five percent of the total production of the like article by the domestic industry.

viii. In case there are any opposing domestic producers, the proportion of such opposers must be less than 50% of the producers who have either expressed their support or opposition to the application.

ix. Both these tests are satisfied as the 25% test is satisfied by the applicant domestic producers and none of the member companies/entities of CMMAI and MMA, nor any other domestic producer of PUC have opposed the petition.

x. The definition of domestic industry under Article 4.1 of the AD Agreement and Rule 2(b) of the AD Rules requires that either all domestic producers of the like article, or at least those whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production, be considered. The twelve applicant domestic producers along with the twenty-one expressly supporting companies constitute more than 55% of the total domestic production of PUC in India, demonstrating that the major proportion test under Rule 2(b) is satisfied.

xi. Regarding the list of additional producers submitted by counsel representing Konkan Speciality Poly Products Pvt. Ltd. & Asian Tradelinks Pvt Ltd, the domestic industry scrutinized this list and found several deficiencies. The list includes entities who are importers or traders of the PUC, entities who are already members of CMMAI or MMA, duplicated entries with same business entities listed under varied names, entities engaged in resale or white-labelling of PUC sourced from other suppliers including foreign exporters, and reliance on online platforms such as IndiaMART and Justdial which do not constitute reliable source or verifiable evidence of production.

xii. After detailed scrutiny involving removal of duplicate names, removal of names appearing as importers in registered interested party list, removal of names appearing in member list of CMMAI and MMA and removal of names appearing as importers in secondary source import data, it was only a few entities that were left as potential domestic producers of PUC which the petitioners did not identify.

xiii. CMMAI contacted these entities through email to ascertain their actual status as producers of PUC and their position concerning imposition of anti-dumping duties. Only one entity responded, confirming it had total installed capacity of ***MT for producing PUC during POI, produced ***MT of PUC and imported ***MT of PUC during POI, thereby making this entity ineligible to be part of domestic industry.

xiv. The burden to provide substantive evidence regarding existence and actual production activities of additional domestic producers lies with the party who raised the allegation. Merely providing lists of names without credible proof of manufacturing operations, capacities, production volumes, or market activities is insufficient to contest the standing of domestic industry. The evidence relied upon by importers contains several material deficiencies including duplicated names, inclusion of importers and traders, and reliance on inappropriate sources.

xv. Arguments made by opposing parties are mere allegations and conjectures not backed by positive evidence. Article 6.6 of ADA and corresponding Rule 8 of AD Rules require authorities to satisfy themselves as to accuracy of information supplied by interested parties. The WTO jurisprudence suggests that positive evidence should be affirmative, objective, verifiable, and credible. The other interested parties have failed to provide any positive evidence in their submissions.

xvi. The principle that burden of proof lies on the party alleging the issue is well-established in law according to civil law maxims. In absence of any positive evidence, other interested parties have made

allegations against domestic industry and attempted to shift burden of proof on domestic industry to address their statements.

xvii. The domestic industry has provided verified production data supported by documentary evidence, including membership in industry associations. The petitioner has given a comprehensive list of 86 members of CMMAI and MMA. None of these members have expressly opposed the imposition of anti-dumping duty on subject imports. The associations represent almost all credible and active manufacturers of the like product in India.

xviii. The reference to Plast India report from 2021-22 provides market estimates which include various types of filler masterbatches and not specifically PUC, i.e., Calcium Carbonate based filler masterbatches as defined in present investigation. The report estimates total filler masterbatch market at 1023 KT, which includes both calcium carbonate-based and non-calcium carbonate-based filler masterbatches such as talc based, sodium sulphate based, and barium sulphate-based filler masterbatches. Based on market intelligence and information available with CMMAI and MMA and its members, approximately 25-30% of filler masterbatches are non-calcium carbonate based, which are not covered under scope of product under consideration.

xix. When non-calcium carbonate-based filler masterbatches are excluded from total market estimate of 1023 KT, the remaining market for calcium carbonate-based filler masterbatches aligns reasonably well with data submitted by domestic industry. The calculated estimate of production levels of PUC from data provided by opposing counsel is around same level as provided by domestic industry. The table below depicts the calculation submitted by the domestic industry:

| Year | UOM | Demand as per Plast India | Imports as per applicant | Production of filler masterbatch in India | Production levels of other filler masterbatch (NPUC) (25% of total production) | Production levels of CaCo3 based Masterbatch (PUC) (75% of total production) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | KT | 1,023 | 63 | 960 | 240 | 720 |
| 2022-23 | KT | 1,095 | 100 | 995 | 249 | 746 |
| 2023-24 | KT | 1,171 | 163 | 1,008 | 252 | **756** |
| Total Indian production of PUC claimed by the Petitioner (KT) | | | | | | **716** |

xx. Article 5.2(i) of the ADA mandates that applications shall identify the domestic industry through "a list of all known domestic producers of the like product." The use of the term "known" creates a clear limitation on the scope of the data requirement. The domestic industry is not required to undertake exhaustive investigations to locate every potential producer that may exist in the market

xxi. It is not required under AD Rules or AD Agreement to identify or obtain support from all unknown producers especially in fragmented industry. As held in China – Autos decision, applicant is only required to provide information available to it on best-efforts basis. What is relevant is whether producers expressing support constitute required proportion of overall production.

xxii. The assertion that some applicant producers also manufacture colour masterbatches is not relevant to standing analysis under Rule 5(3) of AD Rules. The production and injury data provided by applicants pertain specifically to PUC and is segregated from data relating to any other product. The Authority is conducting injury and causation analysis based on verified data relating solely to PUC.

xxiii. Regarding demand estimation, the domestic industry in compliance with Trade Notice No. 09/2021 has filed required Annexures including details of its own production, that of known producers, and estimated

production for unknown producers. The claim that actual demand is way more than 8,54,318 MT has not been supported by verifiable data. AD Rules do not prescribe rigid or exhaustive methodology for demand estimation and Authority is empowered to rely on reasonable, objective, and verifiable estimates.

xxiv. There is no mandatory requirement under AD Rules for Authority to obtain data from line ministries. Rule 2(b) and Rule 5(3) require Authority to make determination based on information available on record, including from applicants and known producers. Authority is not expected to obtain data from external sources unless information submitted is found insufficient or unreliable.

xxv. The examples cited to show that Authority has previously sought data from government bodies are case-specific. Authority has discretion to decide on case-by-case basis whether additional data from line ministries is necessary. In present case, applicant has identified all known producers, submitted supporting evidence, and provided estimates for unknown production as permitted under Trade Notice 09/2021 for fragmented industries.

**D.3 Examination by the Authority**

47. The application was filed by the Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as "CMMAI") and the Masterbatch Manufacturers Association (hereinafter referred to as "MMA") on behalf of the domestic producers in India.

48. The Authority notes that the PUC industry in India is fragmented and consists of an excessively large number of domestic producers located across India, hence the application for anti-dumping investigation was filed by two associations CMMAI and MMA on behalf of its members entities. All the relevant information in the prescribed format as required under Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021 as amended vide Trade Notice No. 11/2021 dated 18th November 2021 was filed by the following twelve (12) applicant domestic producers:

i. Kandui Industries Private Limited
ii. Sonali Polyplast Private Limited
iii. Blend Colors Private Limited
iv. Bajaj Masterbatches Private Limited
v. Bajaj Superpack India Limited
vi. Bajaj Plast Private Limited
vii. Bajaj Polyblends Private Limited
viii. Siddh Chemiplast Private Limited
ix. Shri Ambica Polyfill
x. Soltex Petro Products Limited
xi. Alok Industries
xii. Alok Masterbatches Private Limited

49. Further, the following twenty-one (21) domestic producers supported the application and provided the required data in the prescribed format:

i. Sonali Polymers Pvt. Ltd.
ii. Masterplast India Pvt. Ltd.
iii. Sri Maniram Synthetics Pvt. Ltd.
iv. S.P. Polymer
v. 365 Plastium Pvt. Ltd.
vi. N.P. Agro (India) Industries Pvt. Ltd.
vii. Satya Polyalloys LLP
viii. Adex Ployblend Pvt. Ltd.
ix. Rama Vyapaar Pvt. Ltd.
x. Bhagyashree Colors Pvt. Ltd.
xi. Swastik Plastoalloys
xii. Manan Polymers Pvt. Ltd.

xiii. Aditya Polyspin Pvt. Ltd.
xiv. J K Paras Ploycoats Ltd.
xv. Speciality Masterbatches LLP
xvi. Sachdeva Polycolor Pvt. Ltd.
xvii. Everplus Plastics Pvt. Ltd.
xviii. Manhar Polymers Pvt. Ltd.
xix. Dolphin Polyfill
xx. JJ Plastalloy
xxi. Prabhu Polycolor

50. The issues raised by the other interested parties and the domestic industry with respect to the domestic industry's standing have been examined below:

51. The Authority has examined the submissions made by various interested parties regarding the scope of domestic industry and standing requirements. The other interested parties contended that the domestic industry does not satisfy the standing requirements under Rule 2(b) and Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

52. The Authority notes that Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules requires that domestic producers expressly supporting the application account for more than 25% of total production of the like article by the domestic industry. Additionally, where domestic producers expressly oppose the application, such opposition should not account for more than 50% of total production by domestic producers who have expressed either support or opposition to the application. The relevant extract is reproduced below:

*"... (3) The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless – it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry: Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty-five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and ... Explanation. - For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application..."*

53. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as domestic producers as a whole of the like article or those domestic producers whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production of that article. The Authority observes that the determination of standing involves both quantitative and qualitative assessment of the domestic industry. The relevant extract is reproduced below:

*""domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof [in such case the term "domestic industry" may be construed as referring to the rest of the producers..."*

54. The domestic industry submitted that twelve applicant domestic producers comprise more than 35% of the total production of PUC in India during the POI. Additionally, twenty-one entities expressly supported the application. The twelve applicant domestic producers along with the twenty-one expressly supporting companies constitute more than 55% of the total production of PUC in India.

55. The other interested parties challenged this assertion by submitting that there are 250-500 producers of PUC in India and that the applicants have grossly understated production in India. These parties submitted multiple lists containing names of alleged domestic producers ranging from 202 to 477 entities.

56. The Authority has carefully examined the submissions made by all the interested parties. It is noted that although the interested parties provided list of alleged domestic producers none of the interested parties

has provided any verifiable data of domestic producer(s) with their production of PUC and the total Indian production by such alleged producers. Also, the details of whether those alleged producers are eligible to be considered within the total domestic production under Rule 2(b) (i.e., not being importers of PUC or related to foreign exporters of dumped article) have not been provided by any interested party. It is a well settled and statutory rule that the Authority has to satisfy itself as about the accuracy of the information supplied by the interested parties upon which to base its findings. The domestic industry has given a list of all its members companies with their production and the test of standing is based on verified data of domestic industry.

57. The Authority has also examined the submissions regarding burden of proof for establishing standing. The other interested parties argued that the burden of establishing standing lies upon the applicant and that the Authority is required to independently assess standing by seeking information from non-participating domestic producers and concerned line ministries.

58. The domestic industry submitted that after providing the details of all known producers including the details of members companies of both associations, the burden to provide substantive evidence regarding existence and actual production activities of alleged additional domestic producers lies with the party who raised the allegation. The domestic industry argued that merely providing lists of names without credible proof of manufacturing operations, capacities, production volumes or nature of operations is not accurate to contest the standing of domestic industry.

59. The Authority notes that Article 6.6 of the Anti-Dumping Agreement and corresponding Rule 8 of the Anti-Dumping Rules require authorities to satisfy themselves as to accuracy of information supplied by interested parties. The principle that positive evidence should be affirmative, objective, verifiable, and credible is well-established in WTO jurisprudence.

60. The Authority notes that the list of alleged domestic producers provided by other interested parties is from general web searches like India Mart which may include companies who are merely selling the PUC after import or mere distributors. It is also not proven whether those companies are manufacturing the PUC domestically or getting it made from foreign sources in their names (white labelling). Further it is not clear whether the companies are eligible on account of substantial imports from dumped sources apart from domestic manufacturing. In fact, the Authority notes that the list provided by the interested party contains name of the importer/user participating in the investigation.

61. Despite the glaring deficiencies in the list provided by other interested parties, the Authority notes that domestic industry has taken efforts to identify from the list: entities who are importers or traders of PUC, entities who are already members of CMMAI or MMA, duplicated entries with same business entities listed under varied names and entities engaged in resale or white-labelling of PUC sourced from other suppliers.

62. Further, the Authority had published the notice of initiation in the official gazette of India inviting all interested parties to provide the data relevant to the investigation which includes any domestic producer of PUC. None of the alleged domestic producers have come forward and given the relevant data to the Authority for the purposes of investigation. Further, the domestic industry also provided proof of emails sent to alleged producers and claimed that only one company responded to the mail by declaring the total capacity as ***MT annually with ***MT of annual production and ***MT of imports of PUC. Hence, the Authority relies upon the verified information of the domestic industry for the standing test.

63. The other interested parties also referenced the Plast India report which quantified the market of filler masterbatch as 1,023 KT in 2021-22. These parties argued that production in India should be more than 1,000 KT, whereas applicants quantified production of 716 KT.

64. The Authority notes that the Plast India report estimates total filler masterbatch market at 1,023 KT for the year 2021-22, which includes all forms filler masterbatches sold in India i.e. it includes both calcium carbonate-based and non-calcium carbonate based filler masterbatches such as talc based, sodium sulphate based, and barium sulphate based filler masterbatches.

65. The domestic industry further submitted that approximately 20-25% of filler masterbatches are non-

calcium carbonate based, which are not covered under the scope of PUC in the present investigation.

66. The Authority notes that when estimates of non-calcium carbonate-based filler masterbatches are excluded from the total market estimate of 1,023 KT provided in the Plast India report, the remaining market for calcium carbonate-based filler masterbatches aligns reasonably well with the data submitted by the domestic industry. Therefore, the Plast India report in fact support the claims of the domestic industry.

67. Further, the Authority finds that the petitioner CMMAI and MMA are the only two associations in India having members producing the PUC. The Petitioner has provided the details of all the known producers of PUC in India along with verified production data supported by documentary evidence. None of these producers have expressly opposed the imposition of anti-dumping duty on subject imports. The associations represent the active manufacturers of the like product in India.

68. The other interested parties submitted that eligibility of each applicant company to constitute domestic industry should be verified by the Authority to ensure that all applicant and supporter companies are bona fide commercial producers of PUC. These parties argued that numerous applicant companies are primarily engaged in production of other products such as colour masterbatches.

69. The domestic industry responded that the assertion regarding manufacture of colour masterbatches is not relevant to standing analysis under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules. The production and injury data provided by applicants pertain specifically to PUC and is segregated from data relating to any other product.

70. The Authority notes that the fact that some producers may also manufacture other products along with PUC does not disqualify them from being considered as domestic producers of PUC for the purpose of standing determination.

71. The other interested parties argued that standing is a pre-initiation determination and that no objection by other domestic producers post-initiation does not mean pre-initiation determination requirements were met.

72. The Authority notes that Rule 5(3) requires determination at the stage of initiation regarding whether domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of total production. The Authority observes that the domestic industry has demonstrated that the 25% test is satisfied by the applicant domestic producers and that none of the member companies of CMMAI and MMA, nor any other domestic producer of PUC, have opposed the petition.

73. The Authority finds that while it has discretion to seek additional information from external sources, such exercise is case-specific and depends on whether the information submitted is found insufficient or unreliable. In the present case, the applicant has identified all known producers and submitted supporting evidence as permitted under Trade Notice 09/2021 for fragmented industries.

74. The Authority holds that the domestic industry has satisfied both the 25% test under Rule 5(3) and the major proportion test under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. The twelve applicant domestic producers along with twenty-one expressly supporting companies constitute more than 55% of the total domestic production of PUC in India, which satisfies the standing requirements.

## E. CONFIDENTIALITY

### E.1 Submissions by other interested parties

75. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

i. The interested parties submitted that the applicants have failed to adhere to the confidentiality requirements under Trade Notice 10/2018. The requirements are applicable not only at the time of filing the application but also for any subsequent submissions made during the investigation.

ii. Trade Notice 10/2018 mandates that where applicants consist of more than two companies, they must provide actual information relating to production quantity, capacity utilization percentage, sales quantity, sales value, number of employees, productivity per day, inventory, research and development expense, PBIT, interest/finance cost, depreciation, and NIP (in range of +/- 10%). Only information other than these can be submitted in indexed form. The applicants have illegally kept the mandated information confidential

in the application. The sampled data submitted by the applicant also suffers from similar violations of Trade Notice 10/2018. The applicants have provided this information in trend format, which violates the guidelines for disclosure of information as prescribed in the trade notice.

iii. The respondents cite the decisions of the Hon'ble Supreme Court and Delhi High Court in Forech case, stating that requirements of Trade Notices are sacrosanct and must be followed strictly. Any sympathetic, accommodative or lenient view would lead to chaos and mockery of the requirement to adhere to timelines, which is an overriding feature of the Anti-Dumping Duty regime.

iv. Further, Trade Notice 2/2000 provides the mandatory procedure for claiming confidentiality in anti-dumping investigations. All interested parties must state details of information to be treated as confidential with adequate justification and simultaneously provide a non-confidential version that is sufficiently clear and detailed. The requirements include description of confidential information, written request for confidentiality with justification, a non-confidential version, and if non-confidential information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarisation is not possible.

v. The applicants have violated all these requirements. Information such as market reports issued by third parties have been kept confidential without providing any justification. The entire annexures of sampled data have been kept confidential without providing any meaningful summary.

vi. The sampled companies failed to comply with minimum procedural requirements under Trade Notice 9/2021. Once selected as sampled domestic industry, paragraph 8(b) mandates submission of complete information in Formats VI-1 to VI-5 as per Trade Notice 5/2021. The sampled petitioners submitted only limited documentation including Proforma IV-A and a one-page PCN-wise non-injurious price statement, which is insufficient and non-compliant with mandatory formats.

vii. No detailed breakdown of raw material consumption, cost of production, trial balances, PCN-wise expenses, working capital, or plant-level capacity utilization has been provided. The Proforma IV-A filed for 5 individual companies has been claimed confidential with everything marked as starred, rendering the information inaccessible for meaningful review.

**E.2 <u>Submissions by the domestic industry</u>**

76. The following submissions have been made by domestic industry with regard to the Confidentiality:

i. The domestic industry submitted that the Authority must assess confidentiality based on various factors including nature of information and whether such information is by law, custom, usage or practice treated as confidential in the relevant field.

ii. If disclosure is not treated as confidential in the field to which information relates, then claim to confidentiality is ill founded. However, where confidentiality is accepted by law, custom, usage or practice, the Authority will be satisfied about confidentiality.

iii. The domestic industry denied failure to comply with Trade Notice 09/2021 which recognizes challenges in gathering complete information from all producers in fragmented industries and provides simplified procedures for initial filings. The petitioners filed all required information under Annexure-I for twelve applicant producers supported by requisite production and injury data across the injury period.

iv. The domestic industry denied that only Proforma IV-A and single-page NIP statement was provided, stating that complete confidential data including PCN-wise cost and price data and cost sheets were submitted to the Authority. Non-confidential versions were submitted to extent possible without disclosing information that could harm commercial interests of sampled producers operating in highly competitive market.

v. The domestic industry denied failure to adhere to Trade Notice 10/2018, stating that as per paragraph 3.2, producers are required to provide reasonable non-confidential summary or explanation where summary is not possible. In all instances where data was marked confidential, either summary in indexed form was submitted or explanation was provided why disclosure would severely prejudice companies.

vi. Non-confidential versions were submitted with data marked with justifiable confidentiality indicators in accordance with Trade Notice 10/2018. Summary trends in domestic sales, profit margins, interest costs

and depreciation were provided in indexed form, fully complying with confidentiality treatment requirements.

vii. The domestic industry submitted that allegations of excessive confidentiality are without basis as the Authority has consistently accepted confidential filings where companies can show risk of significant commercial harm. The market for the PUC is competitive and disclosure of costs and pricing would materially harm sampled producers. Confidentiality claims are made in accordance with Trade Notice 10/2018 and Rule 7 of AD Rules.

viii. The domestic industry argued that there is no legal obligation to disclose actual numbers in public version when such disclosure would lead to commercial harm. The Authority has not raised any deficiency with respect to confidentiality and there is no procedural violation.

ix. The domestic industry submitted that the Authority is competent body to assess completeness, confidentiality and procedural compliance. All mandatory information has been placed on record and the Authority retains discretion to verify and evaluate all data on record and direct disclosure of further information if required.

x. The domestic industry also noted that Trade Notice 2/2000 was superseded by Trade Notice 1/2013 dated 09.12.2013, making any reference to older Trade Notice 2/2000 not applicable. The domestic industry complied with Trade Notice 10/2018 and where data could not be summarized due to commercial harm or proprietary concerns, reasons were provided.

xi. The domestic industry filed its comments on excessive confidentiality claiming that the interested parties have filed questionnaire responses with excessive confidentiality claims in violation of Rule 7 of AD Rules and Trade Notice 10/2018. Further, no other interested parties filed responses to comments on confidentiality filed by the domestic industry.

xii. The domestic industry identified specific parties that have claimed excess confidentiality including Blaze Decorative Pvt. Ltd., RGK Polychem India Pvt. Ltd., Konkan Speciality Poly Products Pvt Ltd, A One Trading Co., Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company, Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company, Yen Bai European Plastic Joint Stock Company, European Plastic Joint Stock Company, and Polyfill Joint Stock Company.

xiii. The domestic industry further cited Article 6.5 of the Anti-Dumping Agreement which provides that information which is by nature confidential shall be treated as such by authorities upon good cause shown. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

xiv. Rule 7 of the AD Rules states that the Authority may require parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof. If information is not susceptible of summary, parties may submit statement of reasons why summarization is not possible. The Authority may disregard information if confidentiality is not warranted or if the supplier is unwilling to provide the information.

xv. Trade Notice 10/2018 was issued to clarify the manner in which information should be disclosed while filing non-confidential versions of applications and questionnaire responses by interested parties.

**E.3 <u>Examination by the Authority</u>**

77. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under:

78. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the AD Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:

*"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, subrule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality,*

*be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information"*

79. The Authority has undertaken a thorough examination of the confidentiality claims submitted by both the domestic industry and other interested parties. Upon review, the Authority finds that these claims were, in general, appropriately substantiated and in conformity with the applicable legal provisions. Accordingly, on being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

## F. MISCELLANEOUS ISSUES

### F.1. Submissions by other interested parties

80. The other interested parties have made the following submissions: -

i. The application is filed by two associations without proper authorizations and certifications in line with legal requirements. Rule 5(3) specifically provides that designated authority shall not initiate investigation unless pre-conditions are met. Since initiation notification was issued without ascertaining proper authorizations, the proceedings become bad in law. This is not a harmless error but a fatal error resulting in proceedings being without jurisdiction.

ii. Article 23.13 of Articles of Association of Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India requires certification under seal of the company for appointing attorneys. The certification is without seal and has no sanctity of law and will be considered as without certification. The legal representatives are only authorized to receive and make submissions, appear on behalf of applicants and hold discussions, but have no power to institute proceedings or file applications.

iii. The Authority's decision to rely on sampled domestic industry is not in consonance with principles of natural justice. With respect to sampling. the Manual provides under paragraph 8.8.4 provides that in case there are large number of responses, it is impractical to verify and examine each response individually, therefore it is advisable with view to having more accurate verification to resort to sampling as per methodology described. The Manual specifically states that it should be notified to all stakeholders within 80 days from date of initiation that Authority is resorting to sampling and sampling methodology must be specified therein.

iv. The Authority's decision to conduct sampling has not been disclosed to interested parties at any stage of investigation. The notice of initiation made no reference to use of sampling in respect of domestic industry, nor did Authority issue any communication inviting comments on proposed basis or methodology for such sampling. The importers only learnt of sampling via communication by domestic industry. This is serious procedural lapse as interested parties have right to be informed and comment on representativeness and selection criteria before any sampling is adopted under Rule 17 of AD Rules.

v. The decision to resort to sampling among applicant producers without prior disclosure or consultation violates principles of natural justice. The right to be heard is compromised because interested parties were neither informed of intention to conduct sampling nor given opportunity to provide input on sampling methodology. In previous investigations, Authority has invited interested parties' comments on sampling. The absence of such opportunity severely prejudices interested parties' ability to represent their interests in present investigation.

vi. There appears to be no formal notification, public record, or written communication from Authority indicating when and how five companies were selected as part of sample for detailed examination. The procedure for selection of sampled domestic producers is governed by Para 7 of Trade Notice 9/2021 which provides that Authority shall select sample set of producers based on statistically valid sampling techniques. In interest of transparency and procedural fairness, Authority should issue formal notification or communication indicating basis and process for selection of sampled domestic producers.

vii. No formal communication has been issued by Authority regarding criteria or rationale for selection of sampled domestic producers. Neither initiation notification nor any public submission indicates methodology used for finalizing five sampled producers. The selection appears to be driven by petitioners' own discretion rather than statistically valid or objective methodology. In absence of any explanation or documented justification, it appears selection of sampled companies has been driven not by statistically valid or objective methodology but rather by petitioners' own discretion.

viii. Upon review of available records, it is evident that five companies eventually selected show declining performance trends during POI. The original petition was filed on behalf of twelve domestic producers including companies such as Blend Colors Pvt. Ltd., Bajaj Masterbatches Pvt. Ltd., Bajaj Superpack India Ltd., Bajaj Plast Pvt. Ltd., Bajaj Polyblends Pvt. Ltd., Siddh Chemiplast Pvt. Ltd., and Shri Ambica Polyfill, in addition to five ultimately selected.

ix. Several of excluded companies, based on available data, demonstrate positive or stable financial and operational performance during POI. This includes indicators such as improved sales realization, reduced cost of production, stable capacity utilization, or increased domestic sales volumes. The selective omission of such companies from sample has effect of presenting imbalanced and distorted picture of domestic industry.

x. The cherry-picking of companies that demonstrate adverse performance while ignoring those with neutral or positive trends compromises objectivity of investigation and may result in erroneous conclusions regarding existence and extent of injury. Authority should critically examine basis and process adopted for selection of five sampled companies and clarify whether sampling methodology complies with requirement under Rules to adopt statistically valid and unbiased techniques.

xi. In interest of transparency, issuance of formal order or public communication outlining sampling methodology adopted, criteria applied, and reasons for exclusion of other producers who were part of original applicant group is requested.

xii. DGTR normally allows 22% return on gross fixed assets which is highly inflated and not in accordance with law. DGTR adopts lesser duty rule and works out non-injurious price of domestic industry based on cost of production. The non-injurious price determined is highly inflated and not based on real situation. Providing 22% return on capital employed is incorrect because debt portion of capital employed attracts about 10-12% interest rate and this results in providing more than 22% return on net worth portion of capital employed.

xiii. The basis of 22% ROCE designed in year 1979 when all parameters like interest rate and corporate tax were different cannot be termed as reasonable after 45 years in year 2025. In 1979 rate of interest was around 18% and corporate tax was 50%-60%. By applying current rates of corporate tax and interest rate on actual basis, ROCE will work out as under for different debt equity ratios. The CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing held that adoption of 22% return on capital employed has colored injury determinations and gives inflated picture of price underselling.

xiv. The practice followed by EU for determination of reasonable return is that profit margin to be used when calculating target price must be limited to profit margin which Community industry could reasonably count on under normal conditions of competition in absence of dumped imports. The adoption of 22% profit margin based on hypothetical considerations is illogical and cannot be termed as reasonable.

**F.2. <u>Submissions by the domestic industry</u>**

81. The domestic industry has made the following submissions:

i. The assertions regarding alleged deficiencies in certifications, undertakings or authorizations filed by domestic industry are incorrect and without legal foundation. The initiation of present investigation has been carried out by Authority after duly verifying compliance with mandatory procedural requirements. All requisite certifications and authorizations required under law were properly submitted along with application for initiation.

ii. The allegation that alleged inadequacies in authorizations cast doubt over accuracy of data submitted by domestic industry is misplaced and unfounded. The accuracy of data provided in anti-dumping investigation is independently verified by Authority. Each applicant domestic producer has submitted duly certified information concerning production, sales, capacity, utilization, profitability and other relevant injury parameters.

iii. The selection of sampled domestic producers in present investigation has been undertaken in accordance with Paragraph 7 of Trade Notice 09/2021 which permits Authority to limit detailed examination of applicant domestic producers to limited number of domestic producers for determining injury margin.

iv. Trade Notice does not prescribe issuance of separate public notification for sampling of domestic producers but only requires that selection be based on statistically valid sampling methods.

v. The five producers selected for detailed examination are among largest producers of PUC in India making them representative for costing and sales verification. These companies together represent significant share of total domestic applicants. The five producers selected for detailed examination are geographically and operationally diverse thereby ensuring sample is reflective of broader domestic industry.

vi. Trade Notice 09/2021 is applicable to filing of petitions in fragmented industries and was issued to streamline process of demonstrating standing at stage of initiation. Paragraph 7 refers to possibility of limiting detailed examination for injury determination but it is clarified in paragraph 7(c) that there is no change in procedure governing investigation itself.

vii. The selection of five domestic producers was based on statistical sampling techniques adopted by Authority. There is no legal requirement under AD Rules or under AD Agreement to issue separate notification for selection of sample domestic industry. For transparency, domestic industry has filed submission dated 21 April 2025 providing their updated information in prescribed formats.

viii. The selection of sampled producers has been undertaken in line with established practices of Authority in past investigations. Authority has in numerous cases selected representative group of domestic producers without issuance of separate sampling notification. The emphasis has always been on completeness, verifiability and representativeness of data rather than form of announcement.

ix. The allegation that selection of sampled companies was based on adverse performance trends or discretionary choice of petitioners is factually incorrect and legally untenable. Authority retains full discretion to select representative sample of domestic producers for detailed verification of cost and prices. Domestic industry has played no role in selection of five sampled producers in present investigation.

x. The selection of sampled companies was done by Authority independently by applying statistical techniques. Domestic industry was informed of selected companies and was required to furnish requisite detailed information for these companies in accordance with formats prescribed under Trade Notice 09/2021. The question of selective omission by applicants does not arise since sampling process was undertaken by Authority and not by applicants.

xi. The importers have relied on Paragraph 8.8.4 of Manual which pertains to sampling of producers/exporters from subject countries under Rule 17 of AD Rules. This provision is not applicable in context of present investigation where sampling relates to domestic producers in fragmented industry. When Authority limits its detailed analysis to selected domestic producers in fragmented industry, applicable provisions are those under Trade Notice 09/2021.

xii. The claim that principles of natural justice were violated is not supported by procedure followed. Authority has relied upon verified information submitted by large number of applicant producers and has

exercised its discretion as permitted under Trade Notices to limit detailed examination to representative sample. Law does not impose any requirement on Authority to consult interested parties before selecting domestic producers in fragmented industries for sampling.

xiii. The domestic industry submitted that determination of reasonable return on capital employed is governed by Annexure III of AD Rules which provides for reasonable return (pre-tax) on average capital employed for recovery of interest, corporate tax and profit.

xiv. The Authority has consistently adopted 22% pre-tax ROCE in numerous past investigations after detailed examination and consideration of relevant economic factors. This practice is well-established, transparent and recognized in India.

xv. The interested parties' contention that applying 22% ROCE on entire capital employed comprising both debt and equity results in inflated profit margin is based on hypothetical calculations that do not reflect actual economic conditions and financial structures of domestic industry. The Authority has historically adopted uniform rate of return to maintain consistency, fairness and predictability in anti-dumping framework.

xvi. The interested parties' reliance on CESTAT rulings in Bridgestone Tyre Manufacturing and Hyosung Corporation cases is misplaced. The Authority's adoption of 22% ROCE has withstood judicial scrutiny in numerous other cases. CESTAT has not conclusively determined or mandated that lower ROCE must be applied uniformly across industries but indicated that determination of reasonable return should be done on case-by-case basis. In Bridgestone case, CESTAT's observations were based on specific facts and market conditions related to tyre industry and are not universally applicable.

xvii. The suggestion that Authority should adopt actual profitability earned by domestic industry during period when there was no dumping as benchmark for reasonable return is problematic. Profit margins earned by industry in any given period are impacted by multiple factors including market competition, macroeconomic conditions and technological factors. Profits realized in particular past period may not necessarily reflect profitability reasonably achievable under fair trading conditions.

xviii. The interested parties' reference to practice followed by European Union in determining reasonable return cannot be mechanically transposed onto Indian regulatory framework without thorough consideration of local conditions, legal standards and industrial practices. Economic context, regulatory frameworks and procedural standards differ significantly between European Union and India. Application of 22% rate by Authority is specifically designed to ensure that domestic industry is neither unfairly disadvantaged nor excessively protected.

xix. Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company has disclosed existence of trader in its export transactions to India stating that third party acts as service provider for entrusted export, performing customs procedures and receiving payments on behalf of VMI. Despite VMI's claim that ownership remains with them, these third parties form integral part of export channel and value chain.

xx. In anti-dumping investigations, all entities forming part of export value chain must participate and provide complete information including manufacturer/producer and any agent, trader or intermediary involved in export transaction. Reference was made to Para 12.18 of the Manual which states that if the producer exporter is exporting through its unrelated intermediaries, it would still be necessary for each of these intermediaries to cooperate during the investigations and submit the information called for by the Designated Authority.

xxi. When exports are made under entrustment arrangements wherein intermediary is involved in physical movement of goods or financial transactions/documents, complete export price build-up for dumping margin calculation can only be determined when information is provided by all entities in chain.

xxii. From registered interested party list in present investigation, third-party involved in export mentioned by VMI has not participated in investigation. The absence of said party from investigation creates gap in information required for proper determination of export price to unrelated customer in India. Without participation of such entity, Authority will not be in position to ascertain details of commissions, service

charges or any other expenses incurred by intermediary and profitability of such entity which ultimately may affect export price determination.

**F.3. Examination by the Authority**

82. The Authority has examined the submissions made by other interested parties regarding the authorization and certification requirements for filing the application. The other interested parties contended that the application is filed by two associations without proper authorizations and certifications in line with legal requirements, making the proceedings bad in law.

83. The other interested parties specifically argued that Article 23.13 of Articles of Association of CMMAI requires certification under seal of the company for appointing attorneys, and that the certification provided was without seal and has no sanctity of law.

84. The Authority notes that it has verified the information submitted by the domestic industry and found it to be in compliance with the procedural requirements under the Anti-Dumping Rules. Wherever warranted, the Authority has called for the relevant information from the domestic industry. The initiation notification was issued only after the Authority satisfied itself regarding the completeness of the application and compliance with mandatory requirements.

85. The other interested parties argued that alleged inadequacies in authorizations cast doubt over accuracy of data submitted by domestic industry.

86. The Authority finds that the accuracy of data provided in anti-dumping investigation is independently verified by the Authority. Each applicant domestic producer has submitted duly certified information concerning production, sales, capacity, utilization, profitability and other relevant injury parameters. The verification process ensures reliability of data used for injury and causation analysis.

87. The Authority has examined the submissions regarding the sampling methodology adopted for the domestic industry. The other interested parties argued that the Authority's decision to rely on sampled domestic industry is not in consonance with principles of natural justice and that the decision to conduct sampling has not been disclosed to interested parties at any stage of investigation.

88. The Authority notes that the other interested parties have relied on Paragraph 8.8.4 of Manual which pertains to sampling of producers/exporters from subject countries under Rule 17 of the Anti-Dumping Rules. This provision is not applicable in the context of present investigation where sampling relates to domestic producers in fragmented industry. When Authority limits its detailed analysis to selected domestic producers in fragmented industry, applicable provisions are those under Trade Notice 09/2021.

89. The Authority finds that Trade Notice 09/2021 was issued to streamline process of demonstrating standing at stage of initiation and permits the Authority to limit detailed examination for injury determination. Paragraph 7 of Trade Notice 09/2021 specifically allows such sampling without requiring separate notification. The Authority has exercised its discretion as permitted under Trade Notices to limit detailed examination to representative sample.

90. The Authority observes that there is no legal requirement under the Anti-Dumping Rules or under the Anti-Dumping Agreement to issue separate notification for selection of sample domestic industry. The Authority has followed established practices in past investigations where representative groups of domestic producers have been selected without issuance of separate sampling notification.

91. The Authority finds that the procedure followed does not violate principles of natural justice. The Authority has relied upon verified information submitted by large number of applicant producers and has exercised its discretion as permitted under Trade Notices to limit detailed examination to representative sample. Law does not impose any requirement on Authority to consult interested parties before selecting domestic producers in fragmented industries for sampling.

92. The Authority notes that interested parties have been provided adequate opportunities to present their views and submissions throughout the investigation process.

93. The other interested parties further submitted that five companies eventually selected show declining performance trends during POI while several excluded companies demonstrate positive or stable financial

and operational performance. These parties argued that this constitutes cherry-picking of companies that demonstrate adverse performance while ignoring those with neutral or positive trends.

94. The Authority notes that the selection of sampled companies was done independently by applying statistical techniques. The five producers selected for detailed examination are among largest producers of PUC in India making them representative for costing and sales verification. These companies together represent significant share of total domestic applicants and are geographically and operationally diverse thereby ensuring sample is reflective of broader domestic industry.

95. The Authority finds that the question of selective omission by applicants does not arise since sampling process was undertaken by Authority and not by applicants. The domestic industry was informed of selected companies and was required to furnish requisite detailed information for these companies in accordance with formats prescribed under Trade Notice 09/2021.

96. The Authority has examined the submissions regarding the reasonable return on capital employed (ROCE). The other interested parties argued that DGTR normally allows 22% return on gross fixed assets which is highly inflated and not in accordance with law. These parties submitted that the basis of 22% ROCE designed in year 1979 cannot be termed as reasonable after 45 years in year 2025.

97. The other interested parties further argued that providing 22% return on capital employed is incorrect because debt portion of capital employed attracts about 10-12% interest rate and this results in providing more than 22% return on net worth portion of capital employed. These parties referenced CESTAT decisions and European Union practices to support their arguments.

98. The Authority notes that the determination of reasonable return is governed by Annexure III of the Anti-Dumping Rules. The Authority has consistently applied 22% pre-tax ROCE in numerous investigations as this practice is well-established, transparent and recognized. The uniform rate of return maintains consistency, fairness and predictability in the anti-dumping framework.

99. The Authority finds that the interested parties' reliance on CESTAT rulings is misplaced as CESTAT has not conclusively determined or mandated that lower ROCE must be applied uniformly across industries but indicated that determination of reasonable return should be done on case-by-case basis.

100. The Authority observes that the reference to practice followed by European Union cannot be mechanically transposed onto Indian regulatory framework without thorough consideration of local conditions, legal standards and industrial practices. Economic context, regulatory frameworks and procedural standards differ significantly between European Union and India.

101. The domestic industry submitted that Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company has disclosed existence of trader in its export transactions to India and that these third parties form integral part of export channel and value chain. The domestic industry argued that all entities forming part of export value chain must participate and provide complete information.

102. The domestic industry further submitted that from registered interested party list, the third-party involved in export mentioned by VMI has not participated in investigation, creating gap in information required for proper determination of export price to unrelated customer in India.

103. The Authority notes that in anti-dumping investigations, complete information regarding export price build-up is essential for accurate dumping margin calculation. When exports are made under entrustment arrangements wherein intermediary is involved in physical movement of goods or financial transactions, complete export price build-up can only be determined when information is provided by all entities in chain.

104. The Authority has examined this issue in calculation of dumping margin.

## G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

### G.1. Submissions by other interested parties:

105. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:

i. The producers/exporters submitted that the dumping margin calculated by domestic industry appears to be overstated and may not be representative of actual prevailing commercial realities or transactional values in export markets.

ii. The producers/exporters claimed that they have submitted detailed and verified data to Authority, including questionnaire responses, desk verification data, and follow-up clarifications. The data provided includes information on sales transactions, cost elements, price structures, and market behaviour.

iii. The producers/exporters requested that dumping margin should be determined strictly on basis of verified and actual data submitted by cooperating foreign producers and exporters.

iv. Reliance on constructed normal values or notional assumptions made by domestic industry, particularly where exporters have cooperated and submitted robust data, would result in inaccurate and inflated assessment of dumping. The producers/exporters urged Authority to apply principles of fair comparison as required under Rule 6(8) and Rule 10 of Anti-Dumping Rules.

**G.2 <u>Submissions by the domestic industry</u>**

106. The domestic industry has made the following submission with regard to the normal value, export price and dumping margin:

i. The domestic industry submitted that Authority is required to evaluate all domestic sales made by Vietnamese producers/exporters to related parties to determine whether such transactions were made at arm's length and in ordinary course of trade.

ii. If prices are found not to be at arm's length, such sales must be disregarded for purposes of determining normal value in accordance with legal provisions and past precedent. The domestic industry cited Article 2.1 of Anti-Dumping Agreement which states that product is considered dumped if export price is less than comparable price, in ordinary course of trade, for like product when destined for consumption in exporting country.

iii. The domestic industry submitted that in non-confidential version of questionnaire response filed by entities of EuroPlast group, it has been stated under channel of distribution section that PUC was sold to related entities in domestic market. However, in response to question which asked for supporting documents regarding domestic sales to related parties, response provided was that there were no such domestic sales. This internal inconsistency indicates that there is ambiguity regarding nature of domestic sales. The domestic industry submitted that where channel of distribution confirms related party transactions but supporting documents are denied, this raises possibility that exporter has not provided complete information to Authority. In such circumstances, Authority must undertake verification of all domestic sales transactions, with focus on any transactions made with related parties.

iv. The domestic industry requested Authority to undertake examination and verification of sales made by EuroPlast group as well as for other producers in domestic market of exporting country. If related party transactions exist, they must be tested for arm's length nature. The determination of normal value must be based only on transactions made in ordinary course of trade, and all non-arm's length transactions must be excluded.

v. The domestic industry submitted that Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company (VMI) has disclosed existence of trader in its export transactions to India. The domestic industry submitted that VMI operates through third party for export transactions. This third party performs customs procedures and receives payments on behalf of VMI. Despite VMI's claim that ownership remains with them, these third parties form part of export channel and value chain.

vi. In anti-dumping investigations, all entities forming part of export value chain must participate and provide complete information. The domestic industry states that it would be necessary for each of these intermediaries to cooperate during investigations and submit information called for by Authority. The domestic industry submitted that from registered interested party list in present investigation, it appears that third-party involved in export mentioned by VMI has not participated in investigation. The absence of said party from investigation creates gap in information required for proper determination of export

price to unrelated customer in India.The domestic industry submitted that in absence of complete information from all entities in export chain, including third-party exporters, VMI's response should be considered incomplete and deficient for purpose of individual margin determination.

**G.3 <u>Examination by the Authority</u>**

107. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

*"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: (a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); (b)Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

108. The Authority has examined the submissions made by various interested parties regarding the determination of normal value, export price and dumping margin. The Authority notes that under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, normal value means the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country as determined in accordance with the rules.

109. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

i) European Plastic Joint Stock Company
ii) Polyfill Joint Stock Company
iii) Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company
iv) Yen Bai European Plastic Joint Stock Company
v) A Dong Plastic Joint Stock Company
vi) Vitaplas Joint Stock Company
vii) Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company
viii) An Tien Industries Joint Stock Company
ix) GCC Minerals JSC
x) Viet Trung Plastic Chemical JSC
xi) Filler Masterbatch Joint Stock Company
xii) US Masterbatch Joint Stock Company
xiii) US MB JSC Hung Yen Branch

110. The producers/exporters requested that dumping margin should be determined strictly on the basis of verified and actual data submitted by cooperating foreign producers and exporters. These parties argued that reliance on constructed normal values or notional assumptions would result in inaccurate and inflated assessment of dumping.

111. The Authority finds that wherever the level of cooperation by Vietnamese producers/exporters has been satisfactory, the Authority has considered the information provided by cooperating producers/exporters for determination of individual dumping margins.

112. With regards to the contention that normal value should not be based on cost of production of the applicant since the same may be inflated, the Authority notes that the normal value for all cooperative

producers is based on their own responses. For non-cooperative producers, the Authority has relied on facts available. In this regard, the Anti-Dumping Agreement is clear that "*if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate*". Therefore, the Authority is justified in relying on facts available in this regard.

**G.3.1 Determination of Normal Value and Export Price**

**Normal Value for Vietnam**

**Normal Value for European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast"), Yen BaiEuropean Plastic Joint Stock Company ("Yenbai"), Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") and Polyfill joint stock company ("Polyfill") (collectively referred to as "Europlast Group")**

**Determination of Normal Value - Europlast Group**

113. European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast"), Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai"), Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") and Polyfill joint stock company ("Polyfill") are the related producers of the PUC in Vietnam within the Europlast Group. Europlast, Yenbai, Nghe and Polyfill have exported PUC to India during the POI. All the entities have also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for each entity based on their domestic sales of the PUC during the POI.

**European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast")**

114. EuroPlast has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

115. It is seen that out of total sales of PUC in the domestic market, EuroPlast has sold [***] MT of PUC to unrelated parties and [***] MT of PUC to related parties in the domestic market. Out of the sales made to related party, EuroPlast has sold [***] MT of PUC to one of its related parties, namely, Nghe, who has resold the same in the domestic market to unrelated customers. EuroPlast has sold [***] MT PUC to related user namely Abbey Vietnam Joint Stock Company ("**Abbey**") in the domestic market.

116. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on selling price of EuroPlast to independent customers and resale price of related parties of EuroPlast to the independent customer. For sales to Abbey, the Authority examined whether the sales were on arm's length basis. Since the price of such sales are lower than the prices to unaffiliated customers, the Authority has not considered such sales to be in the ordinary course of trade.

117. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for PCN, less than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales. For the PCNs, wherever more than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of all sales of that PCN.

118. The information concerning all domestic sales and prices has been furnished on record. EuroPlast has claimed price adjustments on account of inland transportation, credit cost and any other expenses. The adjustments claimed except for other expenses have been allowed by the Authority after desk verification. The normal value at ex-factory level for EuroPlast has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai")**

119. YenBai has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the

domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

120. It is seen that out of total sales of PUC in the domestic market, Yenbai has sold [***] MT of PUC to unrelated parties in the domestic market directly. Further, Yenbai has sold [***] MT of PUC to related parties in the domestic market. Out of the above domestic sales made to related party, [***] MT PUC sold to related user namely Abbey Vietnam Joint Stock Company ("**Abbey**") in the domestic market.

121. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on selling price of Yenbai to independent customers. For sales to Abbey, the Authority examined whether the sales were on arm's length basis. Since the price of such sales are lower than the prices to unaffiliated customers, the Authority has not considered such sales to be in the ordinary course of trade.

122. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for PCN, less than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales. For the PCNs, wherever more than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of all sales of that PCN. For the PCN having a negligible volume of sales at profits, the normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

123. The information concerning all domestic sales and prices has been furnished on record.

124. Yenbai has claimed price adjustments on account of credit cost and other expenses. The adjustments claimed except for other expenses have been allowed by the Authority after desk verification. The normal value at ex-factory level for Yenbai has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe")**

125. Nghe has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

126. It is seen that out of total sales of PUC in the domestic market, Nghe has sold [***] MT of PUC to unrelated parties in the domestic market directly. Further, Nghe has sold [***] MT of PUC to its related parties in the domestic market. Out of the domestic sales made to related party in the domestic market, Nghe has sold [***] MT of PUC to one of its related parties, namely, EuroPlast, who has resold the same in the domestic market to unrelated customers during the POI. Further, Nghe has sold [***] MT PUC to related user namely Abbey Vietnam Joint Stock Company ("**Abbey**") and [***] MT PUC to Long An European Plastic Joint Stock Company ("Long An") in the domestic market.

127. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on selling price of Nghe to independent customers and resale price of related parties of Nghe to the independent customer. For sales to Abbey and Long An, the Authority examined whether the sales were on arm's length basis. Since the price of such sales are lower than the prices to unaffiliated customers, the Authority has not considered such sales to be in the ordinary course of trade.

128. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for PCN, less than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales. For the PCNs, wherever more than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of all sales of that PCN. For the PCN having a negligible volume of sales at profits, the normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

129. The information concerning all domestic sales and prices has been furnished on record.

130. Nghe has claimed price adjustments on account of ocean freight, inland freight, credit cost and other expenses. The adjustments claimed except for other expenses have been allowed by the Authority after

desk verification. The normal value at ex-factory level for Nghe has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Polyfill joint stock company ("Polyfill")**

131. Polyfill has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

132. It is seen that out of total sales of PUC in the domestic market, Polyfill has sold [***] MT of PUC to unrelated parties in the domestic market directly. Further, Polyfill has sold [***] MT of PUC to its related parties in the domestic market. Out of the domestic sales made to related party in the domestic market, Polyfill has sold [***] MT of PUC to two of its related parties, namely, EuroPlast and Nghe, who have resold the same in the domestic market to unrelated customers during the POI. Polyfill has sold [***] MT PUC to related user namely Abbey and [***] MT PUC to Long An in the domestic market.

133. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on selling price of Polyfill to independent customers and resale price of related parties of Polyfill to the independent customer. For sales to Abbey and Long An, the Authority examined whether the sales were on arm's length basis. Since the price of such sales are lower than the prices to unaffiliated customers, the Authority has not considered such sales to be in the ordinary course of trade.

134. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for PCN, less than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales. For the PCNs, wherever more than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of all sales of that PCN.

135. The information concerning all domestic sales and prices has been furnished on record.

136. Polyfill has claimed price adjustments on account of ocean freight, inland transportation, credit cost and other deductions. The adjustments claimed except for other deduction have been allowed by the Authority after desk verification. The normal value at ex-factory level for Polyfill has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

137. In accordance with the above, weighted average normal value for EuroPlast group which consists of European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast"), Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai"), Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") and Polyfill joint stock company ("Polyfill") has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Determination of Normal Value - A Dong Plastic Joint Stock Company**

138. A Dong Plastic Joint Stock Company ("ADC Plastic") has exported PUC to India during the POI. ADC Plastic also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for ADC Plastic based on its domestic sales of the PUC during the POI.

139. ADC Plastic has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

140. It is seen that ADC Plastic has made the total sales of PUC in the domestic market to unrelated parties in the domestic market. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on selling price of ADC Plastic to independent customers.

141. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for PCN, less than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales. For the PCNs, wherever more than 80%

of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of all sales of that PCN.

142. The information concerning all domestic sales and prices has been furnished on record.

143. ADC Plastic has claimed price adjustments on account of inland transportation, commission, credit cost and other deductions. The adjustments claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The normal value at ex-factory level for ADC Plastic has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Determination of Normal Value – An Tien Industries Joint Stock Company**

144. An Tien Industries Joint Stock Company ("An Tien") has exported PUC to unrelated Indian customers during the POI. An Tien also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam to related and unrelated customers. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for An Tien based on its domestic sales of the PUC during the POI.

145. An Tien has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

146. It is seen that out of total sales of PUC in the domestic market, An Tien has sold [***] MT of PUC to unrelated parties in the domestic market. An Tien has sold [***] MT of PUC to related parties in the domestic market.

147. For sales to related customers, the Authority examined whether the sales were on arm's length basis. Since the price of such sales and sales to unrelated customers are in the same range, the Authority has considered such sales for the ordinary course of trade test. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on selling price of An Tien to all customers.

148. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. It has been noted that more than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of all sales.

149. The information concerning all domestic sales and prices has been furnished on record.

150. An Tien has claimed price adjustments on account of inland freight, commission and credit cost. The adjustments claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The normal value at ex-factory level for An Tien has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Determination of Normal Value – Vitaplas Joint Stock Company**

151. Vitaplas Joint Stock Company ("Vitaplas") has exported PUC to India during the POI. Vitaplas also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for Vitaplas based on its domestic sales of the PUC during the POI.

152. Vitaplas has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

153. It is seen that Vitaplas has made the total sales of PUC in the domestic market to unrelated parties. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on selling price of Vitaplas to independent customers.

154. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for PCN, less than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales. For the PCNs, wherever there are no sales in the domestic market, the normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits.

155. The information concerning all domestic sales and prices has been furnished on record.

156. Vitaplas has claimed price adjustments on account of inland transportation, credit cost and packing cost. The adjustments claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The normal value at ex-factory level for Vitaplas has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Determination of Normal Value – Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company**

157. Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company ("VIM") has exported PUC to India during the POI. VIM also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam.

158. VIM has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. Out of the total exports to India, VIM has sold [***] MT directly to India and has sold [***] MT to India through unrelated trader/entrusted exporter.

159. The Authority notes that the data/information for determination of Cost of Production (COP) were found incomplete in many respects even after given sufficient opportunity to substantiate their claim like figures of Appendix-7 and Appendix-8 are not matching with each other, in most of the Appendices and verification documents attached, English version was not provided.

160. Further, the same was not supported in English Version also, supporting documents of Appendix-1 not provided to authenticate the figures in claim, Production and sales quantity of Appendix-1, Appendix-8 and Appendix-9 are not matching with each other. Accordingly, the claim of COP of the said exporter producer has been rejected.

161. It is seen that the VIM has failed to co-operate with the Authority. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin to VIM.

**Determination of Normal Value – GCC Minerals JSC and Viet Trung Plastic Chemical JSC**

162. GCC Minerals JSC ("GCC") is a producer/exporter of the PUC in Vietnam. GCC has exported PUC to India during the POI. GCC also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam. Viet Trung Plastic Chemical JSC ("Viet Trung") is subsidiary of GCC and engaged in export of PUC produced by GCC to India during the POI. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for GCC based on its domestic sales of the PUC during the POI.

163. GCC has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

164. However, the data/information submitted by the companies were found incomplete in many respects even after given sufficient opportunity to substantiate their claim like figures of Appendix-7 and Appendix-8 for POI is blank, data submitted for verification are not linked with each other and are punched figures, Appendix-6 -data not provided with screenshots and all figures of Appendix-6 are punched, in some Appendices and verification documents of producers, English version was not provided.

165. It is seen that GCC and Viet Trung Plastic Chemical JSC have failed to co-operate with the Authority. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin.

**Determination of Normal Value – Filler Masterbatch Joint Stock Company**

166. Filler Masterbatch Joint Stock Company ("FMJSC") has exported PUC to India during the POI. FMJSC also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for FMJSC based on its domestic sales of the PUC during the POI.

167. FMJSC has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

168. However, the data/information submitted by the companies were found incomplete in many respects even after given sufficient opportunity to substantiate their claim like figures of Appendix-7 and Appendix-8 for POI is blank, data submitted for verification are not linked with each other and are

punched figures, Appendix-6 -data not provided with screenshots and all figures of Appendix-6 are punched, in some Appendixes and verification documents of producers, English version was not provided.

169. It is seen that FMJSC has failed to co-operate with the Authority to the best of its ability. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin to FMJSC.

**Determination of Normal Value – US Masterbatch Joint Stock Company & US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch**

170. US Masterbatch Joint Stock Company ("USMB") has exported PUC to India during the POI. USMB also made sales of PUC in the domestic market of Vietnam. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for USMB based on its domestic sales of the PUC during the POI.

171. USMB has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

172. US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch ("USHYB") a related producer/exporter USMB, has exported PUC to India during the POI. USHYB made no sales of PUC in the domestic market of Vietnam.

173. USHYB has sold [***] MT of the subject goods to India. In the absence of domestic sales of USHYB, the Authority proceeded to determine normal value based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits.

174. However, the data/information submitted by the companies were found incomplete in many respects even after given sufficient opportunity to substantiate their claim like figures of Appendix-7 and Appendix-8 for POI is blank, data submitted for verification are not linked with each other and are punched figures, Appendix-6 -data not provided with screenshots and all figures of Appendix-6 are punched, in some Appendixes and verification documents of producers, English version was not provided. Further, in case of exporter producer USHYB, data/information/verification documents not provided at all. Accordingly, the claim of COP of the said exporter's producers have been rejected.

175. It is seen that USMB and USHYB have failed to co-operate with the Authority. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin to USMB and USHYB.

**Any other producer/exporters**

176. The normal value for all other exporters and non-cooperative exporters have been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8).

**Export Price for Vietnam**

**Determination of Export Price for European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast"), Yen BaiEuropean Plastic Joint Stock Company ("Yenbai"), Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") and Polyfill joint stock company ("Polyfill") (collectively referred to as "Europlast Group")**

**European Plastic Joint Stock Company (EuroPlast)**

177. EuroPlast has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

EuroPlast → Unrelated customers in India

EuroPlast → Polyfill Joint stock company → unrelated customer in India

178. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for all the quantity exported to India directly or indirectly. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, credit cost and other deductions (Bank charges) after desk verification. The export price for EuroPlast has been calculated as

mentioned in the dumping margin table below.

**Yen Bai European Plastic Joint Stock Company (YenBai)**

179. YenBai has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

YenBai → Polyfill joint stock company→ unrelated customer in India

YenBai → European Plastic Joint Stock Company→ unrelated customer in India

180. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for all the quantity exported to India. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. Adjustments have been made for credit cost and other deductions after desk verification. The export price for YenBai has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company (NGHE)**

181. NGHE has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

NGHE → Polyfill joint stock company→ unrelated customer in India

NGHE → European Plastic Joint Stock Company →unrelated customer in India

182. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for all the quantity exported to India. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. Adjustments have been made for credit cost and other deductions after desk verification. The export price for NGHE has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Polyfill joint stock company (Polyfill)**

183. Polyfill has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

Polyfill → unrelated customer in India

Polyfill → European Plastic Joint Stock Company→ unrelated customer in India

184. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for all the quantity exported to India directly or indirectly. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, port and related expenses, credit cost and other deductions after desk verification. The export price for Polyfill has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

185. In accordance with the above, weighted average export price for EuroPlast group which consists of European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast"), Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai"), Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") and Polyfill joint stock company ("Polyfill") has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

**Determination of Export Price for A Dong Plastic Joint Stock Company (ADC Plastic)**

186. ADC Plastic has exported [***] MT of the subject goods to India directly to unrelated customers in India.

187. The export price has been determined based on the price charged by ADC Plastic from the unrelated customers in India. Adjustments have been made for Ocean freight, insurance, Inland transportation, port and other charges after desk verification. The export price determined is mentioned in the table below.

**Determination of Export Price for An Tien Industries Joint Stock Company (An Tien)**

188. An Tien has exported [***] MT of the subject goods directly to unrelated Indian customers.

189. The export price has been determined based on the price charged by An Tien from the unrelated customers in India. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, inland transportation and credit cost. The adjustments claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The

export price determined is mentioned in the table below.

**Determination of Export Price for Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas)**

190. Vitaplas has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

Vitaplas → unrelated customer in India

191. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, port and related expesnes and packing cost after desk verification. The export price determined is mentioned in the table below.

**Determination of Export Price for Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company (VIM)**

192. VIM has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

VIM →unrelated customer in India

VIM →unrelated exporter/ entrusted export company →unrelated customer in India

193. In case of sales to entrusted exporter, the entrusted exporter has not participated in the investigation and has not filed the EQR. The Authority notes that the exports made through such entrusted exporter is more than 30% of the total exports made by VIM to India. The Authority could not examine and confirm whether such exporter has exported the subject goods to India at profit or loss. It is seen that the VIM has failed to co-operate with the Authority. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin to VIM.

**Determination of Export Price for GCC Mineral JSC (GCC) and Viet Trung Plastic Chemical JSC**

194. GCC has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

GCC →unrelated customer in India

GCC →Exporter →unrelated customer in India

195. The Authority notes that the data/information submitted by the companies were found incomplete in many respects even after given sufficient opportunity to substantiate their claim. In case of sales to related exporter, the Authority could not examine and confirm whether the related exporters have resold the subject goods at profit/loss as Appendix 5 was incomplete. It is seen that GCC and Viet Trung Plastic Chemical JSC have failed to co-operate with the Authority. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin to GCC and Viet Trung Plastic Chemical JSC.

**Determination of Export Price for Filler Masterbatch Joint Stock Company (FMJSC)**

196. FMJSC has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

FMJSC →unrelated customer in India

197. The Authority notes that the data/information submitted by the companies were found incomplete in many respects including submissions of blank/incomplete formats, non- reporting of PCNs even after given sufficient opportunity to substantiate their claim. FMJSC has failed to co-operate with the Authority. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin to FMJSC.

**Determination of Export Price for US Masterbatch Joint Stock Company (USMB) and US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch (USHYB)**

198. USMB has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

USMB →unrelated customer in India

199. USHYB has exported [***] MT of the subject goods to India, through the following channels

USHYB → unrelated customer in India

200. The Authority notes that the data/information submitted by the companies were found incomplete in many respects including submissions of blank/incomplete formats even after given sufficient opportunity

to substantiate their claim. It is seen that USMB and USHYB have failed to co-operate with the Authority. Therefore, it is held not to grant an individual dumping margin to USMB and USHYB.

**Any other producer/exporters**

201. The export price for all other exporters and non-cooperative exporters have been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8).

**Dumping margin for related producers and Exporters**

202. It is noted that in the subject investigations many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.

203. In accordance with the above, the relating producers and exporters were regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters. Injury margin has also been determined in a similar way.

**DUMPING MARGIN TABLE**

| S. No. | Producer | Normal value | Export price | Dumping margin | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD/MT | USD/MT | USD/MT | % | Range |
| 1 | European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast"), | *** | *** | *** | *** | 10-20% |
| 2 | Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai") | *** | *** | *** | *** | 10-20% |
| 3 | Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") | *** | *** | *** | *** | 10-20% |
| 4 | Polyfill joint stock company ("Polyfill") (collectively referred to as "Europlast Group") | *** | *** | *** | *** | 10-20% |
| 5 | ADC Plastic.,JSC | *** | *** | *** | *** | 10-20% |
| 6 | An Tien Industries Joint Stock Company | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 7 | Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas) | *** | *** | *** | *** | 10-20% |
| 8 | Others | *** | *** | *** | *** | 30-40% |

204. The dumping margin is more than de-minimis for the producers/exporters from Vietnam.

## H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

### H.1. Submissions made by the other interested parties

205. The following submissions have been made by the other interested parties on the issue of injury and causal link:

i. The interested parties submitted that domestic demand for PUC increased by 35% from 6,30,693 MT to 8,54,318 MT between base year and POI. The Petitioners and other Indian Producers increased their domestic sales by 16% and 18% respectively, indicating that imports expanded primarily to meet rising demand rather than displace domestic producers.

ii. No material injury has been caused as there is absence of volume effect. The increased subject imports are result of healthy year-on-year surge in demand and changing customer preferences.

iii. Import volume from Vietnam increased from 48,155 MT in base year to 1,63,377 MT in POI, while total domestic demand/consumption increased from 6,30,693 MT to 8,54,318 MT.

iv. Total production by domestic industry increased from 2,15,181 MT to 2,50,685 MT, and domestic sales by domestic industry increased from 1,90,683 MT to 2,21,794 MT. The rate of increase in domestic demand significantly exceeded the rate of increase in sales by domestic producers.

v. The interested parties submitted that subject import prices and domestic selling prices moved in tandem throughout the injury period based on the cost of sales of the PUC. In 2021-22, cost of sales of PUC increased by 22 indexed points, and accordingly both subject import prices and domestic selling prices increased. Between 2021-22 and 2022-23, cost of sales increased, and both subject import prices and domestic selling prices increased, with subject import prices increasing at higher rate than domestic selling prices.

vi. Global prices of PUC follow the same trend, with domestic industry's export prices moving in tandem with prices of subject imports due to being closely linked to global prices. The domestic industry was unprofitable even in base year when subject imports held only 7.6% market share, indicating injury is not caused by subject imports. Losses persisted throughout injury period regardless of fluctuations in volume of subject imports.

vii. The landed price of imports and price of domestic industry moved parallelly, with domestic industry price moving from 100 base year point to 108 points in POI while landed price moved from 100 to 107 in same period. However, there was increase in cost by 12%, and alleged fall in profits must be linked to increase in cost rather than imports.

viii. The other interested parties submitted data showing positive trends in domestic industry's economic parameters.

a. Installed capacity increased from 4,15,302 MT to 4,82,020 MT (+16.08% growth).
b. Capacity utilization increased from 61% to 64% (+4.92% growth).
c. Production quantity increased from 2,15,181 MT to 2,50,685 MT (+16.49% growth).
d. Domestic sales increased from 1,90,683 MT to 2,21,794 MT (+16.30% growth).
e. Number of employees increased from 1,001 to 1,224 (+22.23% growth).
f. Salaries and wages increased by +38.00%.
g. Productivity per day increased by +16.44%.

ix. Despite increase in capacity, producers were able to improve capacity utilization. Domestic sales volume increased by 16.30% in POI compared to base year, while export sales volume increased by 1.12% in same period. All economic parameters including production, wages, number of employees, productivity per day, capital employed showed positive trend in POI compared to base year.

x. The interested parties submitted that the cost of sales and net sales realization per unit increased by 12% and 8% respectively between 2020-21 and POI. The losses suffered by domestic industry expanded disproportionately to difference in increase of cost of sales vis-à-vis net sales realization. This substantial deterioration in profitability cannot be attributed to issues related to reduced market access or pricing pressures by subject imports.

a. PBT (Profit before Tax) declined from -100 to -265 (-165.00%).

b. Interest Cost increased from 100 to 154 (+54.00%).
c. PBIT (Profit before Interest & Tax) declined from -100 to -421 (-321.00%).
d. PBDIT (Profit before Depreciation, Interest & Tax) declined from 100 to -431 (-531.00%).
e. Cash Profit declined from -100 to -576 (-476.00%).

xi. The domestic industry's severe increase in losses is especially suspect against increase in both gross sales values and average selling price per unit. In absence of any similarly severe increase in cost of sales, this increase in domestic industry's losses indicates presence of internal inefficiencies in domestic industry's operations.

xii. The interested parties also highlighted significant disparity in performance between Bajaj Plast Pvt Ltd and other applicants. While domestic industry as whole showed declining profitability parameters, Bajaj Plast Pvt Ltd showed exceptional performance:
a. PBT increased from -100 to 762
b. PBIT increased from -100 to 68210
c. Cash profit increased from -100 to 762
d. ROI increased from -100 to 657101.

xiii. This drastic difference in performance between Bajaj Plast and other applicants indicates that getting into details of Bajaj Plast's performance would throw light on cause of losses of other producers. Such examination is relevant since domestic industry claimed losses in entire injury period but Bajaj Plast made profits in same period. Many producers appear to be suffering because of legacy issues and incompetencies.

xiv. The interested parties submitted that there is inverse relation between volume and price of imports and alleged injury to domestic industry. When import price from Vietnam moved from Rs24,315/MT in base year to Rs26,114/MT in POI, losses to applicants increased.

xv. When imports increased from 48,155MT in base year to 100,122 MT in 2022-23, profits dropped from -100 to -410 points in terms of PBIT. However, when imports increased from 100,122MT in 2022-23 to 163,377MT in POI, PBIT moved to -421 only from -410, showing less fall in profits when there was higher rate of increase in imports.

xvi. The largest decline in PBIT (239%) occurred between base year and 2021-22, during which subject imports grew by 30%. In following year, domestic industry's losses slowed down, even though actual increase in imports from 2021-22 to 2022-23 was higher than prior year. When largest import increase occurred before POI, domestic industry's losses were largely unaffected. There is clear absence of synchronized movement between domestic industry's losses and subject imports.

xvii. The importers identify several factors causing injury to domestic industry other than subject imports. The domestic industry was unprofitable even in base year when subject imports held only 7.6% market share. The domestic industry's profitability declined mainly due to rising depreciation and interest expenses attributed to capacity expansions. The domestic industry has seen significant increases in depreciation, interest costs, cost of sales, and net fixed assets.

xviii. There is significant difference in technology between domestic industry and Vietnamese producers. Domestic industry relies on single screw extrusion technology, unlike subject exporters who use advanced twin/triple screw extrusion. This led to use of higher polymer content, more electricity and lubrication, and costlier raw materials like Malaysian $CaCO_3$. Domestic producers are unable to utilize cheaper Vietnamese $CaCO_3$ due to its hardness.

xix. Subject imports face structural barriers in penetrating market due to long-term credit-based supply relationships between domestic producers and end users, leading to commercial disincentives for switching suppliers. Domestic producers incur significant inland freight costs to transport imported $CaCO_3$ to their production sites, especially those located far from ports, which materially increases domestic production costs and erodes competitiveness.

xx. Some of the interested party objected that claims regarding threat of material injury are belated since no such discussions were part of petition and initiation is not specific about conducting threat of material

injury examination. The petition has mere claim about threat of material injury but no information based on relevant parameters.

xxi. At time of initiation, Authority did not have information to justify investigation into threat of material injury. Having initiated investigation to investigate material injury allegedly suffered by domestic industry, applicants should not be allowed to change their goal post to threat of material injury.

xxii. One of the participating producers claimed that it did not increase its capacity in injury period and company is enjoying strong market in Vietnam and other countries. Capacity available with company when compared to demand in India is not significant. Exports from such party are not threat to Indian domestic industry.

xxiii. Some of the interested parties submitted that present investigation is initiated to analyze material injury to applicant industry and not for threat of material injury, therefore Authority should restrict its examination for material injury only and not for threat of material injury. The initiation notification does not contain examination of threat parameters unlike other recent investigations where Authority records and examines threat parameters in initiation notification.

**H.2. <u>Submissions made by the domestic industry</u>**

206. The following submissions have been made by the domestic industry on the issue of injury and causal link:

i. The domestic industry submitted that imports from Vietnam increased from 48,155 MT in 2020-21 to 163,377 MT in POI, representing a growth of 239%. The share of subject country imports in Indian demand increased from 8% in 2020-21 to 19% during POI. The share of these imports in relation to Indian production rose from 8% to 23% over the same period. While domestic demand increased from 630,693 MT in 2020-21 to 854,318 MT during POI, the growth in production by domestic industry was lower than growth in demand, indicating domestic industry was unable to meet increasing demand and was displaced by imports.

ii. The domestic industry demonstrated that the increase in imports is significant both in absolute terms and in terms of market penetration. The rising share of imports in total demand suggests these imports are capturing growing portion of Indian market, limiting ability of domestic industry to supply to Indian consumers. The growth in market demand has largely been captured by imports, indicating volume injury being faced by domestic industry.

iii. The domestic industry presented data showing price undercutting throughout injury period. Net selling price was USD ***/MT in 2020-21 declining to USD ***/MT in POI, while landed price decreased from USD 323/MT to USD 312/MT. Price undercutting ranged from 15% to 25% throughout the period. The landed price of subject imports from Vietnam consistently undercut domestic selling prices throughout injury period.

iv. The domestic industry submitted that it has been forced to sell PUC in domestic market below cost of sales, incurring losses in all years. Cost of sales was Rs ***/MT in 2020-21 increasing to Rs ***/MT in POI, while selling price was Rs ***/MT in 2020-21 and Rs ***/MT in POI.

v. Landed prices remained consistently below domestic selling prices, demonstrating severe price suppression and depression. The domestic industry was unable to increase prices despite rising costs due to pressure from low-priced imports.

vi. The domestic industry increased production capacity from 415,302 MT in 2020-21 to 482,020 MT in POI to meet rising demand. However, actual production and sales declined in POI compared to previous year due to rise in low-priced dumped imports. Production decreased from 259,084 MT in 2021-22 to 250,685 MT in POI. Capacity utilization fell from 66% in 2021-22 and 2022-23 to 64% in POI despite growing demand.

vii. The market share of applicant domestic industry declined from 30% in base year to 26% during POI. Market share of other Indian producers also dropped by 8% over same period. The market share of imports from subject country increased from 8% in base year to 19% in POI. Imports from other countries

constitute merely 1% of total imports, indicating increase in market share is mainly from subject country alone.

viii. The domestic industry demonstrated severe deterioration in profitability.

a. Profit/loss declined from Rs *** lacs in 2020-21 to Rs *** lacs in POI.

b. Cash profit declined from Rs *** lacs to Rs *** lacs.

c. Return on Capital Employed remained negative throughout, declining from ***% to ***%.

d. The domestic industry incurred losses from base year 2020-21 and losses increased over injury period due to aggressive dumping.

ix. Average inventory increased consistently from 5,008 MT in 2020-21 to 7,502 MT in POI, representing 50% increase from base year. Opening inventory increased from 5,064 MT to 6,340 MT and closing inventory from 4,953 MT to 8,664 MT. The accumulation of unsold stock led to financial strain and reduced capacity utilization.

x. All volume parameters of domestic industry show negative growth in POI. All price parameters show negative growth over injury period and POI. Market share shows negative growth while average inventory increased, showing adverse impact of dumped imports.

xi. While domestic industry expanded capacities, it is unable to utilize present capacities and is incurring losses due to aggravated dumping. The domestic industry is reluctant to make fresh investments unless existing capacities are fully utilized.

xii. The domestic industry cited Article 3.7 of the AD Agreement and Para (vii) of Annexure II to the AD Rules, which provide that determination of threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility.

xiii. The domestic industry submitted that dumped imports increased from 100 index points in FY 2020-21, which jumped to 131 index points in FY 2021-22, further jumped to 208 index points in FY 2022-23 to eventually 339 index points in the POI. Subject imports show substantial leap from base year to POI. Such significant rate of increase indicates likelihood of substantially increased importation in future.

xiv. The domestic industry provided data on production capacities of major Vietnamese producers. Vietnam's domestic demand is lower than production levels, creating surplus production primarily intended for export markets. These excess capacities create strong likelihood that Vietnamese producers will export substantial quantities to India.

xv. The domestic industry submitted it has been forced to sell below cost, incurring losses in all years. Landed prices significantly suppress Indian prices for PUC. Indian domestic prices fell in POI compared to previous year due to imports at undercutting prices.

xvi. Domestic industry inventory increased from 5,008 MT in 2020-21 to 7,502 MT in POI, representing 50% increase. This accumulation of unsold stock led to financial strain, reduced capacity utilization, and threatens existence of domestic industry.

xvii. The domestic industry submitted that material injury along with threat of material injury exists and demonstrates causal link between dumped imports and injury. Examination of price undercutting and price depression clearly shows impact of dumped imports on domestic market prices. Pricing pressure caused by dumped imports significantly affected profitability and financial performance beyond effects of normal market competition.

xviii. Imports from subject country constitute 99% of total imports into India while imports from other countries constitute mere 1% of total imports. Therefore, imports from other countries cannot be cause of injury to domestic industry.

xix. Demand for subject goods increased over injury period from 630,693 MT to 854,318 MT. Therefore, decline in demand is not cause of injury to domestic industry.

xx. Customers interact with domestic industry based on price of imported product. Domestic industry is forced to match price with dumped imports. If customer finds better price offered by exporters, they purchase from that source. Domestic industry submitted consolidated data reflecting performance of twelve applicant producers together, which accounts for normal competitive interactions within domestic market.

xxi. No injury has been caused to domestic industry on account of change in technology. The domestic industry's technology has been sufficient to meet market demand consistently prior to surge in dumped imports.

xxii. Exports undertaken are insignificant compared to domestic sales. Export performance has not been considered when determining effect of dumped imports and extent of injury. Therefore, injury cannot be attributed to export performance.

xxiii. Injury claimed pertains to PUC only and does not include profitability of any other products. Financial data provided clearly segregates and excludes data pertaining to products other than PUC. Therefore, injury cannot be attributed to performance of other products.

xxiv. Even with growth in demand, share of imports from subject country increased significantly in absolute and relative terms. Market share of domestic producers declined while that of subject imports increased. Quality and technology differences alleged by importers are not substantiated and have not been demonstrated to create market segmentation.

xxv. While indexed trends may appear similar in direction, they diverge in magnitude. Import prices from Vietnam declined more steeply in POI, resulting in undercutting of domestic prices. While domestic sales prices were unable to recover cost increases, import prices continued to remain lower, leading to price suppression and undercutting.

xxvi. Internal competition among domestic producers is normal aspect of any market. No evidence has been submitted to substantiate claim that such competition is unfair or beyond what is typical. Fragmented nature of Indian market has historically existed and has not previously resulted in extent of financial losses observed during POI. Substantial increase in imports at dumped prices coincides with severe deterioration in financial performance.

xxvii. Domestic industry's technology has been sufficient to meet market demand prior to surge in dumped imports. Domestic industry procures $CaCO_3$ from multiple sources including Egypt, Vietnam and India based on quality standards required by downstream market. Any price disadvantage due to raw material choices is marginal and cannot explain significant losses observed in injury period.

**H.3. <u>Examination by the Authority</u>**

207. Rule 11 of the AD Rules read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry,

> *"... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…".*

208. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

209. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

210. As regards the various arguments of other interested parties based on the statements and data provided by the domestic industry, the Authority has relied upon the verified data of the domestic industry for the purpose of the present investigation.

**H.3.1. <u>Volume effect of the dumped imports</u>**

**a) Assessment of demand/apparent consumption**

211. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG Systems. For determination of demand/apparent consumption of the product in India, the Authority has considered the sum of the domestic sales of the applicants, other producers and imports from subject countries and imports from other countries. The demand/apparent consumption so calculated is as under:

| SN | Particulars | Unit | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imports from Vietnam | MT | 48,182 | 62,228 | 94,458 | 1,66,547 |
| 2 | *Trend* | Indexed | 100 | 129 | 196 | 346 |
| 3 | Imports from other counties | MT | 207 | 27 | 969 | 5251 |
| 4 | *Trend* | Indexed | 100 | 13 | 468 | 2537 |
| 5 | Domestic Sales (Applicant) | MT | 1,90,683 | 2,40,084 | 2,32,183 | 2,21,794 |
| 6 | *Trend* | Indexed | 100 | 126 | 122 | 116 |
| 7 | Domestic Sales (Other producers including supporters) | MT | 3,91,758 | 4,19,307 | 4,37,761 | 4,64,831 |
| 8 | *Trend* | Indexed | 100 | 107 | 112 | 119 |
| 9 | Indian Demand | MT | 6,30,830 | 7,21,645 | 7,65,372 | 8,58,423 |
| 10 | *Trend* | Indexed | 100 | 114 | 121 | 136 |

212. It is seen that the demand of the PUC has increased significantly during injury period.

**b) Import volume from the subject country relative to production and consumption in India**

213. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of subject imports during the injury investigation period are as follows:

| SN | Particulars | Unit | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imports from Vietnam | MT | 48,182 | 62,228 | 94,458 | 1,66,547 |
| 2 | Imports from other countries | MT | 207 | 27 | 969 | 5251 |
| 3 | Indian Demand | MT | 6,30,830 | 7,21,645 | 7,65,372 | 8,58,423 |
| 4 | Indian Production | MT | 6,06,939 | 6,78,391 | 6,96,823 | 7,15,516 |
| 5 | Subject countries import in relation to - | | | | | |
| A | Indian Demand | % | 8% | 9% | 12% | 19% |
| B | Indian Production | % | 8% | 9% | 14% | 23% |

214. It is seen that imports of subject goods from Vietnam have increased in absolute terms throughout the injury period while there are negligible imports from other countries. The imports from Vietnam in terms

of Indian demand and Indian production have also consistently increased during the injury period.

**H.3.2. Price effect of the dumped imports**

215. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

**a) Price undercutting**

216. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the POI. The table below shows the same-

| Particular | UOM | POI |
|---|---|---|
| Net Selling Realisation | USD/MT | *** |
| Landed Price | USD/MT | *** |
| Price Undercutting | USD/MT | *** |
| Price Undercutting | % | 15-25% |

217. The Authority notes that the price undercutting is not only positive but also significant.

**b) Price suppression/depression**

218. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has compared the cost of sales & net sales realisation of the domestic industry with the landed price of subject goods.

219. The table below shows the cost of sales, selling price and the landed price of imports of PUC-

| Particulars | Unit | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Sales | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | 100 | 117 | 119 | 112 |
| Net sales realization | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | 100 | 115 | 115 | 108 |
| Landed Price | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | 100 | 125 | 125 | 111 |

220. It can be seen from the above table that the domestic industry has been selling PUC in the domestic market below its cost of sales thereby incurring losses. The landed prices have been below the domestic selling prices, and sales price is below the cost of sales which exhibiting that domestic industry has suffered price suppression/depression.

**H.3.3 Economic parameters of the domestic industry**

221. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market

share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

**a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes**

222. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

| **Particulars** | **Unit** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **POI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | MT | 4,15,302 | 4,54,638 | 4,64,538 | 4,82,020 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 109 | 112 | 116 |
| Production PUC | MT | 2,15,181 | 2,59,084 | 2,59,062 | 2,50,685 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 120 | 120 | 116 |
| Capacity Utilization | % | 61% | 66% | 66% | 64% |
| *Trend* | Indexed | 100 | 108 | 108 | 105 |
| Domestic sales | % | 1,90,683 | 2,40,084 | 2,32,183 | 2,21,794 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 126 | 122 | 116 |

223. It is noted that the domestic industry expanded its capacities. There has been an increase in demand of the subject goods in India. The domestic industry increased its capacity utilization marginally in the POI when compared to base year. However, the capacity utilization has declined in POI. The domestic industry is operating at 64% in the POI.

224. Further, the domestic sales and production level of the domestic industry have shown a decline in the POI when compared with 2021-22 & 2022-23.

**b) Market share**

225. The market share of the domestic industry and of imports is shown in the table below:

| **Particulars** | **Unit** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **POI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Share of Applicant Domestic Industry | % | 30 | 33 | 30 | 26 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 110 | 100 | 87 |
| Share of other Indian producers | % | 62 | 58 | 57 | 54 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 94 | 92 | 87 |
| Share of subject country | % | 8 | 9 | 12 | 19 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 113 | 150 | 238 |
| Share of Other Countries | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *Trend* | Indexed | - | - | - | 100 |

226. It can be seen from the above table that the market share of the domestic industry has been on a declining trend from 2020-21 onwards. The share of the domestic industry has reduced from an already

low share 30% in the base year and declined to 26% in the POI despite having the capacity to meet a much higher share in the Indian demand. Furthermore, the share of other Indian producers including the supporter has also declined throughout the injury period.

227. On the contrary, the market share of the subject country has been consistently increasing throughout the injury period. Further, it is also evident that the market share of imports from other countries is insignificant.

**c) Inventories**

228. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars | Unit | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | MT | 5,008 | 5,523 | 6,222 | 7,502 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 110 | 124 | 150 |

229. It can be seen that the average inventory of the domestic industry consistently increased during the injury period.

**d) Profitability, cash profits and return on capital employed**

230. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

| Particulars | Unit | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit/ (loss) | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | -100 | -260 | -319 | -308 |
| Cash Profit | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | -100 | -557 | -718 | -670 |
| Return on Capital Employed | % | *** | *** | *** | *** |
| *Trend* | Indexed | -100 | -367 | -433 | -433 |

231. The profit, cash profits and ROI of the domestic industry have been consistently declining throughout the injury period and the domestic industry is suffering financial losses.

**e) Employment, wages and productivity**

232. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

| Particulars | Unit | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| Employees | Nos | 1,001 | 1,058 | 1,283 | 1,224 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 106 | 128 | 122 |
| Productivity per employee | MT | 215 | 245 | 202 | 205 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 114 | 94 | 95 |
| Salaries and Wages | Rs. Lacs | 2,500 | 3,024 | 3,343 | 3,450 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Trend* | Indexed | 100 | 121 | 134 | 138 |
| Wages/employee | Rs/Nos | 2,49,831 | 2,85,865 | 2,60,547 | 2,81,792 |
| *Trend* | Indexed | 100 | 114 | 104 | 113 |

233. The salary and wages paid by the domestic industry have increased over the injury period. The productivity per employee has declined in the POI on account of lesser production due to increasing volumes of subject imports.

**f) Growth**

234. All the volume parameters of the domestic industry show negative growth in the POI. Further, all the price parameters of the domestic industry show negative growth over the injury period and POI. The average inventory has also increased over the injury period. The market share of the domestic industry also shows negative growth. The domestic industry is in losses.

**g) Impact on the ability to raise capital investments**

235. The Authority notes that the even though the domestic industry has made new investments to increase its capacities to cater to the increasing demand of PUC in India, the domestic industry has been unable to utilize its capacities and is facing losses due to dumped imports. Thus, the ability of domestic industry to raise capital investments is significantly impaired.

**h) Factors affecting prices**

236. The Authority notes that the volume of imports during the POI was significant and such imports were at prices significantly below the cost of sales of the domestic industry. Net Sales Realisation of the domestic industry has been severely affected by the subject imports. Thus, landed value of subject goods from subject country is the main factor affecting domestic prices.

**i) Magnitude of dumping**

237. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

**H.3.4 Threat of material injury**

238. The Authority has examined the submissions made by various interested parties regarding the scope of investigation concerning threat of material injury. Some of the interested parties objected that claims regarding threat of material injury are belated since no such discussions were part of petition and initiation notification is not specific about conducting threat of material injury examination.

239. The Authority notes that Rule 11 of the Anti-Dumping Rules similarly provides that the Authority shall determine whether dumped imports have caused or are threatening to cause material injury to the domestic industry.

240. The Authority observes that the initiation notification stated that the investigation would examine whether dumped imports have caused or are threatening to cause material injury to the domestic industry. The scope of investigation as defined in the initiation notification encompasses both material injury and threat of material injury, and the Authority is empowered to examine both aspects based on evidence that emerges during the investigation.

241. The Authority holds that the examination of threat of material injury is within the scope of the investigation as initiated and does not constitute a change in the goal post. The determination of injury under the Anti-Dumping Agreement and Rules includes assessment of both current injury and threat of future injury based on facts established during the investigation.

242. The Authority observes that Para (vii) of Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that no

determination of threat of material injury shall be made on the basis of mere allegation, conjecture or remote possibility and that the change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent.

243. The Authority has examined the import data on record and notes that there has been a consistent and significant increase in imports of the subject goods from Vietnam throughout the injury period. The import volumes have more than tripled from the base year to the POI, demonstrating a substantial rate of increase.

244. One of the participating producers claimed that it did not increase its capacity in injury period and that the company is enjoying strong market in Vietnam and other countries. This producer submitted that capacity available with company when compared to demand in India is not significant and that exports from such party are not threat to Indian domestic industry.

245. The Authority notes that the assessment of threat requires examination of the overall capacity situation of producers in the subject country rather than individual producer claims. The data on record shows that Vietnamese producers have substantial production capacity that exceeds domestic demand in Vietnam.

246. The Authority notes that the existence of surplus production capacity in Vietnam, combined with the export orientation of Vietnamese producers as evidenced by increasing exports to India, creates conditions conducive to further substantial increases in exports to the Indian market.

247. The Authority has also examined the price analysis on record and notes that the subject imports have been entering the Indian market at prices that undercut domestic prices, leading to price suppression in the domestic market.

248. The Authority observes that the combination of factors including significant rate of increase in imports, surplus production capacity in Vietnam, price undercutting and suppression, and deteriorating performance of domestic industry creates conditions where threat of material injury is clearly foreseen and imminent.

## I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

249. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

### a. Volume and price of imports from third countries

250. The Authority notes that imports from non-subject countries are almost negligible. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

### b. Contraction of demand

251. The demand for the product under consideration has seen an increase. Therefore, decline in demand cannot be a cause of injury. Thus, the domestic industry has not suffered any injury due to a possible contraction in demand.

### c. Changes in pattern of consumption

252. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

### d. Conditions of competition and trade restrictive practices

253. The sales of the subject goods are not restricted in any manner and no restrictive practices have been brought to the notice of the Authority.

### e. Developments in technology

254. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

### f. Export performance

255. The Authority has considered the injury data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

### g. Performance of other products

256. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore,

the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

## J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

257. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the period of investigation and the injury margin so worked out is as under:

**Injury Margin Table**

| S. No. | Producer | NIP | Landed Price | Injury Margin | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD/MT | USD/MT | USD/MT | % | Range |
| | European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast") | *** | *** | *** | *** | 35-40% |
| 2. | Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai") | *** | *** | *** | *** | 35-40% |
| 3. | Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") | *** | *** | *** | *** | 35-40% |
| 4. | Polyfill joint stock company ("Polyfill") (collectively referred to as "Europlast Group") | *** | *** | *** | *** | 35-40% |
| 5. | ADC Plastic.,JSC | *** | *** | *** | *** | 30-40% |
| 6. | An Tien Industries Joint Stock Company | *** | *** | *** | *** | 20-30% |
| 7. | Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas) | *** | *** | *** | *** | 35-45% |
| 8. | Others | *** | *** | *** | *** | 50-60% |

## K. USER IMPACT ANALYSIS (INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES)

### K.1 Submissions made by other interested parties

258. The other interested parties have made the following submissions regarding the Indian industry interest:

i. The interested parties contended that applicants have misrepresented the impact of anti-dumping duty by showing lower consumption of the product under consideration. The applicants claimed that HDPE woven sack of 1 kg contains 0.0625 kg (0.06%) of product under consideration based on 5% ash content and 75-85% calcium carbonate content. The interested parties submit this calculation is incorrect and the actual share should be 6% (5%/80% = 6%). The interested parties argued that while applicants claimed 5% ash content standard applies generally, this applies only to selected products, whereas other products such as garbage bags, carry bags, and polypropylene packing sheets have high dosage of filler masterbatch.

ii. The interested parties submitted that applicants advertise products with 70% dosage level, implying products with ash content of 50%. This indicates that share of product under consideration can be as high

as 60% in downstream products. Even 25% duty would be catastrophic for downstream industry given such high usage levels in various applications.

iii. The interested parties submitted that imposition of anti-dumping duties would be against public interests due to lack of substitutability between subject imports and domestically produced PUC. Vietnamese PUC contains 90-100% whiteness which is absent in domestically produced PUC. Consumers of domestically produced PUC are required to use additional white filler masterbatch costing approximately Rs 150-225/kg to reach same amount of whiteness as Vietnamese PUC.

iv. The interested parties submitted that quality of domestically produced PUC is often inconsistent, evidenced by multiple reports of frequent rejections or need for replacements during production. This leads to manufacturing process disruptions, delays and increased costs for end users. Domestically produced PUC cannot substitute Vietnamese PUC in high-performance applications such as non-woven textiles, agriculture films, and industrial packaging due to Vietnamese PUC's technical characteristics.

v. The interested parties submitted that usage of domestically produced PUC requires downstream industries to incur additional costs which are not present when using subject imports. Imposition of anti-dumping duties would increase costs of subject imports for downstream industries who would be forced to bear such costs in absence of domestically produced alternatives. The imposition of anti-dumping duties would not be in interests of downstream industry.

vi. The interested parties submitted that downstream industry consuming subject goods in substantial quantities is predominantly comprised of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). These enterprises operate under tight margins and have limited pricing power. Increase in input costs due to anti-dumping duties will squeeze already thin profit margins and render many MSMEs unviable. This would lead to job losses and potential business closures and hinder regional manufacturing and employment generation, particularly in semi-urban and rural industrial clusters.

vii. The interested parties submitted that PUC is widely used in manufacturing consumer goods and essential items such as packaging for food and agricultural products. Increase in cost of PUC will have cascading effect on prices of end products, ultimately impacting consumers. This may lead to inflationary pressures, particularly in price-sensitive sectors. Any measure that exacerbates inflation or increases cost of living must be critically evaluated against broader societal interests.

viii. The interested parties submitted that domestic industry has not demonstrated any structural shortage in supply or capacity constraints that would justify protective duties. Many domestic producers operate multi-line facilities and manufacture Colour Masterbatch which enjoys higher margins. Capacity utilization remains sub-optimal. Imports from Vietnam have filled market gaps and ensured steady availability of PUC at competitive prices. Curtailing these imports would risk creating artificial supply shortages and increasing market dependence on few local producers.

ix. The interested parties submitted that imposing anti-dumping duties will weaken India's downstream manufacturing competitiveness. Finished plastic goods producers, many of whom are MSME exporters, will face higher input costs and reduced price competitiveness in overseas markets. This risks eroding India's share in export markets and undermining global positioning of plastic processing sector.

x. The interested parties submitted that such measure runs counter to policy objectives of Government of India including "Make in India," "Atmanirbhar Bharat," and MSME support schemes. Raising input costs for downstream manufacturers while offering protection to handful of upstream producers could distort broader industrial ecosystem and derail growth in allied sectors that are more employment-intensive and value-generating.

xi. The interested parties submitted that Vietnam has emerged as key sourcing destination for PUC due to efficient production systems, consistent quality, and reliable supply chains rather than unfair pricing. Penalizing such sourcing options in absence of clear injury evidence undermines credibility of India's trade remedy regime and discourages long-term trade relationships essential for industrial stability.

xii. The interested parties submitted that imposition of anti-dumping duties would adversely affect far broader segment of economy than it seeks to protect. The adverse consequences on downstream industry,

MSME sector, consumer prices, and export competitiveness outweigh benefits to domestic industry. Therefore, imposition of such duties would not be in public interest.

xiii. The interested parties noted that no users of PUC have filed questionnaire responses indicating lack of user engagement in the investigation process.

**K.2 Submissions made by the domestic industry**

259. The domestic industry has made the following submissions regarding the Indian industry interest:

i. The domestic industry submitted that the purpose of anti-dumping duties is to eliminate injury caused to domestic industry by unfair trade practices of dumping so as to establish situation of open and fair competition in Indian market, which is in general interest of the country. The imposition of anti-dumping duties does not aim to restrict imports from subject country in any way but might affect price levels of product in India. Fair competition in Indian market will not be reduced by imposition of anti-dumping duties. The imposition would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of domestic industry and help maintain availability of wider choice to consumers of subject goods.

ii. The domestic industry submitted that Authority must consider whether imposition of anti-dumping duties shall have any adverse impact on interest of public. To determine such impact, Authority must weigh impact of imposition on availability of goods in Indian market, impact on users of product as well as domestic industry and impact on general public at large. This determination must be based on submissions and evidence submitted over course of present investigation.

iii. The domestic industry submitted that to collect relevant evidence regarding impact of anti-dumping duties on downstream industry, Authority relies on information provided by interested parties in their questionnaire responses. This approach to determine impact is followed universally. Even in European Union, information filed by various parties, including users in form of user questionnaire responses is considered while assessing union interest test. In India, Authority issues user questionnaire and economic interest questionnaire to collect information. Authority issues initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. Authority prescribes questionnaire for users/consumers to provide relevant information regarding present investigation, including any possible effects of anti-dumping duties on their operations.

iv. The domestic industry submitted that in present situation, there are no downstream users who have filed response to User Questionnaire and Economic Interest Questionnaire. No downstream user has filed questionnaire responses. The domestic industry understands that downstream users of PUC are part of All India Plastics Manufacturers Association (AIPMA). However, no representation has been filed by user Association on behalf of its members. The level of cooperation from users in India is low and not representative of interests of user industry in India.

v. The domestic industry requested Authority to reject any submissions made on account of impact of anti-dumping duty at belated stage during course of investigation. The absence of timely submissions from downstream users is alarming given that no downstream user has made submissions regarding impact of anti-dumping duty.

vi. The domestic industry submitted that Authority issues Economic Interest Questionnaire to allow all stakeholders to demonstrate how imposition of anti-dumping duties would affect their operations. There are no downstream users of PUC who have bothered to respond to Economic Interest Questionnaire or provide any relevant information to show how anti-dumping duties would adversely affect them. This shows that users will not be impacted by imposition of duties.

vii. The domestic industry submitted that no quantified information has been provided by interested parties establishing that imposition of duties would lead to such increase in cost of production of downstream industry that same shall render such downstream industries ineffective and inefficient. The only reliable and verifiable quantification on record is one provided by domestic industry. The domestic industry

provided quantification of impact. Imposition of any anti-dumping duty will have negligible impact on downstream user of product.

viii. Any potential increase in input costs due to anti-dumping duties would have negligible financial impact on downstream producers, including MSMEs. The domestic industry has provided precise quantification demonstrating minimal impact, whereas opposing interested parties have failed to substantiate their claims through verifiable data.

ix. The domestic industry submitted that regarding argument that imposing anti-dumping duties may lead to higher consumer prices and inflationary pressures, the PUC forms minimal portion of overall cost of consumer goods and packaging materials. Given small proportion of product in final cost structure, resultant impact on consumer pricing would be negligible.

x. The domestic industry submitted that submission regarding possible supply constraints and market monopolization by domestic producers is without basis. The domestic industry has sufficient installed capacity and can cater to existing and projected domestic demand. The imposition of duties would not eliminate imports but merely ensure imports enter market at fair and undumped prices, thus preventing market distortion.

xi. The domestic industry submitted that claim that anti-dumping duties would contradict policy objectives such as "Make in India" and "Atmanirbhar Bharat" lacks merit. These initiatives advocate strengthening domestic manufacturing and reducing dependency on unfairly priced imports. Anti-dumping measures align with these objectives by ensuring fair competition, protecting domestic businesses, and fostering growth in domestic manufacturing capabilities.

xii. The domestic industry submitted that exporters' claim that Indian producers rely on outdated technology, resulting in higher costs and inefficiencies, is irrelevant to determination of injury caused by dumping. The purpose of anti-dumping duties is not to shield domestic producers from competition or technological challenges but to rectify injury arising from unfair pricing practices in international trade.

xiii. The domestic industry submitted that it was argued that Vietnam has emerged as source of supply due to efficiency and reliability, not dumping. However, it is objective of ongoing investigation to determine if imports from Vietnam are entering at dumped prices causing injury. If it is established that imports from Vietnam are fairly priced, no anti-dumping duties would be recommended. The ongoing investigation ensures examination of these aspects, and anti-dumping measures will be recommended only if warranted by factual evidence.

**K.3 <u>Examination by the Authority</u>**

260. The Authority observes that Rule 23 of the Anti-Dumping Rules provides that anti-dumping duty may be imposed if it is in public interest. The Authority is required to consider whether imposition of anti-dumping duties shall have any adverse impact on interest of public based on submissions and evidence submitted during the investigation.

261. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

262. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various

stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.

263. The Authority has considered whether the imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. To determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation. The Authority notes that there is no reason why the availability would reduce.

264. The Authority carefully examined the apprehensions raised by certain interested parties regarding the potential curtailment of imports due to the imposition of anti-dumping duties. The Authority notes that such duties do not preclude the continued importation of the subject goods from the subject country. Imports may proceed, provided they are conducted at fair, non-dumped prices.

265. The Authority notes that the availability of the subject goods in the Indian market shall remain unaffected by the imposition of duties. The remedial nature of the measure ensures that imports, when made under non-injurious conditions, will continue unabated. The Authority is satisfied that the principles of fair competition are not undermined by this intervention. Rather, the imposition of duties rectifies the prevailing market distortion caused by dumped imports, thereby restoring equitable competitive conditions. Both domestic and imported goods will continue to coexist, thereby preserving consumer choice and fostering healthy market dynamics.

266. The Authority has examined the submissions regarding calculation of consumption of PUC in downstream products. The other interested parties argued that applicants have misrepresented the impact by showing lower consumption and that the actual share should be 6% rather than 0.06% as claimed by applicants.

267. The other interested parties further submitted that applicants advertise products with 70% dosage level, implying products with ash content of 50%, indicating that share of PUC can be as high as 60% in downstream products.

268. The domestic industry provided quantification of impact demonstrating that imposition of anti-dumping duty will have negligible impact on downstream users of the product.

i. HDPE woven sack is one example where PUC is used.

ii. As per IS Standard 11652:2017, the percentage of Ash Content in HDPE woven sack (downstream product) is 5% which also means that the finished product has 5% Calcium Carbonate content.

iii. The PUC has approx. 75-85% of the Calcium Carbonate.

iv. Therefore, a HDPE woven sack of 1 kg, will have 0.0625 kg (0.06%) of PUC.

v. Imposition of any anti-dumping duty will have negligible impact on the downstream user of the product.

269. The Authority notes that the domestic industry has provided verifiable quantification on record regarding the impact of duties on downstream industry. The other interested parties have not provided substantiated calculations or verifiable data to support their claims regarding higher consumption levels or catastrophic impact on downstream industry.

270. The Authority has examined the submissions regarding quality differences and substitutability between domestic and imported PUC. The other interested parties argued that Vietnamese PUC contains 90-100% whiteness which is absent in domestically produced PUC and that consumers require additional white filler masterbatch to achieve same whiteness levels.

271. The Authority notes that issues relating to quality differences have been examined in the section on like article determination. The Authority has determined that domestically produced and imported PUC

constitute like articles and are commercially and technically substitutable. Quality considerations do not preclude the imposition of anti-dumping duties when products remain functionally equivalent and commercially interchangeable.

272. The Authority has examined the level of participation by downstream users in the investigation. The domestic industry submitted that no downstream users have filed response to User Questionnaire and Economic Interest Questionnaire despite the Authority issuing such questionnaires to collect information regarding possible effects of anti-dumping duties on their operations.

273. The domestic industry further submitted that downstream users of PUC are part of All India Plastics Manufacturers Association (AIPMA), but no representation has been filed by user association on behalf of its members.

274. The Authority notes that the procedure followed in the investigation provided adequate opportunity for all interested parties, including users and downstream industry, to participate and provide information regarding impact of anti-dumping duties. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others, and prescribed questionnaires for users/consumers to provide relevant information.

275. The Authority observes that the absence of participation by downstream users despite adequate opportunity provided indicates that users do not consider the impact of duties to be significant enough to warrant active participation in the investigation process.

276. The other interested parties submitted that downstream industry consuming subject goods is predominantly comprised of MSMEs operating under tight margins and that increase in input costs due to anti-dumping duties will squeeze profit margins and render many MSMEs unviable, leading to job losses and business closures.

277. The Authority finds that the domestic industry has provided verifiable data and calculations showing minimal impact on downstream users, while other interested parties have made general assertions without providing substantiated evidence or quantified analysis to support claims of significant adverse impact on MSMEs.

278. The Authority notes that the domestic industry has demonstrated adequate production capacity to serve the domestic market. The imposition of anti-dumping duties does not restrict imports but ensures that imports are made at non-dumped prices, thereby maintaining fair competition in the market.

279. The other interested parties submitted that PUC is widely used in manufacturing consumer goods and essential items and that increase in cost will have cascading effect on prices of end products, leading to inflationary pressures.

280. The Authority finds that based on the quantification provided by the domestic industry, the share of PUC in final consumer products is minimal, and therefore any increase in prices due to anti-dumping duties would have negligible impact on consumer prices and would not contribute to inflationary pressures.

281. The Authority finds that the imposition of anti-dumping duties to address unfair trade practices is consistent with policy objectives of promoting domestic manufacturing and ensuring fair competition. The purpose of anti-dumping duties is to eliminate injury caused by unfair trade practices and establish fair competition, which supports domestic manufacturing capabilities.

282. The Authority observes that arguments regarding adverse impact on public interest must be supported by credible evidence and quantified analysis. General assertions without supporting data cannot form the basis for determination of public interest.

283. The other interested parties submitted that imposition of anti-dumping duties would adversely affect far broader segment of economy than it seeks to protect and that adverse consequences on downstream industry, MSME sector, consumer prices, and export competitiveness outweigh benefits to domestic industry.

284. The Authority notes that the determination of public interest requires balancing the interests of various stakeholders including domestic industry, users, and consumers. The Authority considers the impact on

fair competition, availability of goods, and overall economic welfare.

285. The Authority has considered all submissions regarding public interest and notes that the fundamental purpose of anti-dumping duties is to eliminate injury caused to domestic industry by unfair trade practices so as to establish fair competition in the Indian market.

## L. POST DISCLOSURE COMMENTS

### L.1 Submissions made by other interested parties

286. The following post disclosure submissions have been made by other interested parties:

i. The other interested parties contested the scope of the investigation. They argued that commercial practice defines calcium carbonate filler masterbatch as products containing CaCO3 content exceeding approximately 70%. They submitted that products containing more than 50% but less than 70% CaCO3 content are termed calcium carbonate masterbatch compounds and should not be classified as calcium carbonate filler masterbatch. Request was made to restrict the scope of the PUC to calcium carbonate filler masterbatch having CaCO3 content of at least 70%.

ii. The interested parties submitted that the Authority did not examine their claim that the product scope was expanded. They said the original scope had two requirements: products must have 70-80% calcium carbonate, and they cannot contain calcium oxide or barium sulphate. The new scope changed this to allow products with 50-69% calcium carbonate and permits up to 19% calcium oxide and barium sulphate.

iii. The parties contended that any filler masterbatch made using BaSO4 does not fall in the category of filler masterbatch and is known as transparent filler. They argued that products using CaO do not fall in the definition of filler masterbatch and are called desiccant masterbatch. It was submitted that since these products are not filler masterbatch, they do not fall under the scope of PUC. They specifically mentioned that Specialty LLDPE Compound Filler (Grade SRB FORMULA 1) with calcium carbonate content of 55-65% was not included in original scope but has now been included.

iv. The other interested parties questioned the Authority's proposal to decline exclusions for specific grades including Grade SRB FORMULA 1, PE 1009, PE-BB02, and Supermax. They argued that the Authority failed to appreciate their request for non-confidential copies of invoices supporting the petitioners' production of these grades, preventing them from adequately commenting on technical and commercial substitutability.

v. The other interested parties reiterated their request for consideration of a revised PCN structure. It was contended that the Authority failed to acknowledge their revised PCN proposal despite it being submitted in Written Submissions and Rejoinder Submissions.

vi. The parties submitted that their initial proposal of 10% range for PCN classification was based on limited data available at early stages of investigation and that upon further analysis, they proposed a more precise PCN structure based on refined 5% intervals of CaCO3 content.

vii. The parties submitted that PUC is composed of three key raw materials: CaCO3, polymer, and additives. It was contended that while CaCO3 constitutes the majority by volume, it is the polymer and additives which significantly influence the cost of production.

viii. They submitted that even minor variations in the proportion of polymer and additives, driven by changes in CaCO3 content, can result in cost differences ranging between 10% to 15%, depending on formulation, which has direct implications for price comparability.

ix. The parties proposed their revised PCN structure as follows:

| Product | CaCO3 Content (%) | PCN Code |
|---|---|---|
| Calcium Carbonate content (%) (CaCO3) | below 70% | 1 |
| | above 70% and upto 75% | 2 |
| | above 75% and upto 80% | 3 |
| | above 80% and upto 85% | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | above 85% and upto 90% | 5 |
| | above 90% | 6 |

x. The parties provided recalculated dumping margins based on their proposed PCN structure, claiming that the use of broad PCN ranges as adopted by the Authority significantly inflates dumping margins.

xi. Regarding PCN methodology, the other interested parties submitted that PCNs created solely on CaCO3 content may account for overall polymer proportion but do not consider price differences between different polymer types.

xii. The interested parties disputed the Authority's analysis regarding tolerance range for PCNs, arguing that the PUC generally has tolerance of ±1% in CaCO3 content rather than ±2%.

xiii. It was further argued that unfeasibility of 3% CaCO3 content range does not justify 10% range, contending that overlaps can be avoided by adopting 5% CaCO3 content range.

xiv. The interested parties submitted that products with 75% CaCO3 content differ significantly from products with 85% CaCO3 content, with market prices varying by up to 40%. They argued that due to higher costs from higher polymer and additive content required in lower-CaCO3 products, 75% and 85% CaCO3 products are intended for different functions and end-uses. Request was made for revision of PCNs to adopt 5% CaCO3 range.

xv. The interested parties argued that the Authority failed to consider their submissions regarding impact of CaCO3 source on commercial substitutability due to its effect on production costs. They provided sample calculations showing 28% cost difference between products made using Indian sourced CaCO3 versus Malaysian sourced CaCO3. The parties requested revision of PCN methodology to include CaCO3 source in its scope.

xvi. The interested parties argued that the Authority's examination of PCN methodology is inappropriate. They contested the Authority's finding that source of calcium carbonate does not alter physical or functional characteristics of the final product, arguing that this misunderstands the purpose of PCN methodology.

xvii. The parties submitted that PCN methodology is designed to permit appropriate comparison between grades with differences in cost and price, enabling apple-to-apple comparison of normal value and export price for determining dumping and injury margins.

xviii. The interested parties provided cost analysis showing price differences based on calcium carbonate source. They submitted that Indian origin CaCO3 is priced at Rs 5-7 per kg, Vietnamese origin at Rs 10-12 per kg, and Malaysian origin at Rs 14-16 per kg.

xix. They disputed the Authority's conclusion regarding lack of price differences between polymer types, submitting that the Authority provided precedence to petitioners' data over bona fide price lists submitted by importers. The interested parties provided price lists of multiple domestic polymer producers showing that polymer prices remain largely similar between different domestic producers and follow consistent trends.

xx. It was submitted that the Authority failed to consider their argument regarding month-wise price analysis of polymer prices to accommodate volatility in individual polymer prices during a year. They contended that the Authority has not provided reasons for rejecting this proposal.

xxi. They submitted that polymer prices experienced significant fluctuations during the POI, resulting in cost variation of at least Rs 4 per kg based solely on timing of procurement. The interested parties requested disclosure of reasons for not considering monthly comparison of dumping and injury margins in final findings.

xxii. The interested parties contested the Authority's rejection of Reliance Industries Limited prices. They argued that the Authority's examination is inadequate because domestic industry's international pricing information is not part of written submissions, international pricing information was not provided in disclosure statement, and it was not established how Reliance prices are not reflective of international prices or how high-grade polymers are not used in manufacturing.

xxiii. The parties provided additional evidence showing prices from HPCL-Mittal Energy Limited and Indian Oil Corporation Limited for LLDPE, demonstrating that price trends remained same for all three companies. The interested parties argued this establishes that prices reported in written submissions were reflective of market prices.

xxiv. The interested parties submitted that polymer used significantly affects product price, with price difference between polypropylene and linear low-density polyethylene being significant.

xxv. The interested parties submitted that polymer and calcium carbonate are completely different cost factors and questioned how framing PCN based on CaCO3 content addresses cost differences due to polymer variations.

xxvi. The other interested parties submitted that the subject country hosts large-scale filler masterbatch manufacturers, notably European Plastics Joint Stock Company, which operates with annual production capacity estimated between [***] to [***] tons. It was contended that European Plastics Joint Stock Company is part of one of the world's largest groups specializing in filler masterbatch production.

xxvii. It was submitted that due to its scale of operations, European Plastics Joint Stock Company benefits from economies of scale including preferential raw material pricing through high-volume contracts, optimized logistics through streamlined transportation and supply chain systems, and cost allocation efficiency where depreciation and other fixed costs are spread over large production volume.

xxviii. They submitted that consequently, European Plastics Joint Stock Company's unit production costs are lower than those of small and medium-sized manufacturers in India whose capacities generally range in tens of thousands of tons annually.

xxix. The other interested parties provided comparison of manufacturing technology between Vietnam and India producers. They submitted that manufacturing of PUC is based on the process of dispersing calcium carbonate powder into carrier polymer involving four key steps: mixing, melting, extrusion, and granulation.

xxx. The parties argued that Vietnamese filler masterbatch producers benefit from superior raw material control, advanced production technology, large-scale operations, and ERP-managed systems for quality and cost control, allowing Vietnam to offer high-quality products at competitive prices based on economic efficiency rather than artificial pricing.

xxxi. One of the interested parties, namely, Vitaplas Joint Stock Company, drew attention to the Authority's observation that for PCNs where there are no sales in the domestic market, normal value has been determined based on cost of production plus reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. They quoted Section 9A(c)(ii)(a) of the Customs Tariff Act, 1975, which provides that when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market or when such sales do not permit proper comparison, normal value shall be comparable representative price of the like article when exported from the exporting country to an appropriate third country.

xxxii. They submitted that there is substantial third country exports made by the company, specifically for products covered under PCN B. The company stated that proper consideration of third country export data and its application would confirm that there has been no dumping whatsoever and that the dumping margin would be negative.

xxxiii. The company also requested for detailed reasoning for the distinction between costs submitted by the company and those considered by the Authority for the disclosure.

xxxiv. One of the interested parties, namely, ADC Plastic JSC, submitted that the Authority disallowed credit cost of [VND *** per MT] while calculating normal value. The company argued that normal value should be reduced from [USD ***] to [USD *** per MT] after deducting this credit cost adjustment. The company also contested disallowance of packing cost adjustment for normal value calculation. They submitted that difference in packing cost between home market sales and sales to India were not adjusted in normal value calculation. They submitted data showing packing cost for PCN-B domestic

sales at [VND *** per MT] and exports to India at [VND *** per MT], requiring adjustment of [USD *** per MT] in normal value.

xxxv. ADC Plastic JSC referenced that packing cost adjustments were allowed for other cooperating exporter Vitaplas JSC, requesting the same treatment for ADC Plastic. The company provided revised dumping margin calculation showing that after credit cost and packing cost adjustments, normal value would be [USD *** per MT], net export price would be [USD *** per MT], resulting in dumping margin of [USD *** per MT].

xxxvi. The other interested parties disputed the Authority's finding that only unsubstantiated lists of names were provided regarding additional domestic producers. They contended that detailed and credible evidence was submitted regarding several known domestic producers not included in the application, including names of specific producers, references to company websites, product catalogues, listings in trade directories, and references from industry associations.

xxxvii. The parties argued that this evidence demonstrates that these entities are active manufacturers of the like article with visible presence in the Indian market, going beyond mere lists of names and providing reasonable basis to question the completeness of the domestic industry's standing claim. They submitted that the burden shifts to the domestic industry and the Authority to verify whether these producers are part of the relevant domestic production base.

xxxviii. The other interested parties submitted that the Authority failed to consider their argument regarding claimed support of 86-member companies from CMMAI and MMA. They contended that while the domestic industry asserts application support by 86 members, only 12 members actively participated in the investigation and provided relevant production data.

xxxix. The parties argued that this discrepancy between claimed support and actual participation raises doubts about the extent of real and meaningful backing for the application. They submitted that if 86 members represent the majority of credible manufacturers in India, then lack of participation by over 70 members must be considered as potential indicator of absence of genuine support for the application.

xl. The parties contended that mere inclusion of company names without corresponding data or confirmation of support does not satisfy requirements under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules or Article 5.4 of the Anti-Dumping Agreement, arguing that active support must be assessed based on submissions of actual data, not claimed affiliations.

xli. The parties also challenged the Authority's conclusion regarding domestic industry standing. They argued that burden of establishing standing rests on applicants and must be verified by the Authority, not interested parties. The parties argued that conclusion regarding standing cannot be drawn without reference to total domestic production.

xlii. The interested parties argued that the Authority's statements regarding lack of production data for other domestic producers constitute admissions that the Authority did not identify total domestic production at initiation stage.

xliii. They contended that the Authority failed to discharge its duty to determine total domestic production by eliciting information from appropriate sources including regulatory clearances, GST registrations, audited financials, and other regulatory filings.

xliv. The interested parties submitted that inability of Authority to adequately establish standing due to absence of relevant information is non-curable defect. They argued that application proforma requires applicant to identify status of producers as supporter, opposer or neutral, but list of producers has not been disclosed to interested parties.

xlv. The interested parties contended that applicants claimed 90% share in Indian production but did not provide names and details of remaining 10% producers, preventing Authority from sending communications to them.

xlvi. The interested parties challenged the basis of consideration of production of non-calcium carbonate based products. The interested parties argued there is no basis to assume 20-25% of filler masterbatches

are non-calcium carbonate based and requested the Authority not place reliance on mere statements by applicants without basis.

xlvii. The interested parties also contested the Authority's reliance on Trade Notice 09/2021 for sampling domestic producers, arguing that its scope is limited to initiation stage and once investigation is initiated, all procedures must be governed by Anti-Dumping Rules. They argued that paragraph 8.8.4 of the Manual applies to domestic producers and the Authority should have notified sampling methodology within 80 days of initiation.

xlviii. The parties submitted that sampling undertaken by the Authority does not satisfy legal requirements under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules and Article 5.4 of the Anti-Dumping Agreement. They argued that based on the applicant's own data, total domestic production during the period of investigation was 715,516 MT, while five sampled producers account for only 164,551 MT (23%), below the statutory threshold of 25%. They contended that market intelligence suggests total Indian production is closer to 1.24 million MT, making the sampled producers' share around 13%.

xlix. The parties argued that many sampled companies manufacture both the PUC and other products such as Colour Masterbatch outside the investigation scope, with different pricing and profit dynamics. They submitted that the Authority must verify whether cost and injury data pertains exclusively to the PUC.

l. The parties requested the Authority to independently verify total production of the PUC in India, assess actual support/opposition status of all known producers including those affiliated with CMMAI and MMA, ensure product-specific segregation of cost and injury data, and reassess standing of applicant companies.

li. The parties questioned representativeness of sampled producers, noting that Sonali Polyplast Private Limited imported the PUC throughout the injury period while no other applicant company imported throughout this period. They questioned representativeness of costing and sales data from an importing producer.

lii. The interested parties highlighted relationship between Alok Masterbatches Pvt. Ltd. and Alok Industries, arguing they share head office and factory addresses indicating they are part of the same corporate group. They contended that inclusion of two producers from the same group in a five-producer sample reduces diversity and is incongruous with objectives of obtaining operationally diverse sample.

liii. The parties provided analysis arguing that petitioners have not suffered material injury from subject imports as domestic demand growth has accommodated both domestic sales and imports. They argued that rate of increase in domestic demand exceeded rate of increase in sales by domestic producers.

liv. The parties argued that domestic producers continued to sell approximately 95% of their production in domestic market throughout the injury period, indicating that subject imports have not affected domestic producers' ability to sell the PUC.

lv. Regarding price effects, it was argued that subject imports accounted for only 19% market share and do not have ability to suppress or depress domestic prices. They provided data showing that domestic prices moved in tandem with global prices.

lvi. The interested parties disputed various findings regarding petitioners' economic performance. They argued that petitioners' capacity utilization increased in the POI compared to base year despite increase in installed capacity. They contended that decline in POI compared to previous years must be viewed against increase compared to base year, suggesting the POI was abnormal performance year.

lvii. The interested parties further argued that comparison between price undercutting and injury margin shows that cause of injury claimed by applicant is not imports from the subject country but the higher cost of applicant. They submitted that price undercutting from subject countries is only 15% to 25%, showing imports reached at price only 15% to 25% lower than domestic industry price. However, injury margin determined for all cooperating exporters ranges from 35% to 45%, evidencing high cost and Non-Injurious Price of applicant.

lviii. It was submitted that imports at comparable price should not have caused injury to domestic industry. The discussions on injury to domestic industry need reconsideration given that cost of applicant is high, and any injury on account of such higher cost cannot form basis for anti-dumping duty levy.

lix. The interested parties provided analysis of non-attribution factors that the Authority allegedly failed to consider, including petitioners being unprofitable in base year when subject imports held only 7.6% market share, delayed approach to Authority after four years of increasing injury, profitability decline due to rising depreciation and interest expenses from capacity expansions, technology differences between domestic and Vietnamese producers, structural barriers for subject imports in penetrating market, and logistics costs for domestic producers.

lx. The other interested parties contested the Authority's application of uniform 22% Return on Capital Employed (ROCE) for determining Non-Injurious Price (NIP). They argued that mere consistency in practice cannot justify continued use of methodology that no longer reflects prevailing economic conditions.

lxi. The other interested parties submitted that parallel to the ongoing anti-dumping investigation, the Authority has initiated Countervailing Duty investigation with respect to the same product and country of origin. They contended that given identical subject goods and subject country involved in both proceedings, the Authority should consider aligning timelines and conclusions of both investigations.

lxii. The other interested parties submitted that imposing anti-dumping duties on imports of PUC from the subject country would not serve public interest. They argued that the product is vital raw material for plastic processors, especially MSMEs, which operate on thin margins and lack pricing power.

lxiii. The parties contended that any increase in prices due to duties will raise input costs, threaten business viability, and lead to job losses in downstream sectors. They submitted that the product is used in essential goods such as food and agricultural packaging, and higher costs will have cascading effect on consumer prices, contributing to inflation.

lxiv. The parties argued that the domestic industry has not shown supply constraints or capacity shortages warranting protection, contending that the sector is fragmented and pricing pressures are largely due to internal competition and inefficiencies, not dumping. They submitted that duties would reduce India's manufacturing and export competitiveness, particularly for MSMEs, and conflict with national policies like "Make in India" and "Atmanirbhar Bharat."

lxv. The parties argued that the Authority recorded their submissions regarding quality differences between Vietnamese and domestic products, including whiteness levels, consistency issues, and non-substitutability in specific applications, but failed to consider these submissions in its analysis. They contended that the Authority's analysis focused only on cost impact of anti-dumping duties without considering inherently high costs of using domestically produced products compared to Vietnamese products.

lxvi. The interested parties argued that the Authority's examination on impact of anti-dumping duty requires revisit, contending that applicants made calculation errors.

lxvii. The interested parties submitted that 5% ash content standard applies only to selected products while other products such as garbage bags, carry bags, and polypropylene packing sheets have high dosage of filler masterbatch.

lxviii. The interested parties submitted that anti-dumping duty would not be in public interest. The applicant has not quantified impact of anti-dumping duty on user industry and that duty on subject goods can have cascading effect on user industries already facing vulnerabilities. It was requested that aspect of public interest be examined based on facts and that self-serving claims of applicant on public interest be rejected.

lxix. There is demand and supply gap concerning subject goods in India and anti-dumping duty would be detrimental for users. Users are dependent on imports to meet quantitative and qualitative requirements and duty on such product cannot be in fair interest of country.

lxx. The interested parties contested the Authority's examination on confidentiality, arguing that applicants failed to adhere to Trade Notice 10/2018 requirements for disclosure of sales value, sales realization per unit, PBIT per unit, total profit before interest and tax, interest and finance costs, and depreciation and amortization expenses. They requested appropriate disclosure that the Authority accepted disclosure of above information in trend format and that this complies with trade notice requirements.

lxxi. Some of the interested parties submitted portions of their Questionnaire Response as part of the post-disclosure comments which were not submitted earlier within the prescribed deadline.

**L.2 Submissions made by domestic industry**

287. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:

i. The domestic industry requested the Authority to confirm specific proposals from the Disclosure Statement in the Final Findings.

ii. The domestic industry submitted specific comments regarding the Authority's proposal of negative dumping margin for An Tien Industries Joint Stock Company in the dumping margin table.

iii. The domestic industry submitted that the Authority has not disclosed the precise nature of the related customers, sales to whom were treated to be in ordinary course of trade, whether they are downstream users of the PUC, or traders. They requested the Authority to identify and disclose the role of the related customer and examine whether the sales are suitable for determination of normal value.

iv. The domestic industry submitted that in cases where sales are made to related traders who resell the PUC to independent customers, such sales cannot automatically be accepted as arm's length. The domestic industry argued that if related customers are traders, the Authority should examine resale prices to first independent customers, and unless such resale data is placed on record, sales to related traders should not be accepted as basis for normal value.

v. They submitted that all entities forming part of the supply and distribution chain whose data is relevant for determination of normal value or export price should participate in the investigation as interested parties.

vi. They further submitted that if related customers are downstream users of the PUC, the Authority should disclose this fact and assess whether such sales are comparable with sales to unrelated independent customers.

vii. The domestic industry argued that similarity in price alone is not sufficient to establish that sales to related parties are at arm's length. They submitted that the Authority should examine whether terms and conditions of sales, such as level of trade, credit terms, and distribution expenses, are comparable with sales to unrelated user customers, and whether the foreign producer has placed on record any transfer pricing report to substantiate that prices charged are at arm's length.

viii. The domestic industry requested the Authority to thoroughly verify all related-party transactions reported by An Tien. They submitted that the Authority should re-examine the dumping margin for An Tien in the final findings, incorporating their submissions.

**L.3 Examination of the Authority**

288. The submissions by the interested parties were mostly repetitive in nature and have already been addressed at the relevant place in the finding. The Authority has examined the relevant submissions, claimed not to have addressed, herein below.

289. With respect to the scope of PUC, the Authority provided detailed examination of the product scope after considering all submissions from interested parties. The Authority's proposal in the Disclosure Statement that the PUC is Filler Masterbatch having $CaCO_3$ as major constituent i.e., more than 50% was made after thorough examination of all evidence and arguments.

290. Further, the interested party has brought in new facts post issuance of disclosure statement contending that products with more than 50% but less than 70% $CaCO_3$ content are $CaCO_3$ Masterbatch compounds. These new facts are unsubstantiated.

291. The interested parties current argument essentially seeks to relitigate this issue without providing new evidence or legal grounds that would warrant reconsideration. The Disclosure Statement has duly

addressed the scope of the product and exclusions.

292. The interested parties' submission that the Authority did not examine their claim about scope expansion lacks merit. The Authority in the disclosure statement duly recorded this submission.

293. The above argument that the scope of PUC was enhanced to include products with 50-69% calcium carbonate along with 19% calcium oxide and barium sulphate is incorrect. As clarified in the Disclosure Statement, the Authority held that CaO or BaSO4 based filler masterbatches wherein the content of CaO or BaSO4 are in major proportion (more than 50% by volume) are not PUC, while CaCO3 based filler masterbatches wherein the major constituent is CaCO3 are covered in the scope.

294. The specific product exclusion request of Specialty LLDPE Compound Filler (Grade SRB FORMULA 1) with calcium carbonate content of 55-65% was addressed, which the Authority examined in the Disclosure Statement.

295. The Authority has examined the interested parties' argument that the Authority failed to appreciate their request for providing the non-confidential copies of the invoice of the domestic industry. The request for non-confidential copies of invoices cannot be entertained as these documents contain commercially sensitive information such as name of customer, price, etc. that was properly claimed as confidential under Rule 7 of the Anti-Dumping Rules. In fact, the invoices and documents submitted by the other interested parties were also allowed to be claimed confidential considering business sensitivity of such information. The Authority's examination was based on verified documentary evidence of all the parties.

296. The Authority has examined the interested parties' contention that the Authority failed to acknowledge their revised PCN proposal despite submission in Written Submissions and Rejoinder Submissions. This argument was duly recorded in the Disclosure Statement.

297. The Authority's determination in disclosure statement was based on information provided by major producers/exporters from Vietnam who initially supported 10% ranges, and catalogue/invoice evidence showing standard range of 75% to 85% CaCO3 content. This industry practice supports the broader PCN ranges adopted by the Authority. Further, the 10% PCN ranges were finalised by the Authority upon duly convening a meeting on scope of PUC and PCN methodology and considering submissions made by all the interested parties.

298. The Authority noted that there is a tolerance range of ±2% in calcium carbonate content, acknowledged by producer/exporters in their submissions. Some of the importers have disputed the Authority's analysis regarding ±2% tolerance range, arguing that PUC generally has ±1% tolerance rather than ±2%, and submitted technical data sheets showing ±1% tolerance for commercially supplied products. The Authority has verified the information of domestic industry as well as foreign producers/ exporters and observed that the tolerance range is generally in the range of ±2%.

299. The Authority determined that a narrower CaCO3 content range would create overlapping categories, making product classification unworkable from both technical and administrative perspectives. Therefore, the Authority rejects the request for 3-5% intervals of CaCO3 content, as would be technically not feasible and administratively impractical.

300. The Authority in the Disclosure Statement examined submissions regarding polymer types and determined that creation of PCNs on CaCO3 content would appropriately factor the cost of polymer in the total cost of production of PUC.

301. The argument that PCNs created solely on CaCO3 content may not consider price differences between polymer types was addressed in the Authority's examination in the disclosure statement. The Authority determined that actual data demonstrates minimal price differences between polymers, and that PCN creation based on polymer type is not warranted.

302. The Authority's determination on accepting international prices of polymer was recorded in the Disclosure Statement. Further, the additional evidence as submitted by other interested parties of multiple Indian producers of polymers showing consistent trends for a particular grade does not address the fundamental issue identified by the Authority, that price variation in different polymer prices are not significant for creating different PCNs. The Authority's reliance on average prices of different polymers

over the POI based on international pricing sources, as submitted by the domestic industry in submissions on scope of PUC and PCN methodology, showing maximum difference of approximately 2%, remains the more appropriate basis for determination.

303. The submission that polymer prices experienced fluctuations during POI, resulting in cost variation of at least Rs 4 per kg based on timing of procurement, and request for monthly determination was considered. However, the Authority determined that the monthly comparisons is not warranted in this particular case considering absence of significant fluctuation of price of raw material i.e., polymer and CaCO3, during the POI.

304. The interested parties provided recalculated dumping margins based on their proposed PCN structure, claiming margins ranging from [***]% to [***]% under their structure versus [***]% under the Authority's structure. These calculations are based on the premise that their PCN methodology should be adopted, which the Authority has determined to be unfeasible for the reasons recorded above. Further, it is noted that no evidence was provided by the interested parties at the time of PCN submissions. Antidumping investigation is a time bound and the DGTR has given specific time limits to the interested parties to provide relevant information. The Authority cannot accept such claims at this belated stage.

305. The interested parties argued that the Authority failed to consider submissions regarding impact of CaCO3 source on commercial substitutability due to production cost effects. This argument was specifically addressed in the Disclosure Statement, where the Authority determined that difference in cost attributable to source does not alter the physical or functional characteristics of the final product. The primary determinant remains the percentage of CaCO3 in the product.

306. The interested parties' submitted cost analysis showing prices of Indian origin, Vietnamese origin and Malaysian origin CaCO3. While this may be commercially relevant, the domestic manufacturers in India also procure CaCO3 of all three origins.

307. The Authority has examined the detailed submissions regarding manufacturing technology differences between Vietnam and India. As the Authority determined in the Disclosure Statement, quality is not a criterion for defining product scope in anti-dumping investigation, and the process of manufacture is of no consequence as the same goods may be produced with different production and technology processes. Further, the domestic industry has submitted invoices showing similar technology being used by manufacturers in India as being used by Vietnamese manufacturers.

308. The Authority has examined the submission by Vitaplas Joint Stock Company regarding third country exports for normal value determination. The company argued that substantial third country exports were made for PCN B products and that proper consideration would show negative dumping margin.

309. It is noted that the transaction-wise third country exports were not provided by the producer/ exporter as part of the Questionnaire Response. Accordingly, where PCNs had no sales in domestic market, normal value was determined based on cost of production plus reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits.

310. The contention of Vitaplas Joint Stock Company that costing figures shared by the costing department of the authority are higher than what they had submitted, it is held that the costing for Vitaplas has been determined based on detailed and verified data which was submitted to Authority, including questionnaire responses, desk verification data, and follow-up clarifications.

311. Further, the Authority's treatment of adjustments for ADC Plastic was recorded in the Disclosure Statement, noting that claimed adjustments for inland transportation, commission, credit cost and other deductions were allowed after desk verification. If specific adjustments were disallowed, it was based on verification findings regarding adequacy of supporting documentation.

312. ADC Plastic’s reference to packing cost adjustments allowed for Vitaplas JSC does not automatically entitle ADC Plastic to identical treatment. Each exporter's adjustments are evaluated based on their specific submissions and supporting evidence.

313. The Authority's determination for An Tien was recorded in the Disclosure Statement. As noted in the disclosure statement, the Authority examined whether sales to related customers were on arm's length

basis and found that prices of such sales and sales to unrelated customers were in the same range, leading to consideration of such sales for ordinary course of trade test.

314. The domestic industry's request for more detailed examination of related party transactions is noted. However, the Authority's determination was based on price comparability analysis, which is an established method for testing arm's length nature of related party transactions.

315. The interested parties disputed the Authority's examination that unsubstantiated lists of names were provided regarding additional domestic producers. As recorded in the disclosure statement, the Authority noted that lists of alleged domestic producers from other interested parties came from general web searches which may include companies merely selling PUC after import or mere distributors. It is also not proven whether those companies are manufacturing the PUC domestically or getting it made from foreign sources in their names (white labelling). In fact, the Authority notes that the list provided by the interested party contains name of the importer/user participating in the investigation. The Authority's examination in the Disclosure Statement that none of alleged domestic producers came forward despite public notice in official gazette inviting all interested parties to provide relevant data supports the standing determination.

316. The argument about discrepancy between claimed support of 86 members and actual participation by only 12 members was addressed through the Authority's examination of the two-association structure. As recorded in disclosure statement, CMMAI and MMA are the only two associations in India having members producing PUC, and none of their members expressly opposed the imposition of anti-dumping duty.

317. The Authority has examined the argument that reliance on Trade Notice No. 09/2021 for sampling is misplaced and procedurally inappropriate post-initiation. As recorded in the Disclosure Statement, the Authority determined that paragraph 8.8.4 of Manual pertains to sampling of producers/exporters from subject countries under Rule 17, which is not applicable where sampling relates to domestic producers in fragmented industry.

318. The interested parties' calculation that five sampled producers account for only 23% total Indian production, misunderstands the legal framework. As the Authority clarified, CMMAI and MMA and its members consisting of 12 applicant producers and 21 supporting producers satisfies the 25% test and that none of the member companies of CMMAI and MMA, nor any other domestic producer of PUC, have opposed the petition

319. The sampling under Trade Notice 09/2021 serves a different purpose which is limited to determination of Non-injurious price.

320. The Authority notes that the argument regarding market intelligence suggesting total production of 1.24 million MT lacks substantiation.

321. The interested parties questioned representativeness of sampled producers and sample diversity. The Authority's sampling methodology was explained in the Disclosure Statement, noting that five producers selected for NIP determination represent significant share of total domestic applicants and are geographically and operationally diverse.

322. Regarding Sonali Polyplast's imports, the existence of some miniscule imports by a domestic producer does not disqualify it from being considered part of domestic industry, provided its primary activity is domestic production and it is not substantially dependent on dumped imports.

323. The corporate relationship between Alok Masterbatches and Alok Industries, while noted, does not invalidate the sampling methodology. The sampling remains statistically valid for the purpose of NIP determination.

324. The interested parties argued that Authority's statements regarding lack of production data for other domestic producers constitute admissions that Authority did not identify total domestic production at initiation stage. They contended that Authority failed to discharge duty to determine total domestic production through regulatory clearances, GST registrations, audited financials, and other regulatory filings.

325. This comprehensive challenge was addressed in the Authority's detailed standing analysis in the

Disclosure Statement. The Authority noted in the disclosure statement that PUC industry in India is fragmented with excessively large number of domestic producers, hence application was filed by two associations representing their members.

326. The Authority's approach was consistent with Article 5.2(i) of the Anti-Dumping Agreement, which requires applicants to identify "known domestic producers." The use of "known" creates clear limitation on scope of data requirement, and the Authority is not required to undertake exhaustive investigations to locate every potential producer.

327. The Authority's determination in the disclosure statement that while it has discretion to seek additional information from external sources, such exercise is case-specific and depends on whether information submitted is insufficient or unreliable, addresses the procedural argument. In the present case, the applicant identified all known producers and submitted supporting evidence as permitted under Trade Notice 09/2021 for fragmented industries.

328. With respect to the estimated production reported in Plast India report, the interested parties challenged the basis for considering 20-25% of filler masterbatches as non-calcium carbonate based, arguing there is no basis for this assumption and requesting the Authority not rely on mere statements without basis.

329. The Authority notes that the percentage appears reasonable given the variety of non-calcium carbonate based masterbatch types (talc based, sodium sulphate based, barium sulphate based) available in the market, and as the interested parties have not provided contrary evidence regarding market composition. Even if the Authority does not consider the production of non-calcium carbonate based filler masterbatch, the volume of production by the domestic industry will satisfy the 25% test considering the Plast India report of estimated production of around 1,000 KT for filler masterbatch.

330. The interested parties' argument that many sampled companies manufacture both PUC and other products such as Colour Masterbatch was addressed in the Authority's approach to data verification. The data used for injury analysis relates exclusively to the PUC.

331. The argument that domestic producers continued to sell approximately 95% of production domestically ignores the price impact analysis. As recorded in the disclosure statement, significant price undercutting of 15-25% occurred, and domestic industry was forced to sell below cost of sales, incurring losses throughout the period. The fact that domestic producers maintained sales volumes does not negate injury when those sales were made at loss-making prices due to import pressure.

332. The argument that subject imports accounted for only 19% market share and lack ability to suppress prices ignores the established economic principle that even minority market shares can influence pricing when it involves aggressive pricing strategies. The Authority's price suppression analysis demonstrates clear causal relationship.

333. As regards the argument that comparison between price undercutting and injury margin shows cause of injury is higher cost of applicant rather than imports from subject country, it is noted that price undercutting measures the difference between landed price of imports and domestic selling prices, while injury margin measures the difference between landed price and non-injurious price, indicating the level of protection needed to eliminate injury.

334. The argument about base year unprofitability does not negate causation when injury significantly worsened in correlation with increasing import volumes and market share. The delayed approach to Authority is a procedural matter that does not affect substantive injury determination. Capacity expansion costs are in line with increasing demand of the PUC and does not have correlation with performance deterioration.

335. Technology differences, as the Authority determined in the disclosure statement, have not been demonstrated to constitute material changes affecting injury analysis. Structural barriers and logistics costs represent normal competitive factors that do not explain the specific injury pattern observed.

336. Further, performance variations among individual producers within domestic industry are normal in any market. The Authority's injury analysis is based on aggregate performance of the domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. Individual company performance variations do not

invalidate the overall industry analysis, particularly when the majority of the industry is experiencing injury.

337. The interested parties contested the Authority's application of uniform 22% ROCE. This argument was comprehensively addressed in the Authority's examination in the Disclosure Statement. The Authority notes that it has relied upon its well settled practice for determining the NIP and there is nothing on record to deviate from this consistent practice.

338. The interested parties contended that given identical subject goods and subject country, the Authority should consider aligning timelines and conclusions of the parallel CVD investigation. Each investigation proceeds according to its own legal framework, timeline, and evidence. The Authority will consider relevant findings from related proceedings where appropriate, but each investigation must be determined based on its specific legal framework.

339. The arguments on public interest were addressed in the Authority's detailed public interest analysis in the Disclosure Statement. The Authority noted that no downstream users filed responses despite adequate opportunity. This indicates users do not consider duty impact significant enough to warrant active participation remains valid.

340. The interested parties argued that the Authority recorded their submissions regarding quality differences (whiteness levels, consistency issues, non-substitutability in specific applications) but failed to consider these in analysis. The quality difference arguments were addressed in the Authority's like article determination in the Disclosure Statement. Quality is not a criterion for defining product scope in anti-dumping investigation, and the process of manufacture is of no consequence.

341. The interested parties submitted that 5% ash content applies only to selected products, while products like garbage bags, carry bags, and polypropylene packing sheets have high dosage of filler masterbatch. Even accepting higher usage levels in specific applications, the interested parties have not provided industry-wide quantified analysis demonstrating significant economic impact that would override the need to address unfair dumping practices.

342. Regarding the demand-supply gap, the Authority noted that availability of subject goods in Indian market shall remain unaffected by imposition of duties, as imports may continue provided, they are conducted at fair, non-dumped prices.

343. On claims regarding confidentiality, the Authority undertook thorough examination of confidentiality claims and found them to be appropriately substantiated and in conformity with applicable legal provisions. The Authority accepted confidentiality claims wherever warranted while ensuring adequate non-confidential information was available.

344. With regards to some of the interested parties submitting certain appendices of the questionnaire response as part of post-disclosure comments. The Authority hold that antidumping investigation is a time bound investigation and the DGTR has given specific time limits to the interested parties to provide relevant information. WTO jurisprudence provides guidance that time-barred responses ought not be accepted. Therefore, the Authority holds that such belated submissions can not be accepted.

345. The Authority has conducted comprehensive examination of all post-disclosure submissions and finds that the arguments raised either repeat previously considered issues or fail to provide new evidence warranting modification of the examinations done in the Disclosure Statement.

346. The procedural aspects of the investigation, including product scope determination, standing analysis, sampling methodology, PCN structure, and confidentiality treatment, were conducted in accordance with the Anti-Dumping Rules with adequate opportunities provided to all interested parties.

347. The substantive determinations regarding dumping margins, injury analysis, causation, non-attribution, and public interest are based on verified information and established legal principles.

## M. CONCLUSION & RECOMMENDATION

348. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

i. The product under consideration in the present investigation is Calcium Carbonate Filler Masterbatch having CaCO3 as major constituent i.e., more than 50% in volume.

ii. The subject goods exported from the subject country and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.

iii. The applicant domestic producers along with supporters satisfy the 25% test and the major proportion test. Thus, constitutes domestic industry.

iv. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined, and the margins are positive and significant.

v. The domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports. The injury margin is significant.

vi. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers.

349. The Authority notes that the investigation was initiated and notified all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules and having quantified the impact of the imposition of anti-dumping duty, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends the imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

350. In view of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule l7(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below for a period of 5 years.

**DUTY TABLE**

| S. No. | Sub Heading or Tariff Item* | Description of Goods | Country of Origin | Country of Export | Producer | Amount ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3824 99 00 | Calcium carbonate filler masterbatch | Vietnam | Any country including Vietnam | European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast") | 31.58 |
| 2 | -do- | -do- | Vietnam | Any country including Vietnam | Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai") | 31.58 |
| 3 | -do- | -do- | Vietnam | Any country including | Nghe An European | 31.58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vietnam | Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe") | |
| 4 | -do- | -do- | Vietnam | Any country including Vietnam | Polyfill joint stock company ("Polyfill") (collectively referred to as "Europlast Group") | 31.58 |
| 5 | -do- | -do- | Vietnam | Any country including Vietnam | ADC Plastic.,JSC | 36.13 |
| 6 | -do- | -do- | Vietnam | Any country including Vietnam | An Tien Industries Joint Stock Company | Nil |
| 7 | -do- | -do- | Vietnam | Any country including Vietnam | Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas) | 39.25 |
| 8 | -do- | -do- | Vietnam | Any country including Vietnam | Any | 75.00 |
| 9 | -do- | -do- | Any country other than Vietnam | Vietnam | Any | 75.00 |

## N. **FURTHER PROCEDURE**

351. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.01 11:45:55 +05'30'